सोमवार, 9 सितम्बर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के लोक सभा

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
91	6	चाहे	चाहिए
187	20	जोड़	जोड़ा
188	नीचे से 10	औषीद्यों	औषीक्यों
189	6	संघटन	संगठन
237	7	रिक्तियों	रिक्तियों को
287	नीचे से 7	देखिए सं॰	देखिए संख्या एल॰टी॰
329	2	बोड़ने	जोड़े
414	नीचे से 2	के ग्यारह बजे	के पूर्वाह्न ग्यारह बजे

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 26, सोमवार, 9 सितम्बर, 1996/18 भाद्र 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 504	1–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 505 से 520	41–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 4638 से 4873	59–287
सभा पटल पर रखे गये पत्र	288–294
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	294
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – **प्रस्तुत**	294
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन – **सभापटल पर रखा गया**	294
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन – **सभा पटल पर रखा गया**	295
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के संबंध में	
श्री एस. आर. बोम्मई	295–97
कार्य मंत्रणा समिति	
पांचवां प्रतिवेदन – **स्वीकृत**	297
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता। श्री अशोक प्रधान	324
(दो) उत्तर-प्रदेश के एटा जिले में काजरगंज और नरदोली के बीच गंगा नदी पर बने बांध की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता। डा. महादीपक सिंह शाक्य	325

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कालम**

(तीन) उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता।
श्री पिनाकी मिश्र 325

(चार) आंध्र-प्रदेश के नलगोंडा जिले में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक केनाल के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता।
डा. बी. एन. रेड्डी 326

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिले के सभी ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना आरंभ किये जाने की आवश्यकता।
श्री नवल किशोर राय 327

(छः) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के महत्वपूर्ण शहरों में एस. टी. डी. सुविधा शुरू किये जाने की आवश्यकता।
श्री सुधीर गिरि 328

(सात) समाज सुधारक, संत रवि दास, की जन्म स्थली को पक्की सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता।
श्री राम सगर 329

(आठ) आंध्र-प्रदेश के धोबी/रजक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता।
श्री टी. गोपाल कृष्ण 329

सामान्य बजट 1996-97-अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय - **स्वीकृत** 330-346

श्री शिवराज सिंह 331-346

कटौती प्रस्ताव - **प्रस्तुत** 346

श्री दिलीप सिंह भूरिया 346-352

श्री महबूब जहेदी 352-359

श्री बृज-भूषण तिवारी 359-365

श्री अनंत गंगाराम गीते 365-374

श्री राम नगीना मिश्र 374-375

श्री सनत मेहता 375-384

श्री किंजारप्पू येरन्नायडू 384-389

कटौती प्रस्ताव - **वापस लिया गया** 389

श्री चतुरानन मिश्र 389-393

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 393

विषय **कालम**

शेष मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए रखना - **स्वीकृत** 394

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 409

श्री पी. चिदम्बरम 409

श्री राम नाईक 409-412

श्री रमाकान्त डी. खलप 412

श्री सी. एम. इब्राहीम 412

श्री दिलीप कुमार राय 412

खंड 2 से 4 और 1 - **स्वीकृत**

स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव 413

सदस्य की गिरफ्तारी 348-349

लोक सभा

सोमवार, 9 सितम्बर, 1996/18 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अटलांटा ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन

*501. **श्री राम नाईक :**
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में सम्पन्न हुए अटलांटा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय गौरव को लगी ठेस की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच कराई है और ऐसे खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने से पहले इस बात से संतुष्ट थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और क्या उन्हें उचित प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई थीं;

(ङ) उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रशिक्षण-सुविधाएं उपलब्ध करायी गई और इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ओलंपिक व्यवस्था में भारतीय ओलंपिक संघ ही दल के चयन और प्रायोजन के बारे में अंतिम निर्णय लेता है। उन्होंने भारत सरकार के साथ, मार्ग व्यय, गांव खुलने से पहले की अवधि के वास्ते भोजन और आवास पर होने वाले खर्च तथा जेब खर्च के लिए वित्तीय सहायता हेतु सम्पर्क किया था। इन परिस्थितियों में, कई खिलाड़ियों और अधिकारियों ने अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हालांकि, भारत सरकार ने उनकी सहभागिता के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

अटलांटा ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन के निश्चित कारणों का सूक्ष्म निरूपण करना कठिन है। मोटे तौर पर, इसके निम्नलिखित कारण हैं:-

(1) भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर खेलों के विकास के लिए दीर्घावधिक वचनबद्धता का अभाव।

(2) अपर्याप्त मुद्रागत संसाधन।

(3) निचले स्तर पर ही आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होना जिसमें प्रशिक्षण क्षेत्र, मानक खेल उपस्कर आदि शामिल हैं।

(4) शैक्षिक पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद के एकीकरण का अभाव।

सरकार ने फरवरी, 1996 में भारतीय ओलंपिक संघ को यह सूचित किया था कि जो टीमें और खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा निर्धारित योग्यता प्रदायी प्रक्रियाओं के माध्यम से क्वालीफाई करते हैं, उन्हें स्वीकृति देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। भारत सरकार को, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रस्ताव जुलाई, 1996 में प्राप्त हुए थे। विभाग में इन पर विचार किया गया था और खिलाड़ियों/अधिकारियों को (स्वीकृति) अनुमोदन देने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा गया था।

(1) क्या एथलीटों/टीमों ने मान्यता प्राप्त टूर्नामैंटों में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर और सहभागिता के लिए निर्धारित किए गए योग्यता प्रदायी मानकों के आधार पर ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है;

(2) पिछले एशियाई खेलों के दौरान प्रशंसनीय प्रदर्शन;

(3) हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामैंटों में प्रशंसनीय प्रदर्शन; और

(4) एथलीटों, खिलाड़ियों और टीमों के वर्तमान स्तर जिनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के मानकों और होनहारी का पता चलता है।

खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों, उपस्कर और वैज्ञानिक समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अवसर आदि की संघों द्वारा बताई गई और संघों तथा सरकार के बीच परस्पर सम्मत अपेक्षाओं के अनुसार व्यवस्था की गई थी।

(ङ) खिलाड़ी-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय खेल संघों को अनुदान की विभागीय योजना के अंतर्गत, सरकार ने संघों को प्रशिक्षण शिविर लगाने, उपस्कर, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों/मैचों में भाग लेने, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों आदि के आयोजन हेतु निम्नलिखित राशि प्रदान की थी

(रकम करोड़ रुपये में)

1993-94	13.45
1994-95	9.41
1995-96	7.95

(च) खेलों का संवर्धन और विकास एक सतत् प्रक्रिया है और देश में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की कई योजनाएं हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रबंध की व्यवस्था में, खेलों का संवर्धन ज्यादातर खेल संघों पर ही निर्भर करता है। खेल संघ ही विभिन्न स्तरों पर टूर्नामैंट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह बात सुनिश्चित करते हैं कि इन टूर्नामैंटों के जरिए ही अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आयें। केन्द्र सरकार ने इन संघों के परामर्श से खेल-विधा-वार दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए भी प्रयास किए हैं। इन योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा भी की जा रही है। खेलों में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ भी बातचीत की गई है और ऐसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए कर-राहत की व्यवस्था की गई है। तथापि, वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण केन्द्रीय सरकार के प्रयास गंभीर रूप से सीमित हो जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, अटलांटा में ओलंपिक में हमारा जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उसके बारे में सबको मालूम है। मेरे पास सारे देशों को मिले पदकों की लिस्ट है। हमारा देश 90 करोड़ का है और इस लिस्ट में सबसे अंत में हमारे देश का नाम है। हमें सिर्फ एक ब्रोंज पदक मिला है। चूंकि इंडिया "आई" शब्द से शुरू होता है और युगांडा "यू" शब्द से शुरू होता है इसलिए इंडिया का नाम पहले है और युगांडा का नाम अंत में है। अन्यथा तो हमारे देश का नाम सबसे अंत में है।

इसके साथ ही जब हम देखते हैं तो एक छोटा सा देश क्यूबा, जो हमारे देश के एक प्रदेश से भी छोटा देश है, उसको नौ गोल्ड, आठ सिल्वर और आठ ब्रोंज पदक मिले हैं। इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया को सात गोल्ड, 15 सिल्वर और पांच ब्रोंज पदक मिले हैं। जब इस प्रकार से छोटे छोटे देशों ने इतने पदक लिए हैं तो हमारा देश पदकों में इनके मुकाबले कही नहीं ठहरता है।

जब खर्च की बात आती है और जब हमने उसके बारे में पूछा, तो हमें बताया गया कि 1993-94 में 13.45 करोड़, 1994-95 में 9.41 करोड़ रुपये और 1995-96 में 7.95 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। यानी खर्च कम होता जा रहा है। अभी-अभी इसका विचार स्टेडिंग कमेटी में भी हुआ था। अब उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने है। उस सबको देखने के बाद यह पता चलता है कि हमारा जो वार्षिक बजट है, उसका हम 0.0001 प्रतिशत खर्च करते हैं। यानी इतना कम खर्च करते हैं। तो कम से कम इसके बारे में गंभीरता से सोचकर .0001 में से तीन जीरो और दशमलव को निकालकर अपने वार्षिक बजट के एक परसेंट खर्च करने की दृष्टि से क्या सरकार कुछ विचार करेगी? ऐसा मेरा सवाल है।

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : मैं माननीय सदस्य द्वारा यहां व्यक्त की गई भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने इसके कारण बताए हैं। इसका एक लम्बा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि ऐसा इस बार ही हुआ है, बल्कि इस बार हमारा प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों से कहीं बेहतर रहा है। ...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : बहुत अच्छा, ऐसा ही करते रहिए।

श्री एस. आर. बोम्मई : कृपया मेरी बात सुनें। ...(**व्यवधान**) हमने 44 वर्ष बाद पहली बार व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ...(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया।

श्री प्रमोद महाजन : हमें अगले 45 वर्ष तक कुछ नहीं करना है। ....(**व्यवधान**)

श्री एस. आर. बोम्मई : जहां तक अलग अलग प्रतियोगिताओं का संबंध है हमें हॉकी में 1950 में पदक मिला था तथा अंतिम बार हमने 1980 में पदक प्राप्त किया था। उसके बाद हमारा प्रदर्शन खराब रहा। इसलिए मैंने कहा कि पिछले ओलम्पिक खेलों की तुलना में इस बार प्रदर्शन कुछ बेहतर है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि नई खेल नीति बनाया जाना अत्यावश्यक है। हमें स्कूल, कालिज और हाईस्कूल स्तर पर प्रतिभाएं खोजने पर और उनकी कोचिंग पर अधिक पैसा खर्च करना होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यह कर रहा है, यह संस्थानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये दे रहा है। यह प्रतिवर्ष चुने गए बालक-बालिकाओं को उनके रख-रखाव, खान-पान, रहन-सहन, कपड़े आदि और खेल के सामान के लिए 50 हजार रुपये देता है। पर, यह पर्याप्त नहीं है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ- बल्कि राज्य सभा में मैं कह भी चुका हूँ कि हम शीघ्र ही एक सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें राज्यों के मंत्री, फेडरेशन, खेल विशेषज्ञ, प्रशिक्षक और वे लोग भाग लेंगे जिनकी खेलों में रुचि है। सरकार के अन्य विभागों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा।

पहले रेलवे फुटबाल और हाकी जैसे खेलों को प्रोत्साहन देती थीं। रेलवे की टीमें सर्वोत्तम टीमों में होती थीं। पुलिस विभाग भी उन्हें प्रोत्साहन देता था। अब उसने ऐसा करना बन्द कर दिया है। हमें इसे फिर से शुरू करना है। इसके लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी, अधिक धन खर्च करना होगा और नीतियां बनानी होंगी। हमें कम से कम अब शुरूवात करनी चाहिए। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मुझे भी कुछ कहने की इच्छा हो रही है।

...(**व्यवधान**)

श्री एस. आर. बोम्मई : यदि हम आज से तैयारी शुरू करेंगे तो दस या पन्द्रह वर्ष बाद हम सफल हो पायेंगे। चीन ने ऐसा ही किया। उसने दस वर्ष तक इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया उसने तैयारी की। और उसके बाद भाग लेना शुरू किया। हम भाग लेना बन्द करना नहीं चाहते परन्तु इसके साथ ही हमें एक दीर्घकालीन योजना बनाकर नीति निर्धारण करनी है। इस संबंध में हम माननीय सदस्यों के सुझावों को चाहते हैं ...(**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : क्या आप बजटरी एमाउण्ट बढ़ायेंगे?

[अनुवाद]

एस. आर. बोम्मई : हमने पहले ही अधिक धन की मांग की है। योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि अटलांटा ओलम्पिक में भारत के खराब प्रदर्शन के निश्चित कारणों का सूक्ष्म निरूपण करना कठिन है। मतलब वह विस्तार से नहीं बता सकते कि किन-किन कारणों से हमारा प्रदर्शन खराब रहा। यह तो मुझे आश्चर्यजनक लगता है। मेरा सवाल यह है कि इतनी बुरी हालत होने के बाद क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी ओर से कुछ रिव्यू किया है?

इस रिव्यू में अब स्टेट आयेंगे, वगैरह-वगैरह आपने बताया, लेकिन यह जो रिव्यू है, उस रिव्यू का ख्याल आपने किया है क्या-पहली बात? और किया है तो आपका इसके बारे में निष्कर्ष क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : महोदय हम खराब प्रदर्शन के कारण बता चुके हैं। इसके मुख्य कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर खेलों के विकास के लिए दीर्घकालीन प्रयत्नों का अभाव और अपर्याप्त धन की व्यवस्था है।

श्री राम नाईक : परन्तु यह तो सामान्य कारण हैं।

श्री एस. आर. बोम्मई : हम इन कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में हमने मैसर्स टाटा कन्सैलटेंसी से इस संबंध में सलाह देने को कहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हमने उनके अनेक सुझावों को मान लिया है। उनका अध्ययन किया जा रहा है और हम उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं इसे पर्याप्त नहीं समझता। अभी भी इस विषय पर गम्भीरता से विचार-विमर्श शुरू करना चाहिए। 90 करोड़ की आबादी वाले इस देश के लिए यह अच्छा नहीं है कि वह सामान्य स्तर का प्रदर्शन भी न कर सके। इसलिए मैं समझता हूं कि खेल नीति के बारे में राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। यदि बजट का एक प्रतिशत भी खेलों के लिए रखा जाये तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे पास लड़के हैं लड़कियां हैं परन्तु उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। इस संबंध में उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का दिया हुआ स्टेटमेंट मैने पढ़ा है, उसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। जो उन्होंने दूसरे सदन में बताया था, वही वे यहां भी रिपीट कर रहे हैं। हमारे यहा से अच्छी खिलाड़ी पी.टी. ऊषा, जो तीन ओलम्पिक्स में दौड़ चुकी है, उसको वहां ले जाया गया और ले जाने के बाद उसको दौड़ाया नहीं गया, उसके बारे में आपने कभी खोज की है क्या? दूसरे 400 मीटर रिले दौड़ में टीम हमने भेजी। उस दौड़ में सात लोग थे, उनमें भी छह नम्बर पर हम रहे, यानि हम डिसववालिफाई हो गये। हमारा दूसरा नम्बर होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम छह नम्बर पर रहे। अटलांटा में हमारे राज्य मंत्री गये, उन्होंने पहले से ही दिया गया मंत्री जी का ग्रीन कार्ड ले लिया, ठीक है, अच्छा है। फिर हमारे मंत्री वहां गये तो मंत्री को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, यानि फर्स्ट स्टेज रिसैप्शन में जाने के लिए, कहीं बैठने के लिए जो अच्छी जगह भारत के हिसाब से मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली और भारत का अपमान हुआ।

मैं खुद जानता हूं, पहलवानी में पहलवान लोग जो थे, उनका वजन ही कम था। पता नहीं यहां कोई वजन होता है कि नहीं होता है। यह भी हुआ। मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास पैसा कम है। अधिकारी लोग पहले से वहां जाते हैं। क्या महोत्सव के लिए वहां जाते हैं या भारत का नाम रोशन करने के लिए, गाइड करने के लिए जाते हैं? वहां वे घूमते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते रहते हैं और भारत का नाम रोशन करने के बजाय वे वहां खाना-पीना देखते रहते हैं, सिनेमा देखते रहते हैं, और जगह जाते हैं। इतनी जो हमारी खराब परिस्थिति वहां हुई, उसके फल में, माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिये मैं कहता हूं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अभी आप सवाल पूछिये।

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल : कि कम से कम हमें एक महीने का राष्ट्रीय शोक मनाना चाहिए। मैं खुद खिलाड़ी हूं और इसलिए मुझे यह लगता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य राम नाईक जी ने बताया, आपने माना, अच्छी बात है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूं। यह अच्छी बात है कि आप खेल के बारे में कोई नीति तय करना चाहते है। आप बम्बई, मद्रास और दिल्ली में खिलाड़ियों को ढूंढते हैं लेकिन पिछड़े एरिया में नहीं ढूंढते। गरीब खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। यूनान हमारे ओलम्पिक का जन्मदाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह बात यूनान से चली है तो भारत में जो खिलाड़ी है, क्या आप उनको अच्छी ट्रेनिंग देने के बारे में कुछ विचार करते हैं? यहां काफी सदस्य आदिवासी, पिछड़ी जातियों से हैं। पिछड़े हुए एरियाज में जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं क्या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? हमारा कम से कम अपमान हो, क्या आप ऐसी बात सोचते हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : महोदय, मेरी समझ में नही आता कि मैं किस प्रश्न का उत्तर दूँ। उन्होंने अनेक प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने कोई प्रश्न न पूछकर एक भाषण दिया है। फिर भी मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

सबसे पहले उन्होंने श्रीमती पी.टी. उषा का जिक्र किया। महोदय पी.टी. उषा ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया था और वह चौथे स्थान पर आयी थी। परन्तु इन दिनों वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। ....(**व्यवधान**) यह एक इतिहास है मैं तथ्य बता रहा हूं। मुझे उस पर गर्व है उसने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय की बात सुनें।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यहां मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूं हम सभी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री एस. आर. बोम्मई : जैसा उन्होंने कहा, राज्य मंत्री ने ग्रीन कार्ड लिया यह सही नहीं है, कि जब मैं वहां गया तो कोई ग्रीन कार्ड नहीं था। मैं इससे इन्कार करता हूँ हुआ यह था कि राज्य मंत्री वहां पहले पहुंच गये थे। और आपस में विचारों के आदान-प्रदान का अभाव रहा। उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया था परन्तु जब मैं वहां गया तो अधिकारियों ने तुरन्त ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की। यह कथन सही नहीं है। समाचार पत्रों में जो छपा वह सही नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने आपको रैड कार्ड नहीं दिखाया ....(**व्यवधान**)

श्री एस. आर. बोम्मई : जो सत्कार किया जाना चाहिए था वह किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ...(**व्यवधान**)।

उन्होंने प्रशिक्षण का प्रश्न उठाया। महोदय मैंने कहा था कि जिला स्तर पर राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना चल रही

है तथा इसके अन्तर्गत हम देश भर में खिलाड़ियों का चयन करते हैं। चयन किये गये प्रत्येक संस्थान को पांच लाख रुपये और खिलाड़ी को पचास हजार रुपये दिये जाते हैं। चयन किये गये बालक और बालिकाओं को खाने और रहने को व्यय, कपड़े, खेल सामग्री का खर्च दिया जाता है तथा स्कूल से लेकर कॉलिज स्तर तक प्रत्येक आवश्यक वस्तु उन्हें दी जाती हैं। यह सब किया गया है, परन्तु मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान खेल नीति की समीक्षा करनी होगी तथा और अधिक धन उपलब्ध कराना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं सभी सदस्यों ने अपने हाथ उठाये हैं।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टत: कहूं तो मेरी इच्छा भी हाथ उठाने की है।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा विषय है जिसे हमें बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। हमें इसको खेल के लिए खेल के रूप में ही महत्व नहीं देना चाहिए, वरन् यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यदि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते तो देश में और अधिक राष्ट्रीय भावनात्मक एकता ला सकते हैं। हम भारत के लोगों में देश भक्ति की भावना जाग्रत कर सकते हैं। मैं तो सरकार से कहूँगा कि वह इस संबंध में यथासंभव प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि सरकार संसद के अगले सत्र तक नीति का मसौदा तैयार रखे। ताकि उसे सभा पटल पर रखा जा सके। हम इस नीति पर संसद के अगले सत्र में चर्चा कर सकते हैं।

देश से बाहर तीर्थयात्रा के लिए वित्तीय सहायता

*502. **डा. रमेश चन्द तोमर** :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा हज यात्रियों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं विदेश जाने वाले अन्य धर्मों के अनुयाइयों को भी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[**अनुवाद**]

विधि विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन साल के दौरान सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों पर जो राशि व्यय की है उसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	राशि	हज यात्रियों की संख्या
1994	29,56,38,815 रु.	25,000
1995	22,95,37,076 रु.	31,000
1996	50,85,84,151 रु.	56,000

इस राशि में रियायती वायुयान यात्रा, जद्दा, मक्का, और मदीना में स्थायी हज संस्थापनों के संचालन पर, तथा हज मौसम के लिए सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सऊदी अरब में तैनात किये गये प्रशासनिक तथा चिकित्सा कर्मचारियों पर, तथा दवाइयों, एम्बुलेंसों, शिविर औषधालयों, चलते-फिरते चिकित्सा दल आदि जैसी आपूर्तियों तथा उपकरणों पर सरकार द्वारा वहन किया गया खर्च शामिल है।

जो हाजी हज समिति के माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं उनके अलावा भी 20 से 30 हजार भारतीय मुसलमान गैर-सरकारी प्रबंधों के आधार पर हज करने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का तथा मदीना की तीर्थयात्रा हज मौसम के तीन महीनों के अलावा भी वर्ष भर चलती रहती है जिसे ''उमरा'' कहते हैं और जिसके लिए सरकार किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करती। हर वर्ष अनुमानत: 40 से 50 हजार मुसलमान ''उमरा'' पर जाते हैं।

अन्य वार्षिक तीर्थयात्रियों में कैलाश-मानसरोवर यात्रा तथा सिख/सहजदारी तथा हिन्दु जत्थों की पाकिस्तान यात्रा शामिल है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा का प्रबंध सरकार द्वारा जून-सितंबर के दौरान किया जाता है। सरकार के तत्वाधान में लगभग 400 तीर्थयात्री हर वर्ष इस यात्रा पर जाते हैं लेकिन अन्य बहुत से लोग भी गैर-सरकारी रूप से आयोजित समूह दौरों के जरिए इस यात्रा पर जाते हैं। कुमायूं, मंडल विकास निगम ने परिवहन, भोजन, आवास आदि के सिलसिले में 1995 में प्रति व्यक्ति 7500 रु. तथा 1996 में 8250 रुपये लिये थे। लेकिन सरकार ने 1996 में प्रति तीर्थयात्री द्वारा कुमायूं मंडल विकास निगम को देय इस राशि को कम करके

5000 रुपये कर दिया था और शेष 3250 रुपये प्रति तीर्थ यात्री की राशि सरकार ने सहायता के तौर पर कुमायूं मंडल विकास निगम को स्वयं अदा की थी। वह रियायत समीक्षाधीन है। सरकार इस यात्रा के दौरान भारत तथा तिब्बत के बीच बेतर संचार के रख-रखाव के लिए चीनी पक्ष को हर वर्ष 7000 अमरीकी डालर भी अदा करती है। सरकार वायुसेना के सहयोग से यात्रियों को उस स्थिति में हवाई निकासी की सुविधा भी मुहैया कराती है जब यात्रा के दौरान यात्रियों के जीवन को खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाये। 25 से 35 तीर्थयात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ उनकी देखभाल हेतु सरकारी खर्च पर एक संपर्क अधिकारी भी भेजा जाता है। 1995 में 14 जत्थों में कुल 420 तीर्थयात्री इस यात्रा पर गये थे और सरकार ने इस संबंध में लगभग 23,73,000 रु. खर्च किये हैं।

तीर्थयात्रा के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिख/सहजदारी तथा हिन्दु जत्थों की पाकिस्तान यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं:-पाकिस्तान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना, इच्छुक यात्रियों की सूची को वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन भेजना, या तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए विशेष रेल सेवा का प्रबंध करना, विदेशी मुद्रा देना, यात्रा पर गये जत्थों की सहायतार्थ इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन से एक संपर्क अधिकारी की व्यवस्था करना आदि। इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाती है।

मैं अध्यक्ष महोदय से कुछ भूल सुधार करने की अनुमति चाहता हूं। वर्ष 1994 में 25 हजार यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया था जबकि वहां वास्तव में 25685 यात्री गये वर्ष 1995 के लिए यह कोटा 31 हजार था जबकि 30,505 यात्री हज के लिए गये। वर्ष 1996 के लिए यह कोटा 56 हजार था। और वहां वास्तव में 50346 यात्री गये।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1994 में यात्रियों पर 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए, 1995 में 22 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 1996 में 51 करोड़ रुपये खर्च कि गए। 1996 का खर्चा 1995 की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा है, जबकि मुझे पता चला है कि मंत्रालय की एक समिति में इस खर्चे में कटौती करने की मांग बार-बार उठती रही है और सरकार ने इसमें कटौती नहीं की है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार आगे इस खर्चे में कटौती करने जा रही है या नहीं?

श्री रमाकान्त डी. खलप : अध्यक्ष महोदय, कटौती करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हर वर्ष पिलग्रिम्स का कोटा फिक्स हो जाता है। तीर्थ-स्थल पर जाने के लिए विमान का खर्चा होता है, ट्रासपोर्टेशन पर खर्चा होता है, वहां पर इसटैबलिशमेंट रखा जाता है। मैडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। इन सुविधाओं पर जो खर्चा होता है, वहीं खर्चा दिखाते हैं। इसलिए कम करने या ज्यादा करने का सवाल नहीं उठता है, जो वास्तविक खर्चा होगा, वही करना पड़ेगा।

डा. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न-एक धर्म के यात्रियों को जो सुविधायें दी जाती हैं, क्या वही सुविधायें दूसरे धर्म के यात्रियों को भी दी जाती हैं? मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है, मानसरोवर के लिए ढाई हजार रुपये दिए जाते हैं और अमरनाथ की यात्रा के लिए मेरे विचार से कुछ नहीं दिया जाता है। मैं पूछता हूं, क्या यह सरकार की धर्म-निरपेक्षता की नीति है, क्या सरकार अन्य धर्मों के लोगों को, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, वही सुविधायें प्रदान करेगी, जो हर यात्री को प्रदान करती है और उसी तरह का खर्चा वहन किया जाएगा? अभी अमरनाथ की यात्रा के दौरान त्रासदी हुई है, वह सभी लोगों को मालूम है। वहां पर मैडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, इन लोगों को भी वही सुविधायें देने की कृपा करें, जो हज-यात्रियों को दी जाती है या देने का उनका विचार है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, यात्रा यात्रा में फर्क रहता है। ...**(व्यवधान)** आप मेरी बात सुनिए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय मुझे एक बहुत ही गम्भीर बात कहने दे। हमें दो धर्मो के यात्रियों के बीच किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न बहुत ही साधारण है और आपने यहां अमरनाथ का मामला उठाया है। अमरनाथ के लिए कृपया आप अलग से प्रश्न कीजिए ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय हम आपका संरक्षण चाहते हैं। वे अलग प्रश्न की मांग कैसे कर सकते हैं? ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विदेश जाने वाले तीर्थ यात्रियों से संबंधित है और इसीलिए यह प्रश्न विदेश मंत्रालय से पूछा गया है। इसलिए कृपया अन्य मामले मंत्री महोदय के नोटिस में न लायें।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई जब हज यात्रा पर जाते हैं तो सरकार उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के अवसर प्रदान करती है। हमने बजट में देखा है कि वर्ष 1996-97 के दौरान हज यात्रियों के लिए 4171 लाख रुपए का, हंज चार्टरों के परिचालन के कारण एयर इंडिया को भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। पिछली योजनाओं में भी इस मद पर इस तरह के व्यय के प्रावधान रखे गए होंगे। हमारे हिन्दू भाई भी प्रत्येक वर्ष मानसरोवर, जोकि तिब्बत में है तथा वर्तमान समय में चीन के कब्जे में है, की धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। ये हिन्दू तीर्थ यात्री अपने निजी खर्च द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्रालय के सौजन्य से तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोई सुविधा के अवसर प्रदान नहीं करती है।

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि सरकार को चाहिए कि वह हिन्दुओं के साथ-साथ अन्य धर्म के लोगों को भी, जब वे अपनी धार्मिक यात्राओं पर जाएं तो उन्हें आर्थिक सुविधा के अवसर प्रदान करें। मेरा यह भी कहना है कि प्रतिव्यक्ति 3250 रुपये सब्सिडी के रूप में सरकार दे रही है यह धनराशि कम है इस राशि को और बढ़ाया जाए। मेरा मंत्री जी से यह भी कहना है कि केवल किसी विशेष जाति या धर्म के लिए एंसे खर्च का प्रावधान नहीं होना चाहिए, इस तरह के प्रावधान सभी धर्मों के लिए होने चाहिए, क्या ऐसा करने का सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हिन्दू जाते हैं। कुछ यात्राओं में सिख और हिन्दु पाकिस्तान जाते हैं। सरकार उन्हें अधिकतम सुविधाएं प्रदान कर रही है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं आपको कैलाश यात्रा के बारे में एक बात बताता हूं। कैलाश यात्रा में जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनके लिए सरकार 3250 रुपये की सब्सिडी देती है। आपको मैं एक बात और बताता हूं कि कैलाश मानसरोवर जो लोग जाते हैं उनकी संख्या करीबन 400 होती है। ...(**व्यवधान**)

श्री थावरचन्द गहलोत : अगर आप सुविधा देंगे तो ज्यादा लोग जाएंगे।

...(**व्यवधान**)

श्री रमाकान्त डी. खलप : अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग जाना चाहते हैं, उतने जाएं।

वैध दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय ...(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी गई है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। माननीय मंत्री को इसका कोई उत्तर नहीं देना है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : कैलाश मानसरोवर यात्रा बड़ी ही कठिन यात्रा है। इस यात्रा पर लोग पैदल जाते हैं सरकार उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करती है। यदि वहां और अधिक लोग वहां जाना चाहें तो सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार वहां जाने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। मैं आपको बता दूं कि 1996 में एक यात्री पर 8,250 रुपये का खर्च आया था इसमें से सरकार ने प्रति यात्री 3,250 रुपये की राजसहायता दी थी। यह राशि यात्रा के दौरान ही गई अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त है। इन तीर्थ यात्रियों के प्रत्येक दल के लिए हम एक व्यक्ति को प्रभारी व्यक्ति नियुक्त करते हैं। वहां लोग तीस, पैंतीस के दल में लोप गए हैं। बेतार की सुविधाएं उन्हीं दी गयी थी। चीनी सरकार और हमारी सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित किया गया था। यात्रियों को हर आवश्यक सुविधा दी गयी थी। यदि सदस्य चाहते हैं कि वहां और अधिक यात्री जायें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें भी वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो वहां दी जानी चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सब्सिडी बढ़ाने का विचार सरकार का है या नहीं?

श्री रमाकांत डी. खलप : मानसरोवर यात्रा पर आपको भी जाना है तो आपको भी सुविधा दी जाएगी।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सरकार द्वारा इनकी कुछ धनराशि बढ़ाई जाएगी या नहीं। सरकार का सब्सिडी दुगुनी करने का विचार है या नहीं।

श्री भगवान शंकर रावत : हमारा प्रश्न तो यह है कि हज यात्रियों की तरह उनको भी धनराशि मिलेगी या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इतना पर्याप्त है।....

...(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपका कथन कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है....

...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय हज यात्रा विश्व भर में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभी देश चाहें वे इस्लामी देश हों अथवा गैर इस्लामी हज यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं करते हैं। उदाहरणत: श्री लंका या फिलीपीन जैसे गैर इस्लामी देश भी आवश्यक व्यवस्था करते हैं। यह सही है कि सरकार 50 हजार रुपये देती है। शत-प्रतिशत तीर्थ यात्री निजी रूप से जाते हैं। भारत सरकार मुख्य रूप से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। सऊदी-अरब में एक करोड़ 30 लाख भारतीय रहते हैं। उनमें से 50 प्रतिशत मक्का की यात्रा को जाते हैं। सऊदी अरब में काम करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले भारतीयों को भी भारत सरकार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। एक हाजी को किराए में रियायती दी जाती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। हज समिति हज किराए के रूप में एयर इंडिया को एक महीने में ही 68 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। कोई भी जी एस ए केवल 20 से 25 प्रतिशत छूट देगा भारत सरकार एक हाजी को 2000 रुपये से 3000 रुपये की रियायत देती है। यह बड़ी राशि नहीं है। अत: इसे और कम नहीं किया जा सकता और वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में यह राशि अधिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री ई. अहमद : मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मक्का में एक भारतीय चिकित्सालय है, वह भारत से आने वाले यात्रियों के लिए ही नहीं है, वह अन्य हाजियों के लिए भी है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, मैं आपको भाषण की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ई. अहमद : मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर बहस नहीं कर रहें हैं।

श्री ई. अहमद : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम उस चिकित्सालय को वहां चालू रखे। और भारत से सउदी अरब जाने वाले भारतीय हाजियों तथा सऊदी अरब से ही वहाँ जाने वाले हाजियों के हित में इस संबंध में सउदी सरकार से बातचीत करे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई प्रश्न है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमाकान्त डी. खलप : प्रश्न कहां है ...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : मैंने प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई प्रश्न नहीं किया। आपका प्रश्न क्या है?

श्री ई. अहमद : मैंने मक्का में चल रहे भारतीय चिकित्सा केन्द्र के बारे में प्रश्न किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 1996 में हज-यात्रियों के लिए सरकार द्वारा जो राशि खर्च की है वह 50 करोड रुपये से ऊपर है, जबकि उनकी संख्या 50 हजार से करीब है। इसमें जो बताया गया है मैं उसी के आधार पर यह कह रही हूं। मानसरोवर यात्रियों की दृष्टि से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मानसरोवर यात्रियों के लिए केवल तीन हजार रुपये के अंदर खर्चा किया गया है। लेकिन टोटल खर्चा जो बताया गया है वह 30-35 आदमियों के ग्रुप के ऊपर जो एक आदमी भेजा जाता है उसका खर्चा भी इन्कलूड करके बताया गया है। सरकार ने 5220 रुपये प्रति यात्री खर्च किया है। जैसा आपने अभी कहा कि हज यात्रियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी सरकार करती है लेकिन वह व्यवस्था मानसरोवर यात्रियों के लिए नहीं की जाती है। मेरी अपनी बेटी कैलाश मानसरोवर गयी थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह आंदोलन करने का वक्त नहीं है, यह सवाल पूछने का वक्त है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष जी, कैलाश मानसरोवर में एक आदमी के बीमार होने पर उसको हैलीकोप्टर से लाना है या कैसे लाना है इसकी व्यवस्था नहीं है। हैलीकोप्टर से जाने पर उसका खर्चा भी बीमार आदमी को ही वहन करना पड़ा। वहां पर यात्रियों के लिए कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहां पर यह बताया गया है कि चीन की सरकार को अमरीकन डालर में सरकार पैसा अदा करती है। वे अमरीकी डालर्स भी यात्रियों से वसूल किये जाते हैं तो क्या भारत सरकार बतायेगी कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को दिये गये अनुदान की राशि, जो चीन सरकार को अदा करने के लिए दी गयी है, उसमें माफी कर सकती है और क्या उन लोगों को मैडिकल राहत फ्री ऑफ चार्ज दे सकती है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से कुमाऊं मण्डल विकास निगम जो इस यात्रा की व्यवस्था करता है 8,250 रुपये वसूल करता है। यह राशि वर्ष 1996 में ली गई थी। सरकार ने इसे कम करके पांच हजार रुपये

किया और शेष तीन हजार दो सौ पचास रुपये सब्सिडी के रूप में निगम को दिये। इसके अलावा उत्तर में यह स्पष्ट बता दिया गया है कि भारत और तिब्बत के बीच बेतार संबंध बनाये रखने के लिए हम प्रति वर्ष चीन को सात हजार अमरीकी डॉलर का भुगतान करते हैं। हम यात्रियों का जीवन कठिनाई में पड़ने पर वायू सेना की मदद से उन्हें विमान से बचाने की सुविधायें भी उपलब्ध कराते हैं। सरकार पच्चीस से तीस यात्रियों के प्रत्येक दल के लिए एक सम्पर्क अधिकारी भेजती है जो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता है। पिछले वर्ष ऐसे चौदह दल गये थे और सरकार ने उन पर तेईस लाख सत्तर हजार (23.7 लाख) रुपये खर्च किये। हज यात्रियों पर पचास हजार से पचपन हजार रुपये तक खर्च हुए।

अध्यक्ष महोदय : चिकित्सा सुविधा के रूप में आप क्या देते है? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : यदि चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है तो हम यात्रियों को वह प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न अधूरा रहा, क्योंकि जो बीमार हो जाये उनको मेडीकल फैसेलिटी नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की जायेगी।

श्री रमाकान्त डी. खलप : हम बचाव सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। हम एक तुलना करें, हज यात्री पचास से पचपन हजार रुपये खर्च करते हैं और सरकार प्रति यात्री दस हजार रुपये खर्च करती है, जबकि मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्री लगभग 8 हजार रुपये खर्च करते हैं और उन्हें तीन हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसलिए यदि आप दोनों का मुकाबला करें तो पायेंगे कि मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री को हज के लिए जाने वाले तीर्थ यात्री के मुकाबले कुछ अधिक प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय इन्होंने अमरीकन डालर्स के बारे में नहीं बताया कि जो चीन सरकार को अमरीकन डालर जाते हैं; क्या भारत सरकार उस राशि को वहन करके यात्रियों से वसूल नहीं करेगी क्या ऐसी कोई पॉलिसी बनायेगी?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : ऐसा नहीं है। सात हजार अमरिकी डॉलर का भुगतान.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब आपको बैठ जाना चाहिए। आप प्रश्नकाल में अपने मामले पर अधिक बहस नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की जो फिगर्स 400 बतायी है, वह कितने वर्ष से है? मेरे पास सूचना है कि चीन सरकार ने जो यह फिगर्स 400 बतायी है, तो क्या केवल 400 पिलग्रिम्स को अलाऊ करेगी, क्या ऐसा कोई डिप्लोमैटिक मूव भारत सरकार की तरफ से चीन सरकार को गया है? मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि केवल 400 हिन्दू ही मान सरोवर यात्रा के लिए प्रतिवर्ष जाना चाहते हैं। क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई मांग की है कि वह 400 की फिगर्स को बढ़ाकर रियलिस्टिक नम्बर्स चीनी सरकार से बतायें? और इसको बढ़ाकर कुछ किया जाये। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यदि ज्युईश कम्युनिटी ओरुशलम जाना चाहे, तो उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी?

श्री रमाकांत डी. खलप : अब तक यह सवाल नहीं उठा है, आपने उठाया है तो इस पर स्टडी करेंगे।

श्री नीतीश भारद्वाज : आप 400 नम्बर्स के बारे में क्या कर रहे हैं क्योंकि मैं यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि केवल 400 लोग ही प्रतिवर्ष जाना चाहते हैं। क्या आपने मांग की है कि 400 की फिगर्स को बढ़ाया जाये?

श्री रमाकान्त डी. खलप : मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की संख्या सीमित नहीं है। यह बहुत ही कठिन यात्रा है। और थोड़े ही से लोग इसे करते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री नीतीश भारद्वाज : कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है इसका निर्णय सरकार न करे ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप उत्तर सुन सकते हैं आप इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रमाकांत डी. खलप : हमारा अनुभव कुछ ऐसा है कि पहले तो लोग नाम देते हैं। नाम की बड़ी लिस्ट बनती है। लेकिन वास्तव में जब जाने का समय आता है तो लोग ड्राप आउट हो जाते हैं।

[अनुवाद]

पिछले वर्ष 426 व्यक्ति गए जबकि सूची काफी बड़ी थी।

[हिन्दी]

वास्तव में जो जत्था बनता है वह 35 लोगों का बनता है, लेकिन एक्चुअली हर एक जत्थे में 28-30 लोग रहते हैं क्योंकि बाकी यहां और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर भी अगर ज्यादा लोग जाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सुविधा दी जायेगी।

श्री नीतीश भारद्वाज : मैं सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)** यू.एस. डालर का तो जवाब ही नहीं दिया। **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई

*503. **श्री हरिन पाठक** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस इंकार पर केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र) की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ङ) उपर्युक्त **बांध से** विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु पानी को अन्यत्र ले जाने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई की आवश्यकता है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बांध की अंतिम ऊँचाई को लेकर पक्षकार राज्यों को लेकर मतभेद रहे हैं। इस मामले को हल करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 व 16 जुलाई, 1996 को पक्षकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की जिसमें चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों, केन्द्रीय कल्याण मंत्री जल संसाधन मंत्री और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सुना गया और प्रधानमंत्री की मध्यस्थता के आधार पर जो सहमति हुई वह इस प्रकार है :

"सरदार सरोवर बांध के निर्माण का कार्य आयोजना के अनुसार किया जाए और प्रथम बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फीट) तक सीमित रखा जाए। उसके बाद पांच वर्षों की अवध के लिए बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त जल का प्रवाह पंचाट में किए गए आकलन के अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.63 (455 फीट) तक बढ़ाने के निर्णय पर विचार किया जाएगा।

बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास और इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के साथ-साथ होती रहेगी। सभी राज्यों द्वारा राहत और पुनर्वास उपायों का त्वरित और समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।"

तथापि, मध्य प्रदेश ने नदी में जल की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में बांध की ऊँचाई का स्तर 436 फीट से 455 फीट तक बढ़ाने के बारे में कुछ प्रतिबंध व्यक्त किए हैं। सरदार सरोवर बांध से विद्युत उत्पादन के आंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए बांध की न्यूनतम ऊंचाई का स्तर 110 मीटर तक उठाया जाना आवश्यक है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, नर्मदा प्रोजेक्ट और सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन चार राज्यों से संबधित परियोजना है, विशेषकर गुजरात की साढ़े चार करोड़ की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की भी प्रतीक है। 6,500 करोड़ का शुरुआती एस्टीमेट आज 12 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले पांच-सात साल में कुछ तत्वों ने इसको विवाद में डाला और केन्द्र सरकार मध्यस्थ बनती रही और विवाद को सुलझने का प्रयत्न करती रही। मगर मुझे इस बात

का दुख है कि यह विवाद गैरजरूरी विवाद था। अभी-अभी डैम के बारे में एक समझौता हुआ है। महोदय, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर जब केन्द्र सरकार मध्यस्थ बनती है तो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल के अंतर्गत यह तय किया गया था कि चारों राज्यों को अपना-अपना शेयर देना चाहिए। 31 मार्च, 1996 तक 507 करोड़ रुपये की राशि इस संदर्भ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाकी है। मैं इसके आगे और नहीं जाना चाहता, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

(क) क्या केन्द्र सरकार को उन मदों की जानकारी है, जिनसे सहयोगी राज्य सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपने हिस्से का भुगतान करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान अपना भाग गुजरात को नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं।

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में उचित कारगर कदम उठाएगी; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं?

[हिन्दी]

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इतनी राशि गुजरात की योजना के जल्दी पूरा होने में बाकी है और बाकी तीन राज्यों की जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। तो क्या केन्द्र सरकार इससे अवगत है, अगर है तो सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ताकि वह पैसा इस योजना में मिले।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के बेसिन के चार राज्यों को लेकर एक विवाद का विषय है। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बिठाया गया। पहले तो सरकार की तरफ से प्रयास किया गया कि ये चारों राज्य और चारों में भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात आपस में मिल-बैठकर इसका फैसला कर लें। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक न्यायिक ट्रिब्युनल बैठाया गया और उसके एवार्ड के मुताबिक जो फैसला किया गया वह सभी राज्यों के लिए मान्य है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह आती है कि आज सिंचाई और बिजली की जो परियोजनाएं होती हैं आम तौर से वह राज्य सरकारों का विषय होती हैं और केन्द्र सरकार उनके बीच में बैठकर पंचायत का काम कर सकती है। वह काम बहुत प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिस दिन केन्द्र सरकार बिजली और सिंचाई जैसी योजनाओं पर प्रभावी कदम उठने लगेगी, उस दिन संविधान का संघीय ढांचा चरमरा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भी में इस तरह की कार्रवाई को पसंद नहीं करता। राज्य सरकारें, जो इस परियोजना के व्यय के लिए समय से पैसा नहीं दे पा रही हैं, उनसे बार-बार आग्रह किया जाता है कि इसको पूरा करने के लिए वे त्वरित गति से और समय से भुगतान करें।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब सरकार मध्यस्थ बनती है, और जब इतना सारा पैसा राज्य सरकारें नहीं दे पाती हैं, तो क्या सरकार के मन में ऐसी कोई बात है कि राज्य सरकारों को जो केन्द्र सरकार से सहायता का हिस्सा मिलता है, उस हिस्से में से वह राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए धन दे ताकि यह योजना परिपूर्ण हो जाए? मैं अपने दूसरे सप्लीमेंट्री पर बाद में आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दूसरे पर बाद में नहीं। अभी पूछ लीजिए। ...(**व्यवधान**)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे जो दूसरे मित्र यहां बैठे हैं, वे अपने तरीके से प्रश्न पूछेंगे क्योंकि वे अलग पार्टी के हैं। हम चाहते हैं कि यह परियोजना जल्दी पूर्ण हो जाए। मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में ही यह कहा कि 6 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की योजना आज 12 हजार करोड़ रुपये की हो गई है और आने वाले दिनों में यह 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी योजना जो चार राज्यों के 10 करोड़ से भी अधिक लोगों से ताल्लुक रखती है, क्या उसके प्रति भारत सरकार की या केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में दो वर्ष पहले जब बजट पर चर्चा चल रही थी, उस समय मैं उपस्थित था। उस दिन बजट पर चर्चा चल रही थी और उसके अंतर्गत विश्व बैंक से 55 बिलियन डालर सहायता लेने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। उस दिन ऐन बजट पर चर्चा के वक्त इसी सदन में विश्व बैंक से 55 बिलयन डालर सहायता न लेने का निर्णय से आया, तो क्या केन्द्र सरकार का यह फर्ज नहीं है, क्या भारत सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह राज्य सरकार को फायनेश्यल हैल्प दे? इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके उस पर केन्द्रीय सरकार उचित धनराशि खर्च करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहली सूचना मांगी है, एक बार उन राज्यों को जो इस प्राधिकरण में अपना पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं, उनमें से कुछ को यह तजवीज दी गई थी कि उनको जो धन केन्द्र से योजना के अंतर्गत आबंटित होता है वह क्यों न सीधे प्राधिकरण को दे दिया जाए, लेकिन उस पर राज्य सरकारें सहमत नहीं हुई।

यह बात सही है कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे-वैसे योजना को पूरा करने की कीमत भी बढ़ रही है। इस पर केन्द्र

सरकार चिन्तित है और केन्द्र सरकार सहयोग भी करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारें अगर सहयोग नहीं करेंगी, तो केन्द्र सरकार परेशानी में पड़ेगी क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमने शुरू में कह दिया कि केन्द्र सरकार इसमें बहुत अधिक दखल नहीं दे सकती है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो परियोजना है, यह मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश की इसमें करीब-करीब 2.7 हजार हैक्टेयर वन भूमि, 11.4 हजार हैक्टेयर शासकीय भूमि और 6.6 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि डूब में आ रही है और जो कुल 245 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं उनमें से 193 गांव केवल मध्य प्रदेश के हैं और अभी-अभी जिस प्रकार का समझौता चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बैठाकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने बात कर के करवाया है उसमें यह बात तय हो गई थी कि इसकी ऊंचाई 436 फीट रखेंगे और पांच साल तक इसका परीक्षण करेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सही है कि बैक स्टोरेज लैवल इसमें हाई रखा गया है और इस सम्पूर्ण परियोजना में हाइड्रोलौजीकल स्टडी 1947 से पहले के 50 साल के रेनफाल के ऊपर अध्ययन कर के की गई है जबकि 1949 के बाद रेनफाल में डिफरेंस आया है, तो क्या न्यू हाइड्रोलौजीकल स्टडी भी की जाएगी?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया है। उसको लेकर अलग-अलग प्रकार की बातें की जाती हैं, सुप्रीमकोर्ट में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या उसके बारे में आप मुझे कुछ विस्तार से बताएंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जल विज्ञान का सवाल है, बीच बीच में कमेटी बैठती है और इस बात की जांच करती रहती है कि क्या वाकई जल का स्तर नीचे जा रहा है और कई बार इस तरह की कमेटी बैठी है। ट्रिब्यूनल में जिस जल स्तर के आधार पर अवार्ड दिया गया था उसमें कमी के कोई लक्षण नहीं है। यह सही है कि वर्षा के दिनों जब पानी ज्यादा बरसता है तो जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और किसी साल पानी कम बरसता है, तो थोड़ा घट जाता है, लेकिन कई वर्षों तक जांच करने के बाद किसी नदी के जल स्तर के बारे में अंतिम राय ली जाती हैं तो उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कोई एफिडेविट दिया है। एफीडेविट के बारे में मैं यहां कुछ नही कर पाऊंगा लेकिन जिस बैठक में प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था, उस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उस निर्णय पर उन्होंने कोई बहुत असहमति नहीं जताई थी। केवल बांध की प्रोफाईल और डिजाइन पर उन्होंने जरूर कुछ असहमति जताई थी जिसके बारे में सलाहकार समिति और पुनर्विचार समिति में बैठकर हम लोग मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसका संबंध विवरण में उल्लिखित बैठक से है, किसी अन्य मुद्दे से नहीं। उन्होंने कहा है, ''तथापि, मध्य प्रदेश ने नदी में जल की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में बांध की ऊंचाई का स्तर 436 से 455 तक बढ़ाने के बारे में कुछ संकोच व्यक्त किया है।'' मैं माननीय मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूँ।

प्रधान मंत्री जब तीन या चार मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाते हैं, तो उसका कार्यवाही सारांश तैयार किया जाता है। कार्यवाही सारांश में कहा गया है कि इस बारे में सहमति हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत सरकार द्वारा वक्तव्य जारी करने के बाद और कार्यवाही सारांश तैयार किये जाने के बाद, मंत्री महोदय सदन में उत्तर देते हैं कि इस पर सहमति हो गई है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किस प्रकार का संकोच व्यक्त किया था? मैं वह विशेष मुद्दा जानना चाहता हूँ, न कि सामान्य बातें।

क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने समझौते और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिए गए संक्षिप्त कार्य विवरण के पूर्णत: विरुद्ध एक शपथ-पत्र दायर किया है और कहा है कि वे इससे सहमत नहीं है? शपथ-पत्र में दो अनुबंध है तथा एक अनुबंध जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के पत्र का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया यह उत्तर है कि जो कुछ कार्यवाही सारांश में लिखा गया? उससे वे कभी सहमत नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। यदि प्रधान मंत्री बैठक बुलाते हैं तो कार्यवाही-सारांश तैयार किया जाता है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसे फिर मत दोहराइए।

श्री सनत मेहता : और यदि मुख्य मंत्री ने शपथ पत्र दायर किया है तो मैं मंत्री महोदय से यह ज्ञानना चाहता हूँ कि उन्हें यह कब पता चला कि मुख्य मंत्री के मन में कुछ संकोच है और जल संसाधम मंत्रालय के कथनानुसार जल संसाधन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री बैठक में हुए समझौते को लागू करने के लिए कौन से कदम उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या के उत्तर में यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो सहमति जताई थी, वह बांध की ऊंचाई 436 फीट की सहमति थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रोफाईल और डिजाइन के सवाल को लेकर अपना इकरार जताया था, जो बिल्कुल टेक्नीकल सवाल है। उस पर बाद में बैठकर बात कर ली जायेगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा कान पकड़ने की कोशिश न करें, आपको मेरा ध्यान ही आकर्षित करना है। अध्यक्ष पीठ को इस प्रकार सम्बोधित नहीं करते।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : कौन सी पार्टी अदालत में दाखिल करती है, हम समझते हैं कि इस पर संसद में बहस नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्थल

*504. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न खुदाई कार्यों में मिले ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्थलों के परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन स्थलों पर कुल कितना खर्च किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) स्थलों की सूची सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ख) उत्खनित अवशेषों के महत्व को ध्यान में रखकर कुछ स्थलों के संरक्षण हेतु कदम उठाए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए प्राचीन स्थलों के उत्खनन/अन्वेषण हेतु दी गई राशि 54.75 लाख रुपये है।

विवरण

भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्खनित ऐतिहासिक स्थलों की राज्य-वार सूची

क्रम. सं.	स्थल का नाम	जिला	एजेन्सी	परिणाम
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश				
(1)	गारापाडु	पेदाकुरापाडू	बिड़ला पुरातत्व तथा सांस्कृतिक अनुसंधान संगठन	नवपाषाण काल के अलावा आद्य ऐतिहासिक (ईसा के पूर्व की शताब्दियां) अवशेष।
(2)	गोपालापतनम	विशाखापतनम	राज्य विभाग	2सरी शताब्दी बी.सी. से 4-5वीं शताब्दी ए.डी. तक के काल का एक बुद्ध स्थल।
(3)	जुग्जुरू	कृष्णा	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	आद्य ऐतिहासिक काल के चूना के पत्थर के बने स्तूप रेलिंगों तथा नक्काशीयुक्त पत्थरों के अवशेष।
(4)	कोठापटनम	नेल्लौर	राज्य विभाग	एक प्राचीन पत्तन कस्वा (टाउन) जिससे 2सरी शताब्दी ए.डी. में समुद्री व्यापार के साक्ष्य का पता चलता है।
(5)	नेलाकोंडम्पल्ली	खाम्मम	राज्य विभाग	2सरी शताब्दी ए.डी. से 4-5वीं शताब्दी ए.डी. तक के बीच के काल का एक बुद्ध-स्थल जहां विहार एवं स्तूप भवन मिले हैं।

1	2	3	4	5
	(6) पेवुरल्लाकोंडा	विशाखापतनम	राज्य विभाग	ईसा पूर्व 2सरी-3सरी शताब्दी का एक बुद्ध आवास-स्थल जो भिमुनीपटनम पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। उत्खनन से प्राप्त वस्तुों में सात्वाहन-सिक्के, रोमन-सिक्के तथा उत्कीर्ण पोटशेर्डस भी शामिल हैं।
	(7) पुदुर	नेल्लौर	बिड़ला पुरातत्व तथा संस्कृति अनुसंधान संगठन	लगभग 1 शताब्दी-3 शताब्दी ए.डी. के इस स्थल से काले तथा लाल मृदभांड, बड़े में भंडारण जार तथा अन्य स्मृति पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। एक किला भी मिला है।
2. असम				
	(1) अम्बारी	गुवाहाटी	राज्य विभाग तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय	11-12वीं शताब्दी से लकी पूर्व मध्यकाल तक के बीच की विभिन्न देवताओं की बड़ी संख्या में मूर्तियां उत्खनन से एकत्र की गई।
	(2) श्री श्री सुरजापहाड़	गोलपारा	भा.पु.स.	पूर्व गुप्त तथा उत्तर गुप्त काल के ईंट के बने भवन एवं टेराकोटा फिग्यूरिंस
3. बिहार				
	(1) गुहियापाल	सिंहभूम	राज्य विभाग	इस स्थल से प्रारंभिक मध्यकाल की सूर्य तथा अन्य ब्राह्मण देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं।
	(2) जयमंगलगढ़	बेगुसराय	राज्य विभाग	इस स्थल से 5वीं से 6वीं शताब्दी बी.सी. तथा इसके बाद के विभिन्न कालों के काले ओपदार उत्तरी मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
	(3) कोल्हुआ	मुजफ्फरपुर	भा.पु.स.	इस स्थल से पूर्व एवं उंत्तर ईसा काल के ईट का बना एक हौज, कृटागरशाला, मठ तथा मन्नत स्तूपों का पता लगा है।
	(4) कोनहाराघाट	वैशाली	के.पी.जायसवाल अनुसंधान संस्थान	यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जहां से काले ओपदार उत्तरी तथा काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
	(5) मानेर	पटना	पटना विश्वविद्यालय	गुप्त तथा उत्तर गुप्त काल के काले ओपदार उत्तरी मृदभांड। इस स्थल से प्राप्त वस्तुओं में मिट्टी की मुहरें, मृत जानवरों के फिग्यूरिंस, लौह उपकरण तथा काले चिकने मृदा एंवं प्रस्तर मन के शामिल हैं।
	(6) सीतागढ़ाहिल	हजारीबाग	भा.पु.स.	मुख्यत: बुद्ध-मत से संबंधित आद्य ऐतिहासिक काल के अवशेष।

1	2	3	4	5
4. दिल्ली				
	(1) भोरगढ़	नरेला	राज्य विभाग	इस स्थल से ऐतिहासिक भवनों एवं स्मृतिचिन्हों के अलावा पूर्व ताम्रपाषाणकालीन एवं आद्य लौह युग के आद्य ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं।
	(2) झटीकरा		राज्य विभाग	इस स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड काल (11वीं शताब्दी-16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लौह युग) की समृद्ध सज्जा का पता चला है जिनका आद्य ऐतिहासिक एवं मध्यकाल में अनुकरण किया गया।
	(3) लालकोट	दक्षिण दिल्ली	भा.पु.स.	इस स्थल से एक विशाल हौज के अलावा राजपूत तथा सल्तनत काल के विभिन्न पेशों का पता चला है।
5. गोवा				
	संत अगस्टाइन चर्च	उत्तर गोवा	भा.पु.स.	यहां पर एक प्राचीन गिरजाघर परिसर मिला है।
6. गुजरात				
	(1) अजमलगढ़	वलसाड	दक्कन कालेज, पूना	यहां से आवासीय जमाव सहित आद्य पारसी बस्ती का पता चला।
	(2) श्रीनाथगढ़	राजकोट	राज्य विभाग	यहां से आद्य ऐतिहासिक अवशेषों के अलावा पूर्व ऐतिहासिक तथा मध्यकाल के पुरावशेष प्राप्त हुए।
	(3) उपरकोट किला	जूनागढ़	राज्य विभाग	यहां से विभिन्न ऐतिहासिक अवशेषों के साक्ष्य मिले।
7. हरियाणा				
	(1) सुघ	यमुनानगर	राज्य विभाग	इस स्थान से पूर्व मध्य काल के काले ओपदार उत्तरी मृदभांड की संस्कृतियों के क्रम का पता लगा।
8. कर्नाटक				
	(1) बनावासी	उत्तर-कन्नड़	भा.पु.स.	इस स्थान से सातवाहन के आरंभ से लेकर कुटुस कदम्ब एवं परवर्ती कालों तक के ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए।
	(2) गुदनापुर	उत्तर कन्नड़	भा.पु.स.	यहां से चालुक्य तथा पूर्व चालुक्यों के प्रसिद्ध अवशेष मिले जिनमें वास्तु अवशेष भी हैं।
	(3) हम्पी	बेरुलरि	भा.पु.स.	हजारा रामचन्द्र मंदिर के पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी भाग का उत्खनन किया गया, यह भाग शाही बाड़ा (सुस्थिर) के उत्तरी प्रवेशद्वार का खुला गलियारा है।

1	2	3	4	5
	(4) हम्पी	बेल्लारि	राज्य विभाग	नोबिलमैन-महल क्षेत्र के उत्खनन से तांबे के सिक्के, लघु वीरभद्र (प्रस्तर), क्रालिंग कृष्ण (तांबा) एक वाटर चैनल सिस्टम तालाबों का पता चला।
	(5) हासारन्गु	गुलबर्गा	भा.पु.स.	यहां से आद्य ऐतिहासिक काल के अवशेष।
	(6) इक्केरी किला	शिमोगा	राज्य विभाग	वृहद् रूप-रेखा तैयार करने के उद्देश्य से किले, जिसका शासन इक्केरी नायकों (1560 से 1639 ए.डी.) का शासन था और जिसमें शासकों के आवासीय भवन भी थे, की खुदाई की गई।
	(7) कुंगनहल्ली	गुलबर्गा	भा.पु.स.	आद्य ऐतिहासिक अवशेष।
	(8) सनाथी	गुलबर्गा	राज्य विभाग	यहां से बड़ी संख्या में आद्य ऐतिहासिक अवशेष प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ए.डी.के. हैं। यहां पर एक किला, एक स्तूप, काले ओपदार उत्तरी मृदभांड, भूषित मृदपात्र तथा रोमन मृदभांड भी मिले।
	(9) तालाकाड	मैसूर	राज्य विभाग	यहां पर 14-16वीं शताब्दी ए.डी. के विजयनगर काल का एक भवन परिसर मिला जिसमें एक तालाब, वाटर सप्लाई चैनल एवं 1506-1509 ए.डी. के तांबे के सिक्के शामिल हैं।
9. मध्य प्रदेश				
	(1) हंसारी	गुना	भा.पु.स.	पूर्व इतिहास काल के वास्तु अवशेष।
	(2) खेडीनेमा	होशंगाबाद	राज्य विभाग	आद्य ऐतिहासिक तथा ताम्रपाषाण (मालवा) संस्कृतियां।
	(3) मांधाना	खंडवा	भा.पु.स.	चौबीस अवतार मंदिर की योजना एवं वास्तुगत विशेषताएं प्रकाश में आई।
	(4) नाडनेर	सीहोर	प्राच्य निकेतन, सेंटर आफ एडवांस्ड स्टडीज इन इंडोलाजी, भोपाल	यहां पर टेराकोटा, लौह तथा हड्डी की वस्तुओं के अलावा काले तथा लाल, धूसर एवं काले ओपदार उत्तरी मृदभांड प्राप्त हुए।
	(5) निन्नौर	सीहोर	राज्य विभाग	यहां से ताम्रपाषाण एवं लौह युग की संस्कृतियों के अलावा आद्य ऐतिहासिक कालों का पता चला।
	(6) सांची	रायसेन	भा.पु.स.	ईसा पूर्व (संगा काल) पहली-दूसरी शताब्दी के मध्य के अवशेष वैकल्पिक शिलालेखों के टुकड़े, आहत (खंडित) मुद्रा सिक्के, शिलालेख।

1	2	3	4	5
	(7) सतधारा	रायसेन	भा.पु.स.	मौर्यकाल का विशाल ईंटों का स्तूप मिला जिसको बाद में बढ़ाया गया तथा ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी के पत्थरों का मुलम्मा बढ़ाया गया।
10. महाराष्ट्र				
	(1) चाचेगांव	सतारा	भा.पु.स.	ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी से संबंधित गुफाएं 4 से 5 फुट की निचाई पर दिखाई दीं।
	(2) मनसर	नागपुर	भा.पु.स.	वकाटका काल के मठ के अवशेष, एक ईंटों के मंदिर का परिसर, पुरावशेष
	(3) पैठान	औरंगाबाद	भा.पु.स./ राज्य विभाग	सातवाहन से मध्यकालीन समय का अनुक्रम प्राप्त हुआ
	(4) पौनी	भंडारा	भा.पु.स.	सातवाहन काल के स्तूप के अवशेष तथा किलाबंदी तथा कुछ मध्यकालीन अवशेष भी मिले।
	(5) वाशिम	अकोला	राज्य विभाग	एक वकाटका मंदिर के अवशेषों के अतिरिक्त सिक्के, मनके, स्त्रियों की आकृतियां, गोल कड़े
11. मणिपुर				
	खांगबोक	थौउबल	राज्य विभाग	एक गौण दफनाने के पात्र के साथ एक ऐतिहासिक स्थल
12. उड़ीसा				
	(1) बाराबती किला	पुरी	भा.पु.स.	मध्यकालीन मजबूत चारदीवारी वाले स्थल के अवशेष
	(2) खलकापटना	पुरी	भा.पु.स.	मध्यकालीन युग का समुद्रतटीय शहर के नाम से जाना जाने वाला स्थल
	(3) लांगुडिहिल	मिर्जापुर	उड़ीसा समुदरवर्ती तथा दक्षिण पूर्व एशियन स्टडीज संस्थान, भुवनेश्वर	पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रमाण प्राप्त हुए
	(4) आलांडेज साही	बालासोर	वही	इस स्थल से, जोकि शायद मध्यकालीन युग का है, कलिंग क्षेत्र तथा यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक क्रियाकलापों का पता लगाया जा सका।
	(5) पालुरा	गंजाम	उड़ीसा समुद्रवर्ती तथा दक्षिण पूर्व एशियन स्टडीज संस्थान, भुवनेश्वर (राज्य पुरातत्व के सहयोग से)	पूर्व ऐतिहासिक काल का एक प्राचीन बंदरगाह

1	2	3	4	5
13. पंजाब				
	ब्रास	फ़तेहगढ़	राज्य विभाग	हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। रंग किए हुए धूसर मिट्टी के बर्तन (पूर्व लौह युग) एन.बी.पी.डब्ल्यू. (पूर्व ऐतिहासिक) धूसर मिट्टी के काले बर्तन, सुंगा, कुशाण तथा मध्ययुगीन काल के।
14. राजस्थान				
	(1) डॉडियार खेड़ा	धौलपुर	भा.पु.स.	ऐतिहासिक स्थल जिसमें मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं मिली।
	(2) नाडोल	पाली	राज्य विभाग	चौहान काल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था
15. तमिलनाडु				
	(1) अलागानकुलम	रामनाथपुरम	राज्य विभाग	ईसा पूर्व 400 शताब्दी से 100 शताब्दी के सांस्कृतिक काल के 1 महत्वपूर्ण हैं कि इसमें एन. बी. पी. तथा उत्तर भारत मूल के धूसर मिट्टी के बर्तन के अलावा छिद्रों वाले, काले तथा लाल, धूसर बर्तन तथा ठीकरे जिन पर पूर्व ब्राह्मी शिलालेख है।
	(2) जिंजी	विल्लुपुरम आर.पाडायातचियार	भा.पु.स.	16वं-18वीं शताब्दी ए.डी. के समय के एक महान का ढांचा मिला। नायकों, बीजापुर की सल्तनत तथा मराठों के अधीन मध्यकालीन शहर।
	(3) कारूर	त्रिची	राज्य विभाग	संगम साहित्य में वर्णित चेरा की प्राचीन राजधानी
	(4) कावेरीपूमपट्टिनम	नगई-कैद-ए मिलेठ	राज्य विभाग	तीसरी शताब्दी बी.सी. से पहली शताब्दी ए.डी. के अवशेष
	(5) सेंदामंगलम	विल्लुपूरम आर. पाडायातचियार	राज्य विभाग	महापाषाणी, पूर्व ऐतिहासिक तथा मध्यकालीन युग के तीन सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए।
	(6) तिरुथंगाल		राज्य विभाग	संगम तथा नायक काल के लघु नवपाषाण, काले तथा लाल बर्तन, द्रष्टव्य ग्रेफिटि, अर्द्ध-मूल्यवान मनके आदि
	(7) तिरुवेरकाडु	घेगई एम.जी.आर.	मद्रास विश्वविद्यालय	लौह युग पूर्व तथा मध्य कालीन काल के मध्य के स्मृतिचिन्ह
16. उत्तर प्रदेश				
	(1) अनुहा	कानपुर	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए।

1	2	3	4	5
	(2) इमली दिहखुर्द	गोरखपुर	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	पूर्व ऐतिहासिक काल के साथ पूर्व-नरहर संस्कृति (इतिहास पूर्व काल संस्कृति)
	(3) मूसानगर	कानपुर	राज्य विभाग	पी.जी.डब्ल्यू. के अवशेष प्राप्त हुए (1100-600 बी.सी.एन.बी.पी.सी. 600-200 बी.सी.) इनके साथ काले तथा लाल काले अंकित बर्तन तथा मिट्टी की छोटी मूर्तियां पत्थरों की मूर्तियां, तांबे के सिक्के, पहली शताब्दी ईसा पूर्व की अंकित ईंट
	(4) राधान	कानपुर	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रभावों के अलावा ओचरे रंग के मिट्टी के बर्तन (1200 पूर्व बी.सी.), काले तथा लाल बर्तन) 1200-1100 बी.सी. (धुधले रंग किए बर्तन (सी 1100-800 बी.सी.) तथा उत्तरी काले रंग हुए बर्तन (सी 100 बी.सी.-200 बी.सी.)
	(5) संकीसा	फर्रुखाबाद	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों के अलावा धुंधले रंग किए बर्तन, काले तथा लाल बर्तन।
	(6) सिसवालिया	बस्ती	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	पूर्व ऐतिहासिक काल के अनशेषों के साथ उत्तरी काले रंगे हुए मृदभांड
	(7) विना	बलिया	बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय	पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रमाण तथा मृत्थला से संबंधित काले तथा लाल मृदभांड तथा नरहान संस्कृति (इतिहास पूर्व काल)
17.	पश्चिम बंगाल			
	(1) दिहर	बांकुरा	कलकत्ता विश्वविद्यालय	पूर्व ऐतिहासिक के साथ साथ ताम्रास्म काल के प्रमाण।
	(2) जाग्जीबानपुर	माल्दा	राज्य विभाग	8-9वीं शताब्दी ए.डी. के समय का एक विशाल बौद्ध संरचना परिसर जो कि मठ की विशेषता दर्शाता है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि खुदाई तो बहुत की है। बी.जे.पी. वाले भी खुदाई कर रहे हैं। कहीं हिस्टोरिकल चीज मिलती है तो कहीं हिस्ट्री बन रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में तीन जगहों पर खुदाई में कितनी हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि आगे के लिए आपकी क्या सोच है? कितना खर्च आपने किया है और आगे अभ्यास के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : जहां तक गुजरात का संबंध है। उसमें तीन स्थानों अजमलगढ़, श्रीनाथगढ़ और अपरकोट किले में खुदाई की गई। यह खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : वह तो लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री एस. आर. बोम्मई : खुदाई से उप-महाद्वीप में पांच में से एक हड़प्पाकालीन बड़े शहर का पता चला है। जिससे सर्वथा पूर्व शहर-आयोजना, स्मारक वास्तुकला, दो स्टेडियम, जल प्रबन्ध प्रणाली, अद्वितीय कार्यात्मक ढाँचा तथा दस बड़े आकार के हड़प्पा सभ्यता के भवन और शिलालेख है। हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : मैंने कहा है कि आगे अभ्यास के लिए केन्द्र सरकार क्या सोच रही है कि कितना खर्च किया जाए क्योंकि बहुत राज्यों में खुदाई की गई है। प्रश्न में भी मैंने पूछा है और रिप्लाई में कुछ दिया ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : महोदय, उस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए हमने पहले ही उपाय कर दिए है। इस खुदाई पर हुए खर्च का ब्यौरा मेरे पास नहीं है, पर मैं यह बता सकता हूँ कि कुल कितना खर्च हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें पिछले तीन साल में जो आर्कियोलोजिकल साइट्स उन्होंने बताई है, 70 स्थानों पर दिखाया गया है कि पिछले तीन सालों में...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न कीजिए। केवल दो मिनट का समय बाकी है। मुझे अन्य सदस्यों को भी प्रश्न करने की अनुमति देना है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी : पिछले तीन वर्षों में 70 स्थानों पर दिखाया है कि पुरानी साइट्स मिली हैं जिसके लिए इन्होंने 54 लाख रुपये के आस-पास राशि आबंटित की, यह बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे पुराने स्थल जिनका एक्सकैवेशन और मेनटेनेन्स तथा प्रोटेक्शन जो बहुत संभलकर किया जाता है, उस परिस्थिति में एक देश में साधारण कुआं खोदने में 30,000 रुपये लग जाते हैं, वहां ऐसे पुरातत्व स्थलों के लिए इतनी कम राशि दी जा रही है। पूरे देश में ऐसे हजारों स्थल निकल रहे हैं। खासकर गंगा तट पर और जहां जहां बड़ी नदियां रही हैं, उनके तट पर सिविलाइजेशन हुई है और पूरे देश के इतिहास की रचना यहां से पाई जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन आर्कियोलोजिकल साइट्स के रख-रखाव और विशेष रूप से वहां से पाई जाने वाली सामग्रियों की सुरक्षा के लिए वित्तीय अनुदान बढ़ाने की व्यवस्था आपने की है?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : महोदय, कुछ स्थानों पर वहां जाने वाले लोगों को सुविदाएं प्रदान की गई हैं। मैं यह मानता हूँ कि धन की कमी के कारण कुछ स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब हम एक बड़ा सांस्कृतिक कोष बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसने स्वयं सेवी संस्थाएं, उद्योगपति और अन्य लोग योगदान कर सकते हैं। हम एक कोश बनाना चाहते हैं ताकि पर्यटन का भी विकास हो सके और इन अवशेषों की भी उचित प्रकार से रक्षा हो सके।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ऐतिहासिक स्थलों को खुदाई पर जो खर्च हो रहा है वह बहुत कम क्यों हो रहा है? मेरा संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अलग महत्व रखता है और गुजरात में जितने मोन्यूमेण्ट्स है उनमें सबसे ज्यादा जूनागढ़ में हैं। क्या सरकार और माननीय मंत्री जी इस विषय में जानकारी लेकर ज्यादा खर्च करना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. आर. बोम्मई : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम और अधिक धन खर्च करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी. एस. गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कच्छ के ढोलावीरा के पूरा नगर उत्खनन से मिला है। वहां पर कोई देखभाल नहीं की जाती। करोड़ों रुपये खर्च करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले पूछा गया प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री पी. एस. गढ़वी : ढोलावीरा के पूरा नगर उत्खनन से मिला है देखभाल नहीं की जाती, यह मंत्री जी जानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। श्री मेहता, मैंने श्री राव से प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, काफी समय पहले यह सिद्ध हो चुका है कि द्वारिका नाम का एक बड़ा नगर समुद्र में छिपा पड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी योजना है जिसके तहत और अधिक खुदाई कार्य हो सके। कुछ काम हुआ है। हमारे पास कुछ पुस्तकें और कुछ लेख हैं। परन्तु उन स्थानों पर बड़ा खुदाई कार्य करने की आवश्यकता है। क्या उसके लिए सरकार की कोई विशेष योजना है? यदि नहीं तो मेरे विचार से ऐसी योजना बनाया जाना उचित होगा। मैं उस जगह गया था। उस स्थान का हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत महत्व है और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री एस. आर. बोम्मई : जहां तक मेरी जानकारी है, द्वारिका के लिए कोई विशेष योजना नहीं हैं। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। सरकार इस पर विचार करेगी और कार्रवाई करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार

*505. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐसी कई सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनका उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कुछ परियोजनाओं का पुनरुद्धार किये जाने की अतिशीघ्र आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं का पुनरुद्धार करने और उचित रख-रखाव करने एवं आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य करने हेतु क्या कदंम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने जिन 19 परियोजनाओं का विस्तार/नवीकरण आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है, उनके नाम निम्नानुसार है :-

1. हीराकुंड बांध का सुदृढ़ीकरण
2. हीराकुंड वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण
3. रुशीकुल्या चरण-1 (आधुनिकीकरण)
4. धनेई का आधुनिकीकरण
5. जयमंगल का आधुनिकीकरण
6. सालिया का आधुनिकीकरण
7. बुध-बुधियानी का आधुनिकीकरण
8. उत्तेई का आधुनिकीकरण
9. साईपाल का आधुनिकीकरण
10. हीराधरबाती का आधुनिकीकरण
11. खदाखाई का आधुनिकीकरण
12. नेसा का आधुनिकीकरण
13. ओकाला वितरणी का आधुनिकीकरण
14. चौकीनाला का आधुनिकीकरण
15. सालान्दी नहर (दासमोसा) का आधुनिकीकरण
16. अनूली का आधुनिकीकरण
17. पीतमहल का आधुनिकीकरण
18. वैतरणी का आधुनिकीकरण और
19. बलदिहा का आधुनिकीकरण

विश्व बैंक से क्रेडिट सं. 2801 आई. एन. के तहत 194.80 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की सहायता राशि से उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना शुरू की गई है। यह ऋण 30 जनवरी, 1996 से 30 सितम्बर, 2002 तक प्रभावी है। इस परियोजना में 26 परियोजनाओं का सुधार करने की परिकल्पना इस प्रकार है :-

1. महानदी डेल्टा चरण-1
2. महानदी डेल्टा चरण-2
3. रुशीकुल्या
4. बल्लारानी
5. हीराकुंड
6. जनविल आनिकट
7. दादरेघट्ट
8. पीतमहल

9. अनूंली

10. केलो

11. बलदिहा

12. जयमंगल एवं जयमंगल शीर्षकार्य (हेडवर्क्स)

13. हीराकुंड

14. हीराघरबाती

15. घोदाहद

16. पिल्लासाल्की

17. बसकेल

18. उजेई

19. बुध-बुधियानी

20. रूशीकुल्या (वितरणियां 2, 11, 12, 13, 14)

21. धनेई

22. सलिया

23. देरजंग

24. महानदी डेल्टा चरण-1 (कारन्दिया एवं पुंडाली शाखा)

25. सालन्दी (चरम्पा नहर) और

26. महानदी डेल्टा चरण-2 (गोप शाखा और फुटनासरा वितरणी)

सुधार कार्यों में विद्यमान नहरों का विस्तार, चुनिंदा पहुंचों को पक्का करना, क्षतिग्रस्त ढांचों का पुनर्निर्माण, ढांचों में वृद्धि करना इत्यादि शामिल हैं।

विदेशों में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देना

*506. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1996 के सितम्बर मास में कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय दूतावास वार्षिक हिन्दी प्रगामी कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन कर रहे हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दी के उपयोग और उसे बढ़ावा देने के लिए विदेशों में कोई प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन देशों के विश्वविद्यालयों/स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है तथा भारतीय मिशनों द्वारा इस संबंध में क्या सहायता दी जा रही है?

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को हिन्दी को बढ़ावा देने के बारे में हिदायतें दे दी गई हैं।

सितम्बर, 1996 के दौरान विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और इस संबंध में सभी मिशनों को हिदायतें भी दे दी गई हैं। इन कार्यक्रमों में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य हिन्दी के प्रयोग और उसे बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इन प्रतियोगिताओं में सफल सहभागियों को दिये जाने वाले पुरस्कार भी हमने अपने मिशनों को भेज दिये हैं। हमारे कई मिशन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हिन्दी और भारतीय संस्कृति दोनों ही विशिष्ट भारतीय शैली का अभिन्न अंग है। कुछ स्थानों पर हमारे मिशन सितम्बर के महीने में अपने प्रत्यायन के देशों में स्थित भारतीय विद्यालयों में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताएं और इस प्रकार के अन्य आयोजन भी कर रहे हैं।

भारतीय मिशन इस संबंध में दी गई हिदायतों का नियमित रूप से पालन करते चले आ रहे हैं। तथापि हिन्दी सप्ताह मनाने के लिए हमने इस वर्ष कुछ मिशनों को चुना है। हमारे ये मिशन पारामारिबो, जार्ज टाउन, पोर्ट आफ स्पेन, लंदन, बुदापेस्ट, काठमांडू और पोर्ट लुई में स्थित हैं। अपने मिशनों से इस महीने आयोजित किये जाने वाले आयोजनों की रिपोर्ट हमें अक्तूबर में प्राप्त हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय की अपनी एक सुविचारित योजना भी है जिसके माध्यम से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था है। इस योजना के अंग के रूप में मानक हिन्दी साहित्य विदेशों में हिन्दी पढ़ाने वाली स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को भेजा जाता है। इस मानक साहित्य में भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास, धर्म, दर्शन, आदि जैसे

विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखित पुस्तकें होती हैं। हिन्दी पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, दृश्य और श्रव्य कैसेट जैसी शिक्षण सामग्री, टाइपराइटर, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर आदि भी इन संस्थाओं को उपहार स्वरूप देने के लिए भेजे जाते हैं। भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति के रूप में हिन्दी का प्रचार करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाओं और ''इंडिया परर्पेक्टिव्स'' ''गगनांचल'' आदि पत्रिकाओं की प्रतियां भी भेजी जाती हैं।

ऐसे बहुत से देश हैं जिनके विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। इनके संबंध में अद्यतन और विस्तृत जानकारी विदेश स्थित विभिन्न मिशनों से प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी। तथापि हमने बल्गारिया, इंडोनेशिया, पोलैंड, सुरीनाम, त्रिनीडाड एण्ड टुबेगो, बेल्जियम, चीन, कोरीया गणराज्य, फिनलैंड, तुर्की, रूस और हंगरी में विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने के लिए 'द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम'' के अधीन भारत में हिन्दी अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं।

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर कागज की आपूर्ति

*507. **श्री छतर सिंह दरबार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर कागज के वितरण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रियायती दर पर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कागज का वितरण रोक दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर कागज उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (घ) हाल ही के बजट (1996-97) में सरकार ने शैक्षिक प्रयोजन के लिए राज्य पाठ्य-पुस्तक निगमों/बोर्डों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपयोग में लाए जा रहे लेखन और मुद्रण कागज को उत्पाद शुल्क से मुफ्त कर दिया है। इस वित्तीय उपाय से कम मूल्यों पर पाठ्य-पुस्तकों को उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। रियायती मूल्यों पर सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति के लिए 1990 से पूर्व प्रचलित योजना में यह एक सुधार है जिसमें वित्तीय उपाय खुले बाजार मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्यों पर राज्यों द्वारा सफेद मुद्रण कागज की विकेन्द्रीकृत प्राप्ति को सुकर बनाता है।

[हिन्दी]

कंप्यूटर शिक्षा

*508. **श्री बची सिंह रावत ''बचदा''** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरों तथा गावों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

मानव संसधान विकास मंत्री (श्री एम. आर. बोम्मई) : (क) से (ग) कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही योजनाएं हैं। इनमें से निम्नलिखित शामिल हैं:-

स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर उपलब्ध कराने तथा उनके रख-रखाव के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने ''शिक्षा परियोजना में कम्प्यूटर: प्रत्येक हाई स्कूल में ''कम्प्यूटर'' नामक एक परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को कंप्यूटरों की विस्तृत जानकारी दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना, कंप्यूटर केन्द्रों के स्तरोन्नयन, कंप्यूटर अनुप्रयोग निष्णात पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों की मदद करने तथा वैयक्तिक कंप्यूटर और उससे जुड़े साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए कालजों की मदद करने के लिए योजनाएं हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए धनराशि

*509. **श्री ओ. पी. जिन्दल** :
प्रो. ओमपाल सिंह ''निडर''

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक और परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के लिए बजट में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए अधिक आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के लिए 1996-97 हेतु योजना और योजनेत्तर बजट प्रावधान वर्ष 1995-96 के 40.94 करोड़ रुपये की तुलना में 44.19 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के नए विभाग का गठन किये जाने के बाद इस क्षेत्र की संस्थाएं और व्यक्ति योजना बजट में अधिक आबंटन करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि विभाग के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जा सके।

विभाग ने योजना आयोग को और अधिक योजना निधियों की मांग प्रक्षेपित की जो वार्षिक योजना ने आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं पाया।

विभाग ने योजना आयोग को नौवीं योजना हेतु योजना निधियों की आवश्यकता आधारित मांग प्रक्षेपित की है और आशा है कि अगले वर्ष से शुरू होने वाली नौवीं योजना में विभाग को उपयुक्त अतिरिक्त वार्षिक आवंटन मिल जाएगा।

बृहद सिंचाई परियोजना

*510. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण हेतु शुरू की गई वृहद सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 1996 तक, सरकार द्वारा पूरी की गई वृहद् सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) किन-किन परियोजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ङ) उन परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए कोई वृहद सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) सवाल ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

*511. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जैसे आप्रेशन ब्लेक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजनाओं को निकट भविष्य में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह विचार कर रही है कि माध्यमिक शिक्षा, कम्प्यूटर साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण और योग को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को राज्य को सौंप दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) ये योजनाएं शिक्षा के प्रारंभिक और साक्षरता क्षेत्रों में हैं जो सरकार के बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत है।

(ग) और (घ) बुनियादी न्यूनतम सेवा पर दिनांक 4-5 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों को हस्तांतरण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र और भाषा विकास के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को निरूपित करने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

माध्यमिक शिक्षा

1. स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास)

2. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.)

3. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

4. स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय प्रबोधन

5. विज्ञान शिक्षा में सुधार

6. योग को बढ़ावा

7. शैक्षिक प्रौद्योगिकी

भाषा विकास

8. अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों को नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण।

9. हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण

10. उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति।

सैन्य बलों द्वारा वृद्ध/अस्वस्थ घोड़ों का उपयोग

*512. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्य बल वृद्ध/अस्वस्थ घोड़ों का किस प्रकार उपयोग करते हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) सैन्य बलों द्वारा वृद्ध और अस्वस्थ घोड़ों का निपटान निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :

(1) **मार कर निपटान करना** : ऐसे घोड़े जो असाध्य रूप से घायल हैं या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, को बिना कष्ट दिए मार दिया जाता है।

(2) **सीरम संस्थानों को दिया जाना** : ऐसे घोड़े जो संतोषजनक रूप से स्वस्थ हैं और किसी संक्रामक/छूत के रोग से पीड़ित नहीं हैं, को मानव और पशु-चिकित्सा प्रयोग के लिए जीवन रक्षी टीका-द्रव्य के उत्पादन में लगे सीरम संस्थानों को मुफ्त में दे दिया जाता है।

(3) **बेकार घोषित करना और बेचना** : ऐसे घोड़े जो सैन्य ड्यूटियों के लिए अयोग्य होते हैं किंतु हल्के कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, को वर्तमान समय में लागू रक्षा सेवा विनियमों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और घुड़सवारी क्लबों को बेच दिया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र

*513. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1996-97 में राज्य-वार कितने व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी;

(ग) क्या माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अभी तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं शुरू किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (घ) पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र नहीं है। तथापि, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में व्यावसायिक सैक्शन शुरू किये गये हैं। देश में कार्य कर रहे व्यावसायिक सैक्शनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। योजना के अंतर्गत अलग अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किये गये हैं। व्यावसायिक सैक्शन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित किये जाते हैं।

निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी वर्ष 1993-94 से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत स्कूलों में कक्षा और में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

विवरण

अब तक कार्य कर रहे व्यावसायिक सैक्शनों/ केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सेक्शनों/केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	994
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	350

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सेक्शनों/केन्द्रों की संख्या
4.	बिहार	444
5.	गोवा	89
6.	गुजरात	621
7.	हरियाणा	651
8.	हिमाचल प्रदेश	50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	16
10.	कर्नाटक	1227
11.	केरल	690
12.	मध्य प्रदेश	640
13.	महाराष्ट्र	2482
14.	मणिपुर	48
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	6
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	424
19.	पंजाब	486
20.	राजस्थान	463
21.	सिक्किम	7
22.	तमिलनाडु	1540
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	1865
25.	पश्चिम बंगाल	37
26.	अंडमान एवं निकोबार	–
27.	चंडीगढ़	35
28.	दादरा एवं नगर हवेली	2
29.	दमन एवं दीव	–
30.	दिल्ली	54
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	15
	कुल	13602

एड्स नियंत्रण

*514. **डा. अरुण कुमार शर्मा :**
डा. प्रवीन चन्द शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के मामलों के दुगना होने की अवधि अफ्रीका में पांच वर्ष और पश्चिमी देशों में सात वर्ष की तुलना में अब भारत में एक वर्ष से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तकनीकी सलाहकार समिति भंग कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा एड्स नियंत्रण उपायों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारत, अफ्रीका और अमेरिका में सूचित किए गए एड्स रोगियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	भारत	अफ्रीका	यूरोप
1993	269	103505	22347
1994	458	65441	24594
1995	1092	64605	21259

(ख) सरकार ने एड्स से बचाव व नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:-

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य एड्स सैलों का गठन किया गया है। देश में 62 निगरानी केन्द्र और 9 रेफरल केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

- रक्ताधान सेवाओं, यौन संचारित रोगों और एड्स रोगियों के उपचार में लगे चिकित्सा अधिकारियों, परा-चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें 11,700 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं और पूरे देश में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में सप्लाई किए गए हैं।

- सभी प्रचार एजेंसियों की सहायता में सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

- देश में निरापद रक्ताधान सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य रक्ताधान परिषदों का गठन किया गया है ताकि निरापद रक्त और रक्त उत्पादों की सप्लाई को नियमित किया जा सके।

- यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम को औषधें, उपकरण व उपभोज्य पदार्थ प्रदान करके सुदृढ़ किया गया है।

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड और तकनीकी सलाहकार समिति को एक संयुक्त प्रबंध समिति के अधीन विलयित किया जाए।

मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा

515. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौते किये गए;

(घ) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने भारतीय व्यापारियों को मॉरिशस के व्यापारियों से व्यापार संबंधों की अनुमति देने और अपने यहां संयुक्त उद्यम लगाने की पेशकस की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस बातचीत के दौरान भारत और मारीशस के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गयी तथा क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित-चिन्ता के मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह बातचीत अत्यन्त समझबूझ के वातावरण में हुई और विचारो में समानता परिलक्षित हुई। मारीशस के प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत की चिन्ताओं को समझा। उन्होंने यह बात भी पुन: दोहराई कि उनकी सरकार भारत को पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करती है। उनकी इस यात्रा के दौरान कोई औपचारिक करार संपन्न नहीं हुआ। दोनों देशों के विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मारीशस की सरकार के इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है कि इस समय मारीशस तथा बम्बई के बीच चल रही उड़ानों की शर्तों पर मारीशस तथा दिल्ली के बीच एयर मारीशस की अतिरिक्त उड़ान की अनुमति दी जाए।

(ङ) और (च) जी, हां। मारीशस के प्रधानमंत्री ने भारतीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने तथा विकास का अनुरोध किया। उन्होंने ''निर्माण परिचालन-अन्तरण'' आधार पर मारीशस की आधारभूत विकास परियोजनाओं में सहभागिता के लिए भारतीय औद्योगिक उद्यमों को भी आमंत्रित किया।

श्रीलंका से शरणार्थियों का आगमन

516. **श्री बी. एल. शर्मा ''प्रेम''** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों के दौरान श्री लंका के बलों द्वारा तमिल उग्रवादियों के विरुद्ध भारी दबाव के परिणामस्वरूप भारी संख्या में शरणार्थियों का श्रीलंका से भारत आगमन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1996 से अब तक अनुमानत: कितने प्रवासियों का आगमन हुआ है;

(ग) क्या इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए श्री लंका सरकार पर राजनयिक दबाव डाले जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को यह सूचना मिली है कि श्रीलंका में व्याप्त स्थिति से प्रभावित कुछ व्यक्ति पिछले महीनें भारत आये हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अगस्त, 1996 में लोगों के जो जत्थे भारत आये थे वे मुख्यत: पेसालै तथा मन्नार क्षेत्रों से हैं और ये खाद्य पदार्थों की कमी से तो प्रभावित थे ही साथ ही अन्य कारणों से भी प्रभावित थे जिनमें इन क्षेत्रों में लिट्टे और सुरक्षा बलों के बीच संभावित संघर्षों की आशंका भी शामिल है। हाल ही में श्रीलंका के सुरक्षा बलों का दबाव किलीनोच्ची क्षेत्र में बना रहा है और यह क्षेत्र मन्नार/पेसालै से काफी दूर है।

(ख) तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.1.1996 से कुल 988 श्रीलंका शरणार्थी अब तक भारत आये हैं।

(ग) और (घ) इस घटना पर सरकार ने अपनी चिंता से श्रीलंका के प्राधिकारियों को अवगत करा दिया है और श्रीलंका के प्राधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि स्थिति को काबू में करने के लिए उपाय किये गये हैं। इन उपायों में इस क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य आपूर्ति तथा राहत कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय राहत अभिकरणों की उपस्थिति का सुनिश्चय करने हेतु उठाये गये कदम भी शामिल हैं।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

*517. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में गहरी रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सभी देशों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है और निष्कर्ष क्या निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) वर्तमान सरकार ने सभी पड़ौसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की उच्च प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान को छोड़कर इन सभी देशों के राजनीतिक नेताओं का भी इस संबंध में पूरा सहयोग मिला है। इस समय इस दिशा में उठाये जा रहे राजनयिक और अन्य कदमों के अतिरिक्त इस प्रक्रिया को और गति देने के लिए उच्च स्तरीय यात्राएं की गई हैं। ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

नेपाल

वाणिज्य सचिव जुलाई में काठमांडू गये थे। नेपाल में निर्मित उत्पादों के भारत में शुल्क मुक्त आयात के संबंध में 50% सामग्री तथा श्रम अर्न्तवस्तु की शर्त को हटा दिया गया है। उच्च स्तरीय कार्यदल की 9 अगस्त को नई दिल्ली में बैठक हुई थी और इस बैठक में नेपाल में भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी थी और अच्छी प्रगति पर खुशी जाहिर की गयी थी। नेपाल के विदेश मंत्री डा. लोहानी 12 से 14 अगस्त, तक दिल्ली आये थे और उनकी इस यात्रा के दौरान सौहार्द तथा मैत्री के वातावरण में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ था। इससे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ तथा सौहार्दपूर्ण पारस्परिक संबंध परिलक्षित होते हैं।

भूटान

विदेश मंत्री 10 से 12 अगस्त भूटान की यात्रा पर गये थे और भूटान के योजना मंत्री के नेतृत्व में वहां का एक प्रतिनिधिमंडल 26 अगस्त से 2 सितम्बर तक नई दिल्ली आया था। और इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गयी तथा अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक सहयोग के लिए एक नई दिशा रेखांकित की गई है।

बंगलादेश

दोनों देशों के विदेश सचिवों ने एक दूसरे के देश की यात्रा की है। विदेश मंत्री 6 से 9 सितम्बर तक ढाका जा रहे हैं। सभी अनसुलझे मसालों पर बातचीत चल रही है। इन मसलों में जल बटवारे तथा चकमा शरणार्थियों के स्वदेश वापसी के मसले भी शामिल हैं।

श्रीलंका

श्रीलंका के विदेश मंत्री जून में नई दिल्ली आये थे और श्रीलंका के साथ संबंध ठीक चल रहे हैं।

पाकिस्तान

पाकिस्तान की प्रधानमंत्री से प्राप्त सकारात्मक बधाई संदेश के बावजूद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के उस उत्तर का जवाब नहीं दिया है जिसमें व्यापक तथा विस्तृत बातचीत के लिए विदेश सचिव स्तर की बार्ता को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपेक्षाकृत अधिक कार्यकलाप तथा जनसंपर्क को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से कई कदम उठाये हैं।

निस्सरण संबंधी मानदंड

*518. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आटमोबाइल निर्माताओं को निस्सरण संबंधी मानदंड के अनुपालन में उनके अनुरोध पर 1993 में तीन वर्ष की छूट दिये जाने की स्वीकृति दी गई थी ताकि वे उक्त मानदंड के अनुपालन हेतु आवश्यक तकनीक विकसित कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त तीन वर्ष की छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(घ) क्या आटोमोबाइल निर्माताओं ने निस्सकरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 1.4.1996 से लागू किए जाने वाले सूचक उत्सर्जन मानदंड 15.9.1993 को अधिसूचित किये गये थे। इन मानदंडों को और अधिक कठोर बनाने के लिए कुछेक संशोधनों के बारे में प्रस्ताव किया गया था तथा संशोधन नियमों का एक मसौदा 5.6.1995 को अधिसूचित किया गया था और तदुपरान्त 1.4.1996 से लागू नए उत्सर्जन मानदंडों को और अधिक कारगर बनाने के लिए 29.3.96 को अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। 1.4.1996 के बाद निर्मित प्रत्येक वाहन को इन नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई वाहन इन उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करता तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। इस मंत्रालय ने इस बारे में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है।

पत्तन कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित इनाम

*519. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पत्तन एवं गोदी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित इनाम देने की एक नई योजना लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उपरोक्त योजना के अंतर्गत पत्तन एवं गोदी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त योजना सभी प्रमुख एवं छोटे पत्तनों पर भी लागू होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार ने महापत्तन न्यासों और गोदी कामगार मंडलों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों के लिए वर्ष 1994-9 से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू उत्पादकता आधारित इनाम स्कीम (पी. एल. आर.) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस स्कीम के तहत पी. एल. आर. के. भुगतान हेतु पात्रता के लिए वेतन/मजदूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। लेखा वर्ष 1994-95 और 1995-1996 के लिए वार्षिक वेतम/मजदूरी के क्रमश: 18.95% और 19.6% (परिगणना हेतु 2500 रु. प्रति माह मजदूरी को इन मामलों में आधार मानकर, जहां यह 2500/- रु. प्रतिमाह से अधिक हो) की दर सें पी एल आर के भुगतान की अनुमति दे दी गई है।

(ङ) नई पी एल आर स्कीम केवल महापत्तन न्यासों और गोदी कामगार मंडलों पर लागू है।

[हिन्दी]

थैलेसेमिया के रोगी

*520. **श्री हंसराज अहीर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थैलेसेमिया के रोगियों को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन संस्थाओं को जो ऐसे रोगियों को मदद देती हैं, वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन देती है; और

(घ) थैलेसेमिया के बढ़ते रोगियों की संख्या को रोकने तथा देश से इस बीमारी का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) यद्यपि कोई वित्तीय सहायता सीधे नहीं दी जाती है, फिर भी डेस्फेरल इंजेक्शनों और इन्फ्यूजन पम्प के आयात पर सीमा शुल्क पर छूट की अवधि बढ़ाई गई है। सख्त चिकित्सीय निगरानी के अन्तर्गत उपयोग के लिए मुखसेव्य आयरन चीलेटर डेफरीप्रोन के विपणन की हाल ही में अनुमति भी दी गई है जो कम खर्चीली है और जिसका रोगी पर अच्छा असर होने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) इन आनुवंशिक विकार के उपचार का मुख्य आधार बार-बार रक्ताधान, इसके बाद अनवरत आधार पर आयरन चेलेशन करना है। अच्छे किस्म के रक्त की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है।

थैलासीमिया को सही करने के उपचार अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण के माध्यम से है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद थैलासीमिया के सही उपचार के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बैंगलूर में उन्नत अनुसंधान कार्यक्रम को सहायता देती है।

इसकी अंतिम उद्देश्य पीड़ित बच्चों के जन्म को रोकना है। इस रोग के लिए गर्भावस्था के दौरान आनुवंशिक परामर्श और प्रसवपूर्व निदान देश के कुछ केन्द्रों में उपलब्ध है। भारतीय

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रसवपूर्ण निदान शुरू करने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए बहुकेन्द्रिक अध्ययन शुरू किया है।

नर्सिंग होम में दाखिला

4638. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड पर परिवार के सदस्यों के छायाचित्रों के साथ मूल वेतन को राशि लिखित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि आवश्यकता पड़ने पर नर्सिंग होम में विशेषत: आर.एम.एल. अस्पताल में स्थान पाने के लिए केवल उच्च मूल वेतनभोगियों को ही दाखिला दिया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नर्सिंग होम में उन्हीं सेवानिवृत्त व्यक्तियों को ही दाखिला दिया जाता है जिनका मूल वेतन 4000/- रुपये से अधिक हो; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और नर्सिंग होम में दाखिला देते समय मूल पेंशन वेतन पर जोर न देते हुए सभी को दाखिला देने पर विचार करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्धारित मापदंडों के अनुसार सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नर्सिंग होम सुविधा के पात्र हो जाते हैं यदि उनकी डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिला होते समय उनका मूल वेतन 2501/- रुपये अथवा उससे अधिक है। यदि पेशंनरों के मामले में उनकी मूल पेंशन 2501/- रुपये अथवा उससे अधिक है तो वे भी नर्सिंग होम सुविधा के पात्र हो जाते हैं। तथापि, ऐसे पेंशनर जो 2501/- रुपये से कम मूल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन जिनका मूल वेतन सेवा निवर्तन के समय 2501/- रुपये अधिक था भी नर्सिंग होम सुविधा का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते उन्होंने प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पेंशन कार्ड के लिए विकल्प दिया हो।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करने वाली महिलाओं को ट्यूमर का खतरा

4639. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1996 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "वूमेन पिल्स यूजर्स फेस ट्यूमर रिस्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि महिलाओं के लिए खाने वाली गर्भ निरोधक गोली के विज्ञापन में डाक्टरों द्वारा पुरजोर और स्पष्ट रूप से सिफारिश की जाती है कि इन गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग से किसी अन्य प्रकार का असर नहीं होता है और इनका उपयोग सुरक्षित होता है;

(ग) डाक्टरों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को इस तरह की औषधियों के प्रयोग की सलाह क्यों दी गई थी;

(घ) क्या सरकार का विचार पीड़ितों को जहाँ आवश्यक हो, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) जहां तक अनुषंगी प्रभाव का संबंध है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्राहकों को लाभों व जोखिमों के बारे में सूचित करना पड़ता है ताकि लाभार्थी उचित चुनाव कर सकें। वास्तव में इस गोली के रक्ताल्पता की घटना में कमी, मासिक चक्र को नियमित करना, पेलविक प्रदाहक रोग, डिम्बग्रंथि का कैंसर, सुदम्य वक्ष रोगों से बचाव जैसे इसके गर्भनिरोधक प्रभाव के अलावा अनेक प्रकार के फायदे हैं।

यह सही नहीं है कि खाने वाली गर्भ निरोधक गोली कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है। तथापि हाल ही के अनेक अध्ययनों ने गर्भ निरोधक मुखीय गोली के दीर्घकालिक इस्तेमाल और वक्ष के कैंसर के बीच केवल एक सप्ताह का सह-संबंध पाया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या देखा गया यह सह-संबंध इस रोग की प्रवृत्ति, कैंसर के नए मामलों का विकास या मौजूदा कैंसर के तेज विकास के कारण है।

(घ) और (ङ) मुखीय गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल के कारण पैदा हुई जटिलता वाले स्वीकारकर्ता के मामले में सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध है।

[हिन्दी]

निर्वाचित संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद के सदस्य अब भी पूर्व पदों में

4640. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में डिग्री कालेजों/विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसर/प्रिंसिपल विधायक अथवा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कालेजवार/विश्वविद्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संसद सदस्य एवं विधायक अपने सम्बद्ध डिग्री कालेजों/विश्वविद्यालयों से नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा वे असाधारण छुट्टी पर हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने विधायक/संसद सदस्यों को नियमित वेतन मिल रहा है और कितने ऐसे विधायक/संसद सदस्य असाधारण छुट्टी पर हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार के नियम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा सेवाओं में भर्ती

4641. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राजस्थान से रक्षा सेनाओं के तीनों स्कंधों में की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान से की गयी भर्ती की कुल संख्या अन्य राज्यों में की गई भर्ती की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राजस्थान में कुल कितने भर्ती केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने केन्द्रों से भर्ती की गई थी;

(ङ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के बेटों/आश्रितों को भर्ती के मामले में कोई वरीयता दी जाती है;

(च) क्या सरकार को भर्ती केन्द्रों में भ्रष्टाचार अथवा भर्ती में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (छ) राजस्थान से रक्षा सेनाओं की तीनों शाखाओं में पिछले तीन वर्षों में की गई भर्ती के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना
1993-94	3233	104	176
1994-95	4742	126	155
1995-96	5881	134	163

सेना में रिक्त पदों का आबंटन प्रत्येक राज्य/संघ शासित राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सिख रेजिमेंट जैसे नियत वर्गों के लिए आबंटित रिक्त पदों पर भर्ती संबंधित क्षेत्र, वर्ग आदि से ही की जाती है। राजस्थान राज्य से सेना में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या अच्छी रही है। तथापि, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या उन कुछ राज्यों से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की तुलना में कम रही है जिनकी जनसंख्या राजस्थान की अपेक्षा कम है। नौसेना और वायुसेना में चयन उन उम्मीदवारों की पात्रता पर आधारित होता है जो चयन संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। साथ ही चयन की कार्रवाई अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

राजस्थान में पांच भर्ती केन्द्र हैं और ये अजमेर, अलवर, झुनझुनु, कोटा और जोधपुर में हैं। भारतीय नौसेना के चार भर्ती केन्द्र है जो अजमेर, अलवर, झुनझुनु और जोधपुर में हैं। वायुसेना का केवल एक भर्ती केन्द्र है जो जोधपुर में है। पिछले तीन वर्षों में इन सभी केन्द्रों पर भर्ती की गई थी।

सेना के कुछ रिक्त पद युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, कार्यरत सैनिको और भूतपूर्व सैनिकं के बच्चों की भर्ती के लिए आबंटित किए जाते हैं। लिखित परीक्षा, शारीरिक मानकों आदि में बोनस अंकों के रूप में भी कुछ छूट दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, कार्यरत सैनिकों और भतपूर्व सैनिकों को सेना में भर्ती के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें जाँच के लिए संबंधित भर्ती केन्द्र पर सीधे ही जाने की अनुमति होती है। नौसेना में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 5 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जाता है। वायुसेना में भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/आश्रितों को भर्ती में कोई तरजीह नहीं दी जाती।

भर्ती केन्द्रों पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त होती है और ये अधिकांशत: बेनाम अथवा छद्मनाम से की जाती हैं जो कि अफवाहों पर आधारित होती हैं या असफल उम्मीदवारों द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार की सभी शिकायतों की पूरी तरह से जाँच की जाती है और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालय

4642. **डा. अरविन्द शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सोनीपत तथा बहादुरगढ़ जैसे दिल्ली के सीमावर्ती शहरों से आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थियों के लिए वहां कोई सी.जी.एच.एस. औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आधारभूत ढांचा संबंधी कठिनाईयों के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार चरणों में किया जा रहा है। सभी राज्य राजधानियों जिनमें 7,500 अथवा उससे अधिक केन्द्रीय सरकार कर्मचारी/पेंशनर रहते हैं, को कवर करने के लिए पहली प्राथमिकता है।

केरल के अस्पतालों आदि के लिए वित्तीय सहायता

4643. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में अस्पताल संबंधी परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण/वित्तीय सहायता के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) वे कौन सी शर्तें हैं जिनके अधीन आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों के विस्तार तथा विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केरल सरकार से और कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने उपलब्ध संसाधनों के भीतर अस्पताल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अस्पतालों के विस्तार के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने राष्ट्रीय डेंटल अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए भूमि मुफ्त प्रदान की यद्यपि उस सरकार द्वारा कोई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने इस योजना के लिए यूरोपियन आयोग से सहायता मांगी थी।

औषधीय जड़ी-बूटियां

4644. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधीय महत्व वाली उन जड़ी-बूटियों के क्या नाम है जिन पर पूरे देश-विदेश के विभिन्न औषधि शोध संस्थान में शोध चल रहा है;

(ख) इसके तथ्य तथा उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ही प्रकार के शोध की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस मामले में विदेशों के शोध संस्थानों से समन्वित सम्पर्क बनाए रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) अनेक सरकारी विभागों में औषधीय पादपों पर औषध अनुसंधान विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के जरिये किया जाता है तथा भारत में सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर. आदि में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकागो के नप्रालर्ट में औषधीय पादपों संबंधी डाटाबेसेज रखा जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियां बहु-केन्द्रीय रुपेण नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों के जरिए भगंदर की चिकित्सा के लिए क्षारसूत्र नामक प्राचीन तकनीक की वैज्ञानिक विधि मान्यता रही है। उपर्युक्त फार्मास्युटिकल उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उत्पाद तैयार है। जिन अन्य क्षेत्रों से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे हैं-(1) वायरल हेपाटाइटिस, (2) डायबीटिज मेलिटस, ब्रांकियल अस्थमा यूरोलिथेसिस, फायलेरियासिस, कालाआजर, क्षत विरोहण आदि। जिन पादपों पर नैदानिक परीक्षण/प्रायोगिक अध्ययन किये जा रहे हैं उनकी सूचियां विवरण पर दी गई हैं।

(ग) और (घ) उच्च भेषजगुण विज्ञान अनुसंधान तथा नैदानिक/प्रायोगिक अध्ययनों के लिए चयनित जड़ी-बूटी संबंधी उपचारों के गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण तथा मानकीकरण, जड़ीबूटी उपचारों संबंधी समस्त नैदानिक परीक्षणों के जैव सांख्यिकीय अनुवीक्षण तथा देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों/अस्पतालों जहां नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं, के लिए आई.सी.एम.आर. तथा सी.एस.आई. आर. के संस्थानों की नेटवर्किंग अनुसंधानात्मक प्रयत्नों में शामिल है ताकि अनुसंधान कार्यों के दौबारा होने की संभावना कम हो जाए। आई.सी.एम.आर. के परंपरागत चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम के तहत कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया जाता।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किलनिकल/प्रायोगिक अध्ययनों के लिए पता लगाए गए औषधीय पादपों/परम्परागत उपचारों की सूची

1.	क्षारसूत्र के अव्ययव	
	(क) एकिरेंथिस एस्पेरा (ऐपा मार्गा)	साइनल
	(ख) यूफोर्बिया नेरीफोलिया (स्नूही)	फिस्टुला
	(ग) कुर्कमा लौंगा (हरिद्र)	के उपचार के लिए
2.	ऐरोकार्पस मारसुपियक (विजयासार)	मधुमेह-रोधी
3.	एल्बिजिया लेबेक (शिरीष)	दमा-रोधी
4.	पिक्रोरिजा कुरोवा (कुटकी)	
5.	फिलेंथस स्पेसीज (पी.एमारस, पी. फ्रेटरनस, पी. मेड्रास्पैटिसिस)	हेप्टो प्रोटेक्टिव
6.	स्ट्रेबल एस्पर (शखोटक)	फाइलेरिया रोधी
7.	सीजेल्पीनिया बोंडुसेल्ला (कटकोरंज)	प्रायोगिक
8.	ट्रेफरोसिया परपुरिया (शारपुंखा)	
9.	क्रेटेवा नुरबला (वरुणा)	यूरोलिएथेटिकरोधी
10.	एस्प्रेगस रेसमोसस (शतावरी)	एडाप्टोजेनिक) प्रायोगिक
11.	टर्मिनेलिया चेबुला (हरितकी)	जख्म भरने वाली
12.	एम्बलिका आफिसिनिएलिस (आमला)	
13.	केलोट्रापिसस प्रोसेरा (अर्क)	
14.	यूफोरबिया नेरिफोलिया (स्नूही)	

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

4645. श्री सौम्य रंजन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया है;

(ख) तत्संबंधी स्थानवार और नामवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों (4/93 से 3/96 तक) के दौरान 3 पुलों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। जिनके ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं:-

क्र.सं.	रा.रा.सं.	नाम	अब स्थिति
1.	43	पुलिया सं. 15 को बदलने के लिए छोटा पुल	कि.मी. 354/4-6
2.	42	लूहापंखा	कि.मी. 190/920
3.	23	अंधेरी नाला	कि.मी. 53.6

(ग) पूरे किए गए 3 कार्यों पर 85.20 लाख रु. व्यय हुआ।

जी.टी. रोड के लिए निधि

4646. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार को जी.टी. रोड के रख-रखाव के लिए और अधिक धन आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) संभवतः, माननीय सदस्य भारत-पाक सीमा से कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 के बारे में जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए राशि राज्य-वार आवंटित की जाती हैं, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। यह आवश्यकता और निधियों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के संबंध में पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों को आबंटित राशि नीचे दी गई है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	राशि	
	पश्चिम बंगाल	बिहार
1993-94	1760.45	1276.45
1994-95	1744.02	1472.53
1995-96	1731.33	1763.95

गैर-सरकारी संगठन

4647. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता मिल रही है;

(ख) जिन क्षेत्रों में ये गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनकी गतिविधियां क्या रहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लंबित जलाशय योजना

4648. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत जलाशय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इन योजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई जलाशय स्कीम जल संसाधन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलपैथ को दिनाजपुर से जोड़ा जाना

4649. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तितुलिया में जलपैथ को दिनाजपुर से जोड़ने हेतु रास्ता खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली मण्डलियां

4650. **श्री एन. एस. वी. चित्यन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलेंडर वर्ष 1996 के दौरान अन्य देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कई सांस्कृतिक मण्डलियां विदेश भेजी जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये मंडलियां किन-किन देशों को भेजी जायेंगी; और

(ग) इन सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा नाटक, संगीत आदि जैसे कौन-कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष के दौरान अप्रैल माह से कार्यक्रम पेश करने के लिए भेजी उन सांस्कृतिक मण्डलियों और जिन्हें 1996 के शेष महीनों के दौरान कार्यक्रम पेश करने के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन मण्डलियों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे भी संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाहर जाने वाले मंचीय कला प्रतिनिधिमण्डल
1996-97

क्र.सं.	देश	मण्डली का स्वरूप	अवधि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	उत्तरी कोरिया	गुलाबी सपेरा, और निजामुद्दीन लंगा, राजस्थानी संगीत मण्डली	अप्रैल, 1996	प्योंग यांग में 6 अप्रैल स्प्रिंग फ्रेंडशिप आर्ट फेस्टीवल में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
2.	फ्रांस	पदमा तावलकर मण्डली ख्याल गायक × 3 मुंबई	अप्रैल, 96	चेम्बरी के थिएटर में 6 एटीन्थ सेंचुरी फ्रेंच एडवेंचर इन द इंडिया आफ महाराजाज ''नामक भारतीय संस्कृति एवं एक प्रदर्शनी के उद्घाटन में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
3.	नेपाल	अमजद अली खान × 5 सरोद	4 से 6 अप्रैल, 1996	काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आयोजित महामहिम नेपाल के शाह के लिए विशेष संगीत-गोष्ठी में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
4.	मोरक्को	माधवी-मुद्गल × 7 ओ डी सी मण्डली	13 से 15 अप्रैल, 1996	मिशन के अनुरोध पर सहायतार्थ प्रदर्शन में कार्यक्रम पेश करने के लिए (तीन वर्ष नियम लागू नहीं है)
5.	थाईलैण्ड	डा. पदमा सुब्रमनयन भरत नाट्यम मण्डली, मद्रास × 15	20 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1996	थाईलैण्ड में ''इंडिया फेस्टीवल'' में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
6.	मोरक्को	रेणू बासी, कथक नर्तक, नई दिल्ली × 5 कुचीपुड़ी नृत्य मण्डली	24-28 अप्रैल, 1996	मोरक्को में 'इंडियन एक्सपो' में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
7.	यू.के.	शोभा नायडू × 5 कुचीपुडी नृत्य मण्डली	21 मई से 31 मई, 1996	वर्ल्ड सर्कयूट आर्टस, लन्दन द्वारा आयोजित फेस्टीवल आफ सदर्न इंडियन कल्चर्स में कार्यक्रम पेश करने के लिए
8.	सिंगापुर	सिक्किम के 12 सदस्य मुखौटा नृत्य मण्डली (सिक्किम सरकार)	26 मई से 30 मई, 1996	''सिंगापुर आर्ट्स फेस्टीवल'' के उद्घाटन में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
9.	फ्रांस	बुद्ध दास गुप्ता एसराज वादक	30 मई से 15 जून, 1996	मेसन डेस कल्चर्स डूमोंडे द्वारा आयोजित द कल्चरल ईवन्ट आन टैगोर में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
10.	सिंगापुर	पंडित वी.जी. जोग वायलिन वादक कलकत्ता (यात्रा अनुदान)	1 मई से 15 मई, 1996	नृत्यालाया आस्थेटिक्स सोसाइटी, सिंगापुर के आमंत्रण पर कार्यक्रम पेश करने के लिए।

1	2	3	4	5
11.	दक्षिणी कोरिया	रावेन्द्र संगीत सिंगर्स × 5 नृत्य (परम्परागत) तथा संगीत	5-12 मई, 1996	टेगोर सोसाइटी आफ साउथ कोरिया द्वारा टैगोर की 135वीं जन्म शती मनाने के संबंध में।
12.	आस्ट्रेलिया	कु. संयुक्ता पाणिग्रही ओडेसी नृत्य मण्डली × 6 भुवनेश्वर (यात्रा अनुदान)	4 जून-15 जुलाई, 1996	फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन आफ विक्टोरिया से प्राप्त निमंत्रण पर कार्यक्रम पेश करने के लिए।
13.	इजराइल	उस्ताद अल्ला रक्खा, फजल कुरैशी उस्ताद सुलतान खान (यात्रा अनुदान)	5 से 10 जून, 1996	इजराइल फेस्टीवल में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
14.	जर्मनी	डा. गोपाल शंकर मिश्रा, वीणा और सितारवादक, मद्रास	9 से 30 जून, 96	द लिएडेन म्युजियम स्टूटगार्ट के निमंत्रण पर व्याख्यान/कार्यशाला तथा कार्यक्रम पेश करने के लिए। (50% यात्रा अनुदान)
15.	मारीशस	पीनास मसानी गजल गायक × 6 मुंबई	14 से 18 जून, 1996	मारीशस में पोलियो के उन्मूलन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एक सहायतार्थ प्रदर्शन मारीशस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर महा संगीत गोष्ठी में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
16.	फ्रांस	मुंबई से 10-सदस्य भरत नाट्यम नृत्य मण्डली तथा मद्रास से 5 सदस्य मण्डली प्रो. टी. एन. कृष्ण वायलिन वादक	2 जुलाई से 7 जुलाई, 1996	डी'' नेट्स के महोत्सव में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
17.	दक्षिण अफ्रीका जाम्बिया बोत्स्वाना किनिया लेथोसो	मल्लिका साराभाई भरत नाट्यम नृतक अहमदाबाद × 6	20 अगस्त से 30 अगस्त, 1996	डर्बन में वीनेन आर्ट्स फेस्टीवल में कार्यक्रम पेश करने तथा इस क्षेत्र में अन्य देशों में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
18.	श्रीलंका	12 सदस्य पुंग चोलम और डोल चोलम, मनीपुर	12 से 18 अगस्त, 1996	कोलम्बो में ''सार्क ड्रमिंग एण्ड डांस फेस्टीवल'' में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
19.	कीनिया	जगजीत सिंह × 3 गजल गायक	14 से 19 अगस्त, 1996	नैरोबी में ''मेड इन इंडिया शो'' में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
20.	भूटान	गुलाबी सपेरा लोक नर्तक/संगीत मंडली राजस्थान	12 से 19 अगस्त, 1996	गणतंत्र/स्वाधीनता दिवस समारोह में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
21.	सीरिया तुर्की, साइप्रस	लोकचन्द लोक नर्तक मण्डली पश्चिमी बंगाल	2-20 अगस्त, 1996	सी.ईसी की धारा 2.10 के तहत सीरिया और श्रृंखला दौरे में इन्टरनेशनल एमिटी फेस्टीवल में कार्यक्रम पेश करने के लिए।

1	2	3	4	5
22.	रूस	सांस्कृतिक मण्डली (1) उस्ताद जाकिर हुसैन × 8 (2) रितु संहार × 21 (क) श्रीमती माधवी मुदगल × 3 (ख) श्रीमती प्रीति पटेल × 4 (ग) श्रीमती भारती शिवाजी × 3 (घ) श्रीमती शास्वती सेन × 4 (ङ) श्रीमती लीला सैमसन × 3 (च) श्री रवि शंकर × 3 (3) श्री उदय जादूगर जादू मंडली × 4 (4) श्रीमती पार्वती खान × 3 (5) भूमिका × 14 (6) श्रीमती शुभा मुदगल × 4 (7) बिहु × 12 (8) रघुनाथ सेठ × 4 (9) प्रो. टी.एन. कृष्णन × 5 (10) आविष्कार × 15 (11) नाटक मंडली हयवादन रूसी कलाकारों के साथ संयुक्त निर्माण × 2	16 से 28 सिंबर 1996 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जुगलवंदी नृत्य नाटिका पॉप संगीत आधुनिक नृत्य हिन्दुस्तानी गायन आसाम का लोक नृत्य मंडली बांसुरी वायसिन गुजरात से लोक नृत्य मंडली	''रूस में भारतीय संस्कृति काल'' में कार्यक्रम पेश करे के लिए।
23.	यूनाइटेड किंगडम	श्री वी.पी. सन्जन एवं श्रीमती धनन्जन (यात्रा अनुदान) भरत नट्यम नृत्य	अगस्त/सितम्बर, 1996	कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
24.	संयुक्त राज्य अमरीका	गुरु केलुचरण महापात्र के नेतृत्व में ओडीसी नृत्य मंडली, भुवनेश्वर × 8 यात्रा अनुदान	10 सितम्बर से 20 नवम्बर, 1996	सेंटर फार वर्ल्ड म्यूजिक एंड रिलेटेड आर्टस द्वारा आमंत्रित।
25.	स्वीटजरलैंड	श्रीमती अरुणा सयीराम कर्नाटक शैली की गायिका × 4 (यात्रा अनुदान)	15 से 22 सितम्बर 1996	भारतीय शास्वीय संगीत संघ, जुरिख के आमंत्रण पर कार्यक्रम देने के लिए।
26.	यूनाइटेड किंगडम	उस्ताद सबरी खान × 2	5 सितम्बर से 6 सितम्बर, 1996	सोनिया सबरी, बर्मिघम, यूनाइटेड किंगडम के आमंत्रण पर कार्यक्रम देने के लिए।
27	इराक़ जोर्डन दोहा कुवैत बहरीन तेहरान	माया राव, बंगलौर की लोक नृत्य मंडली	21 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 1996	इराक में बेबीलोन अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव तथा सीरिया में बोसरा महोत्सव में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
28.	जर्मनी आयरलैंड बेल्जियम पुर्तगाल स्विटजरलैंड नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम	सिंह बन्धु × 5 हिन्दुस्तानी गायक	16 सितम्बर से 7 अक्तूबर, 1996	कार्यक्रम दौरों के लिए।
29.	श्रीलंका	श्रीमती शोभना नारायण कत्थक नृत्यांगना × 6 नई दिल्ली	29 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1996	कोलम्बो स्थित हमारे मिशन के आमंत्रण पर कार्यक्रम पेश करने के लिए।
30.	दक्षिण अफ्रीका	यू. श्री निवासन, मन्डोलिन वादक, मद्रास (यात्रा अनुदान)	18-24 सितम्बर, 1996	कला एवं सांस्कृतिक संस्थान प्रीटोरिया के आमंत्रण पर कार्यक्रम देने के लिए।
31.	संयुक्त राज्य अमरीका	पंडित हरि प्रसाद चौरिसिया × 3 पंडित विश्व मोहन भट्ट × 1 (यात्रा अनुदान)	10 सितम्बर से 10 नवम्बर, 1996	भारत की मंचीय कलाएं केन्द्र, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आयोजित, भारतीय
32.	वियतनाम लाओस कम्बोडिया	(1) पंडित भजन लाल सोपान × 4 (2) रोहिणी भाटे का कत्थक मंडली-11 (3) ड्रम आफ मणिपुर × 6	7 अक्तूबर से 17 अक्तूबर	वियतनाम में भारतीय सांस्कृतिक दिवस।
33.	नेपाल	राजस्थान लोक मंडली × 5	4 से 6 अक्तूबर, 1996	मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
34.	भूटान	श्रीमती सोनल मानसिंह × 6 ओडीसी नृत्यांगना, नई दिल्ली	22 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1996	मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
35.	मैक्सिको, पनामा ब्राजील पेरू अर्जेन्टीना	केरल कला मंडलम द्वारा कथकली नृत्य मंडली (10 सदस्य)	9-27 अक्तूबर, 1996	मैक्सिको में आयोजित सरवान्टिनो महोत्सव में भाग लेने तथा इस क्षेत्र की श्रृंखला दौरों के लिए।
36.	बेल्जियम	छह संगीतकार	9 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1996	बेल्जियम के संगीतकारों के साथ संयुक्त कार्यक्रम पेश करने के लिए।
37.	तुर्कमेनिस्तान	लोक नर्तक मण्डली × 7	अक्तूबर, 1996	तुर्कमेनिस्तान की स्वाधीनता के 6वीं वर्षगांठ समारोह में कार्यक्रम पेश करने के लिए।

1	2	3	4	5
38.	सेंशैल्स मारीशस	मोहन भाट नाडू का 4 सदस्यीय कठपुतली मण्डली	25-31 अक्टूबर, 1996	क्रओल महोत्सव में भाग लेने के लिए।
39.	मारीशस	सतीश महतो का 12 सदस्यीय छउ लोक नृत्य मंडली	अक्तूबर, 1996	दशहरा आयोजन में कार्यक्रम देने के लिए।
40.	इस्राइल	मराठी .थियेटर मंडली (7 सदस्यीय)	7 से 8 अक्टूबर, 1996	चतुर्थ द्विवार्षिक विश्व मराठी सम्मेलन में कार्यक्रम देने के लिए।
41.	पाकिस्तान	कलकत्ता के सुरेश दत्ता का 13 सदस्यीय कठपुतली मंडली आन्ध्र शेडी कठपुतली मंडली का 3 सदस्यीय दल।	12 से 18 अक्तूबर, 1996	रफी पीर थियेटर कार्यशाला और रफी पीर दल, लाहोर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव में भाग लेने के लिए।
42.	आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड	सीतश व्यास × 2 सन्तूर वादक	21 अक्तूबर से 21 नवम्बर, 1996	विश्व संस्कृति संगीत, सिडनी के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
43.	रि-यूनियन आईलैंड मेडागास्कर	सुश्री सरोज वैद्यनाथन भारत-नाट्यम लोक नृत्य तथा संगीत मंडली।	नवम्बर, 1996	दीवाली समारोह में भाग लेने के लिए।
44.	मिस्र	मणिपुर की 15 सदस्यीय नृत्य तथा संगीत मंडली	1 से 15 नवम्बर, 1996	अमेरिकन यूनिवर्सिटी आफ काहिरा में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने के लिए।
45.	ब्राजील	मदूप मुद्गल × 7	4 से 6 नवम्बर, 1996	श्री इवाल्डो बेर्टोजो द्वारा आयोजित भारत-ब्राजील संगीत समारोह में कार्यक्रम पेश करने के लिए
46.	आयरलैंड	वासवती मिश्रा की कथक मंडली × 1	24 से 28 अक्तूबर, 1996	''सेलेब्रेसन आफ सेन्सिज'' समारोह में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
47.	यूनान	श्री नागभूषण शर्मा के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश की सात सदस्यीय शेडो कठपुतली मंडली (यात्रा अनुदान)	7-17 अक्तूबर, 1996	एथेन्स में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली थियेटर समारोह में कार्यक्रम पेश करने के लिए।
48.	बंगलादेश	मंचीय मंडली के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	नवम्बरं, 1996	भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति के संबंध में।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में "कैरियर एडवान्समेंट स्कीम"

4651. **प्रो. रीता वर्मा :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "कैरियर एडवान्समेंट स्कीम" देश के आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याताओं के पद पर प्रोन्नत किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वित्तीय कठिनाईयों की वजह से आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "कैरियर एडवान्समेंट स्कीम" को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

जी.आर.एस.बी.ई. के कर्मचारी

4652. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स के कुछ, कर्मचारी गत वर्ष हावड़ा पश्चिम बंगाल के नाजिर गंज में पोलघाट दुर्घटना में मारे गए;

(ख) क्या उनके परिवार के प्रतिनिधियों को रोजगार देने हेतु प्रबंधन से अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के 17 कर्मचारी हताहत हुए थे। इनमें से 11 दिवंगत कर्मचारियों के निकटतम संबंधियों की ओर से रोजगार सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे। कंपनी ने प्रभावित परिवारों के 11 पात्र व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है जबकि शेष 6 मामलों में कोई भी व्यक्ति रोजगार सहायता के लिए पात्र न होने के कारण उनके लिए अंशदायी परिवार सहायता योजना बनाई गई है जिसे कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सी.जी.एच.एस. सुविधा का विस्तार

4653. **श्री हाराधन राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की गतिविधियों का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है। इस समय 7,500 या इससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के समूह वाले राज्यों की राजधानियों को कवर करने की प्राथमिकता है। कलकत्ता केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पहले से ही कवर है।

अन्य देश की नागरिकता

4654. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिक को किसी अन्य देश की नागरिकता मांगने पर अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की जानकारी सरकार को देनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार को कितने भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ने की इच्छा से अवगत कराया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंधों के अंतर्गत किसी भारतीय राष्ट्रिक का अन्य देश की राष्ट्रिकता लेते समय अपनी भारतीय राष्ट्रिकता के परित्याग संबंधी सूचना भारत सरकार को देना अपेक्षित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार की कोनार नहर परियोजना

4655. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978 में आरंभ हुई बिहार की कोनार नहर परियोजना कार्य अभी भी अधूरा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) आठवीं योजना में आगे लाई गई लागत 152.79 करोड़ रुपये थी जबकि आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय केवल 30 करोड़ रुपये है। वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक अनुमोदित/प्रस्तावित परिव्यय केवल 13.49 करोड़ है। सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों में से किया जाता है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

सिंचाई दर

4656. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सिंचाई दर को तर्कसंगत बनाने का है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों सिंचाई परियोजनाओं के परिचालन तथा रख-रखाव के व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में उन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है अत: सिंचाई जल दरों की वसूली का कार्य राज्य सरकार को करना है। सिंचाई परियोजनाओं के रख रखाव की लागत को पूरा करन के लिए किसी राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती। योजना आयोग ने देश में जल के मूल्य के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के पूर्व सदस्य डा. ए. वैधनाथन की अध्यक्षता में अक्तूब, 1991 में सिंचाई जल के मूल्य निर्धारित करने पर समिति गठित की थी। समिति ने सितम्बर 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिंचाई जल दरों को तर्कसंगत बनाने और इस प्रकार सिंचाई एवं सम्बद्ध प्रभारों के द्वारा वसूल राजस्व तथा सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन एवं रख-रखाव की लागत के बीच अंतर को कम करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अक्तूबर, 1992 में योजना आयोग द्वारा स्थापति अधिकारयों के समूह द्वारा वैधनाथन समिति की सिफारिशों का आगे अध्ययन किया गया। समूह ने दिसम्बर, 1994 में अपनी रिपोर्ट में साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि सिंचाई जल दरें अगले पांच वर्षों में चरणों में पूर्ण वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव लागत पूर करें। योजना आयोग ने समूह की सिफारिशें वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के साथ सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं।

नर्स यूनियन को मान्यता

4657. श्री पी. सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्स यूनियन एक मान्यता प्राप्त निकाय है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से मान्यता प्राप्त है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी यूनियनों को कुछ वर्षों पूर्व मानयता नहीं दी जाती थी;

(घ) यदि हां, तो कब तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त यूनियन ने मान्यता के लिए अनुरोध किया है और क्या प्रबंधन ने मान्यता देने हेतु कुछ शर्तें रखी हैं;

(च) यदि हां, तो ये शर्तें क्या है; और

(छ) यूनियन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या प्रबंधन किसी यूनियन को मान्यता देती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) नर्स यूनियन को दो वर्षों की अवधि के लिए 3.4.92 को मान्यता दी गई थी। सी. सी. एस. (आर. एस. ए.) नियम 1993 के अंतर्गत कुछेक शर्तों को नर्स यूनियन द्वारा पूरा करने में विलम्ब हो जाने के कारण और आगे समय के लिए मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) चूंकि नर्स यूनियन ने यथा निर्धारित अपेक्षित तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आर. एस. ए.) नियम, 1993 के अंतर्गत उनको सूचित की गई शर्तों को पूरा नहीं किया था अत: इसके परिणामस्वरूप 2.4.94 के आगे मान्यता नहीं दी गई।

(घ) से (छ) जी, हां। नियमों में प्रावधान है कि सेवक संघ अपनी नियत उपविधि के समस्त प्रावधानों का पालन तथा अनुगमन करेगा। मान्यता प्रदान करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन

4658. श्री माधवराव सिंधिया :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1996 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''टेक-फिक्स एपरोच टू एड्स कंट्रोल इज अनएफोर्डेबल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वैनकूवर कनाडा में हाल ही में सम्पन्न हुए ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में एच.आई.वी. के बढ़ते प्रकोप के संबंध में व्यक्त किये गये विश्वव्यापी दृष्टिकोण की, भारत के विशेष संदर्भ में, मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संघातमक बीमारी के निवारण हेतु परम्परागत आयुर्वेदिक और अन्य भारतीय औषधियों को परीक्षण और वैज्ञानिक प्रोटोकोल के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जी, हां। रिपोर्ट वैनक्यूवर कनाडा में एड्स पर हुये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाहियों से संबंधित हैं। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एड्स समस्या के फैलाव, नई थिरेपिया, स्थान विशेष समस्याओं व सफलता की कहानियों पर चर्चा की गई। यह भी बताया गया कि एड्स का फैलाव प्राय: विकासशील देशों में है और भारत में संसार के सबसे अधिक संक्रमित रोगी हैं।

(ङ) विवरण के आधार संबंधी प्रश्न को स्पष्टीकर के लिए यू. एन. एड्स संगठन के साथ उठाया गया है।

(च) आई. सी. एम. आर. द्वारा अनुमोदित निश्चित और वैज्ञानिक प्रोटोकाल के साथ होम्योपैथी व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न औषधों पर वैज्ञानिक नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से एड्स का उपचार ढूंढने के लिए अनुसंधान कार्य जारी हैं।

सरकार ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

केन्द्रीय सड़क निधि से बिहार को धनराशि

4659. श्री गिरधारी यादव : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इसमें से कुछ धनराशि अभी बकाया है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष और गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष धनराशि कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामंन) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि से 1994-95 और 1995-96 के दौरान बिहार को आबंटित राशि नीचे दी गई है:

(लाख रु.)

वर्ष	राशि
1994-95	166.00
1995-96	25.00

(ख) से (घ) आबंटन राज्यों की मांगों के अतिरिक्त अनंतिम जमाराशि, अनुमोदित स्कीमों और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त आधार पर किया जाता है। 1996-97 के लिए राशि संसद द्वारा अनुदान-मागों के पारित हो जाने के बाद जारी की जाएगी।

हेपाटाइटिस-बी वायरस

4660. श्री ए. सी. जोस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में हेपाटाइटिस-बी वायरस जन्म संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई ऑकलन किया है कि यह बीमारी किस हद तक फैल गई है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुरूप इस बीमारी से प्रति रक्षण संबंधी कदम अनिवार्य रूप से उठाये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) प्रकाशित अध्ययनों और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा की गई जांचों से यह पता चलता है कि 3 से 5 प्रतिशत जनसंख्या हेपाटाइटिस-बी की चिरकारी वाहक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम

4661. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि उक्त कार्यों पर व्यय नहीं की गई;

(ख) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उक्त योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) उपरोल्लिखित वर्षों के दौरान इस पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यापक खामियां पायीं गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय साक्षरता अभयान के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए 625.79 करोड़ रुपये तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए 611.79 करोड़ रुपये की कुल राशि आबंटित की गई है। उपर्युक्त वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 517.23 करोड़ रुपये तथा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत 441.37 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। साक्षरता अभियानों की धीमी गति, विशेष रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में, और विशिष्ट प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में कमी के कारण राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के लिए आबंटनों के खर्च में कमी आई थी। मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में खर्च में कमी का कारण यह था कि कुछ राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों में इस योजना को आरंभ करने में समय लिया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

व्याख्याताओं की रिक्तियां

4662. श्री एच. वाई. मेती : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्धारित किया है कि सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1993 तक पी.एच.डी. अथवा एम. फिल की उपाधि प्राप्त कर ली है, वही देश के महाविद्यालयों में व्याख्याता पद हेतु अर्हता प्राप्त हैं बशर्ते कि उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों;

(ख) क्या 1993 के पश्चात् 55 प्रतिशत अंकों से एम. फिल/पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों के नाम पर व्याख्याता पद के लिए विचार नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारण तिथि को 1993 के बाद निर्धारित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 1991 और

1995 में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) न्यूनतम अर्हता विनियमनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लेक्चरार पद के लिए अभ्यर्थियों के पास अच्छा शैक्षिक रिकार्ड होना चाहिए और संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। इन अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थियों द्वारा यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित लेक्चरारों के लिए पात्रता परीक्षा या यू.जी.सी. द्वारा प्रत्याशित समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त की जानी चाहिए या दिनांक 31.12.93 तक पी.एच.डी. शोध विषय जमा कर दी जानी चाहिए या एम. फिल डिग्री पूरी कर ली जानी चाहिए। दिनांक 31.12.93 की निर्धारित समय सीा अस्थाई प्रावधान के तौर पर उन अभ्यर्थियों के लाभार्थ विहित किये गये थे, जो वर्ष 1991 में, जब प्रथम बार उपर्युक्त वि.अ.आ. विनियमनों को अधिसूचित किया गया था, अपने एम. फिल. या पी. एच.डी. पाठ्यक्रमों को पूरा करने में लगे थे।

(ग) वर्ष 1991 में अधिसूचित वि.अ.आ. विनियमनों में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय मामला दर मामला के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति से निहित अर्हताओं में छूट दे सकते हैं।

[हिन्दी]

नर्सों की आवश्यकता

4663. श्री सुशील चन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भारत में कितनी नर्सों की आवश्यकता है और वर्तमान समय में अनेक राज्यों में कितनी नर्सें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) मध्य प्रदेश में नर्सों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं और वर्ष 1996-97 के दौरान कितने केन्द्र खोले जाएंगे और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति, योजना, उत्पादन और प्रबंधन विषयक विशेषज्ञ समिति के अनुसार भारत में वर्ष 2000 ईस्वी तक 6.64 लाख नर्सों की जरूरत होगी। भारतीय नर्सिंग परिषद में दिसम्बर, 1994 तक 5.12 लाख पंजीकृत नर्सें थीं।

(ख) केन्द्र सरकार देश में नर्सों की सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में 10 नर्सिंग स्कूलों का अनुमोदन किया गया है।

(ग) 17 जनरल नर्सिंग स्कूल मध्य प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे हैं। संसाधनों की समग्र उपलब्धता एवं राज्यों की प्रतिबद्धता के मद्देनजर परियोजनाओं को जारी रखने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार के विचाराधीन ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[अनुवाद]

खाद्य और औषधि अपमिश्रण अधिनियम

4664. डा. जी. आर. सरोदे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य और औषधि अपमिश्रण अधिनियम में सुधार लाने तथा इनका क्रियान्वयन करने हेतु कोई कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित विभिन्न संघों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को संशोधित करने की मांग उठाई गई थी। सुविख्यात न्यायविदों, विधायी और तकनीकी विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया गया और उसे भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग महासंघ द्वारा समन्वित किया गया। इस कार्यदल ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्य ढांचे की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में पुनरीक्षा की। मुख्य सिफारिशें खाद्य कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्तता, विश्लेषण, दुकानदारों को लाइसेंस देने, ठोस औद्योगिक परिपाटियों का विकास करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्मिक नियुक्त करने के संबंध में है। मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का सुझाव भी दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस कार्यदल की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु कार्रवाई शुरू की है।

[हिन्दी]

पुल का शिलान्यास

4665. **श्री अशोक अर्गल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आगरा जिले के पिनहाट को मुरैना जिले के अम्बा से जोड़ने के लिए चंबल नदी पर पुल के निर्माण का शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 96 तक उक्त पुल के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है, और यदि नहीं, तो उक्त कार्य को अब तक शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त पुल के निर्माण हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा इस कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) उक्त पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और क्या उक्त राशि का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दो राज्यों को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के पास निधियाँ न होने कारण परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) यह राज्य सरकार द्वारा कार्य को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में छात्रावास

4666. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने युवा छात्रावास हैं तथा इनकी क्या उपयोगिता है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली के छात्रों के लिए और छात्रावास बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) दिल्ली में एक युवा छात्रावास है जो भारतीय युवा छात्रावास संघ के नियंत्रणाधीन है। छात्रावास युवा यात्रा और युवा गतिविधि संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) युवा छात्रावास, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। राज्य सरकारों से, युवा छात्रावास के निर्माण हेतु 1.5 से 2 एकड़ पूर्ण विकसित भूमि मुफ्त में देने की अपेक्षा की जाती है। भारत सरकार युवा छात्रावास के निर्माण कार्य का ध्यान रखती है। विभाग को दिल्ली सरकार से, दिल्ली में युवा छात्रावास के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

यमन में भारतीय

4667. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमन में नियोजित भारतीयों की दयनीय स्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। यमन में बसे भारतीयों के एक समूह से सरकार को एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रत्यावेदन में वेतन का भुगतान न किए जाने अथवा अनियमित भुगतान, संविदात्मक बाध्यताओं, कार्य दशाओं का अनुपालन न करना तथा नियोक्ता द्वारा मुक्त न किये जाने से संबंधित कई मसले उठाए गए हैं।

(ग) राजदूतावास को निदेश दिये गये हैं कि नियोक्ताओं और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने सहित हर संभव साधनों से शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में लंबित पासपोर्ट

4668. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :
श्री रनजीब बिसवाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली को पासपोर्ट जारी करने के लिए फरवरी, 1996 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे और उनमें से कितने आवेदन अभी लंबित हैं तथा इन मामलों में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) पुलिस सत्यापन अधिकतम कितने समय में पूरा हो जाना चाहे और उन आवेदनों के मामलों में पासपोर्ट जारी करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी है जिनके मामले में पुलिस सत्यापन समय से नहीं किया गया है;

(ग) उन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है जिनमें उप सचिव ने आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन किया है और अनेक स्थाई निवासों पर पुलिस सत्यापन भी किया गया है जबकि अस्थाई निवासों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है; और

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में पासपोर्ट जारी करने के लिए फरवरी, 1996 से ऐसे कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गजुराल) :

(क)	(एक) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में फरवरी, 1996 के दौरान पेश किए गए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	11171
	(दो) इन आवेदनों में से कितने आवेदन अभी बकाया है :	819

पासपोर्ट जारी करने में देरी आमतौर पर संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक तथा अधूरी रिपोर्टें प्राप्त होना, आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में खामियां विशेष कर डाक से प्राप्त आवेदनों के संबंध में, जिन आवेदनकर्त्ताओं को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है उनसे उत्तर प्राप्त न होने की वजह जैसे कारणों से होती है।

(ख) पासपोर्ट आमतौर पर अनापत्ति पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर या पुलिस को सांक्ष्यांकन रिपोर्ट भेजने के लिए कहने संबंधी पत्र की तारीख से 4 सप्ताह की समाप्ति के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, तथा पहले आओ पहले पाओ आधार पर जारी किये जाते हैं। पासपोर्ट कार्यालय का यह प्रयास रहता है कि वह लगभग एक महीने की अवधि में पासपोर्ट जारी करे।

(ग) उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकन प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर अल्पावधि वैधता पासपोर्ट जारी किया जा सकता है चाहे पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त न भी हुई हो।

(घ) फरवरी, 1996 से बकाया ऐसे आवेदनों की संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

भूटान को सहायता

4669. श्री आर. बी. राई :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भूटान को वित्तीय रूप से और सामग्री देकर सहायता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार भारत सरकार द्वारा भूटान को वित्तीय और सामग्री के रूप में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा भूटान के लिए दी गई वित्तीय और सामग्रीगत सहायता के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

1992-93	53,90,81,789/- रुपये
1993-94	65,00,78,702/- रुपये
1994-95	66,26,53,498/- रुपये
1995-96	1,30,32,87,057/- रुपये
1996-97 (31.8.96 तक)	60,21,94,075/- रुपये

हैदराबाद में होम्योपैथिक केन्द्र

4670. श्री बी. धर्मभिक्षम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद स्थित होम्योपैथिक के स्नातकोत्तर केन्द्र में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को स्नातकोतर होमियोपैथी केन्द्र, हैदराबाद नामक किसी संस्थान के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि जे.एस.पी.एस. राजकीय होमियोपैथी मेडिकल कालेज हैदराबाद को होमियोपैथी में स्नातकोतर

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए विभागों का दर्जा बढ़ाने हेतु 1992-93 में 15.53 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी गई थी।

असम में नए पुल

4671. **श्री केशव महन्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों के निर्माण हेतु सरकार के पास अनुमति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर पुल सं. 350/2 के निर्माण के लिए प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और यह कार्य 4.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर वार्षिक योजना (1996-97) में शामिल कर लिया गया है।

सुरक्षा बलों का तस्करी में संलिप्त होना

4672. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में तस्करी की वस्तुओं के व्यापार में सुरक्षा बलों को संलिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध मे क्या एहतियाती उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसमें सेना संलिप्त रही हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी तस्करी में सेना कार्मिकों के संलिप्त होने के किसी मामले का पता चलता है तो उस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

हमारे अस्पताल कितने स्वस्थ हैं

4673. **श्री जयप्रकाश (हरदोई)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1996 के "द हिन्दू मेट्रो पत्रिका में "जस्ट हाऊ हेल्दी ऑफ आवर हास्पीटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अस्पतालों के कार्यकरण की संबंधित सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा सतत समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उपलब्ध संसाधनों के भीतर सुविधाएं अपग्रेड की जाती हैं। विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने हेतु उपाए किये जाते हैं। अस्पताली अपशिष्ट के वियोजन और उपयुक्त निपटान हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने रेफरल पद्धति और अस्पतालों के बीच समन्वय पर विचार और रिपोर्ट करने हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति पहले ही गठित कर ली है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन

4674. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में चालू वर्ष के दौरान नामांकन हेतु पंजीकृत आवेदकों के अतिरिक्त हुए नामांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये नामांकन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश का उल्लंघन कर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू शैक्षिक सत्र के दौरान ऐसे किसी भी दाखिले के आदेश नहीं दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डाक्टरों की कमी

4675. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने में डाक्टरों की कमी है/कोई डाक्टर नहीं है तथा इनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि डाक्टरों द्वारा इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनकी नियुक्ति होने के बावजूद अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि अधिकांश डाक्टरों द्वारा इन क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा जिला-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (च) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के 3787 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1524 पदों को अभी भरा जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:-

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
शल्य चिकित्सक	142	96	46
प्रसूति रोग विशेषज्ञ	144	26	118
फिजीशियन	6	4	2
बालरोग चिकित्सक	142	123	19

राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे सभी रिक्त पदों को भरें।

[अनुवाद]

नेत्रहीन व्यक्ति

4676. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नेत्र बैंकों द्वारा एकत्रित किये गये नेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुल कितने नेत्रहीनों को उक्त बैंक से दृष्टिलाभ हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। 1989 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर, यह अनुमान है कि देश में 12 मिलियन से अधिक लोग दृष्टिहीन हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नेत्र बैंकों द्वारा इकट्ठी की गई आंखों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	इकट्ठी की गई आंखों की संख्या
1992	12729
1993	12225
1994	10541

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों ने इन नेत्रबैंकों से आंखे प्राप्त की हैं उनकी कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	लाभ प्राप्त दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या (यानि किरोटी प्लास्टिक की गई)
1992	5027
1993	3587
1994	3059

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

4677. **श्री उधव बर्मन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासीपाड़ा से बालवाड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड इस वर्ष बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत और इसमें सुधार के लिए क्या उपाय किये गये हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या असम सरकार ने हाल ही में राज्य में राजमार्गों को सुधारने के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) माननीय सदस्य बिलासीपाड़ा से नालबाड़ी (अनजाने में बालबाड़ी के नाम से उल्लिखित) के बीच रा. रा.-31 की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में मानसून के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड को नुकसान हुआ है। तथापि क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने और उपलब्ध संसाधनों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थित में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

4678. **श्री ताराचन्द्र साहू :**
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती तथा कार्यकरण में कथित अनियमितताओं से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तथा संस्थान के कार्यकरण को भी ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ) हाल ही में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल और उसके उच्च पदाधिकारियों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी ओर सरकार ध्यान दे रही है।

[अनुवाद]

तकनीकी संस्थान

4679. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में किन-किन स्थानों पर राज्यवार तकनीकी संस्थान खोले गये हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ और तकनीकी संस्थान खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तकनीकी संस्थानों की पिछले तीन वर्षों के दौरान की उपलब्धियाँ क्या हैं और उन्हें राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को नई तकनीकी संस्थाओं को और संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों, एजेंसियों और सोसायटियों से प्राप्त प्रस्तावों की विशेषज्ञों की सहायता से और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके अ.भा.त.शि.परि. द्वारा जांच की जाती है। यद्यपि अ.भा.त.शि.परि. के अनुमोदन से पहले से स्थापित संस्थाएँ तकनीकी जनशक्ति तैयार करती रही हैं, पिछले तीन वर्षों में स्थापित संस्थाओं के छात्रों के प्रथम बैच को अभी उत्तीर्ण करना है। पिछले तीन वर्षों से आज तक देश में स्थापित तकनीकी संस्थाओं के संबंध में राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगा की प्रतिमा

4680. **कुमारी उमा भारती** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगोत्री के प्रसिद्ध गंगा मंदिर में रखी गई गंगा की प्रतिमा को इसके खराब हालत में होने के बावजूद भक्तों द्वारा पूजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके खराब स्थिति के संबंध में तथ्यों को भक्तों से छुपाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जाँच पड़ताल की गयी थी। उत्तर काशी के जिला मजिस्ट्रेट ने बतलाया है कि गंगा की प्रतिमा को किसी प्रकार से खण्डित नहीं किया गया है।

विभिन्न विभागों के बीच सिंचाई परियोजनाओं संबंधी विवाद

4681. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री पवन दीवान :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के बीच चल रहे विवादों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) केन्द्र में ऐसी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवादों के कारण सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलंब के विषय में हो। निजी और वन भूमि दोनों के अधिग्रहण में कठिनाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारणों में से एक है।

सिंचाई परियोजना के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी सिंचाई परियोजना की निवेश स्वीकृति के लिए उसका पर्यावरणीय और/अथवा वनीय दृष्टिकोण से स्वीकृत होना पूर्वापेक्षा है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि विभिन्न विभागों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किसी परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में भेजे जाने से पहले उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य स्तर पर बहु-विषयक एकक की स्थापना करें। किसी अन्तर्राज्यीय नदी के जल के बंटवारे और अन्य राज्यों की संलग्नता आदि जैसे अन्तर्राज्यीय मुद्दों वाली परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे का निवेश स्वीकृति से पहले संबंधित राज्य सरकारों की सहमति लें।

[अनुवाद]

मैसूर स्थित प्राचीन जैन मंदिर

4682. **डा. एम. पी. जायसवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर स्थित 700 वर्ष प्राचीन जैन मंदिर को ध्वंस कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मंदिर को फिर से बनाने और सुरक्षित रखने हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं। नवरंग हिस्से से लगी हुई बाहरी प्रस्तर-परत के टुकड़ों को आंशिक रूप से हटाया गया है।

(ख) जून 1996 में निर्माण कार्य पुन: शुरू करने के उद्देश्य से जिला मैसूर, ग्राम रावणदुर के स्थानीय लोगों ने ध्वस्त मंदिर की दीवाल के कुछ प्रस्तर-टुकड़े गिरा दिए थे। सम्पूर्ण मंदिर नहीं गिराया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण कार्य बंद करा दिये हैं और क्षेत्र की हरवक्त निगरानी की जाती है। कर्नाटक सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग ने स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए कार्रवाई की है।

गुजरात में नवोदय विद्यालय

4683. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और इन विद्यालयों में कितने छात्र हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से कम है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सभी विद्यालयों में विषय-वार अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत किये गये और कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई, और

(घ) इन विद्यालयों में अध्यापकों की कम संख्या में नियुक्ति किये जाने के क्या कारण हैं और रिक्त पदों की भर्ती कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) गुजरात में इस समय 12 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं तथा कुल छात्र नामांकन 3467 है।

(ख) और (ग) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार गुजरात में स्थित विद्यालयों में कुल संस्वीकृति पदों तथा तैनात शिक्षकों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) कुछ पदों के रिक्त पड़े रहने के कारणों में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना भी शामिल है। समिति रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कदम उठाए हैं। नियमित नियुक्ति न होने तक संबंधित प्रधानाचार्यों को अंशकालिक/संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

विवरण

30.6.96 की स्थिति के अनुसार गुजरात में नवोदय विद्यालयों में संस्वीकृत विषय-वार शिक्षण पदों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विषय	संस्वीकृति	तैनात	रिक्त
स्नातकोत्तर शिक्षक				
1.	हिंदी	9	6	3
2.	अंग्रेजी	9	3	6
3.	गणित	9	7	2
4.	जीव विज्ञान	9	4	5
5.	भौतिकी	4	3	1
6.	रसायन शास्त्र	9	55	4
7.	इतिहास	3	3	–
8.	भूगोल	8	4	4
9.	वाणिज्य	–	–	–
10.	अर्थशास्त्र	2	2	–
(क)	योग	62	37	25
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक				
1.	हिंदी	20	17	3
2.	अंग्रेजी	20	13	7
3.	गणित	16	8	8
4.	विज्ञान	12	5	7
5.	सामाजिक अध्ययन	12	10	2
6.	मराठी	–	–	–
7.	गुजराती	20	15	5
(ख)	योग	100	68	32
विविध				
1.	पी.आर.टी.	21	18	3
2.	एस.यू.पी.डब्ल्यू.	7	1	6
3.	कला	12	10	2
4.	संगीत	12	10	2
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	10	9	1
6.	व्यावसायिक	1	1	–
(ग)	योग	63	49	14
	कुल योग (क+ख+ग)	225	154*	71

* ये आंकड़े नियमित रूप से नियुक्त स्टाफ से संबंधित है तथा अंशकालिक/अल्पकालिक संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ इसमें शामिल नहीं है।

समुद्रतटीय क्षेत्रों का संरक्षण

4684. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री हरिन पाठक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों/मुख्य सचिवों की अपने-अपने राज्यों के समुद्रतटीय क्षेत्रों के संरक्षण हेतु कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों के साथ इन राज्यों के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में कोई बैठक आयोजित नहीं की है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

4685. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गये बिना विकल्प वाली औषधीय के स्थान पर सी.डी.एच.एस. औषधालय उनके पास उपलब्ध प्रतिस्थापित औषधियां दे देते हैं जो अधिकांशत: स्थानीय औषधी निर्माताओं द्वारा उत्पादित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निदेशक के आदेश पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या औषधालयों को केवल विशेषज्ञों द्वारा लिखे गये औषधियों को ही इन्डेन्ट करने संबंधी सख्त आदेश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय हाथी समिति, जो एक विशेषज्ञ समिति है, की सिफारिशों के अनुसार जेनेरिक नामों से एकल अवयव वाली फार्मूलरी औषधें प्रदान करते हैं। ये औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा यह प्रमाण पत्र लेकर चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो से खरीदी जाती है कि इनकी "पूर्व जांच की गई है और ये मानक गुणवत्ता की हैं। अनुपलब्धत: फार्मूलरी औषधें और गैर-फार्मूलरी औषधें विशेषज्ञों की नुसखा पर्ची के अनुसार अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के माध्यम से खरीदी जाती है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में बाईपास तथा पुल

4686. **श्री सुख राम** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के जिया गांव के नजदीक रामशिला से पार्वती नदी तक लेफ्ट बैंक रोड पर एक बाई पास का निर्माण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) व्यास नदी के ऊपर रामशिला के नजदीक तथा जिया गांव के नजदीक पार्वती नदी पर दो पुलों के निर्माण तथा इन दोनों पुलों के बीच सड़क के निर्माण हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब मंजूरी दी गई;

(घ) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है तथा हिमाचल सरकार द्वारा इन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 8% समग्र प्रगति हुई है।

(ग) परियोजना के लिए संस्वीकृति निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(एक)	सड़क निर्माण कार्य	727.11 लाख रु.
(दो)	जिया में पार्वती नदी पर पुल	682.45 लाख रु.
(तीन)	रामशिला में व्यास नदी पर पुल	522.02
	कुल	1931.58 लाख रु.

यह परियोजना 9.12.94 को संस्वीकृत की गई थी।

(घ) व्यास नदी और पार्वती नदी पुलों के निर्माण कार्य को अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। इस परियोजना पर कुल 56.34 लाख रु. व्यय होगा।

(ङ) इस परियोजना के 1999 तक पूरा हो जाने की आशा है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

इंडेन्ट प्रक्रिया

4687. **श्री भगवान शंकर रावत** :
श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्पेंसरियों के कार्यकरण विशेषकर इसके द्वारा अपनाई गई इंडेन्ट प्रक्रिया के सुचारू बनाने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण जिसमें उनकी इन्डेन्ट क्रिया विधियां शामिल हैं, को कारगर बनाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। नवीनतम अनुदेश स्थानीय कैमिस्टों से औषधें खरीदने के लिए दिशा निर्देश जैसे नुसखे इन्डेन्ट-फार्म, आपाती प्राधिकार पर्ची आदि में की गई मांगों का निर्धारण करते हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

4688. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में कार्यरत अनेक व्याख्याताओं को 1989 से देय-वरिष्ठ-ग्रेड वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अब, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के सभी 13 लेक्चररों, जो अक्तूबर, 1989-अप्रैल, 1996 के बीच वरिष्ठ वेतनमान के पात्र बन गए थे, के अनुस्थापन संबंधी आदेश 3.9.1996 को संस्थान के निदेशक द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

सीमा-सड़कों का निर्माण

4689. श्री बादल चौधरी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा पर घुसपैठ और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सीमा क्षेत्र में कितने कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता है;

(ख) पूर्वी सीमा क्षेत्र में गोबिदा बाड़ी और रायस्याबाड़ी होते हुए बंदरिया से सिलचारी तक सीमा सड़क निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस निर्माण-कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ 2550 कि.मी. सीमा सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। त्रिपुरा सीमा के निकट का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है और कार्य पूरा करने की संभावित तारीख 30.03.1998 है।

निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

4690. श्री अंचल दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस की जा रही है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। मुआवजे के एक उपाय के रूप में ऐसे चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दो भत्ता दिया जा रहा है।

कल्याण योजनाएं

4691. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य सूचकांक में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सीमा को किस हद तक बढ़ाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय नौसेना

4692. श्री तारिक अनवर :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को विकसित देशों के समकक्ष आने के लिए इसके विस्तार हेतु की गयी पहल, तथा अंतिम रूप प्रदान की गई और लागू कर दी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की रक्षा योजना में भारतीय नौसेना निम्नतम प्राथमिकता में है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारतीय नौसेना की मौजूदा आवश्यकताओं और खामियों की कोई गहन समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने हेतु क्या योजना बनायी गयी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) नौसेना मुख्यालय ने भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए एक 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है।

देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार द्वारा लगातार नजर रखी जाती है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर समुचित प्रत्युपाय किये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सेना के स्तर के अनुरूप एवम् संभावित खतरों के प्रत्युपायों के रूप में नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया है।

[हिन्दी]

बरगी बांध परियोजना

4693. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी की बरगी बांध परियोजना कब शुरू की गई थी तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के साथ क्या समझौता हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा कितने परिवारों को पुनर्वासित किया गया तथा कितने परिवारों का अभी पुनर्वास किया जाना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नर्मदा नदी पर बरगी बांध परियोजना वर्ष 1971 में शुरू की गई थी। बांध और बिजली घर तभी तैयार कर लिया गया था तथा नहर प्रणाली पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 742.84 करोड़ रुपये है तथा मार्च, 96 तक 415.12 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

(ख) जब किसी सिंचाई परियोजना में जलमग्नता को शामिल करते हुए आयोजना की जा सकती है तो उस समय विस्थापित परिवारों के साथ कोई करार नहीं किया जाता है। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना रिपोर्ट में किए गए प्रावधानों तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार पुनर्वासित किया जाता है।

(ग) परियोजना की जलमग्नता द्वारा कुल 5475 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है जिसमें से 4008 परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार को 2700 रुपये का पुनर्वास अनुदान तथा 90 फीट × 60 फीट का आवासीय भूखंड उपलब्ध कराया जाता है। पुनर्वास कालोनियों में विद्यालय, औषधालय, बाजार स्थान, सामान दुकानें, बिजली तथा जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जानी है। पुनर्वासित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं। सरकारी खर्च से उन्हें अपने घर से निर्माण सामग्री लाने की अनुमति दी गई है। बाधा तथा विस्थापन के लिए आवास की कीमत का 20% की दर से मुआवजा भी दिया जाना है। निष्कासितों को विविध रोजगार योजनाओं के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने में वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वरोजगार के लिए उन्हें मछली पकड़ने के जाल तथा नावें उपलब्ध कराई गई हैं। उनको जलाशय की तटाग्र भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार ने निष्कासितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए अप्रैल, 1988 में 10 करोड़ रुपये की एक अनुमानित लागत की एक योजना अनुमोदित की है।

[अनुवाद]

केरल में ग्रामीण विश्वविद्यालय

4694. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्रामीण विश्वविद्यालय आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें

4695. **श्रीमती कृष्णा बोस** :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी महानगरों को उनके ग्रामीण तथा औद्योगिक पृष्ठ प्रदेशों से सड़क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई तथा मद्रास में क्रियान्वित की गई सड़क परियोजनाओं पर क्रमश: कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के ढांचे के विकास के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) भारत सरकार मुख्य रूप से देश में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है जो सामान्यत: देश भर में राज्य की राजधानियों और मुख्य शहरों को जोड़ते हैं। ग्रामीण और विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, सरकार ने बजटगत सहायता के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है जिससे की राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी जा सके। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, को पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग (आबंटन)	एम एवं आर
1993-94	49493.00	20982.00
1994-95	63029.50	24690.00
1995-96	67831.00	28443.96

भारत-बंगलादेश मैत्री संधि

4696. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश मैत्री संधि की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) यह संधि कब समाप्त होगी;

(ग) क्या भारत और बंगलादेश का इस संधि का नवीकरण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) बंगलादेश तथा भारत के बीच मैत्री, सहयोग तथा शांति संधि 19 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुई थी; और यह 25 वर्षों तक अर्थात् 18 मार्च, 1997 तक वैध है। संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच भाईचारे तथा अच्छे पड़ोसी के संबंध बनाना है तथा यह गुट निरपेक्ष, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी सहयोग और एक-दूसरे के मामले में अहस्तक्षेप तथा एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करने के सिद्धान्तों पर आधारित है। संधि में यह भी व्यवस्था है कि दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे और ऐसे किसी कार्य के लिए अपने प्रदेशों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे जिससे दोनों में से किसी भी देश को क्षति पहुंचती हो अथवा उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।

(ग) से (ङ) बंगलादेश की सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक पत्र नहीं भेजा है जिसमें इस संधि पर उनके मत व्यक्त हुए हों। क्या इस संधि को नवीकृत किया जाना चाहिए इस मसले पर सरकार उचित समय पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

नशा-मुक्ति कैपसुल

4697. **श्री सत्यदेव सिंह :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराबियों के शराब पीने की आदत छुड़ाने हेतु "नशा-मुक्ति कैपसुल" नामक आयुर्वेदिक कैपसुल विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कैपसुल की बिक्री बाजार में हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस कैपसुल का मूल्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, राज्य सरकार के आयुर्वेदिक विभाग ने श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कालेज के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परामर्श से शराब के आदी व्यक्तियों पर आजमाने तथा इस्तेमाल करने के लिए नशामुक्ति कैपसुल नामक एक फरमुलेशन का विकास किया है। इन कैपसुलों का हरियाणा राज्य के सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों/अस्पतालों में परीक्षण किया जा रहा है। इन्हें खुले बाजार में नहीं बेचा जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवहन क्षेत्र का विकास

4698. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह बताया है कि यदि एक वर्ष में 7-8% की लक्षित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर प्राप्त किया

जाना है तो परिवहन क्षेत्र से समेकित विकास पर आगामी पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की भारी लागत आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आगामी-पांच वर्षों के दौरान सड़क विकास हेतु कुल कितनी केन्द्रीय धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनाएं तैयार किये जाने के बावजूद उपलब्ध परिवहन वित्त आवश्यकता से काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में धनराशि की कमी की पूर्ति हेत क्या ठोस कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कालेजों के विकास हेतु धनराशि

4699. श्री के. एस. रायुडू : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 के दौरान देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में कालेजों के विकास हेतु बजट में जिला-वार कुछ धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सभी पात्र कालेजों को निर्धारित मानदंडों में रियायत करके विकास अनुदान प्रदान करता है। विकास अनुदान पूरी योजना अवधि के लिए आवंटित किये जाते हैं ना कि वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर। तथापि, पहले प्रदान किये गये अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भवन परियोजना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट आदि की प्राप्ति पर ऐसे अनुदान वार्षिक आधार पर जारी किये जाते हैं।

रक्त नमूनों का निर्यात

4700. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रक्त नमूनों का निर्यात देश के हित के विरुद्ध है;

(ख) क्या सरकार ने देश में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्ति आशंका को देखते हुए ऐसे निर्यातों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश में अनुपलब्ध अत्याधुनिक जांच के लिए रक्त के नमूनों का निर्यात करना अनुमत्य है क्योंकि ऐसी जांचे उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हैं।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रक्त के निर्यात पर आयात व्यापार नियंत्रण नीति के उपबंधों के अधीन प्रतिबंध है। रक्त के नमूनों का महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद केवल जांच प्रयोजनों के लिए निर्यात किया जा सकता है।

श्रीलंका अथवा पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करना

4701. श्री एन. डेनिस : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने और बंदी बनाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : तटरक्षक प्राधिकारी भारतीय मछुआरा समुदाय के साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं जिसमें मछुआरों को भारतीय समुद्री सीमा की जानकारी दी जाती है, तटरक्षक भारतीय मछुआरों को सलाह देते हैं कि वे पडोसी देशों के व्यावर्त्तक आर्थिक जोन में न जाएं अपने मछुआरों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में प्रभावी संचार व्यवस्था के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनी नौकाओं में संचार उपकरण स्थापित करें।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा निशानदेही की समस्या

4702. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नदी की दिशा में परिवर्तन ने सीमा की निशानदेही के संबंध में समस्याएं उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदी की दिशा में परिवर्तन के करण बहुत बड़े कृषि क्षेत्र के डूब जाने के कारण दोनों देशों के किसानों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) नेपाल के साथ-भारत की सीमा 1751 कि.मी. है जिसके अन्तर्गत चार राज्य नामश: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आते हैं। इनमें से, लगभग 591 कि.मी. तटीय खण्ड है। यह खण्ड अभी पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाना है और यह प्रक्रिया चल रही है। गंगा की उत्तरी वितरणियों, जो नेपाल से भारत को बहती हैं, में पहले टेढ़ी-मेढ़ी बहने की प्रवृत्ति देखी गई है। सामान्यत: तटीय पहुँचों में सीमा के रूप में धीरे-धीरे सरिता बहते हुए गहरी नदी में अंतरित हो जाती है। तथापि, गति में अचानक परिवर्तन होने के मामले में, यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।

राज्य सरकार ने हाल ही में पहले नदी के मार्ग बदलने के ऐसे किसी उदाहरण की सूचना नहीं दी है।

निजी विद्युत क्षेत्र में निवेश

4703. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार को निजी क्षेत्र में विद्युत और एक्सप्रेस वेज में निवेश पर बीस प्रतिशत लाभ के आश्वासन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

4704. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या जल संसाधन मंत्री 27 फरवरी, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विस्थापित तथा पुनर्वासित गांवों तथा परिवारों की संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य द्वारा मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) पहले से विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे की कितनी धनराशि अभी दी जानी है; और

(घ) इस संबंध में भविष्य की कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना

4705. **श्री एल. रमना** :
श्री के. एस. रायुडू :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति के लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार ने पोलावरम परियोजना को दो बागों नामश:, अप्रैल, 1083 में बांध व बायीं नहर और मई, 1985 में दायीं नहर, में मूल रूप से प्रस्तुत किया था। केन्द्रीयजल आयोग द्वारा की गई एक समग्र समीक्षा ने परियोजना की आयोजना में कुछ मूल कमियां दर्शाई और विभिन्न विषयों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर, 1987 में परियोजना राज्य सरकार को वापस भेज दी गई। जुलाई, 1990 में राज्य सरकार ने पुन: परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की पर यह एक अद्यतन आकलन पाया गया और इसमें केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार से तदनुसार जुलाई, 1990 में यह अनुरोध किया गया कि केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(ख) मूल्यांकन की प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए जल वैज्ञानक अध्ययन, डिजाइन फ्लड और तलछट अध्ययन व फसल पद्धति को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार की सिंचाई व आयोजना पर टिप्पणियों, मध्य प्रदेश व उड़ीसा की सरकारों से उनके प्रदेशों में आलोचना के लिए सहमति प्राप्त करने और संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

परियोजनाओं की स्वीकृति लेने के लिए यद्यपि नियत समय होता है तो भी वास्तविक स्वीकृति इस पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना और पर्यावरण व वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास व पुनर्स्थापन स्वीकृति प्राप्त करती है।

विदेशी राजनयिकों की यात्रा

4706. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान तथा इस वर्ष के दौरान आज की तारीख तक जम्मू तथा काश्मीर यात्रा करने वाले विदेशी राजनयिकों तथा पत्रकारों के नाम क्या हैं:

(ख) क्या इनमें से कई राजनयिकों द्वारा अलगाववादी तथा आतंकवादी नेताओं के साथ बैठकें की गयी:

(ग) क्या कुछ राजनयिकों सहित कुछ विदेशी तत्व अलगाववादियों और भारत विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं:

(घ) यदि हां, तो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ज्ञात विदेशी राजनयिकों सहित ऐसे तत्वों को अनुमति देने के क्या कारण हैं: और

(ङ) विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा संबंधी मामलों से जुड़े हुये राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकों की अनुमति देने के क्या कारण है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत सरकार विदेशी राजनयिकों तथा पत्रकारों पर जम्मू कश्मीर सहित भारत के किसी भी हिस्से की यात्रा करने तथा किसी भी व्यक्ति से मिलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है इसलिए 1995 तथा 1996 के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए राजनयिकों तथा पत्रकारों के नामों की सूची संलग्न विवरण में किसी भी तरह से कश्मीर जाने वाले ऐसे लोगों की व्यापक सूची नहीं है, लेकिन इस सूच में केवल उन्हीं लोगों का उल्लेख है जिन्होंने जम्मू कश्मीर जाने के लिए इस मंत्रालय से विशेष सहायता मांगी थी।

(ग) जी हां। इस सदन को सीमा के पार से उन एजेन्सियों के क्रिया-कलापों से पूर्णत अवगत कराया जाता रहा है जो कश्मीर में अलगाववादी तथा विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते रहे हैं।

(घ) यह सही नहीं है। वास्तव में सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हर सम्भव उपाय किया है।

(ङ) पारदर्शिता की नीति के अंग के रूप में विदेशी राजनयिकों पर उनके सामान्य राजनयिक कार्य के अंग के रूप में राज्य के अधिकारियों तथा आम जनता से मुलाकात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसी मुलाकातों से भारत के विरोधियों द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं और गलत सूचनाओं को दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है।

विवरण

क्र.सं.	राजनयिकों के नाम	यात्रा की तारीख
1.	श्री किनेफुशी, उप निदेशक, दक्षिण पश्चिम एशिया प्रभाग, विदेश मंत्रालय, जापान	13-3-95
2.	श्री ओकीनोबू हिराई, प्रथम सचिव, जापानी दूतावास, नई दिल्ली।	13.3.95
3.	श्री ओटो फिस्टर, अताशे (विकास) स्विटजरलैंड का दूतावास	11-30.6.95
4.	महामहिम उद्लारिसियो फिगल्रो के पीएपी, भारत में चिल्ली के राजदूत	6-11.7.95
5.	श्री काज ओस्तेरगार्ड काउंसलर केपी एपी, शाही दानिश दूतावास	7-18.8.95
6.	श्री ब्रिजार जॉनसन काउंसलर (विकास) अपनी पत्नी सहित, शाही दानिश, दूतावास	7-18.8.95
7.	श्री मार्तेह सोमेर, प्रथम सचिव (विकास), स्विस दूतावास	14-18.8.95
8.	श्री रिचर्ज जॉन मोवेरली, केपीएपी, प्रथम सचिव, ब्रिटिश उच्चायोग	1.9.95 से 1.10.95
9.	श्री एम. एच. खुशामदी, तृतीय कौंसलर, ईरानी दूतावास	2-4.6.95
10.	श्री हामिद रजा सय्यद नासेरी, प्रथम सचिव, ईरानी दूतावास	2-4.6.95

क्र.सं.	राजनयिकों के नाम	यात्रा की तारीख
11.	श्री अब्दुल फजल जेरई, द्वितीय सचिव, ईरानी दूतावास	2-4.6.95
12.	महामहिम श्री अली रज़ा शेख अत्तार, राजदूत, ईरानी दूतावास	16-20.10.95
13.	श्री एम. एच. खुशामदी, तृतीय सचिव, ईरानी दूतावास	16-20.10.95
14.	श्री हामिद रज़ा सैय्यद नसारी, प्रथम सचिव, ईरानी दूतावास	16-20.10.95
15.	श्री अब्दुल फज़ल जेरई, द्वितीय सचिव, ईरानी दूतावास	16-20.10.95.
16.	श्री हसन शायरी, द्वितीय सचिव, ईरानी दूतावास	16-20.10.95
17.	श्री ओकी नोबू हिरी, प्रथम सचिव जापानी दूतावास	12-18.11.95
18.	अनातोली एम दुकोव, राजदूत अपनी पत्नी के साथ, रूसी दूतावास	6.9.11.95
19.	स्त्री म्गेलदूजे, कोंसलर रूसी दूतावास	6-9.11.95
20.	श्री योशीफुमी ओकामुरा, कोंसलर जापानी दूतावास	24-31.5.96
21.	श्री ओकीनोबू हिराई, प्रथम सचिव, जापानी दूतावास	21-24.5.96
22.	महामहिम श्री द्रागो स्ताम्बुक, क्रोएशिया के राजदूत	जून, 96
23.	श्री मोहम्मद हुसैन खोश अमादी, कोंसलर ईरानी दूतावास	9-12.6.96
24.	श्री अब्दुल फजल जेरई, द्वितीय सचिव, द्वितीय सचिव, ईरानी दूतावास	9-12.6.96
25.	महामान्य श्री फ्रेंक वाइजनर, अमरीकी राजदूत	29.7.96 से 3.8.96
26	श्री फिल्स्टर ओतो, अताशे, (विकास) स्विटजरलैंड के दूतावास	1-30.6.96
27.	श्री गुई इयूकर, राजदूत	8-21.6.96

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीय

4707. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने नागरिक अनिवासी भारतीय बने;

(ख) अनिवासी भारतीय बनने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या देश में अनिवासी भारतीयों को कोई रियायतें/सुविधाएं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) अप्रवासी भारतीय ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो रोजगार के लिए अथवा व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिए अथवा अन्य किसी उद्देश्य से अनिश्चित अवधि तक भारत से बाहर रहते हैं। अत: पिछले दो वर्षों में कितने भारतीय अप्रवासी बने उनकी संख्या की निश्चित जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी-निवेश/उन्हें दी जाने वाली रियायतों को सुविधाजनक बनाने और इस उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के लिए एक भारतीय अप्रवासी आयुक्त वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है इन विशेष सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ भारत में उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-प्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन आधार पर पूंजी-निवेश, भारत में अनिवासी बैंक खाते रखना, एन. आर. आई. बांडस में निवेश, कर प्रत्साहन, वापस आने वाले निवासी भारतीयों को विशेष आयात सुविधा और उनके लाभ के लिए दूसरे देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार कष्ट संपन्न करना शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय नागरिकों को चीन द्वारा वीसा नहीं दिया जाना

4708. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को चीन ने वीसा देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर चीन सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल

4709. **श्री किशन लाल दिलेर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 300 बिस्तर वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का निर्माण कार्य किस तिथि को शुरू हुआ था;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई और कितनी धनराशि अभी जारी की जानी है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ मंजूर की गई धनराशि से कितना निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और यह अस्पताल कब से कार्य करना शुरू कर देगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का निर्माण कार्य फरवरी, 1992 में आरंभ किया गया था।

(ख) केन्द्र सरकार ने उस अस्पताल के निर्माण के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि निधियों की तंगी के कारण निर्माण कार्य का 10% ही पूरा किया जा सका। अगले तीन वर्षों में निधियों के उपलब्ध होने पर मार्च, 1999 तक निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

केरल में चिकित्सा महाविद्यालय

4710. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा परिषद ने केरल के कन्नूर जिले में परियारम चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल सरकार ने परियारम चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधकों के विरुद्ध कोई शिकायत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और इस पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) चिकित्सा विज्ञान अदामी परियारम, कन्नूर को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 10 (क) के उपबंधों के अंतर्गत 17 जुलाई, 1995 को एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान की गई। चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता पर एम. बी. बी. एस. के पहले बैच के पूरा हो जाने के बाद विचार किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों के साथ किये गये समझौते

4711. **श्री ललित उरांव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान विभिन्न देशों के साथ किये गये समझौते/समझौता-ज्ञापनों की देश-वार मुख्य बातें क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पड़ौसी राष्ट्रों जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) जी हां। पाकिस्तान को छोड़कर जिसके साथ बातचीत में गतिरोध है, अन्य सभी पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ सभी मसलों पर सतत बातचीत चल रही है। इनमें से कुछ को उच्च स्तरीय यात्राओं के जरिये और गति प्रदान की गई है। हमारे प्रधान मंत्री ने 8 जून, 1996 के अपने पत्र में पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर वार्ता पुनः शुरू करने का प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है। बंगलादेश के साथ विदेश सचिव स्तर की

यात्राओं का आदान-प्रदान पिछले दो महीने के दौरान किया गया है और आगे बातचीत करने के लिए मैं 6 से 9 सितम्बर तक ढाका की यात्रा पर जा रहा हूं। श्री लंका के विदेश मंत्री 19 से 21 जून, 1996 तक दिल्ली की यात्रा पर आए।

विवरण

क्र.सं.	देश	मुख्य-मुख्य विशेषताएं
1	2	3
1.	भूटान	**ताला पनबिजली परियोजना से सम्बद्ध करार:** ताला बज बिजली परियोजना की स्थापना से सम्बद्ध यह करार 5.3.96 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। ताला परियोजना भूटान में वांगचू नदी पर नदी प्रवाह परियोजना है। इस परियोजना की लागत 1408 करोड़ (दिसम्बर, 1995 के अनुसार 1891.18 करोड़ रुपये है और इससे 1020 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सरकार इस परियोजना लागत की 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में और 40 प्रतिशत लागत एक उदार ऋण के रूप में देकर आवश्यक वित्त-व्यवस्था करेगी। इस परियोजना से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली भारत द्वारा उस दर पर खरीदी जाएगी जिसे इस परियोजना के चालू होने पर परस्पर सहमति से तय किया जाएगा। **डुंगसुम सीमेंट परियोजना :** भूटान से टुंगसुम सीमेंट संयंत्र स्थापित करने से सम्बद्ध यह करार 5.3.96 को सम्पन्न हुआ। यह सीमेंट संयंत्र शुष्क प्रक्रिया संयंत्र है जिसकी क्षमता 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यह संयंत्र भूटान की शाही सरकार और एक भारतीय कम्पनी जिसका चयन अभी होना है, के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में तथा अन्य 100 करोड़ रुपये भारतीय प्रदेश में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के लिए देगी। **आरक्षित ऋण से सम्बद्ध पत्रों का आदान-प्रदान :** 22.3.96 को पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये भूटान को 25 करोड़ रुपये की आरक्षित ऋण सुविधाएं 1.4.96 से अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी थी। इस सुविधा के तहत भारत बैंक आफ भूटान की 25 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण की इस राशि का उपयोग बैंक आफ भूटान द्वारा जारी चैकों, ड्राफ्टों अथवा भुगतान आदेशों के आधार पर केवल भारत में भुगतान के लिए किया जाता है। **भारत-भूटान सर्वेक्षण सहयोग परियोजना से सम्बद्ध करार :** सर्वेक्षण और मानचित्रण के क्षेत्र में समझ-बूझ और सहयोग को और संवर्द्धित करने के उद्देश्य से यह करार 22.3.96 को सम्पन्न हुआ। इस करार में तकनीकी सहायता के माध्यम से भूटान को सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा उसके कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।
2.	जमैका	1992 में सम्पन्न सांस्कृतिक करार को कार्यात्मक बनाने के लिए 20.3.96 को सांस्कृतिक करार से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ जिसमें द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।
3.	पेरू	शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय क्रियाकलाप तय करने के संबंध में 20.3.96 को एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए।
4.	मैक्सिको	दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग संवर्द्धित करने के संबंध में पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध एक करार 28.3.96 को सम्पन्न हुआ।
5.	मध्य अफ्रीका गणराज्य	मध्य अफ्रीकी गणराज्य के विदेश मंत्री और उस देश में प्रत्यायित भारतीय राजदूत ने 16.5.96 को मध्य अफ्रीका गणराज्य तथा भारत के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तकनीकी, और सामाजिक सहयोग को संवर्धित और सुदृढ़ करना है। यह करार पांच वर्ष की

1	2	3
		अवधि के लिए है और इसे नवीकृत किया जा सकता है।
6.	मारीशस	मारीशस तथा भारत के नागर विमानन प्राधिकारियों के विचार-विमर्श के बाद नागर विमानन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में 27.8.96 को सम्पन्न हुआ। इसमें यह व्यवस्था है कि तत्काल प्रभाव से मारीशस को मारीशस और दिल्ली के बीच एक साप्ताहिक उड़ान सेवा की अनुमति दी जाएगी। यह उड़ान सेवा मारीशस और बम्बई के बीच मौजूदा उड़ान सेवा के अलावा होगी। दिल्ली तक उड़ान सेवा का परिचालन संयुक्त उद्यम करार द्वारा प्रशासित होगा जिसमें मारीशस और बम्बई के बीच उड़ानों का परिचालन भी शामिल है।
7.	रूस	**दिल्ली और मास्को को हाट लाईन से जोड़ने से सम्बद्ध करार (30.3.96) :** इस करार में दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास और मास्को में क्रीमलीन के बीच हाट लाइन स्थापित करने की व्यवस्था है। **वर्ष 1996-97 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (30.3.96) :** 1996-97 के दौरान भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक वैज्ञानिक और शैक्षिक आदान-प्रदान की व्यवस्था के लिए विशिष्ट मदों का इस करार में उल्लेख है। वर्ष 1996-2000 की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और रूसी विज्ञान अकादमी के बीच वैज्ञानिक सहयोग और वैज्ञानिक आदान-प्रदान से सम्बद्ध कार्यक्रम (30.3.96) इसमें अनुसंधान में सहयोग करने तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और रूसी विज्ञान अकादमी के बीच अनुभव का आदान प्रदान करने की व्यवस्था है। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और संवर्धन करने के लिए भारत गणराज्य के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और रूसी परिसंघ के ईंधन तथा ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (4.3.96) : इसमें ऊर्जा के नए और नवीकरण स्रोतों के क्षेत्र में सहयोग और विस्तृत करने की व्यवस्था है।
8.	स्लोवेनिया	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और स्लोवेनिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों से सम्बद्ध प्रोटोकोल (अगस्त, 1996) : इसमें भारत के विदेश मंत्रालय और स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय के बीच नियमित परामर्श तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय हित के मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।
9.	ट्यूनिशिया	भारत और ट्यूनिशिया के बीच 1996-97 और 1998 के वर्षों के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर 4 जुलाई, 1996 को ट्यूनिशिया में ट्यूनिशिया के संस्कृति मंत्री और भारतीय राजदूत ने हस्ताक्षर किए जिसमें शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय यात्राओं, शिक्षा, संगोष्ठियों तथा अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था है।
10.	सूडान	भारत और सूडान के बीच 1996-97 और 1998 के वर्षों के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर 9 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में दिल्ली में सूडान के राजदूत और संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव ने हस्ताक्षर किए जिसमें शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय यात्राओं, शिक्षा, संगोष्ठियों और अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

4712. श्री येल्लैया नंदी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित की गयी सड़कों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक राजमार्ग से जोड़े गए मुख्य नगरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति लगातार कई वर्षों से खराब है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में से सात राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् रा.रा.-4, 5, 7, 9, 16, 18 और 43 गुजरते हैं और ये कई मुख्य नगरों जैसे हैदराबाद शहर, विजयवाड़ा, चित्तूर, करनूल, नेल्लौर, एलुरु, एनाकापल्ले, मुर्टा, अदिलाबाद और निजामाबाद को जोड़ते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव, मरम्मत और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। ये कार्य उपलब्ध निधियों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात-योग्य स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में बस सेवाएं

4713. **श्री इलियास आज़मी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में "रोडवेज बस सेवाएं" बहुत कम हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु विनियम

4714. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने उन सभी विश्वविद्यालयों में जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति की सुविधाएं हैं में आयुर्वेदिक इलाज हेतु स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने के लिए नियम निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विनियम क्रमश: विश्वविद्यालयों तथा आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में लागू कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) संशोधन विनियम, 1994 की एक प्रति विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित विनियमों को इन्हें लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों, आयुर्वेदिक कालेजों, राज्य व राज्य सरकारों के आयुर्वेद निदेशकों को भेजा गया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने जहां पर आयुर्वेद संकाय हैं इन विनियमों को आयुर्वेदिक कालेजों में, जहां पर स्नातकोत्तर अध्यापन व प्रायोगिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, कार्यान्वित किया है।

विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1994

क्र. वी. 26017/5/90- आ शि.-(ङ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के उपबन्ध (झ), (ञ) और (ट) के अधीन प्रदत्त अधिकारों की अनुपालना में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1979 में निम्न संशोधन करती है:-

(1) इन विनियमों को "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) संशोधन विनियम, 1994" कहा जाये।

(2) ये विनियम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1970 के प्रथम जुलाई 1994 से प्रभावी होंगे। परिशिष्ट-1 के लिए निम्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा। यथा-

आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम मानक एवं पाठ्यविधि

1. उद्देश्य एवं प्रयोजन :

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संचालन का उद्देश्य विशिष्टताओं और अतिविशिष्टताओं में अभिविन्यास (दिग्विन्यास) करना तथा ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करना होगा जो संयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्यक, शल्य चिकित्सक, औषध निर्माण दक्ष, अनुसंधान कर्ता तथा आयुर्वेद के पाण्डित्य के युक्त विद्वान आदि अपने अपने क्षेत्र में गहन ज्ञान युक्त हों।

2. विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है :

1. आयुर्वेद सिद्धांत और दर्शन।
2. संहिता (क) चरक संहिता (ख) सुश्रुत संहिता (ग) अष्टांग हृदय-अषंग संग्रह।
3. रचना शरीर।
4. क्रिया शरीर दोष धातु माला विज्ञान।
5. द्रव्यगुण विज्ञान।
6. रसशास्त्र।
7. भषज्य कल्पना।
8. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग।
9. कौमार भृत्य।
10. काय चिकित्सा।
11. स्वस्थवृत।
12. रोग निदान-विकृति विज्ञान।
13. मनोविज्ञान।
14. शल्यतंत्र।
15. शालाका तंत्र।
16. पंचकर्म।

3. स्नातकोत्तर उपाधि की विशिष्टताओं की नामावलि :

1. आयुर्वेद वाचस्पति एम. डी. (आयुर्वेद सिद्धांत)
2. आयुर्वेद वाचस्पति-एफ.डी. (संहिता)
3. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (रचना शरीर)
4. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (क्रिया शरीर)
5. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (द्रव्यगुण)
6. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (भेषज्य कल्पना)
7. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (रसशास्त्र)
8. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (कौमार भृत्य)
9. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. एस. (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)
10. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (स्वस्थवृत्त)
11. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (काय चिकित्सा)
12. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. ((रोग निदान)
13. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. एस. (शल्य तंत्र)
14. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. एस. (शालाका तंत्र)
15. आयुर्वेद वाचस्पति-एम. डी. (मनोविज्ञान)
16. आयर्वाद वाचस्पति-एम. डी. (पंचकर्म)

4. प्रवेश

पात्रता

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित विश्वविद्यालय/सांविधिक निकाय का आयुर्वेदीय उपाधि।

2. जिन्होंने उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हो केवल वे ही प्रवेश के पात्र होंगे।

प्रवेश विधि

1. निम्न सदस्यों वाली एक प्रवेश समिति होगी:-

(क) संकायाध्यक्ष-सभापति

(ख) प्रोन्नत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अथवा केन्द्र का प्राचार्य/ यदि संकाय में एक से अधिक प्राचार्य है तो क्रमानुसार-सदस्य

(ग) क्रमानुसार स्नातकोत्तर विभाग के दो वरिष्ठ विभागाध्यक्ष-सदस्य

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ-सदस्य

2. चयन दृढ़तापूर्वक अर्हकारी परीक्षा में कार्यक्षमता पर आधारित वरीयता के आधार पर किया जायेगा।

अथवा

चयन दृढ़तापूर्वक निम्न सूचीगत परीक्षाओं में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित एक सामान्य अंतिम योग्यता सूची के आधार पर होगा।

(क) लिखित परीक्षा (90 अंकों में से गणना की जायेगी)।

(ख) साक्षात्कार परीक्षा (10 अंकों में से गणना की जायेगी) अंतिम तालिका (100 अंकों में से गणना की जायेगी)।

3. परीक्षार्थी को विषय के विकल्प के परिवर्तन की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी। दृढ़तापूर्वक योग्यता आधार पर आबंटित विषय किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इसे प्रवेश के समय घोषित किया जायेगा।

4. प्रवेश के लिए पात्रता हेतु अंतिम तालिका में न्यूनतम 50 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत) अंक होंगे।

5. प्रायोजित/प्रतिनियुक्त अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अनिवार्य अर्हता धारण करना आवश्यक होगा और उसे प्रतियोगितायों में स्वयं को सफल बनाना और न्यूनतम अहंकारी अंक प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

6. लिखित परीक्षा में एक सामान्य लिखित प्रश्न पत्र होगा जिसमें आयुर्वेद के सभी विषयों को आवृत्त करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके विस्तृत विवरण का निश्चय इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति अथवा पाठ्यविधि में निर्धारित नियमों के द्वारा किया जायेगा।

7. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार पर साक्षात्कार के लिए आहूत अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से तीन गुना से अधिक नहीं होगी। यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति कोटा के लिए भी लागू होगा।

8. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के नाम साक्षात्कार समिति को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाए बिना सूचित किए जायेंगे।

अध्ययन की अवधि और उपस्थिति

(1) प्रवेश के पश्चात् अभ्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा जिसमें से एक वर्ष प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए और अगले दो वर्ष विशिष्टता पाठ्यक्रम के लिए होंगे।

(2) छात्र को परीक्षा में प्रवेश की पात्रता के लिए व्याख्यान, प्रत्यक्ष, क्रियात्मक और चिकित्सीय अभ्यास के पृथक रूप से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना आवश्यक होगी।

(3) छात्रों को अध्ययन कम के दौरान यथा आबंटित अस्पताल और अन्य कार्यों में उपस्थित होना आवश्यक होगा। सभी छात्रों को प्रारम्भिक और अंतिम पाठ्यक्रमों के दौरान संबंधित विभागों में क्रमशः हाऊस जाब और क्लीनिकल रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को करना आवश्यक होगा।

(4) शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचारगोष्ठियों, अध्ययन पर्यटन और अन्य ऐसे कार्यकलापों में भी उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(5) जिन अभ्यर्थी ने नियमित अभ्यर्थी रहते हुए एक विषय में पहले ही स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली है और तत्पश्चात् अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे अध्ययन अवधि में छूट नहीं दी जाएगी।

(6) तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों को नियमित अभ्यर्थी के रूप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अनुमति होगी। कार्यरत चिकित्सकों/शिक्षकों के अध्ययन अवधि में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

प्रशिक्षण की अवधि

(1) अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन सहित शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) अन्तः प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए न कि उपदेशात्मक भाषणों पर।

(3) अभ्यर्थी के लिए संबंधित क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्यों की विधि एवं तकनीक का ज्ञान आवश्यक है।

(4) अभ्यर्थी को उसकी देखरेख में सौंपे गए रोगी की चिकित्सा और प्रबंध वर्गीकृत उत्तरदायित्व दिया जाने हेतु प्रशिक्षण इस तरह के ढांचों में दिया जाना आवश्यक है तथा आकस्मिक रोगियों को भी देखें।

(5) अभ्यर्थी को उनके विषय में स्नातकीय छात्रों अथवा विशाखानुप्रवेशियों के शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिए।

(6) प्रथम वर्ष की अवधि में आयुर्वेद के समस्त विषयों के मौलिक सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्षों का पर्याप्त ज्ञान देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों के विशिष्ट संदर्भ से संबंधित समस्त व्यावहारिक एवं तुलनात्मक पक्षों को चिकित्सा के मूल विज्ञन में पर्याप्त प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।

(7) चिकित्सीय प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थी को विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने में ज्ञान का विस्तार करना होना चाहिए।

(8) शल्य, शालाक्य और प्रसूति तंत्र विषयों में क्रियात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य अन्वेषण प्रक्रिया, तकनीक और शल्य क्रिया निष्पादन का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिये ताकि अभ्यर्थी में शल्य क्रिया विधियों और संबंधित विषय में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो।

(9) पाठ्यक्रम की समस्त अवस्थाओं के दौरान छात्रों को योदनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में सम्पूर्ण एवं गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निरीक्षण एवं जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

(10) अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान अध्यापन तकनीक और शोध-विधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

शोध प्रबन्ध

(1) शोध प्रबन्ध पर कार्य करने की अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रवेश के छः माह के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक पंजीकृत करवा लेना चाहिए और प्रारम्भिक वर्ष के अंत तक सारांश अनुमोदित करवा लेना चाहिए।

(2) शोध प्रबंध के शीर्षक के लिए आवेदन-पत्र में कार्य के प्रस्तावित उद्देश्य और विभाग के नाम और निरीक्षक/पर्यवेक्षक और सह-निरीक्षक के नाम और पदनाम सहित अभ्यर्थी के परिचय को दर्शाते हुए कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के सारांश सहित शोध प्रबंध के शीर्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

(3) एक बार शोध-प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित होने पर अभ्यर्थी को शीर्षक अथवा कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(4) यदि अभ्यर्थी ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर सारांश सहित शोध-प्रबंध का शीर्षक प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा।

(5) किसी भी अभ्यर्थी को शोध प्रबंध के पंजीयन का एक वर्ष समाप्त होने और अंतिम परीक्षा के छः माह पूर्व तक शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(6) अभ्यर्थी के द्वारा चुनी हुई और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक के मार्गनिर्देशों में पूरी की गई समस्या पर शोध किये जाने की तिथि और संभावना को शोध प्रबंध में रखना चाहिए।

(7) शोध प्रबंध में संबंधित साहित्य का आलोचनात्मक सर्वे, अनुसंधान के संबंध में विमर्श, अनुसंधान विमर्श का परिणाम, विषय से संबंधित विद्यमान साहित्य, निष्कर्ष शोध प्रबंध का सारांश तथा शोध प्रबंध में उल्लिखित संदर्भों का समावेश होना चाहिए।

(8) विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित नियमों अथवा अध्यादेश के अनुसार एक जांच समिति गठित होगी जो नियमानुसार प्रस्तुत शोध प्रबंध के शीर्षक और कार्य की प्रस्तावित योजना की जांच करेगी और उसे अनुमोदित करेगी। प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय प्रायोगिक की प्रधानता युक्त निराशाजनक विषयों से रहित और आयुर्वेद सेवा के विकास में सहायक होना चाहिए।

(9) शोध प्रबंध साधारणतया 200 टंकित पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। शोध प्रबंध के अंत में 1500 शब्दों से अनाधिक का सारांश होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष हो।

(10) निर्देशक/पर्यवेक्षक अपने विषय में कैम से कम 5 वर्ष का स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव धारण करने वाला प्राध्यापक/प्रवाचक के स्तर का व्यक्ति होगा। प्राध्यापक एवं प्रवाचक प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में क्रमशः तीन और दो छात्रों का निर्देशन कर सकता है। सात वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के अनुभव वाला प्रवक्ता प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एक अभ्यर्थी का निर्देशन कर सकता है।

(11) साहित्यिक प्रस्तुतीकरण के संबंध में शोध प्रबंध संतोषजनक और संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने हेतु उपयुक्त होना चाहिए।

(12) पर्यवेक्षकों अथवा पर्यवेक्षक के प्रमाण-पत्रों अथवा प्रमाण-पत्र सहित शोध प्रबंध की चार सजिल्द प्रतियां कुलसचिव के कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(13) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार परीक्षकों जिनमें से दो बाहरी और दो आन्तरिक होंगे के द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकित किया जायेगा। शोध प्रबंध के आन्तरिक परीक्षकों में से एक मुख्य पर्यवेक्षक जिसके अधीन अभ्यर्थी ने शोध प्रबंध के लिए कार्य किया हो, होना चाहिए।

(14) शोध प्रबंध, परीक्षण के लिए नियुक्त परीक्षकों के द्वारा सर्व सम्मत अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा।

(15) यदि शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणी सहित इसे अभ्यर्थी को वापिस दे दिया जाएगा और अभ्यर्थी परीक्षकों की टिप्पणी के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय को पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। परन्तु यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

(16) अभ्यर्थी शोध प्रबंध के लिए नियुक्त परीक्षकों के द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के पश्चात् सैद्धान्तिक, मौखिक और चिकित्सीय सहित क्रियात्मक वाली आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर उपाधि की द्वितीय परीक्षा में बैठ सकेगा।

(17) शोध-प्रबंध के शीर्षक के सारांश की एक प्रति शीर्षक के शीघ्र पश्चात् ही निबंधक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को भेजी जाएगी। स्वीकृत शोध प्रबंध की एक प्रति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पुस्तकालय में रखी जायेगी।

परीक्षा और उसका निर्धारण

स्नातकोत्तर उपाधि को निम्न दो परीक्षाएं होंगी :-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा संस्था द्वारा संचालित प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में।

(2) प्रथम परीक्षा के पश्चात् दो शैक्षणिक वर्षों के अंत में अंतिम परीक्षा।

(3) अंतिम परीक्षा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो वर्ष पश्चात होगी और अभ्यर्थी अधिकतम दो अवसर प्राप्त कर सकता है। अंतिम परीक्षा 6 माह के अंतराल में दो बार होगी।

(4) परीक्षकों के किसी भी भाग में प्राप्तांक प्रदान नहीं किये जायेंगे। परीक्षा परिणाम समस्त संबद्ध परीक्षकों वाली परिणाम समिति के विपारोपरान्त उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में घोषित किया जायेगा।

(5) परीक्षा सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के मई-जून और अक्टूबर-नवम्बर माह में आयोजित की जायेगी।

(6) परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए अभ्यर्थी को पृथक रूप से समस्त विषय उत्तीर्ण करने होंगे।

(7) जिस विषय/विषयों में अभ्यर्थी सफल घोषित हो जाता है उसमें उसे उत्तरवर्ती अवसरों में एक या अधिक विषयों में परीक्षा देना आवश्यक नहीं है।

(8) यदि अभ्यर्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अंतिम परीक्षा में बैठने से पूर्व उस विषय को उत्तीर्ण करना होगा।

(9) यदि अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के सैद्धांतिक क्रियात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो नया शोध प्रबंध प्रस्तुत किए बिना अभ्यर्थी उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठ सकता है।

(10) अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध की स्वीकृति और अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही प्रदान की जायेगी।

मूल्यांकन

(1) (क) परीक्षा का लक्ष्य अभ्यर्थी की चिकित्सीय कुशाग्रता और उसकी योग्यता एवं विषय के व्यावहारिक पक्ष में उसके कार्यकारी ज्ञान की जांच और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में योग्यता होनी चाहिए।

(ख) चिकित्सीय परीक्षा का लक्ष्य अभ्यर्थी की शोध निर्धारण की सावधानीपूर्ण क्षमता एवं अपने विषय में आयुर्वेद और वैज्ञानिक साहित्य के साथ उसकी आत्मीयता की जांच होनी चाहिए।

(ग) परीक्षा का मौखिक परीक्षा भाग विस्तीर्ण होना चाहिए और उसमें विषय के किसी भी पक्ष पर विमर्श का समावेश होना चाहिए।

विषय

(क) प्रारम्भिक परीक्षा-प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में निम्न विषयों में प्रारम्भिक परीक्षा होगी।

1. चिकित्सा सांख्यिकी एवं अनुसंधान विधि।

2. चिकित्सा के मौलिक विज्ञानों के सिद्धान्तों के संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के गैर चिकित्सीय विषयों के सिद्धांत।

3. चिकित्सा के मूल विज्ञान के सिद्धान्तों से संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के चिकित्सीय विषय के सिद्धान्त।

4. अभ्यर्थी के द्वारा स्वैच्छिक रूप से गृहीत विषय के लिए संबद्ध विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:-

(क) अस्पताल में नियमित चिकित्सीय प्रशिक्षण।

(ख) विभाग में किए गए शोध कार्य का क्रियात्मक प्रशिक्षण।

(ग) विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन।

(घ) विभिन्न विचारगोष्ठियों, संगोष्ठियों और वाद-विवाद में सक्रिय भागीदारी।

(ङ) शोध प्रबंध का शीर्षक और उसके सारांश को अंतिम रूप देना।

प्रथम वर्ष के दौरान उपर्युक्त बिन्दुओं पर किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रारम्भिक परीक्षा के समय किया जाएगा।

(ख) अंतिम परीक्षा-अंतिम परीक्षा (1) शोध प्रबंध (2) लिखित-पत्र (3) चिकित्सीय मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो से युक्त होगी। प्रत्येक विषय में चार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र और एक प्रायोगिक क्रियात्मक/चिकित्सीय तथा अभ्यर्थी के द्वारा विशेष अध्ययन के लिए चुने गए विषयों में से किसी एक विषय अथवा विषयों के वर्ग में मौखिक होगा।

परीक्षा योजना

क्रियात्मक/चिकित्सीय मौखिक परीक्षाओं द्वारा अनुसरित प्रारम्भिक और अंतिम परीक्षा की योजना का विवरण निम्नवत् होगा :-

परीक्षकों का मापदण्ड

1. परीक्षक एक बार में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे। उसे दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् पुन: नियुक्त किया जा सकता है।

2. परीक्षक को उस विषय की स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राध्यापक (प्रोफेसर) और प्रवाचक (रीडर) के लिए और 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रवक्ता (लेक्चरार) के लिए अनिवार्य है।

शिक्षा का माध्यम

शिक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत होगा। संस्कृत को वरीयता दी जानी चाहिए।

स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षण केन्द्र के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

1. केन्द्र को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय प्रशिक्षण के लिए यथा विहित न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट करना चाहिए और इसके अतिरिक्त विभाग में आवृत्त किए गए कार्य के प्रभार पर आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा प्रशिक्षण के विषयों से संबंधित यथा संस्तुत आयुर्वेद और चिकित्सा के मूल विज्ञान में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

3. प्रशिक्षण के सह-योजना के लिए अनुषंगी विभाग को सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

4. संस्था के पास संबंधित विशिष्टि और विषय में पर्याप्त उपकरण एवं शोध की सुविधाएं होनी चाहिए।

5. संस्था के पास विशिष्टताओं की पर्याप्त सुविधा सहित उपकरणों से पूर्णत: सुसज्जित 150 शय्याओं वाला अस्पताल होना चाहिए। तथापि चिकित्सीय विषयों में प्रति विद्यार्थी 10 शय्याएं होनी चाहिए।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं

राज्य में अन्य चिकित्सा के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रचलित दर पर छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक-निधि प्रदान की जानी चाहिए। परिषद् इन्हीं अनिवार्य सुविधा के रूप में जानेगी जो आयुर्वेद विषय में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रदान की जाएगी।

छात्र-शिक्षक अनुपात

छात्र-शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि स्नातकोत्तर अध्यापकों की संख्या प्रतिवर्ष प्रविष्ठ स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या के आधार पर एक के प्रति एक (1 : 1) व्यवस्थित हो। जहां शिक्षकों की संख्या 3 प्रति यूनिट से कम हो तो छात्रों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए ताकि प्रतिवर्ष एक छात्र प्रति शिक्षक के अनुपात को बनो रखा जा सके। यह वहां भी लागू होगा जहां पद रिक्त पड़ी है और प्रविष्ठ छात्रों की संख्या ऊपर उल्लिखित मापदण्ड से अधिक होगी।

कार्मिक पद्धति

स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारी (विभागानुार) निम्न होंगे:-

विभाग का नाम	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
1. आयुर्वेद सिद्धांत एवं दर्शन	1	2	4
2. संहिता	1	3	3
3. रचना शरीर	1	2	4
4. क्रिया शरीर	1	2	4
5. द्रव्य गुण विज्ञान	1	2	4
6. रसशास्त्र	1	2	4
7. भैषज्य कल्पना	1	2	4
8. प्रसूतितन्त्र एवं स्त्री रोग	1	2	4
9. कौमार भृत्य	1	2	4
10. कार्य चिकित्सा	1	3	4
11. स्वस्थवृत्त	1	2	4
12. रोग निदान विकृत विज्ञान	1	2	4
13. मनोविज्ञान	1	2	4
14. शल्यतंत्र	1	2	4
15. शालाक्य	1	2	4
16. पंचकर्म	1	2	4

(अ) स्नातकोत्तर अध्यापन में आबद्ध शिक्षक आवश्यक रूप से विषय विशेष में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्य होगा।

(ब) जहां कहीं भी आवश्यक हो अन्य विषयों के विशेषज्ञों से सहायता ली जाए।

(स) चिकित्सीय विभाग में 20 शय्याओं पर एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाना चाहिए।

स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए अर्हताएं

1. व्यक्ति को विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारक होना चाहिए।

2. प्राध्यापद पद के लिए उसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव अपेक्षित होगा।

कंटीन्युअस एम्बूलेटरी पेरीटोनियल डायलिसिस

4715. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटीन्युअस एम्बूलेटरी पेरीटोनियल डायलिसिस (सी.ए.पी.डी.) को भारत में उन रोगियों पर आजमाया गया है जिनके गुर्दे खराब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.ए.पी.डी. परंपरागत मशीन डायलिसिस की तुलना में कितनी लाभप्रद और कारगर है;

(ग) क्या सी. ए. पी. डी. में प्रयुक्त होने वाले ''फ्लूएड बैग्स'' अत्यधिक महंगे हैं और उनकी उपलब्धता भी कम है; और

(घ) यदि हां, तो फ्लयूड बैग्स की उचित मूल्य पर मुक्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। विशेषज्ञों के अनुसार कंटीन्युअस एम्बूलेटरी पेरीटोनील डायलिसिस को उतना ही कारगर पाया गया है जितना कि हैमो-डायलिसिस को। इसे गुर्दा फेल्योर के अंतिम अवस्था वाले रोगियों और उन रोगियों पर, जो चिकित्सीय आधार अथवा उपयुक्त गुर्दा दानदाता के अभाव के कारण गुर्दा प्रतिरोपण आपरेशन नहीं करवा सकते हैं, इस्तेमाल किया गया है।

(ग) कंटीन्युअस अम्बुलेटरी पेरीटोनील डायलिसिस के लिए मासिक खर्च 12000/- रुपये से 30000/- रुपये के बीच है। इस क्रियाविधि में प्रयुक्त फ्लूड बैगों की पर्याप्त आपूर्ति होने की सूचना मिली है।

(घ) उपलब्ध संसाधनों के भीतर केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में निर्धन रोगियों के लिए मुफ्त उपचार पहले ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में परिवार कल्याण केन्द्र

4716. **श्री कचरु भाऊ राउत** :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अभी कितने परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कुछ और परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) इस समय महाराष्ट्र में कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या है :-

(एक)	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	52
(दो)	उपजिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	69
(तीन)	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	74
(चार)	शहरी स्वास्थ्य चौकियां	278
(पांच)	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	433

(ख) और (ग) भारत सरकार का किसी नए परिवार कल्याण केन्द्र के खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन तथा मानव स्वास्थ्य

4717. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1996 के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ''क्लाइमेट चेंज एण्ड ह्यूमन हेल्थ'' शीर्षक से जारी प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जलवायु से मानव स्वास्थ्य को तथा पारस्थितिकी को आमतौर पर होने वाले सीधे खतरे और वायु प्रदूषित करने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिससे विशेषकर हृदय श्वास विकृति पैदा होती है पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हृदय-श्वसन विकृति पैदा करने वाले वायु प्रदूषकों के दुष्प्रभाव तथा इनका मानव

स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी पर भी होने वाली दुष्प्रभाव का अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अध्ययनों से पता चला है कि विपरीत जलवायु परिवर्तन से वातावरण में मानव और पौधों की सहनशीलता की सीमा से परे वायु प्रदूषक इकट्ठे हो सकते हैं। हृदय श्वास विकृति और वायु प्रदूषक के बीच कारण और प्रभाव का संकेत देने वाले जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्वास तंत्र पर वायु प्रदूषकों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान दिल्ली में और अध्ययन किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना के लिए संसाधन जुटाना

4718. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना हेतु संसाधन जुटाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव अथवा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के ऊर्जा संघटक को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रयास के एक प्रस्ताव पर विचार किया है जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों की भागीदारी होगी। इस प्रस्ताव पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति की 23 अगस्त, 1993 को हुई छठी बैठक में चर्चा की गई थी जिसमें भागीदार राज्यों को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और उसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव के विवरण की जानकारी तब ही मिल पाएगी जब यह प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के परामर्श से ठोस रूप ले लेता है।

गुजरात सरकार ने परियोजना के सिंचाई संघटकों के वित्तपोषण के लिए भारतीय पूंजी बाजार से वित्त इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने 1993 में 300 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए नर्मदा बॉंड्स निकाले जिनका काफी स्वागत हुआ और अपेक्षा से अधिक अभिदान आया।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों को जोड़ना

4719. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक प्रमुख पत्तनों को अन्य प्रत्येक प्रमुख पत्तनों से सम्पर्क जोड़ने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है तकि मालों एवं यात्रियों के तेजी से परिवहन सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि

4720. **श्री नामदेव दिवाथे** :
श्री गिरधारी यादव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1996-97 के दौरान धनराशि के आवंटन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 1996-97 के बजट प्राक्कलन अंतर्गत शामिल करने हेतु पन्द्रह राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत शामिल करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत् राज्य सरकारों को ऋण निर्मुक्त करने के लिए वर्ष 1996-97 के जल संसाधन मंत्रालय के बजट प्राक्कलन में 900 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र.सं.	राज्य	त्वरिच सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए प्रस्तावित परियोजना की संख्या	
		वृहद	मध्यम
1.	आंध्र प्रदेश	1	2
2.	असम	5	5
3.	बिहार	8	–
4.	हरियाणा	1	–
5.	गोवा	1	–
6.	गुजरात	3	16
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1	6
8.	कर्नाटक	7	1
9.	मध्य प्रदेश	4	–
10.	महाराष्ट्र	22	21
11.	उड़ीसा	4	–
12.	पंजाब	1	–
13.	राजस्थान	3	6
14.	त्रिपुरा	–	3
15.	उत्तर प्रदेश	11	5
	जोड़	72	65

कर्नाटक में नए पासपोर्ट कार्यालय

4721. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य अनेक राज्यों के समान केरल में खोले गये तीन पासपोर्ट कार्यालयों की भांति कर्नाटक में भी और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की तुलना में बंगलौर स्थित उन कार्यालयों में काम का भार अधिक होने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो केरल तथा कर्नाटक के कार्यालयों द्वारा प्रति माह पासपोर्ट हेतु औसतन कितने आवेदनों को स्वीकृति दी जाती है;

(च) राज्यों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) निकट भविष्य में कर्नाटक में ऐसे और कार्यालय खोलने हेतु क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (छ) कर्नाटक राज्य में अभी नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, बंगलौर में एक पासपोर्ट कार्यालय तथा मंगलौर में एक पासपोर्ट संग्रह केन्द्र हैं।

केरल राज्य में नए पासपोर्ट जारी करने के लिए वर्ष में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या कर्नाटक राज्य में प्राप्त आवेदनों से 3 गुना अधिक हैं। वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का तुलनात्मक विवरण संलग्न है। इससे ज्ञात होगा कि कर्नाटक और केरल राज्य में वर्ष 1995 के दौरान प्रतिमाह औसतन क्रमश: 8140 और 25350 आवेदन प्राप्त हुए थे।

नये पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे किसी क्षेत्र से प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या,

उस स्थान पर आने-जाने की सुविधा, जनशक्ति की उपलब्धता, पदों के सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय अनुमोदनों में आने वाली रुकावटें।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने की बराबर समीक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष 1993-1995 के दौरान कर्नाटक और केरल राज्यों से नए पासपोर्ट जारी के लिए प्राप्त आवेदनों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नए पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या			
	कर्नाटक	केरल		
1993	111035	कोचीन		137771
		कोजीकोड		206917
		त्रिवेन्द्रम		124600
			योग	469288
1994	82083	कोचीन		94933
		कोजीकोड		162795
		त्रिवेन्द्रम		95691
			योग	353419
1995	97741	कोचीन		105955
		कोजीकोड		133067
		त्रिवेन्द्रम		90432
			योग	329454

विद्यालयों में प्रवेश

4722. **श्री विजय गोयल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश न देने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग में शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश न देने के बारे में कानून बनाने का कोई भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का पूरा उपयोग न किया जाना

4723. **श्री रामसागर :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री आई. डी. स्वामी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
डा. पी. जायसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "मिड डे भोजन, साक्षरता योजनाएं, फण्ड्स अन्डर यूटीलाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान उक्त योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने वाली भारतीय खाद्य निगम को मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक बजट में किए गए 611.79 करोड़ रु. के प्रावधान में से वर्ष 1995-96 में 441.38 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

जहां तक साक्षरता योजनाओं का संबंध है, बजट में किए गए 234.00 करोड़ रु. में से वर्ष 1995-96 में कुल व्यय 142.64 करोड़ रु. था।

(ग) मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत राज्यों को आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्नों का आवंटन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष 1995-96 में राज्य वार खाद्यान्नों का आवंटन तथा उठाने (लिफ्टिंग) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

साक्षरता योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार निधियां आवंटित की जाती है। वर्ष 1995-96 में योजनावार आबंटन तथा निधियों का उपयोग संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जिला, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर इस योजना की नियमित रूप से निगरानी तथा समीक्षा की जा रही है ताकि सुधारात्मक उपाय शुरू किये जा सके।

विवरण—I

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न आवंटन			खाद्यान्नों की लिफ्टिंग (भा.खा.नि. के आंकड़े)		
	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	–	63664	63664	–	52347	52347
अरुणाचल प्रदेश	–	2127	2127	–	1098	1098
असम	–	44116	44116	–	29648	29648
बिहार	28636	32578	61214	21660	6533	28193
गोवा	–	66	66	–	66	66
गुजरात	16862	14671	31533	13866	8135	22001
हरियाणा	5171	5171	10342	5369	4965	10334
हिमाचल प्रदेश	–	3549	3549	–	3151	3151
जम्मू एवं कश्मीर	–	7521	7521	–	3232	3232
कर्नाटक	36780	28808	65588	25487	24998	50485
केरल	–	5128	5128	–	5127	5127
मध्य प्रदेश	42684	38555	81239	39993	39003	78996
महाराष्ट्र	–	84479	84479	–	50903	50903
मणिपुर	–	2362	2362	–	1367	1367
मेघालय	–	4918	4918	–	4396	4396
मिजोरम	–	2031	2031	–	1917	1917
नागालैंड	–	2190	2190	–	1460	1460
उड़ीसा	–	25993	25993	–	25767	25767
पंजाब	11151	–	11151	5502	–	5502
राजस्थान	62097	–	62097	54965	–	54965
सिक्किम	–	1398	1398	–	1651	1651
तमिलनाडु	–	18929	18929	–	18737	18737
त्रिपुरा	–	8086	8086	–	8085	8085

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	23715	33465	57180	22697	25693	48390
पश्चिम बंगाल	1133	38863	39996	758	24435	25193
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	122	122	–	106	106
चंडीगढ़	49	972	1021	49	20	69
दादरा और नगर हवेली	–	400	400	–	399	399
दमन और दीव	–	169	169	–	142	142
दिल्ली	13500	–	13500	1800	–	1800
लक्ष्यद्वीप	–	124	124	–	–	0
पांडिचेरी	–	673	673	–	139	139
कुल	241778	471128	712906	192146	343520	535666

* अनन्तिम आंकड़े

विवरण—II

क्रम संख्या	योजना	बजट अनुमान (योजनागत) (करोड़ रु.)	व्यय
1.	निरक्षरता उन्मूलन हेतु विशेष परियोजनाएं	120.00	98.21
2.*	कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम	0.00	0.19
3.	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने के लिए योजना	10.00	6.32
4.	उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा	66.00	9.34
5.	प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण	14.00	10.96
6.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	6.00	0.28
7.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	12.00	11.86
8.	श्रमिक विद्यापीठ	4.35	4.15
9.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	0.15	–
10.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	0.25	0.01
11.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	0.50	0.20
12.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.75	0.42
	जोड़	234.00	142.64

* साक्षरता व्यापक कार्यक्रम के संशोधित अनुमान वर्ष 1995-96 के लिए 20 लाख रुपये रखा गया था।

पत्तन भूमि

4724. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्तन न्यासों को अपने परिसरों के अन्दर स्थित भूमि का सदुपयोग करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका-पाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण

4725. **श्री दरबारा सिंह** :
श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान तथा अमरीका की सशस्त्र सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम अमरीका में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान के सशस्त्र सेनाओं के इस प्रशिक्षण तथा अनुभव का उपयोग भारत के खिलाफ किये जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को अमरीका के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अमरीकी और पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं आवधिक संयुक्त अभ्यास करते हैं, तथापि, सरकार को फिलहाल अमरीका में चल रहे ऐसे किसी संयुक्त अभ्यास/प्रशिक्षण की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुरुषों और महिलाओं का अनुपात

4726. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1901 का 1000 पुरुषों की तुलना में 970 महिलाओं का लिंग अनुपात 1991 में घटकर 1000 पुरुषों की तुलना में 927 महिलाओं का हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में अद्यतन अनुमानित लिंग अनुपात क्या है;

(ग) क्या कम हो रहे लिंग अनुपात के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) लिंग अनुपात में संतुलन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। लिंग अनुपात जो 1901 में 972 था, घट कर 1991 में 927 रह गया है। यही ताजा उपलब्ध सूचना है।

(ग) 9 राज्यों में किए गए अध्ययनों से अन्य बातों के साथ-साथ पुत्र को तरजीह देने की तीव्र इच्छा, महिला शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक आर्थिक पहलू और विवाह के समय कम आयु, जिस से गर्भावस्था में और शिशु के जन्म के समय अधिक जोखिम रहता है जैसे मुख्य कारणों का पता चलता है।

(घ) देश में प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियम और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 के अधीन पहली जनवरी, 1996 से देश में कन्या भ्रूण का पता लगाने और उसका चुनिंदा गर्भ समापन कराने को गैर-कानूनी बना दिया गया है। सरकार द्वारा देश में महिलाओं और कन्या शिशु के विकास के लिए विभिन्न कार्य और समर्थन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। कन्या शिशु के प्रति सकारात्मक धारणा बनाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उनके प्रति सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सके। सरकार ने भी कन्या शिशु से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक जन प्रचार माध्यम अभियान शुरू किया है।

मानित विश्वविद्यालयों को धनराशि

4727. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे मानित विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने मानित विश्वविद्यालयों को अपनी अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान मिल रहा है; और

(ग) धनराशि का दुरुपयोग/कम उपयोग को रोकने के लिए इन विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि का उपयोग करने की प्रक्रिया की निगरानी किस प्रकार की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) देश में 38 सम-विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। इन सम-विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण—I में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान विवरण—II के अनुसार अलग-अलग शिक्षकों द्वारा उनकी शोध परियोजनाओं के लिए 6 सम विश्वविद्यालयों ने आयोग से अनुदान प्राप्त किए हैं।

(ग) मुख्य शोध परियोजना योजना आयोग को सहायता के अंतर्गत आयोग अनुदान प्रमाण पत्रों की स्वीकृति के आधार पर अनुदान की पहली किस्त संस्वीकृति करता है और व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर अनुदान की दूसरी किस्त मुक्त करता है। परियोजना की प्रगति और यदि उसमें कोई कठिनाईयां हो तो उनके अनुवीक्षण के लिए आयोग, परियोजना के 1 अथवा 1½ वर्षों के पश्चात् प्रत्येक विषय में मूल्यावधि मूल्यांकन कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अनुदान की अंतिम किस्त लेखापरीक्षित व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र और परियोजना पर किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर संस्वीकृति की जाती है। यदि विश्वविद्यालय के पास परियोजना हेतु संस्वीकृत अनुदान में से कुछ राशि खर्च होने से बकाया रह जाती है तो उसे आयोग को वापिस कर दिया जाता है।

विवरण–I

आंध्र प्रदेश

1. केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भावासंस्थान, हैदराबाद।
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।
3. श्री सत्यसाई उच्च अध्ययन प्रसन्नतेनिलयम संस्थान।

बिहार

4. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची।
5. भारतीय खान स्कूल, धनबाद।

दिल्ली

6. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
7. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली।
8. आयोजना व वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।
9. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय संग्रहालय सोसायटी, कला, संरक्षण व म्योजियोलोजी, नई दिल्ली।

गुजरात

11. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।

हरियाणा

12. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।

कर्नाटक

13. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल।
14. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

महाराष्ट्र

16. केन्द्रीय मछली उद्योग संस्थान, मुम्बई।
17. दक्षिण कालेज स्नातकोत्तर व अनुसंधान संस्थान, पुणे।
18. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई।
19. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई।
20. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे।
21. गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र विज्ञान संस्थान, पुणे।
22. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई।
23. भारती विद्यापीठ, पुणे।

पंजाब

24. थापर इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला।

राजस्थान

25. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली।
26. बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, पिलानी।
27. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।
28. जैन विश्व भारतीय संस्थान, लाडनू।

तमिलनाडु

29. अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर।
30. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम।
31. श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महा विद्यालय, कांचीपुरम।
32. श्री रामचंद्र आयुर्विज्ञान कालेज व अनुसंधान संस्थान, मद्रास।

उत्तर प्रदेश

33. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगरा।
34. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
35. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर।
36. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
37. केन्द्रीय तिब्बतन उच्च अध्ययन संस्थान, सारनाथ वाराणसी।

पश्चिम बंगाल

38. बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावड़ा।

विवरण-II

क्रमांक	सम विश्वविद्यालय का नाम	राशि (रु. में)
1.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।	50,000/-
2.	वही	90,000/-
3.	दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा	80,000/-
4.	थापर इंजीनियरी एवं तकनीकी संस्थान, पटियाला	1,02,500/-
5.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	50,000/-
6.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	51,600/-
7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलौर	1,12,500/-

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की जल संसाधन परियोजना

4728. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जल संसाधन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और कितनी क्षमता है; और

(ग) कितनी परियोजनाएं अभी लंबित पड़ी हैं; और उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश की किसी भी नई जल संसाधन परियोजना को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश की 11 बड़ी और 3 मध्यम सिंचाई तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए सलंबित हैं। इनमें से 9 बड़ी परियोजनाएं नामश: बाणसागर यूनिट-11, राजघाट नहर, सिंध फेज-II, बारगी बहुप्रयोजनी, कोलार, धनवर टैंक, पेंच दिक्परिवर्तन, महान और ओमकारेश्वर बहुप्रयोजनी: परियोजनाएं सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि कुछ टिप्पणियों जैसे पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय से वन/पर्यावरण स्वीकृतियां कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनस्थपिन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग से सहमति आदि प्राप्त कर ली जाएं। राज्य सरकार को सलाहकार समिति के टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। एक बड़ी परियोजना नामश: महानदी जलाशय और एक मध्यम परियोजना नामश: सुतियापट पर सलाहकार समिति ने विचार आस्थगित कर दिया चूंकि राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय को पर्यावरण/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्वीकृति की अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। शेष एक बड़ी परियोजना नामश: केलो सिंचाई तथा 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं नामश: अपर बेडा और उरीबाघ पर राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी

4729. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "रिसोर्स क्रंच क्रिप्लस रेड क्रास सोसायटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

4730. **श्री अनंत कुमार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण किया जाना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया/कार्यक्रम है। इस संबंध में जो उपाय किये गये हैं उनमें पुराने संयंत्र तथा मशीनों का प्रतिस्थापन तथा नवीकरण, प्रक्रियाओं का चुनिंदा रूप में दर्जा बढ़ाना, उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करना तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं का संवर्धन शामिल है।

(ग) आधुनिकीकरण/क्षमता-संवर्धन के लिए जो व्यय किया गया है अथवा जिसके किये जाने की संभावना है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1994-95	155 करोड़ रुपये
1995-96	132 करोड़ रुपये
1996 (नियोजित)	281 करोड़ रुपये
1997-98 (नियोजित)	266 करोड़ रुपये

बंगलादेश के साथ जल बंटवारा

4731. **डा. सी. सिल्वेरा** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री तारीक अनवर :
श्री चित्त बसु :
श्री ब्रजमोहन राम :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सचिव द्वारा अपनी ढाका यात्रा के दौरान वहां की सरकार से हुई बातचीत के मद्देनजर बंगलादेश में नई सरकार ने गंगाजल बंटवारे के संबंध में भारत से बातचीत करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस विवाद को सुलझाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार जो इस विवाद से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है, को इस बातचीत में शामिल किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संयुक्त नदी आयोग को पुनः सक्रिय करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अगस्त, 1996 में बंगलादेश के विदेश सचिव के दिल्ली दौरे के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे पर विचार विमर्श किया गया। यह सहमति हुई कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विदेश मंत्री सितम्बर, 1996 में ढाका जायेंगे।

(घ) जी हां।

(ङ) संयुक्त नदी आयोग को सक्रिय बनाना विदेश मंत्री स्तर पर विचार विमर्श के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

4732. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री केशव महन्त :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री के. एस. रायुडू :
श्री आर. देवदास :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्री येल्लैया नंदी:
श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1996 तक खोले गए नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के रख-रखाव के मामले में काफी दयनीय स्थिति में है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों के संचालन का उत्तरदायित्व स्वयंसेवी संगठनों को देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई गई;

(च) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान और नवोदय विद्यालय खोलने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिनांक 31.3.1996 तक 378 विद्यालय अनुमोदित किये गये हैं।

(ख) और (ग) स्थाई स्थानों पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों का रख-रखाव सामान्यतया संतोषजनक है।

ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये अस्थाई आवास के लिए रख-रखाव/मरम्मत की आवश्यकता है, समिति ऐसे आवास को कारगर बनाने के लिए कदम उठाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) योजना के अंतर्गत शामिल सभी जिलों में स्कूलों को अनुमोदित करने का समिति का प्रस्ताव है, बशर्ते कि 30 एकड़ निःशुल्क जमीन और उपयुक्त अस्थाई भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं सहित समिति के मानदंडों के अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हों।

विवरण

दिनांक 31.03.1996 तक राज्य-वार अनुमोदित जवाहर नवोदय विद्यालय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित जवाहर नवोदय विद्यालय
आंध्र प्रदेश	22
अरुणाचल प्रदेश	07
बिहार	40
गुजरात	12
हरियाणा	14
हिमाचल प्रदेश	10
केरल	12
महाराष्ट्र	28
पंजाब	11
राजस्थान	27
सिक्किम	02
नागालैंड	04
उत्तर प्रदेश	46
दिल्ली	02
असम	15
उड़ीसा	14
गोवा	02
जम्मू एवं कश्मीर	14
कर्नाटक	20
मणिपुर	08
मिजोरम	03

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित जवाहर नवोदय विद्यालय
अंडमान एवं निकोबार	02
दादरा एवं नगर हवेली	01
दमन एवं दीव	02
लक्षद्वीप	01
पांडिचेरी	04
मध्य प्रदेश	15
चंडीगढ़	01
मेघालय	02
त्रिपुरा	03
कुल	378

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं

4733. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त परियोजनाओं को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में 65 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं तथा 8 उत्तर साक्षरता परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमश: 2,344 लाख रु. और 1,504 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संघों को मान्यता

4734. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनाए गए सी.सी.एस. (सेवा संगठनों की मान्यता) नियम, 1993 के अंतर्गत अप्रैल-मई, 1995 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर मान्यता प्रदान किये गये संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर इन संघों को तदर्थ रूप से इन्हें मान्यता प्रदान की गई थी;

(ग) क्या मान्यता हेतु कुछ और संघों के संबंध में विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन संघों को मान्यता प्रदान कर दी गई है जिन्होंने इन शर्तों को पूरा कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) निम्नलिखित संघों को जिन्हें 20 अप्रैल, 1995 से पूर्व मान्यता दी गई थी, उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (सेवा संगठनों की मान्यता) विनियम, 1995 के नियम 4 के अनुसार मान्यता देना जारी रखा गया है

(एक) आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन

(दो) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जे)

(तीन) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (एस)

(चार) केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ एसोसिएशन

(पांच) आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय नान-टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन

(छः) आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय प्रिंसपल फोरम

इनमें से पांच ने के बी एस (आर एस ए) के अन्तर्गत मान्यता देने के लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त दो आवेदन-पत्र, एक आर के वी ए एस (उजागर) और दूसरी केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी संघ से मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (च) किसी भी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि सदस्यता की जांच की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार सहायता तथा राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना

4735. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवार सहायता तथा राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995-96 के लिए उपर्युक्त योजना हेतु क्या वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 1996 तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन का केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है, ताकि इसके तीन घटकों अर्थात (क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्कीम, (ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और (ग) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जा सकें। यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ। राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों द्वारा प्रदान किये जा रहे अथवा भविष्य में प्रदान किये जाने वाले लाभों के अलावा न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर निर्धारित करना है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत 65 वर्ष अथवा इससे अधिक का परित्यक्त आवेदक 75/- रु. प्रतिमाह पेंशन का हकदार है। राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के अन्तर्गत आजीविका कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु के मामले में शोक-संतृप्त परिवार को 5000/- रु. तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 10,000/- रु. दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के लिए वर्ष 1995-96 के वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

1995-96 के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम की प्रगति

राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबण्टन	निर्मुक्ति	व्यय	अधिकतम	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1334.93	1334.93	106.35	24563	997
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.47	1.71	0.10	63	1
3.	असम	378.85	188.21	सूचना प्राप्त नहीं	7063	सूचना प्राप्त नहीं
4.	बिहार	2151.32	1090.36	18.35	39563	666
5.	गोआ	6.80	3.37	1.10	125	17
6.	गुजरात	448.49	222.33	सूचना प्राप्त नहीं	8250	सूचना प्राप्त नहीं
7.	हरियाणा	92.39	45.72	सूचना प्राप्त नहीं	1688	यथोपरि
8.	हिमाचल प्रदेश	24.17	11.95	सूचना प्राप्त नहीं	438	यथोपरि
9.	जम्मू और कश्मीर	55.24	27.3	18.79	1000	292
10.	कर्नाटक	775.07	383.69	सूचना प्राप्त नहीं	14188	सूचना प्राप्त नहीं
11.	केरल	206.13	90.57	5.47	3688	101
12.	मध्य प्रदेश	1661.31	823.85	सूचना प्राप्त नहीं	30688	सूचना प्राप्त नहीं
13.	महाराष्ट्र	1225.51	606.69	4.76	22438	80
14.	मणिपुर	6.93	3.42	3.33	125	सूचना प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	6.66	3.27	सूचना प्राप्त नहीं	125	यथोपरि
16.	मिजोरम	3.49	1.7	1.70	63	100
17.	नागालैंड	5.55	3.53	1.74	63	सूचना प्राप्त नहीं
18.	उड़ीसा	1029.29	510.69	1.85	19063	18
19.	पंजाब	75.59	37.38	33.61	1375	579
20.	राजस्थान	539.04	266.89	सूचना प्राप्त नहीं	9875	सूचना प्राप्त नहीं
21.	सिक्किम	3.20	1.67	यथोपरि	63	यथोपरि
22.	तमिलनाडु	1130.00	1130	560.06	20813	यथोपरि
23.	त्रिपुरा	10.4	10.4	10.21	188	300
24.	उत्तर प्रदेश	3147.28	3147.28	1435.09	58000	26928
25.	पं. बंगाल	1071.36	531.09	450.60	19750	18643
26.	अण्डमान निकोबार द्वी.स.	3.35	1.69	सूचना प्राप्त नहीं	63	सूचना प्राप्त नहीं
27.	चण्डीगढ़	3.42	1.72	यथोपरि	63	यथोपरि
28.	दादरा, नगर हवेली	3.31	1.65	1.61	63	28
29.	दमन और दीव	3.31	1.48	1.60	63	24
30.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	38.08	18.85	सूचना प्राप्त नहीं	6875	सूचना प्राप्त नहीं
31.	लक्षद्वीप	3.30	1.62	यथोपरि	63	सूचना प्राप्त नहीं
32.	पांडिचेरी	3.43	1.68	यथोपरि	63	सूचना प्राप्त नहीं
	योग	15450.67	10506.68	2656.32	290511.	48744

विवरण-II

1995-96 के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम की प्रगति

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबण्टन	निर्मुक्ति	व्यय	अधिकतम	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2593.74	2593.74	2593.54	466000	466000
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.45	4.68	0.35	1700	155
3.	असम	396.55	195.83	23.20	सूचना प्राप्त नहीं	सूचना प्राप्त नहीं
4.	बिहार	4306.54	2109.72	105.29	774400	282482
5.	गोआ	12.303	6.09	0.67	2200	447

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	890.42	441.19	सूचना प्राप्त नहीं	160100	सूचना प्राप्त नहीं
7.	हरियाणा	209.75	209.75	100.09	37700	37700
8.	हिमाचल प्रदेश	64.56	64.56	17.50	11600	6519
9.	जम्मू और कश्मीर	147.86	147.86	53.67	26600	13911
10.	कर्नाटक	1755.94	870.28	सूचना प्राप्त नहीं	316200	सूचना प्राप्त नहीं
11.	केरल	796.55	354.55	120.90	144500	45037
12.	मध्य प्रदेश	2736.86	2736.86	772.71	489800	181814
13.	महाराष्ट्र	2785.13	1380.46	18.73	501700	7364
14.	मणिपुर	19.47	9.65	8.91	3500	सूचना प्राप्त नहीं
15.	मेघालय	18.4	9.06	सूचना प्राप्त नहीं	3400	सूचना प्राप्त नहीं
16.	मिजोरम	7.96	3.86	3.86	1400	1300
17.	नागालैंड	13.31	13.31	6.60	2400	सूचना प्राप्त नहीं
18.	उड़ीसा	1583.99	784.08	375.60	283400	182914
19.	पंजाब	202.23	202.23	194.94	36500	35514
20.	राजस्थान	1114.67	552.07	सूचना प्राप्त नहीं	200000	सूचना प्राप्त नहीं
21.	सिक्किम	3.85	3.85	2.12	800	800
22.	तमिलनाडु	2179.81	2179.81	1080.53	391900	सूचना प्राप्त नहीं
23.	त्रिपुरा	29.47	29.47	29.00	5300	5300
24.	उत्तर प्रदेश	5727.83	5727.83	3414.00	1027500	647619
25.	पं. बंगाल	1971.02	976.31	888.25	353900	353900
26.	अण्डमान निकोबार द्वी.स.	3.39	1.68	सूचना प्राप्त नहीं	600	सूचना प्राप्त नहीं
27.	चण्डीगढ़	7.26	3.59	सूचना प्राप्त नहीं	1300	सूचना प्राप्त नहीं
28.	दादरा, नगर हवेली	1.73	0.85	0.23	300	300
29.	दमन और दीव	1.18	0.52	0.44	200	86
30.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	105.69	52.4	सूचना प्राप्त नहीं	19000	सूचना प्राप्त नहीं
31.	लक्षद्वीप	0.64	0.30	सूचना प्राप्त नहीं	100	सूचना प्राप्त नहीं
32.	पांडिचेरी	8.35	4.16	सूचना प्राप्त नहीं	1500	सूचना प्राप्त नहीं
	योग	29706.01	21670.61	9811.1	5335600	2269162

अस्पतालों के लिए सहायता

4736. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख कम्पनियों द्वारा आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अस्पतालों को स्थापित करने में सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या इन अस्पतालों ने समाज के गरीब तबकों के लिए सहायता के लिए प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कोष

4737. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी भागीदारी से पत्तनों को आधुनिक बनाने हेतु कोई बड़ी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्यम हेतु कितनी गैर सरकारी कम्पनियां आगे आई हैं और इस संबंध में क्या-क्या शर्तें हैं;

(घ) आधुनिकीकरण का कार्य कब तक इन गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा शुरू किया जाएगा;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पत्तनों के विकास पर सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारत सरकार की उदारीकरण की नीति को मद्दे नजर रखते हुए कुछेक अभिज्ञात क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पत्तन सैक्टर को खोल दिया गया है जैसे, कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल, बल्क टर्मिनल, सामान्य कार्गो बर्थ, भंडारण और स्टोरेज सुविधाएं, टग, पायलटेज, क्रेनेज सेवाएं, शुष्क गोदीकरण और जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(ग) अनेक निजी कंपनियां निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए आगे आई हैं। परियोजनाओं के आधार पर शर्तें अलग-अलग होती हैं। जिन फर्मों की स्कीमों/परियोजनाओं को मंजूरी दी गई हैं, उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आमतौर पर, निजी कंपनियां निजी क्षेत्र द्वारा निवेशित परियोजनाओं को 2-3 वर्षों में कार्यान्वित कर देती हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान, देश में महापत्तनों के विकास/आधुनिकीकरण के लिए कुल 1740.27 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया था। इसकी तुलना में, लगभग 1010.79 करोड़ रु. का वास्तविक व्यय हुआ है।

(च) महापत्तनों के विकास के लिए 1996-97 में 576.60 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु संस्वीकृति स्कीमें/परियोजना दर्शाने वाला विवरण

पत्तन के वर्तमान बर्थों/परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिया जाना

	निजी फर्म का नाम	स्कीम/परियोजना
1.	मै. जीपी कारपोरेशन	बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो की हैंडलिंग के लिए कांडला पत्तन में बर्थ सं. 6 को पट्टे पर लेना।
2.	मैं बंगाल टाइगर लाइन्स	दीर्घावधिक बर्थ आरक्षण करार
3.	मैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन्स	इंदिरा गोदी परिसर, बम्बई में बर्थ सं. 1 के उपयोग हेतु करार (यह करार अब समाप्त हो चुका है)।
4.	मै. चोखनी शिपयार्ड (बंगाल) लि.	कलकत्ता पत्तन में जहाज मरम्मत सुविदाओं की स्थापना के लिए एन एस शुष्क गोदी 1 और 2 तथा उसकी निकटवर्ती भूमि और गीले बर्थों को पट्टे पर लेना। (फर्म द्वारा भुगतान न करने के कारण कलकत्ता पत्तन से ये सुविधाएं वापिस ले ली हैं।)
नए बर्थों का निर्माण		
5.	मै. रिलायंस	गोवा तट पर एशिया बल्क टर्मिनल का निर्माण (फर्म मुकर गई है)।
स्टोरेज/भंडारण सुविधाओं का सृजन		
6.	मैं. एस. पी. आई. सी.	टूटीकोरिन पत्तन में एल. पी. जी. की स्टोरेज और डिस्पैच हेतु भूमि पट्टे पर लेना।
7.	मै. सुरज एग्रो. प्रा. लि.	मद्रास पत्तन में गैर-खतरनाक तरल बल्क कार्गो हेतु भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए भूमि पट्टे पर लेना।
8.	मै. गणेश बैंजोप्लास्ट लि.	"बी" और "सी" तरल रसायनों के भंडारण हेतु सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर लेना।
9.	मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	"बी" और "सी" तरल रसायनों के भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर लेना।
10.	मै. टिना आयल एंड कैमिकल लि.	यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए विशाखापत्तनम पत्तन में ट्रांजिस्ट शैड पट्टे पर लेना।
ड्राई डॉक और जहाज मरम्मत सुविधाओं का निर्माण		
11.	मैं वेस्टर्न इंडिया शिपायर्ड लि.	मुरगांव पत्तन में तैरती हुई शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।
12.	मै. चोखनी इंटरनेशनल लि.	मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

[हिन्दी]

एल.एम.पी. पाठ्यक्रम

4738. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात में प्रशिक्षित चिकित्सकों की भारी कमी है;

(ख) क्या पूर्व में लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर (एल. एम. पी.) पाठ्यक्रम उपलब्ध था जिनके अन्तर्गत कम व्यय पर और कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता था;

(ग) यदि हां, तो इस जनोपयोगी पाठ्यक्रम को और क्यों बन्द कर दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार नीम हकीमों के स्थान पर एल.एम.पी. पाठ्यक्रम द्वारा अल्प अवधि में प्रशिक्षित चिकित्सकों को उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त पाठ्यक्रम को पुन: शुरु करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार डाक्टर जनसंख्या अनुपात लगभग 1:2200 बैठता है। तथापि, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी इत्यादि जैसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या 5.6 लाख बैठती है जिसके अनुसार यह अनुपात लगभग 1 : 950 बैठता है। ये आंकड़े विश्व के कई विकासशील और अन्य मध्य वर्ग के देशों के साथ अनुकूल दृष्टि से तुलना करते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 22 जनवरी, 1980 से लाइसेंसिएट चिकित्सा पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोआ में बाई-पास

4739. **श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण गोआ जिले के सेलसैट तालुका के वरणा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर बाई पास के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इस परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बाई पास के निर्माण के संबंध में किसी निविदा को मंजूरी दी है;

(ग) क्या भूमि का अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समयबद्द कार्यक्रम तय किया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) निविदा संबंधी कार्रवाई के कारण रा. रा.-17 के वरणा बाईपास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कब तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

सांप के काटने के मामले

4740. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने से हजारों लोग मरते हैं;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सांप के काटे का इलाज नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों के इलाज के लिए तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 1991, 1992 और 1993 में सांप के काटने से देश में क्रमश: 4842, 4142 और 4678 आकस्मित मौतें हुई थी।

(ख) से (घ) सांप के काटने का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध होता है और अपेक्षित औषधि की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिप्राप्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे रोगियों के पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजे जाने की रेफरल प्रणाली भी उपलब्ध है।

सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

4741. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में अन्य वर्गों के बच्चों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षण संवैधानिक उपबंधों के अनुसार दिया जाता है। शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना-राजस्थान

4742. **श्री ताराचंद भगोरा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए विशेष प्रावधान करने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धनराशि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि से बहुत कम है;

(ङ) क्या इस परियोजना के कमान क्षेत्र में नहर के निर्माण कार्य लक्षित वर्ष 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ओर से सहायता के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान सरकार के अनुसार यह परियोजना 2005 तक पूरी होने की संभावना है।

(ख) आठवीं योजना के अंत तक 460.61 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी प्रावधान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के अनुसार नहरें वर्ष 2005 तक पूरे, होने की संभावना है।

(च) इस परियोजना को किसी बाह्य वित्त पोषक अभिकरण द्वारा सहायता नहीं दी जा रही है।

[अनुवाद]

सी. टी. बी. टी. पर भारत के रुख पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया

4743. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी. टी. बी. टी. पर भारत के रुख पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या हैं;

(ख) क्या किसी अन्य देश ने भारत के रुख पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) निरस्त्रीकरण सम्मेलन में 20 अगस्त, 1996 को दिये गये एक साक्षात्कार में अमरीकी राजदूत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सी. टी. बी. टी. के प्रारूप पाठ पर भारत द्वारा औपचारिक रूप से "वीटो" कर दिए जाने पर खेद व्यक्त किया।

(ख) और (ग) गुटनिरपेक्ष देशों से अधिकांश देश भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। नाभिकीय निरस्त्रीकरण के मसले पर भारत की स्थिति से गुट निरपेक्ष देशों की सामान्य स्थिति परिलाक्षित होती है तथापि नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य यह नहीं

चाहते कि सी. टी. बी. टी. के पाठ में कोई बंधनकारी नाभिकीय निरस्त्रीकरण बाध्यता शामिल की जाए।

[हिन्दी]

सचल सेवा

4744. **श्री नन्द कुमार साय :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "एड्स" के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देने के लिए कोई सचल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रारम्भ में यह सेवा किन-किन स्थानों पर कब से शुरू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र के प्रशासन विभिन्न दृष्टिकोण अपना रही हैं और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एच. आई. वी./एड्स के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए कई कार्यकलाप शुरू कर रहे हैं।

तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान 16 जिलों में एच. आइ. वी./एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए चलती-फिरती सेवाओं की व्यवस्था की। ये जिले इस प्रकार हैं : पेरियार, कोयमबटूर, धर्मपुरी, सेलम त्रिची, वेल्लूर (उत्तर अर्कोट), विल्लुपुरम (दक्षिणी आर्कोट), कुड्डालोर (दक्षिणी अर्कोट), पसुम्पोन, पदुकोट्टै, नागापट्टनम, रामानाथपुरम, तंजौर, कामराज, मंदुरै, सम्बुवरयार। इस सोसाइटी का दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 के दौरान शेष जिलों को चरणवार ढंग से कवर करने का प्रस्ताव है।

भारतीय नौसेना में विदेशी कल पुर्जों का उपयोग

4745. **श्री सोहन बीर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग यार्ड्स द्वारा निर्मित युद्धपोतों में विदेशी कल-पुर्जों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ही कल पुर्जों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) देश में निर्मित युद्धपोतों में लगे शस्त्रों और संवेदकों में मुख्यत: विदेशी कल-पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी संवेदकों और शस्त्रों का स्वदेशीकरण न केवल कठिन है बल्कि वाणिज्यिक दृष्टि से भी व्यवहार्य नहीं है।

(ग) जिन मामलों में मशीनरी और कल-पुर्जों की अत्यधिक आवश्यकता होती है और स्वदेशीकरण के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना संभव होता है उनके लिए मशीनरी और कल-पुर्जों का देश में ही निर्माण किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

4746. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छह चिकित्सा प्रणालियों को अत्यल्प धनराशि उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली और इन छह चिकित्सा प्रणालियों की कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या एलौपैथिक प्रणाली में आज भी अनेक बीमारियों का उपचार संभव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा न देने के क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के लिए वर्ष 1995-96 में 40.94 करोड़ रुपये के संयुक्त आवंटन (योजना एवं योजनेत्तर) की तुलना में 1996-97 का बजट प्रावधान 44.19 करोड़ रुपए है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रणालियों के लिए प्रदान की गई राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

	1994-95	1995-96	1996-97
एलौपैथी चिकित्सा प्रणाली	1212.58	1417.56	1696.27
छह चिकित्सा प्रणाली	42.48	40.94	44.19

(ग) सभी रोगों का एलीपैथी सहित किसी भी चिकित्सा प्रणाली में उपचार नहीं है।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के एक पृथक विभाग का स्थापना करना, शिक्षा और प्रेक्टिस को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, इन पद्धतियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों की स्थापना करना, भेषज संहिता समितियों, औषध मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भेषज संहिता प्रयोग शाला की स्थापना करना, राष्ट्रीय संस्थानों और उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना और स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा को सुदृढ़ करने और औषधीय पादपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू करना शामिल है।

सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का भी पता लगाया है जिसमें खंड और जिला स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति से उपचार संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना, विशिष्टीकृत उपचार केन्द्रों को शुरू करना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं में सुधार करना, औषधीय पादपों के लिए वनस्पति उद्यान और जर्म प्लाज्म बैंकों की स्थापना करना कृषि-तकनीकों का विकास, देश में भेषज संहिता प्रयोगशालाओं और स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा को सुदृढ़ करना शामिल है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री को ''गोल्ड कार्ड'' नहीं दिया जाना

4747. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अटलांटा ओलंपिक खेल प्राधिकरण ने मानव संसाधन विकास मंत्री को अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देय ''गोल्ड कार्ड'' देने से मना कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ''गोल्ड कार्ड'' का नहीं दिया जाना अटलांटा ओलंपिक खेल प्राधिकरण द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) से (ग) अटलांटा ओलंपिक खेल समिति (ए.सी.ओ.जी.) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, संबद्ध राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सरकारी तौर पर अनुरोध प्राप्त होने पर, निम्नलिखित सरकारी उच्चपदाधिकारियों को ''जी'' श्रेणी में प्रत्यय-पत्र दिया जा सकता है।

सावरन

राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष

सहभागी एथलीटों के साथ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए खेल मंत्री

उपर्युक्त किसी एक के साथ सहगामी अमेरिका में राजदूत।

भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास तथा साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ से इस आशय का अनुरोध किया था कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को ''जी'' श्रेणी की हैसियत प्रदान की जानी चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया था कि युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री को ''जी'' श्रेणी की हैसियत प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। तथापि, अटलांटा ओलंपिक खेल समिति (ए.सी.ओ.जी.) इस बात पर डटी रही कि केवल एक ही मंत्री को ''जी'' श्रेणी की हैसियत प्रदान की जा सकती है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया जाना था तथा युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री इस प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य थे। अलबत्ता, यह प्रतिनिधिमंडल अटलांटा में दो समूहों में गया। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री अटलाटा में 18 जुलाई, 1996 को पहुँच गए थे। प्रतिनिधिमंडल का दूसरा समूह, जिसमें केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री शामिल थे, अटलांटा में 26 जुलाई, 1996 को पहुँचा।

चूँकि ''सहगामी अतिथि कार्ड (जी. आई.)'' तब तक जारी नहीं किया जा सकता था जब तक कि मुख्य जी कार्ड न जारी कर दिया जाये, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री जो पहले पहुंच गए थे, उन्हें जी कार्ड दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्री जो बाद में पहुंचे थे, उन्हें जी. आई. कार्ड दिया गया।

हुगली नदी पर पुल

4748. श्री चित्त बसु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हुगली नदी पर तीसरे पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) प्रस्ताव चूंकि संकल्पना की अवस्था में है, अत: अभी कोई भी विवरण दे पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खुर्जा में विद्यालय

4749. श्री अशोक प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक/मिडिल/हाई स्कूलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त संसदीय क्षेत्र के अधिकतर गांवों में ऐसे स्कूल न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक प्राथमिक/मिडिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार की मुहाने जलाशय परियोजना

4750. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले के बराछती मंडल में प्रस्तावित जलाशय परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) कब तक उक्त परियोजना के पूरा होने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना के पूरा हो जाने पर कुल कितनी भूमि की सिंचाई होने और कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कार्य आरंभ न किये जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलने के मामले

4751. श्री वनवारी लाल पुरोहित :
डा. एम. पी. जायसवाल :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "दिल्ली हॉस्पिटल वोफुली इनएडीक्वेट फॉर बर्नस विक्टिम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जलने के उपचार हेतु अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ अस्पतालों में जलने के मामलों के पीड़ित व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को जलने के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पताल जले हुए रोगियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। तथापि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा संबद्ध अस्पतालों में आए जले हुए रोगियों को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में भेजा जाता है। इन अस्पतालों में सुविधाओं के उन्नयन की समीक्षा आवधिक रूप से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सफदरजंग अस्पताल के जले हुए रोगियों के वार्ड में सुधार लाने के उद्देश्य से नवीनीकरण तथा उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी जारी की गई।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम

4752. **श्री नीतीश भारद्वाज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पश्चात इसके परिणाम घोषित होने में लिये जाने वाले समयावधि के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) निर्धारित अवधि में परिणाम घोषित नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणामों को विलंब से घोषित किये जाने के कारण आगे अध्ययन हेतु प्रवेश पाने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक वर्ष 1990-91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए जुलाई, 89 में मॉडल शैक्षिक कलैण्डर परिचालित किया था। मॉडल शैक्षिक कलैण्डर में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवर्ष कम से कम 180 शिक्षण दिवसों, प्रवेश की अंतिम तिथि, परीक्षाओं के पूरा होने की अंतिम तिथि तथा परिणामों की घोषणा के बारे में प्रावधान किये गये हैं। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं, कानून और व्यवस्था की स्थिति, आंदोलनों, इत्यादि जैसे विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से परे कुछ कारणों की वजह से कभी-कभी परीक्षाओं की समय सारणियां अव्यवस्थित हो जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों से आदर्श शैक्षिक कैलेंडर अपनाने के लिए अनुरोध कर रहा है।

[अनुवाद]

जनसंख्या विस्फोट

4753. **श्री पी. कोदंड रमैया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनसंख्या में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के फलस्वरूप जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति से अवगत है;

(ख) सरकार इस वृद्धि दर को अगले 25 वर्षों में ''शून्य'' पर लाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या ''एक बच्चे'' के मानदंड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने के लिए किसी पैकेज पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जनसंख्या की वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट हुई है।

(ख) भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1951-61 की अवधि में 41.7 प्रति हजार जनसंख्या से 1994 में 28.7 प्रति हजार तक जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी लाने में सफल हो सका है। अनुमान है कि शुद्ध प्रजनन दर इकाई 2011-2016 की अवधि में प्राप्त हो सकेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खसरा

4754. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गत दो माह में खतरे से 150 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को खसरे और पोलियों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में कितने बच्चों को टीके लगाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जनवरी से जून, 1996 की अवधि में उत्तर प्रदेश में खसरे से 160 मौतों की सूचना मिली है।

(ख) टीकाकरण कवरेज स्तर में, जिसमें खसरे का टीका लगाना भी शामिल है, वृद्धि करने के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को 1992 में आरम्भ किये गये शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जिसमें खसरा और पोलियो नियंत्रण भी शामिल है, के लिए उत्तर प्रदेश को 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में क्रमश: 23.57 करोड़ रुपए, 45.58 करोड़ रुपये और 47.23 करोड़ रुपये का कुल आवंटन (नगद एवं सामग्री रूप में) किया गया था। उत्तर प्रदेश में 1995-96 के दौरान 45.22 लाख बच्चों को खसरे का टीका लगाया गया।

नये पासपोर्ट कार्यालय

4755. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु आज तक किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ख) 31 मार्च, 1997 तक तथा 1997-98 के दौरान पश्चिम बंगाल तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में किन-किन स्थानों पर ऐसे कार्यालय खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, महाराष्ट्र में पुणे और थाणे में तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई नए पासपोर्ट कार्यालयों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए की गई व्यापक समीक्षा का परिणाम है। पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पासपोर्ट कार्यालय और संग्रह केन्द्र खोलने आवश्यक हैं, उनके प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति दस्तावेज

4756. **श्री जी. वेंकटस्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नया राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति दस्तावेज तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृति नीति पर तैयार किया गया प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की दुर्घटनायें

4757. **श्री प्रमोद महाजन** :
श्री संदीपन थोरात :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो प्रत्येक जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को प्रत्येक दुर्घटना से कितनी क्षति हुई और इन दुर्घटनाओं से कितने लोग हताहत हुए;

(घ) इन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कितनी मुआवजा राशि दी गई;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तक उठाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने विमानों को बदले जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) कलेण्डर वर्ष 1994 और 1995 में क्रमश: 31 और 25 विमान दुर्घटनाएं हुई? इन दुर्घटनाओं में भारतीय वायुसेना के विभिन्न किस्म के वायुयान नष्ट हुए थे। नष्ट हुए वायुयानों की किस्म और प्रत्येक वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का ब्यौरा प्रकट करना हमारे सुरक्षा के हित में नहीं होगा। तथापि, प्रत्येक विमान-दुर्घटना की जाँच-अदालत द्वारा जाँच की गई है। ये विमान दुर्घटनाएं मुख्यत: तकनीकी खराबी, मानव भूल और पक्षियों के टकराने से हुई हैं। इन दुर्घटनाओं से लगभग 234 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 30 और 18 थी।

(घ) नियमानुसार कर्मीदल के सदस्यों को क्षतिपूर्ति और अन्य लाभों के रूप में अदा की गई धनराशि के अलावा सिविलियनों को उनकी संपत्ति की हुई क्षति के एवज में/दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी और घायल व्यक्ति को 4.34 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं को रोके जाने के लिए हवाई सहायता तथा आक्रमण पैटर्नों की पुनरीक्षा की गई है तथा निर्माताओं से भी निकट संपर्क रखा जा रहा है। कृषि तथा शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पशुवध गृहों/पशुशव उपयोग केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा पक्षी-ग्रस्त हवाई पट्टियों के चारों ओर के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के उपाय भी किए गए हैं ताकि पक्षियों की गतिविधियों को कम किया जा सके।

(च) दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए वायुयानों के प्रतिस्थापन की तत्काल आवश्यकता नहीं है क्योंकि नष्ट हुए वायुयानों की संख्या, इन्हें शामिल किए जाने के समय के वेस्टेज रेट के पूर्वानुमान की परिधि के भीतर ही है।

उच्च शिक्षा

4758. **श्री संदीपन थोरात** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेष, पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन/उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) महाराष्ट्र सरकार से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कितने बोर्ड के पास लम्बित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने समूचे देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति की उचित आयोजना और समन्वित विकास, नियोजित कोटिपरक विकास के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा के कोटिपरक सुधार की उन्नति और तकनीकी शिक्षा पद्धति में मानदण्डों और स्तरों की व्यवस्था और उचित रखरखाव और उनसे संबंधित मामलों को ध्यान में रखकर अ.भा.त.शि. परि. अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अ.भा.त.शि.परि. की स्थापना की। तदनुसार, परिषद ने देश में सभी तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं। परिषद् कोटि और स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए न्यूनतम आधारभूत और अनुदेशात्मक सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के बाद ही नई तकनीकी संस्थाएँ, नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति देती है।

(ग) प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड को पुनः तैयार करना और उसे सुदृढ़ करना एक ऐसा मामला है जो संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) अ.भा.त.शि. परि. को वर्ष 1996-97 के लिए दिसम्बर, 1995 तक महाराष्ट्र में नई तकनीकी और प्रबंध संस्थाएं आरंभ करने के लिए 166 प्रस्ताव (इंजीनियरी और तकनीकी-108, प्रबंध-58) प्राप्त हुए। परिषद ने वर्ष 1996-97 के लिए 16 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। संस्थानों द्वारा कमियों के अनुपालन पर रिपोर्ट भेजने के बाद प्रबंध संस्थाओं के 20 मामलों की कार्यदल द्वारा दौरे की सिफारिश की गई है। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों के 12 मामले अभी भी परिषद् के विचाराधीन हैं।

''थैलासिमीया'' के लिए इंजेक्शन

4759. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ''थैलासिमीया'' बच्चों की सबसे अधिक प्राणघातक बीमारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग में लाये जाने वाले इंजेक्शन से अवगत है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस इंजक्शन की खरीद पर रियायत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) यद्यपि भारत में थैलासिमिया बच्चों की सबसे अधिक प्राणघातक बीमारी नहीं है, तथापि, बच्चे इस बीमारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं।

(ख) से (घ) थैलासिमिया के लिए सही पचार अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण है जो केवल क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल वेल्लूर में ही किया जाता है। इस विकार द्वारा उत्पन्न की गई गम्भीर रक्ताल्पता की रोकथाम करने के लिए इस समय जो उपलब्ध उपचार है, वह है, बार-बार रक्ताधान करना। शरीर से लौह की अधिक मात्रा निकालने के लिए सबकंटेनियस इन्फ्यूजन के माध्यम से एक आयरन चेलेटर डेस्फेमोक्सामाइन दिया जाता है। इस औषध के साथ-साथ इसके इन्फूयजन पम्प का आयात किया जाता है। इन दोनों मदों की भी सीमा-शुल्क से छूट दे दी गई है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु सोने की आपूर्ति

4760. **श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक कम्पनियों को औषधि निर्माण हेतु रियायती दर पर सोना उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं कि इन कम्पनियों को इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गये सोने का पूर्ण सदुपयोग किया जाता है अथवा नहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं, विनिर्माताओं को स्वर्ण की अधिप्राप्ति स्वयं ही करनी पड़ती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुख्य परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन अंकों को जोड़ जाना

4761. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के मुख्य परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन अंकों को भी जोड़ा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लेडी वाईज स्कूल, दमदम से दसवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए मूक एवं बधिर बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक मुख्य परीक्षा में जोड़े गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा सेनाओं में गोल्डन हैंडशेक योजना

4762. **श्री काशीराम राणा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गोल्डन हैंडशेक" योजना अन्य सभी सरकारी संगठनों के समान रक्षा सेवाओं में भी लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अत्यधिक अनुकम्पा के कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर रक्षा सेवाओं में पेंशन सहित समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाती है।

हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाना

4763. **डा. बल्लभभाई कठीरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ औषधियों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस हानिकर औषदियों के क्या नाम हैं;

(च) क्या सरकार ने ऐसी हानिकर औषधियों को भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) औषधियों को प्रतिबंधित करना एक सतत् प्रक्रिया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तथा औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत गठित एक सांविधिक

सलाहकार निकाय हैं, की सलाह पर सरकार निष्प्रभावी विवेकपूर्ण या हानिकारक समझी जाने वाली औषधों के विनिर्माण तथा बिक्री पर समय-समय से प्रतिबंध लगाती है। अब तक 56 प्रकार की औषधों/औषध /कारमुलेशनों को प्रतिबंधित किया गया है।

(छ) से (ज) औषधों को प्रतिबंधित करना विश्व स्वास्थ्य संघटन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यह कुछेक देशों में हानिकारक औषधों के बारे में सूचना देता है। कुछेक देशों में 44 औषधों को इस्तेमाल सेवाथस हटाने की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली है। इनमें से 25 औषधों का भारत में विपणन करने का अनुमोदन नहीं किया गया, विशेषज्ञों की सलाह पर 11 औषधों का इस्तेमाल रोक दिया गया है तथा शेष 7 औषधों को चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से लेबलों तथा पैकेज में रखी पर्चियों पर अनिवार्य चेतावनी विवरण देने की शर्त पर अविच्छिन्न विपणन करने की अनुमति दी गई है।

रक्त बैंक

4764. **श्री रनजीब बिसवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि देश में कई जाली रक्त बैंक चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों द्वारा बेचा जा रहा है रक्त सिर्फ रसायनों से तैयार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रसायनिक रूप से तैयार किये गये ऐसे रक्त की बिक्री को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस लेना आवश्यक है। अब केवल केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी के अनुमोदन से ही लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं।

राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में रक्त बैंकों का निरीक्षण करने और औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दिसम्बर, 1996 के पश्चात् लाइसेंस के बिना कार्य करने वाले सभी रक्त बैंकों को कार्य बन्द कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज खोलना

4765. **श्री एस. पी. जायसवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मैडिकल/इंजीनयरिंग कालेज आदि खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में कोई इंजीनियरी कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उक्त विद्यापीठ, वाराणसी से एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

शक्ति-तनग्यार राजमार्ग का निर्माण

4766. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना और नुब्रा घाटी तथा लाडालेह के दुरबुक क्षेत्र के लोग सीमा सड़क संगठन के माध्यम से वारी-ला होकर शक्ति-तनग्यार राजमार्ग का निर्माण कराए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस मार्ग के निर्माण से खरडोंगला और चांगला की बर्फ से इस राजमार्ग के बाधित होने को रोका जा सकता है तथा इन दोनों मार्गों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाले करोड़ों रुपयों को बचाया जा सकता है; और

(ग) क्या उपरोक्त (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तथा क्या सरकार नूलेरा और दुरबुक क्षेत्र को लेह से जोड़ने के लिए प्रस्तावित शक्ति-तनग्यार राजमार्ग का सीमा सड़क संगठन से निर्माण कराएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित सड़क खरडोंगला और चांगला से होकर नहीं गुजरेगी। यह खरडोंगला और चांगला के लिए वैकल्पिक मार्ग होगा।

(ग) इस सड़क के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। निधियों की उपलब्धता होने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा। नूबरा और दुरबुक घाटी को जोड़ने का कार्य शक्ति-वारिला-तनग्यार-अद्यम मार्ग पर हो रहे कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा।

टिकू समिति की रिपोर्ट

4767. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकू समिति की रिपोर्ट के लाभ होमियोपैथी तथा औषधियो की अन्य भारतीय पद्धतियों को प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) टिक्कू समिति की अधिकतर सिफारिशों को 5 दिसम्बर, 1991 से होम्योपैथी और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों पर भी लागू कर दिया गया है। लाभों में आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, आयुर्वेद और यूनानी के उपसलाहकारों, के.स.स्वा. योजना के आयुर्वेदिक अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और सलाहकार (आयुर्वेद एवं सिद्ध) तथा सलाहकार (होम्योपैथी) का उन्नयन करना शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधिकारियों को प्रेक्टिस बंदी भत्ते, स्नातकोत्तर भत्ते, पुस्तक भत्ते तथा वाहन भत्ते की मंजूरी के मामले में इनकी दरों, लागू करने की तारीख, पात्रता की शर्तों के संबंध में, उनको एलौपैथिक के चिकित्सकों के बराबर लाया गया है।

[हिन्दी]

अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी

4768. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में किस कक्षा तक हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया गया है;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने संबंधी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन पी ई), 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के निर्धारण का समर्थन किया गया है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रि-भाषा सूत्र अपनाना चाहिए और इसको सशक्त रूप से कार्यान्वित करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर इस सूत्र में निम्नलिखित अपेक्षित है :

(एक) हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानत: दक्षिण भाषाओं में से किसी एक भाषा का अधययन, और

(दो) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन।

इस प्रकार इस सूत्र में अहिन्दी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने का प्रावधान है। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने इस सूत्र को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब के इन अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

तथापि, त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका अनुशंसात्मक है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से समय समय पर यह आग्रह किया गया है कि वे इस सूत्र के निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को दोहरा पासपोर्ट

4769. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के लाभार्थ दोहरा पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इसका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अप्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए दोहरी पासपोर्ट व्यवस्था लागू करने का फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच. पी. पी. तथा एस. एस. पी. के लिए टर्बाइनों की आपूर्ति

4770. **श्री सनत मेहता** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत नदी आधारित जल विद्युत परियोजना हेतु मैसर्स तोसीबा से जनरेटरों तथा मैसर्स हिताची से टर्बाइनों की आपूर्ति के विषय में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) जापानी कम्पनियों द्वारा भंडारण तथा विलंब शुल्क के रूप में कितनी राशि का दावा किया गया;

(ग) क्या शीघ्र माल प्रेषण की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) हाल में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की दिनांक 15 जुलाई, 1996 को आयोजित विशेष बैठक में जिसमें अन्यों के अलावा चार सहभागी 15 जलाई, 1996 को आयोजित विशेष बैठक में जिसमें अन्यों के अलावा चार सहभागी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था उसमें मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, जापान को सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टर्बो जनरेटर सेट्स आपूर्ति करता है, से जापान में पहले से निर्मित तथा एकत्र किये गये टर्बो जनरेटर के भंडारण तथा ब्याज प्रभार के संबंध में समझौता वार्ता करने के लिए सहमति हो गई थी। इस संबंध में इससे आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।

सिंचाई परियोजना केरल के लिए विश्व बैंक सहायता

4771. **श्री ई. अहमद :**
श्री नामदेव दिवाथे :
श्री कचरु भाऊ राऊत :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में विशेषकर केरल में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को राज्यवार वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केरल सहित विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं; और

(घ) क्या विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए बैंक के विचाराधीन कोई नई परियोजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त विश्व बैक सहायता का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

(मिलियन अमेरिकी डालर में आंकड़े
(कोष्ठक में लगभग समान भारतीय रुपये करोड़ में दिए गए हैं)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	समझौते की तारीख	वचनबद्ध सहायता राशि	के दौरान सहायता			वर्तमान स्थिति
					1993-94	1994-95	1995-96	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अपर गंगा सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	29.6.84	125.358 (438.75)	10.459 (36.60)	2.464 (7.70)	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	गुजैरात	29.6.84	151.168 (529.08)	8.251 (28.87)	4.202 (14.70)	–	पूर्ण
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	पश्चिम बंगाल	27.9.85	45.447 (159.06)	3.870 (13.54)	9.990 (34.96)	–	पूर्ण
4.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II	आंध्र प्रदेश	28.5.86	140.00 (490.00)	61.024 (213.58)	23.159 (81.05)	–	पूर्ण
5.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश।	12.5.87	114.00 (399.00)	24.267 (84.93)	27.599 (96.59)	2.446 (8.56)	पूर्ण
6.	बिहार सार्वजनिक नलकूप	बिहार	31.01.87	22.286 (78.00)	–	7.077 (24.76)	–	पूर्ण
7.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-II	कर्नाटक	16.6.89	169.208 (592.22)	26.420 (92.47)	40.984 (143.44)	11.081 (38.78)	चालू
8.	महाराष्ट्र कांपोजिट सिंचाई परियोजना-III	महाराष्ट्र	5.12.85	169.083 (591.79)	17.695 (61.93)	40.553 (141.93)	47.744 (167.10)	चालू
9.	पंजाब सिंचाई और जलनिकास परियोजना	पंजाब	9.2.90	171.429 (600.00)	7.037 (24.62)	23.414 (81.94)	24.591 (86.06)	चालू
10.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	6.4.94	294.289 (1030.01)	–	14.423 (50.48)	17.840 (62.44)	चालू
11.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	29.4.95	282.9 (990.15)	–	–	12.438 (44.53)	चालू
12.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना।	उड़ीसा	19.12.95	290.9 (1018.15)	–	–	14.207 (49.72)	चालू

[हिन्दी]

सैनिकों का मारा जाना

4772. **श्री गंगा राम कोली** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान सीमा की रक्षा करते हुए कितने भारतीय सैनिक मारे गए;

(ख) क्या सरकार का उनके परिवारों के कल्याणार्थ कोई नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान (पहली अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक) सीमा की रक्षा करते हुए 34 सैनिक मौके पर मारे गए थे।

2. ऐसी घटनाओं में मारे गए सैनिकों को युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के समान माना जाता है। उनके निकटतम संबंधी उदारीकृत पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभों के हकदार हैं। अन्य लाभों में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार आदि मुहैया कराया जाना शामिल है।

नर्मदा घाटी परियोजनाएं

4773. **श्री प्रहलाद सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी परियोजनाओं तथा बांधों की संख्या कितनी है तथा इनके क्या-क्या नाम हैं;

(ख) क्या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के पूरा होने की तिथि को बार-बार बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) उक्त बांध के निर्माण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त बांध के टिकाऊपन संबंधी अनुमानित समय-सीमा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

दुर्लभ प्राचीन पुरावशेषों की तस्करी

4774. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुलिस ने जुलाई, 1996 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर से दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों की तस्करी का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हाँ। जबलपुर के नया गांव में रह रहे मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता श्री एस. पी. चटर्जी के आवास से छापों के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने पन्द्रह मूर्तियां पकड़ी थीं।

(ख) जी, हां। मध्य प्रदेश पुलिस मामले की छान-बीन कर रही है।

(ग) मामले की छानबीन चल रही है और तथ्यों की प्रतीक्षा है।

(घ) ऐसे मामलों से निपटान के लिए विद्यमान पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर पुल

4775. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर निर्मित पुल ढह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर बलिया और साहेबपुर कमाल के बीच की सड़क धंस गयी है; और

(घ) सरकार का विचार कब तक उक्त पुल और सड़क का निर्माण करने का है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बडमल के आयुध कारखाने में कार्यरत विस्थापित व्यक्ति

4776. श्री शरत पटनायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलंगीर जिले के बडमल आयुध कारखाने में कितने विस्थापित व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) क्या उक्त कारखाने में अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों के भर्ती के संबंध में असंतोष है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) विस्थापित किये गये 1020 परिवारों में से अब तक 55% विस्थापित व्यक्तियों को निर्माणी में नियुक्त किया गया है। पूर्व में स्थानीय उम्मीदवारों के बीच उन पदों पर भर्ती को लेकर कुछ नाराजगी थी जिनके लिए वे शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त नहीं थे। शेष विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने समूह "घ" और अकुशल पदों के लिए शैक्षिक अर्हता में एक बार की छूट दी है।

एजिमाला नौसेना अकादमी

4777. श्री टी. गोविन्दन :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री ए. सी. जोस :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एजिमाला नौसेना अकादमी को शुरू करने में होने वाले अत्यधिक विलंब को रोकने हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या सरकार निर्माण लागत को 1996-97 के बढ़े हुए मूल्य दर के अनुसार बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ङ) नौसेना अकादमी को शुरू किये जाने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इन परियोजनाओं को कब तक शुरू करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (घ) मार्च, 1995 में मंत्रिमंडल से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार नौसेना अकादमी परियोजना 8 वर्ष से अधिक अवधि (1995-2002) में पूरी किये जाने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार, नौसेना अकादमी परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा रही है। इन सुविधाओं में बिजली-पानी की आपूर्ति, सड़क और पुल, रुके हुए पानी को निकालना आदि शामिल है। अब तक पूरे किये गये कार्य में चारदीवारी और गारद भवनों का निर्माण, सुरक्षा एजेंसी की तैनाती, डी पी आर और वृहत् योजना बनाने के लिए वास्तुकार की फीस का भुगतान, वाहनों, आग बुझाने के यंत्रों की खरीद आदि शामिल है। इन कार्यों को पूरा करने का कुल खर्च 182.46 लाख रुपये है।

2. वर्ष 1994 के मूल्यस्तर के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 166.94 करोड़ रुपये है। चूंकि यह परियोजना अभी योजनास्तर पर है इसलिए फिलहाल इसकी लागत में वृद्धि का आकलन करना उचित नहीं होगा।

3. मार्च, 1995 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के लिए स्वीकृति दे दिये जाने के पश्चात् परियोजना मॉनीटरन संबंधी आधारभूत सुविधाएं जुटाने, से नए इंजीनियर सेवा और वास्तुकारों के लिए उत्तरदायित्वों की रुपरेखा तैयार करने तथा चरण-II संविदा के संबंध में कार्रवाई करने में लगे समय के कारण निर्माण कार्य शुरू करने में कुछ विलंब हुआ है। सन 2001 में कैडेटों के पहले बैच को प्रवेश देकर नौसेना अकादमी शुरू किये जाने की संभावना है। इस अकादमी के सन् 2003 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

रेबीज वैक्सीन

4778. **डा. असीम बाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त मात्रा में रेबीज के प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादित/उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वैक्सीनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों को रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति करने अथवा इस वैक्सीन के संश्लेषण में राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें उत्पादकों से अलर्क रोधी वैक्सीन सीधे प्राप्त कर रही हैं।

शुष्क पत्तन

4779. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी शुष्क पत्तन कार्यरत हैं; उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये स्थित हैं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई शुष्क पत्तन, निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) देश में निजी क्षेत्र में 4 शुष्क पत्तन और सार्वजनिक क्षेत्र में 16 शुष्क पत्तन चालू हालत में हैं, जो इस प्रकार हैं:-

निजी क्षेत्र	शुष्क पत्तनों की संख्या
चोखानी इंटरनेशनल लिमिटेड, मद्रास	2
वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ	2
योग	4

सार्वजनिक क्षेत्र	शुष्क पत्तनों की संख्या
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन	2
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम	2
मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	2
कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता	5
मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई	1
हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता	1
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता	1
पोर्ट ब्लेयर	2*
योग	16

*एक अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन और एक भारतीय नेवी के अधीन।

(ख) और (ग) जी हां। कलकत्ता पत्तन पर नेताजी सुभाष शुष्क डॉक जून, 1994 में एक निजी कंपनी को पट्टे पर दिए गए थे। परन्तु कलकत्ता पत्तन न्यास ने उस कंपनी द्वारा पट्टा-समझौते की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण मार्च, 1996 में इसे वापस ले लिया है।

[हिन्दी]

राजभाषा का प्रयोग

4780. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के तीनों अंगों में सैनिकों द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रतिशतता क्या है तथा तीनों अंगों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम किस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा पिछले वर्ष कितनी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार सितम्बर, 1996 को हिन्दी माह के रूप में मनाने जा रही है;

(घ) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित की जा रही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या क्या है; और

(ङ) क्या वे विभाग जो राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) और 2 (4) के अंतर्गत आते हैं, अपना शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा हिन्दी में कर रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) सेना में सभी सैनिक हिन्दी जानते हैं और वे अपने रोजमर्रा के कार्य में इसका प्रयोग करते हैं। वायु सैनिकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत अनुपात 50 से अधिक है जबकि नौसेना में बातचीत तथा लिखित पत्राचार सहित हिन्दी का प्रयोग 45-50% है। वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाता है।

(ख) हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। पिछले वर्ष 90 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

(ग) राजभाषा विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार रक्षा मंत्रालय में सितंबर, 1996 में हिन्दी पखवाड़ा मनाए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) रक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी की एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों द्वारा हिन्दी की अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

(ङ) राजभाषा अधिनियम 1963 में केवल 9 धाराएं हैं। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाना

4781. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) उड़ीसा सहित राज्यों में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत ब्लाक अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध

4782. **श्री छतर सिंह दरबार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई के कारण प्रभावित हुए स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की ऊँचाई को कम करने पर पुनर्विचार करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण समीप के ऐतिहासिक स्थल और मंदिर जलमग्न हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र).: (क) सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई की कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(क) और (ग) सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा अपने पंचाट के अंतर्गत निर्धारित की गई है और पंचाट की वैधता अवधि 2024 ई. सन तक है। (राजपत्र अधिसूचना 1979 के बाद 45 वर्ष)

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की पुर्नस्थापना और पुनर्वास के संबंध में व्यापक निदेश दिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के संबंधित सभी पक्षकार राज्य अपनी स्वयं की नीतियों जो नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट में किये गये प्रावधान से अधिक उदार हैं के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपाय कर रहे हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पुर्नस्थापना और पुनर्वास कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन की निकट मानीटरी कर रही है और संबंधित राज्यों को पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन की सलाह दे रहा है।

(ङ) और (च) जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों/मन्दिरों के यह समुचित स्थान के लिए संबंधित पक्षधर राज्यों द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

[अनुवाद]

लंबित रक्षा परियोजनाएं

4783. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रक्षा परियोजनाएं विशेषकर नौसैनिक अधिग्रहण परियोजना सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) सरकार सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि रक्षा तैयारी बनाए रखी जा सके। खतरे के बदलते हुए परिदृश्य, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति, विश्व सुरक्षा परिवेश और संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अलग-अलग अधिप्राप्तियों तथा अन्य प्रस्तावों में से किन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए यह निर्धारित किए जाने के लिए प्रतिवर्ष सम्मिलित रूप से कार्रवाई की जाती है। यह एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4784. **श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को अन्य महानगरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है, अत: राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के कार्य, जिनमें दिल्ली को अन्य महानगरों से जोड़ना भी शामिल है, आरंभ किए हैं। यह कार्य निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कोट्टकल में नौसेना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

4785. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से कालीकट जिले के कोट्टकल में, जो कुन्हाली मरक्कर का जन्म स्थान है, नौसेना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

4786. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जो सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सरकार, मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को सहायता/अनुदान प्रदान करती है। इस प्रकार के अनुदानों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप नहीं रखा जाता। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टें संसद के सदनों के समक्ष रखी जाती है तथा संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध रहती है। शिक्षा विभाग, ने वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा (साक्षरता) और भाषाओं के विकास तथा पुस्तक प्रौन्नति के मुख्य क्षेत्रों में क्रमश: 35.62 करोड़ रुपये 46.01 करोड़ रु. और 46.18 करोड़ रु. के अनुदान प्रदान किए हैं।

(ग) और (घ) योजनाओं में सामान्यत: गैर-सरकारी संगठनों की संस्वीकृति से पूर्व जांच करने की शर्त रखी गई है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा संस्वीकृति और तदन्तर उनका अनुवीक्षण करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण का प्रावधान है क्योंकि नए अनुदान देने से पहले, पहले दिए गए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। जब

भी गैर सरकारी संगठनों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वित्तीय सहायता बन्द कर दी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4787. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शाखाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई; और

(ग) इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कोई शाखा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

4788. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्यालय कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगा। संयुक्त सचिव ने पहले ही कार्यभार संभाल लिया है और जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय के लिए स्थान भी दे दिया गया है। इस क्षेत्रीय कार्यालय में जल्दी कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक निधियां भी स्थानांतरित की जा रही है।

चिकित्सकों द्वारा आंदोलन

4789. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में सफदरजंग डाक्टर्स एजिटेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अस्पताल में बुनियादी जीवन-रक्षक औषधें और उपकरण उपलब्ध हैं। उपचार कर रहे डाक्टरों/विभागाध्यक्ष की सिफारिशों के अनुसार और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बाद में मंजूरी देने पर निर्धन रोगियों को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता। किसी भी रोगी, चाहे वह कोई भी हो, को अस्पताल में दाखिल करने के लिए इन्कार नहीं किया जाता है। अस्पताल में प्लास्टर उपलब्ध है और नैदानिक मशीनें वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अधीन हैं। डा. एन. के. आनन्द के मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनका परामर्श देने के लिए भेज दिया गया है।

उड़ीसा में किला

4790. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत उड़ीसा में स्थित किलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन किलों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री आर. एस. बोम्मई) : (क) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन किले

1. जिला पुरी में भुवनेश्वर के समीप शिशुपालगढ़।
2. जिला कालाहाडी में नारला गांव के समीप उत्तरगढ़ किला।
3. बाराबटी किला, जिला कटक।
4. कटक शहर के समीप बूरनगढ़ किला।
5. जिला मयूरभंज बेरीपाड़ा के समीप हरीपुर गढ़ किला।
6. अगरहाट, बंडलस, छत्तीसा, पटना, जाज, भैरब, कपलेश्वर, कैंदारेश्वर तथा मुंडमेल का ध्वस्त किला।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

4791. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई;

(ख) इसमें कुल कितने शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्र हैं;

(ग) क्या यह विश्वविद्यालय अपेक्षित स्तर की उच्च शिक्षा में अपना योगदान कर रहा है;

(घ) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को शिक्षण स्तर के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है।

(आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	अनुरक्षण (योजनेतर)	विकास (योजनागत)	कुल
1993-94	1964.76	267.88	2232.64
1994-95	1952.95	444.80	2397.75
1995-96	2192.10	255.19	2447.29

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 376 अध्यापक और 4080 छात्र हैं।

(ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के प्रमुख उच्च अध्ययन संस्थानों में से एक है तथा सामान्य जनता इसका स्तर काफी उच्च मानती है। सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नुरुल हसन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट

4792. श्री हाराधन राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कल्याण के नुरुल हसन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट को और धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने 1994-95 में कल्याणी में विशिष्ट स्नातकोत्तर मेडिकल कालेज खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज करने का अनुमोदन किया था। योजना आयोग ने अनुमोदन सूचित करते समय राज्य सरकार को यह सूचित किया था कि 1995-96 से इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवश्यक प्रावधान राज्य के अनुमोदित योजना परिव्यय से किया जाएगा।

[हिन्दी]

चर्म रोग विभाग

4793. श्री ओ. पी. जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अगस्त 1996 के 'नवभारत टाइम्स में'' चर्म रोग विभाग में लाखों की मशीन को रोग लगा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मशीन की खरीद हेतु उचित उपाय न अपनाने के लिए संस्था के जिम्मेदार चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो चर्म रोगों के लिए इस मशीन का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सेन्टर फार एडवांस टेक्नोलाजी, इन्दौर (भारत सरकार का उपक्रम) से दो लेसर्स मशीने खरीदी है। कार्बन-डाई-आक्साइड लेसर का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, अत: ट्यूनेवल डाई लेसर मशीन को नहीं लगाया जा सका। मशीन लगाने के लिए एक नया कमरा बनाया जा रहा है। मशीन के उपयोग के लिए संस्थान वैकल्पिक स्थान ढूंढ रहा है।

[अनुवाद]

तम्बाकू से संबंधित बीमारियां

4794. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' (मई के अंत में) को मनाने हेतु कोई योजना/कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में तम्बाकू सेवन संबंधी रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) ऐसी बीमारियों से विशेषत: धूम्रपान नहीं करने वाले तथा निष्क्रिय धूम्रपान करने वालों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) इस वर्ष (मई के अंत में) विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हुए सरकार ने कोई विशिष्ट योजना अथवा कार्यक्रम शुरू नहीं किए हैं।

(ख) वर्ष वार विश्वसनीय आंकड़ों उपलब्ध नहीं है (तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि तम्बाकू जनित बीमारियों के कारण देश में लगभग आठ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते हैं।

(ग) सरकार ने सिगरेट के पैकेटों पर धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी संवैधानिक चेतावनी प्रकाशित करवाने के अतिरिक्त तम्बाकू के कुप्रभावों के बारे में शिक्षा देने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने जैसे अनेक उपाय किये हैं।

इलाज सुविधाएं

4795. **श्री पसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मशाला कैन्सर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और निदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम आय वर्ग के लोगों को आधे दाम पर रेडियो थिरेपी और सामान्य निदान सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) क्या इस सुविधा को 5000 रुपये अथवा इससे कम मासिक आय वाले परिवारों को प्रदान किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है, क्योंकि यह सुविधा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के जरिए की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अस्पताल को मान्यता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

पाला श्रृंदय समिति को अनुदान

4796. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साक्षरता और सांस्कृतिक संवर्द्धन कार्य में लगी पाला हृदय समिति नामक संस्था को कुछ समय पूर्व केरल के कोट्टायम जिले के पासा नामक स्थान पर सम्पन्न जयन्ती समारोह के लिए सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान जारी करने की प्रक्रिया किस चरण पर है;

(ग) क्या सरकार ने बाद में इसके विपरीत निर्णय लेते हुए ऐसी संस्था के वित्त पोषणार्थ अनुदान प्रदान करने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे संगठनों के वित्त पोषणार्थ अनुदान के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपरोक्त संगठन निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर सका; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त संगठन को धनराशि प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा 50,000/- रु. की धनराशि संस्वीकृत की गयी थी। 37,500 रु. की प्रथम किस्त जारी करने के लिए 23-3-1995 को संस्वीकृति आदेश जारी किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। संगठन द्वारा एक के अग्रिम रसीद व बंधपत्र के साथ-साथ संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(च) जी, हां। वे उपरोल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेज

4797. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेज स्थापित किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी क्षेत्र में राज्यवार अब तक कितने इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकाम मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इंजीनियरी और चिकित्सा कालेजों की स्थापना क्रमश: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 और भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा अभिशासित होती हैं।

(ख) और (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद ने निर्धारित किया है कि केवल पंजीकृत सोसायटियां और सार्वजनिक न्यास निजी क्षेत्र में चिकित्सा कालेज स्थापित करने के पात्र हैं। इसी प्रकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 31.10.94 को निर्धारित विनियमनों में तकनीकी शिक्षा में संस्थानों की स्थापना के लिए प्रक्रियाएं और नए पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की दाखिला क्षमता में परिवर्तन करने का निर्धारण किया गया है।

(घ) निजी क्षेत्र में अब तक स्थापित इंजीनियरी और चिकित्सा कालेजों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निजी इंजीनियरी कालेजो की संख्या	निजी चिकित्सा कालेजों की संख्या
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	25	1
2. असम	–	–
3. बिहार	3	4
4. गोवा	–	–
5. गुजरात	2	1
6. हरियाणा	5	1
7. हिमाचल प्रदेश	–	–
8. जम्मू व कश्मीर	–	1
9. कर्नाटक	39	15
10. केरल	2	–
11. मध्य प्रदेश	6	–
12. महाराष्ट्र	81	15
13. मणिपुर	–	–
14. उड़ीसा	1	–
15. पंजाब	1	2
16. राजस्थान	1	–
17. तमिलनाडु	62	5
18. उत्तर प्रदेश	2	–
19. पश्चिम बंगाल	–	–

1	2	3	4
20.	दिल्ली	1	–
21.	पांडिचेरी	–	–
22.	चंडीगढ़	–	–
23.	त्रिपुरा	–	1
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–
25.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
26.	दादर व नगर हवेली	–	–
27.	दमन व दीव	–	–
28.	लक्षद्वीप	–	–
29.	मेघालय	–	–
30.	मिजोरम	–	–
31.	नागालैंड	–	–
32.	सिक्किम	1	–
	कुल योग	231	46

[अनुवाद]

महिला और बालदिवस पर टेलीफिल्म

4798. **डा. अरविन्द शर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-6-95 से 31-5-96 तक "महिलाओं और बाल विकास" पर टेलीफिल्म/वीडियो फिल्म के उत्पादन के लिए निजी टेलीफिल्म निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (ग) वीडियो फिल्मों के निर्माण के लिए 1-6-95 से 31-5-96 तक की अवधि के दौरान प्राइवेट निर्माताओं से महिला एवं बाल विकास से संबद्ध विभिन्न विषयों पर 101 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक केवल चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। मार्च, 1996 में विभाग ने निर्णय लिया कि टेलीफिल्मों/वीडियो फिल्मों के बजाय दूरदर्शन के माध्यम से 40 वीडियो स्पाटों का निर्माण कराया जाये।

सांस्कृतिक संवर्द्धन हेतु यात्राएं

4799. **श्री एन. एस. वी. चित्यन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में सांस्कृतिक संवर्द्धन हेतु विदेश यात्रा के लिए कोई कार्यालय खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेश जाने का अवसर प्राप्त करने हेतु कुल कितने व्यक्ति एवं संगठन उक्त कार्यालय में नामांकित हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीविल जी. टी. के कर्मचारियों को मुफ्त राशन

4800. **श्री आर. बी. राई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिक सेवा कोर के अंतर्गत अनेक इकाइयों के सीविल जी. टी. कर्मचारियों को प्रावधान के बावजूद भी मुफ्त राशन नहीं मिलने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सेना सेवा कोर के अंतर्गत सिविल जी. टी. के सिविलियन कार्मिक उस अवधि में मुफ्त राशन सुविधा के हकदार होते हैं जब कि वे अपने स्थाई शांति वाले स्थानों से अंतरित होकर रियायत प्रदान किये जाने वाले फील्ड क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं। जहां कहीं भी सिविल जी. टी. कर्मचारी मुफ्त राशन पाने के लिए प्राधिकृत हैं वहां उन्हें उनकी हकदारी के अनुसार राशन जारी किया जा रहा है।

कृष्णा-गोदावरी-कावेरी नदियों को जोड़ा जाना

4801. **श्री बी. थर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी-कावेरी नदियों को जोड़ने संबंधी कोई परियोजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना किस स्थित में हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा. ज. वि. 3) ने गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित जल अंतरण लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की हैं :

(1) गोदावरी-कृष्णा के बीच परिकल्पित तीन लिंक हैं:

(एक) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा)

(दो) गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर)

(तीन) गोदावरी (इच्छमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंतला)

(2) कृष्णा-पेन्नार के बीच परिकल्पित तीन लिंक हैं :

(एक) अलमट्टी-पेन्नार

(दो) कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला)

(तीन) कृष्णा (श्रीसेलम)-पेन्नार (प्रोद्दुतूर)

(चार) पेन्नार-कावेरी के बीच परिकल्पित लिंक हैं :

पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रांड आनिकट)

गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक, अलमट्टी-पेन्नार लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला) लिंक और कृष्णा (श्रीसेलम)-पेन्नार (प्रोद्दतूर) लिंक के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सर्वेक्षण व अन्वेषण आरंभ कर दिये हैं।

उपरोक्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की सहमति एवं अन्य कारणों पर निर्भर करेगी।

तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएँ

4802. **श्री केशव महन्त** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में और अधिक तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएँ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) इस समय असम में और तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थाएं खोलने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के महिला प्रतिनिधि

4803. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यरत हैं;

(ख) इनमें बोर्डवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के और महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इन बोर्डों में महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. बी. एन. सोमू) : (क) देश में 62 छावनी बोर्ड हैं।

(ख) **विवरण** संलग्न है।

(ग) और (घ) 74 वें संविधान-संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण नीति छावनी बोर्डों में लागू नहीं की गई है। छावनी अधिनियम, 1924 और मौजूदा नियमों के अनुसार छावनी बोर्डों में महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि यह मामला छावनी अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन के सन्दर्भ में सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों का ब्यौरा तथा सदस्यों के नाम

क्र.सं.	छावनी का नाम	आरक्षित वार्ड संख्या	वर्तमान सदस्य का नाम
1.	अहमदनगर	4	श्री भिंगरदिव सम्भाजी रामदास
2.	इलाहाबाद	1 तथा 3	(1) श्री नरेश कुमार (3) श्री दिनेश कुमार
3.	अम्बाला	2	श्री धर्मेन्द्र
4.	बबीना	6	श्री राजा राम
5.	बरेली	7	श्री ओ एम प्रकाश
6.	बेलगांव	7	डा. डोंगरे मदन अमरनाथ
7.	दानापुर	6	श्री मोहर प्रसाद
8.	देहरादून	7	श्री अरुण कुमार
9.	दिल्ली	5	श्री ब्रह्म प्रकाश
10.	फिरोजपुर	4	श्री जोगिन्दर
11.	कसौली	4	श्री चरण दास
12.	लखनऊ	2	श्री दुली चन्द आर्य
13.	रानीखेत	4	श्री भुवन चन्द्र आर्य
	निर्वाचित् महिला सदस्य (गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)		
1.	आगरा	1	श्रीमती राजकुमारी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर उपमार्ग

4804. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर उपमार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय के बाहर उप-मार्ग के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है।

अमरीका द्वारा भारतीय व्यवसायियों पर प्रतिबंध

4805. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारतीय विशेषज्ञों के अपने यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इससे रोजगार के लिए अमरीका जाने वाले भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) अमरीकी कम्पनियों द्वारा विदेशी व्यावसायिकों को नियुक्त करने से सम्बद्ध अमरीकी सरकार के विनिमय एवं प्रतिबंध सभी देशों के व्यावसायिकों पर लागू होते हैं और ये विशेष रूप से भारत के लिए ही नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों से अमरीकी सरकार ने कतिपय शर्तें कड़ी कर दी हैं, उदाहरण के लिए व्यापारियों को बीजा देने के मामले में अमरीका में उनके कार्यकलापों के स्वरूप के संबंध में। अमरीका में विदेशी व्यावसायिकों के अल्पावधिक नियोजन के लिए एच-आई बी वीसा देने के संबंध में भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इससे अमरीका में कुछ विदेशी व्यावसायिकों जिनमें भारतीय व्यवसायी भी शामिल हैं के नियोजन पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) यद्यपि किसी देश में विदेशियों के नियोजन से सम्बद्ध मामला पूर्णतया उस देश के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, फिर भी भारत से जाने वाले व्यवसायियों, व्यापारियों तथा अन्य यात्रियों को अमरीका की यात्रा करने तथा नियोजन के लिए वीसा प्राप्त करने में जो विशिष्ट समस्याएं पेश आती हैं, उनकी ओर सरकार अमरीका का ध्यान विभिन्न स्तरों पर निरन्तर आकर्षित करती रहती है।

(घ) अमरीका की सरकार ने हमारी चिन्ता की ओर पूरा ध्यान दिया है तथा यह आश्वासन दिया है कि भारत में वीसा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न जारी रखे जाएंगे।

शल्य चिकित्सा शुल्क का पुनर्भुगतान

4806. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कुछ विशेष प्रकार की शल्य चिकित्सा को देश के कुछेक निजी अस्पतालों में से कराने और क्या इस शल्य चिकित्सा पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा व्यय की गई राशि का पुनर्भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इन निजी अस्पतालों में सभी तरह की शल्य चिकित्सा कराने और इस संबंध में खर्च की गई राशि का उसी तरह पुनर्भुगतान करने की अनुमति देगी जिस तरह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करायी गयी शल्य चिकित्सा के मामले में व्यय राशि का पुनर्भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अस्पतालों (मान्यता प्राप्त) के अतिरिक्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को वहां पर उपलब्ध भौतिक सुविधाओं और विषयवार विशेषज्ञता के आधार पर शहरवार मान्यता प्रदान की जा रही है। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए शहरवार ऊपरी प्रतिपूर्ति सीमा (पैकेज रेट) भी निर्धारित की जाती है।

(ख) हाल ही में मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राइवेट संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर की होनी चाहिए।

इन अस्पतालों में सरकार द्वारा स्वीकृत शहरवार दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। यदि कोई लाभार्थी मान्यता प्राप्त प्राइवेट ऐसे अस्पतालों का चयन करता है जहां पर अधिक शुल्क है और अधिक अन्तर वाली राशि का भुगतान करने पर सहमत है तो सरकार इसके लिए अनुमति प्रदान करती है।

विवरण

पुणे

सुपर विशेषज्ञता

1. शारदा क्लिनिक
   केवल अस्थिभंग के लिए
2. हर्दीकर अस्पताल
   केवल अस्थिभंग के लिए
3. पुणे मेडिकल फाउन्डेशन
   सभी प्रयोजनों के लिए
4. एन. एम. वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी
   केवल हृदय रोग के लिए

5. ट्राइम्फ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड रिसर्च
केवल न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए

6. संचेती इंस्टिट्यूट फॉर आर्थोपेडिक एण्ड रिहेविलिटेशन
केवल अस्थिभंग के लिए

7. यूनी-स्केन सेंटर
केवल सी.टी. स्केन के लिए

8. के.ई.एम. अस्पताल
एम.आर.आई., लिथोट्रिप्सी, रेडियोथिरेपी और लीवर प्रत्यारोपण के अतिरिक्त सभी प्रयोजनों के लिए

9. कालोनी नर्सिंग होम
केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग

10. राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान
केवल नेत्र विज्ञान के लिए

11. लायंस स्केन सेंटर
केवल सी.टी. स्केन के लिए

12. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लि.
केवल सी.टी. स्केन, कार्डियोलोजिकल, यूरोडाइनेमिक एण्ड यूरोफ्लो स्टडीज और अन्य परीक्षण (नैदानिक)

13. मेडिविजन
केवल अल्ट्रासाउण्ड एवं सी.टी. स्केन के लिए

14. पुणे अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र
एम.आर.आई., लिथोट्रेप्सी, लीवर प्रत्यारोपण और रेडियोथिरेपी को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए

सामान्य

1. ए.सी.टी. जनरल हास्पिटल
सभी प्रयोजनों के लिए

2. श्री धर्म लीटा डाइग्नोस्टिक सेंटर
केवल विकीरण संबंधी जांच

3. किंग एडवर्ड मेमोरियल हास्पिटल
डेंटल, वेस्कुलर सर्जरी को छोड़कर सभी

4. पेथक्वेस्ट पेथालॉजी एण्ड एण्डोक्राइनोलोजी लेबोरेटरी

5. शारदा क्लिनिक
केवल अस्थिभंग के लिए

6. डा. टोकस एक्सरे
केवल एक्सरे के लिए

7. पूना मेडिकल फाउण्डेशन
सभी प्रयोजनों के लिए

8. कोठारी हास्पिटल
डेंटल, वेस्कुलर सर्जरी को छोड़कर
सभी प्रयोजनों के लिए

9. पूना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
डेंटल, बर्न, वेस्कुलर सर्जरी को छोड़कर
सभी प्रयोजनों के लिए

10. हल्दीकर हास्पिटल
केवल अस्थिभंग के लिए

11. संजीवन अस्पताल
सभी प्रयोजनों के लिए

12. लोकमान्य अस्पताल
सभी प्रयोजनों के लिए

13. मेडिनोवा डाइग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड
केवल डाइग्नोस्टिक, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, पैथालॉजी, सी.टी. प्रक्रिया के लिए

14. गुलाटी सोनोग्राफिक क्लिनिक
केवल अल्ट्रासाउण्ड के लिए

15. द्वारिका संगम्सीकर मेडिकल फाउंडेशन
पैथालॉजी, सी.टी., प्रसूति एवं स्त्री रोग

16. राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान
केवल नेत्र विज्ञान

17. होप फाउंडेशन कल्पना मोनोग्राफी सेंटर
केवल मोनोग्राफी के लिए

18. दीनदयाल मेमोरियल अस्पताल
सभी प्रयोजनों के लिए

19. भारती अस्पताल
प्लास्टिक सर्जरी, कार्डिएक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी को छोड़कर सभी

20. संचेती इंस्टिट्यूट फॉर आर्थोपेडिक, रिहेबिलिटेशन आर्थोपेडिक एण्ड साइकोकिरेमी, प्लास्टिक सर्जरी

21. कृष्णा जनरल हास्पिटल एवं स्त्री क्लिनिक
सभी प्रयोजनों के लिए

22. एन.एम. वाडिया हास्पिटल
ई.एन.टी., अल्ट्रासाउंड, सी.टी. को
छोड़कर सभी

कलकत्ता

1. मेडिनोवा डाइग्नोस्टिक सर्विसेज
सी.टी., कार्डियोलोजिकल जांच और अन्य परीक्षण सहित नैदानिक प्रक्रियाएं

2. सुरक्षा डाइग्नोस्टिक एण्ड आई रिसर्च (प्रा) लि.
सी.टी., कार्डियोलोजिकल जांच, यूरो डाइनेमिक और अन्य जांच सहित सभी नैदानिक प्रक्रियाएं और दिवस परिचर्या

3. बेल व्यू क्लिनिक
चर्म, ई.एन.टी. और अस्थिभंग को छोड़कर सभी नैदानिक प्रक्रियाएं एवं दिवर परिचर्या

4. क्लिनिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
क्लिनिकल पैथालोजी, हेमेटोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, हिस्टोपैथालोजी, बैक्टिरिओलोजी और सीरोलोजी जांच

5. बंसल हेल्थ केअर सेंटर
एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल पैथालोजी, बायोकेमेस्ट्री, हिस्टोपैथालोजी, बैक्टिरिओलोजी और सीरोलोजी जांच

6. माँ दुर्गा डाइग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट
क्लिनिकल पैथालोजी, हेमेटोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, हिस्टोपैथोलोजी, बैक्टिरियोलोजी और सीरोलोजी जांच

7. कैंसर सेंटर एण्ड वेलफेयर होम ठाकुरपुर
कैंसर ट्रीटमेंट, स्किन और सभी नैदानिक प्रक्रियाएं

8. रामकृष्णमिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल
सभी उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं

9. कलकत्ता हार्ट रिसर्च सेंटर
सी.टी. स्केन को छोड़कर सभी नैदानिक प्रक्रियाएं

10. बेहाला बालानन्द ब्रह्मचरी हास्पिटल
सभी उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं

11. नाइटिंगेल डाइग्नोस्टिक सेंटर
अस्थिभंग को छोड़कर सभी नैदानिक प्रक्रियाएं और दिवस परिचर्या

12. हेल्थ केअर एण्ड अल्ट्रासाउंड स्केन सेंटर
केवल ई.सी.जी. एवं अल्ट्रासाउंड

13. वोचर्ड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर
सी.टी., कार्डियोलोजिकल जांच, लिथोट्रेप्सी, यूरोलोजी एवं लेपरोस्कोपिक सर्जरी

14. डा. निहार मुंशी आई फाउंडेशन
आई.ओ.एल. सहित नेत्र विज्ञान के लिए

15. जनप्रिय हास्पिटल कारपोरेशन लि. (डंकन अपोलो)
सभी नैदानिक प्रक्रियाएं और लेपरोस्कोपिक सर्जरी

हैदराबाद

1. शेरे मेडिकल केअर (मैडिकल) :-
जनरल एंड स्पेशियलाइज्ड-एक्यूट मेडिकल केआर कार्डियोलोजी काडियोकोरेसिक गेस्ट्रोस्ट्रोलोजी नेफ्रोलोजी प्रयोगशाला विज्ञान और विकिरण विज्ञान

2. मेडिकल हास्पिटल :-
लिथोट्रेफो को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए (सामान्य और विशेषज्ञ)

3. विजय डाइग्नोस्टिक सेंटर :
सी. टी. स्केन एक्सरे अल्ट्रासाउंड सहित नैदानिक प्रक्रियाएं (सामान्य एवं विशेषज्ञ)

4. गगन महल नर्सिंग होम :
सामान्य प्रयोजन प्रसूति एवं स्त्री रोग

5. सी डी आर हास्पिटल :-
सभी प्रयोजन (सामान्य एवं विशेषज्ञता)

6. अपोलो अस्पताल :
सभी प्रयोजन (सामान्य एवं विशेषज्ञता) रेडियोथिरेपो, सीरोलोजी सहित

7. एल वी प्रसाद आई हास्पिटल :-
केवल नेत्रविज्ञान

8. मेडिनोवा डाइग्नोस्टिक सेंटर :-
सामान्य नैदानिक प्रक्रियाएं एक्सरे अल्टासाउंड कलर डोपलर, इको, सी टी स्केन सहित

9. यशोदा सुपरस्पैशियलिटी हास्पिटल :
एक्यूट मेडिकल केअर कार्डियोलोजी एवं सामान्य प्रयोजन उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं

10. श्रवण नर्सिंग होम :
सामान्य प्रयोजन उपचार सुविधाएं नेमी नैदानिक प्रक्रियाओं सहित

11. कैलाश डाइग्नोस्टिक एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर:-
एक्सरे, अल्टासाउंड, ई ई जी और साइकोकिरेपी सहित नैदानिक प्रक्रियाएं

12. तपडिया डाइग्नोस्टिक सेंटर :-
एक्सरे, अल्टासाउड, ई ई. जी सहित नैदानिक प्रक्रियाएं

13. ईश्वर लक्ष्मी हास्पिटल :-
सामान्य उपचार तथा नेमी नैदनिक प्रक्रियाएं

14. सागर लाल मेमोरियल हास्पिटल :-
सामान्य उपचार, एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

15. न्यू सिटी हास्पिटल :
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

16. गीता मेटर्निटी एंड नर्सिंग होम :-
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

17. अशोक कुमार हास्पिटल :-
सामान्य, ई एन टी उपचार नेमी प्रक्रियाओं के लिए

18. सी सी सराफ मेमोरियल हास्पिटल :-
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

19. सेंटरल डाइग्नोस्टिक एवं रिसर्च इन्सिट्यूट :-
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

20. प्रि सेज धु शीवर चिल्ड्रन हास्पिटल : -
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

21. हरिप्रसाद मेमोरियल हास्पिटल :-
सामान्य उपचार एवं नेमी नैदानिक प्रक्रियाएं

22. श्री भगवन देवी मेटरनिटी एवं अथोमेडिकल हास्पिटल :
सभी प्रयोजन, अस्थिभंग, प्रसूति एवं स्त्री रोग उपचार प्रक्रियाएं

23. सभी प्रयोजन (सामान्य एवं विशेषज्ञता)

केरल में पर्वतीय राजमार्ग

4807. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल क्षेत्र के पश्चिमी घाट में पर्वतीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है। अन्य सभी सड़कों का विकास संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केरल क्षेत्र के पश्चिमी घाट में पर्वतीय राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यह विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चकमा शरणार्थी

4808. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक दशक के दौरान भारत में आए बंगलादेश के चकमा जनजातीय लोग त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा बदले हुए राजनीतिक परिदृष्य में उन्हें सुरक्षित बंगलादेश भेजने के लिए कोई वार्ता की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले पर नए सिरे से वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने लम्बे समय से लंबित इस मामले का स्थाई समाधान ढूंढने हेतु जनजातियों को स्वायत्तता के प्रश्न पर बंगलादेश की सरकार के साथ वार्ता की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल : (क) जी हां। बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों को इस समय त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रखा गया है।

(ख) से (घ) ढाका में आवामी लीग द्वारा सरकार बनाये जाने के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में विदेश सचिव 5 से 7 जुलाई, 1996 तक बंगलादेश गए थे और उन्होंने अन्य मामलों के साथ-साथ इस मसले पर भी चर्चा की। बंगलादेश के प्राधिकारियों ने विदेश सचिव को कहा कि बंगलादेश की यह प्रबल इच्छा है कि चकमा शरणार्थियों के शीघ्र स्वदेश प्रत्यावर्तन

के जरिये इस मसले को सुलझाया जाए। बंगलादेश के विदेश सचिव की 6 से 9 अगस्त, 1996 की हाल ही की दिल्ली की यात्रा के दौरान बंगलादेश पक्ष ने फिर यह कहा कि वह शेष बचे हुए चकमा शरणार्थियों को वापिस लेने के लिए तैयार है। बंगलादेश के विदेश सचिव को यह बता दिया गया है कि भारत चकमा शरणार्थियों की यथा सम्भव शीघ्र स्वैच्छिक स्वदेश वापसी चाहता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि चिट्टगांव पहाड़ी क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शरणार्थी शिविरों का दौरा करने से शरणार्थियों में विश्वास उत्पन्न होगा और वे सुरक्षा तथा सम्मान के साथ अपने घरों को लौट पाएंगे।

(ङ) और (च) जी नहीं। इस मामले में सरकार की मुख्य भूमिका चकमा शरणार्थियों जो बंगलादेशी राष्ट्रिक हैं तथा बंगलादेश की सरकार के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाना है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

4809. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुछ सड़क विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान सीमा मामले पर रिपोर्ट

4810. **डा. जी. आर. सरोदे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रीमती बावरा लेच लापोरे, एशियाई विकास बैंक की विशलेषक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा मामले के संबंध में अमरीकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) क्या सरकार रिपोर्ट के निष्कर्ष से परिचित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। यू. एस. कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस (सी आर एस) के एशियाई मामलों से सम्बद्ध विदेश मामलों एवं राष्ट्रीय रक्षा विभाग में विश्लेषक श्रीमती बारबरा लीश लेपोएर ने अमरीकी कांग्रेस के लिए "भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद: पृष्ठभूति तथा विद्यमान समस्याएं" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) और (ग) जी हां। यह रिपोर्ट अधिकांश तथ्यपरक थी। तथापि, कश्मीर नामक खण्ड में भारत में विलय तथा कश्मीर में जनमत कराने से सम्बद्ध कुछ तथ्यपरक गलतियां हैं। वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास ने रिपोर्ट की लेखिका के साथ इस मामले को उठाया है और उसे तथ्यपरक सूचा प्रदान की है ताकि भविष्य में सी आर एस की रिपोर्ट में गल्तियों को सुधारा जा सके।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

4811. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. आर. डी. सी. ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संभावति तकनीकों का देश तथा विदेशों में वाणिज्यीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। इस प्रयोजनार्थ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर और एम.आर.डी.सी. के मध्य 29.5.95 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 3 वर्षों के लिए वैध है।

(ग) समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं एकस्व प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं को लाइसेंस देना और उनका व्यावसायिक उपयोग करना, प्रक्रियाओं की उपलब्धता का व्यापक प्रचार, आवश्यक बाजार आंकड़े/रुपरेखाएं तैयार करना, रायल्टी और फीस आदि मॉफ करना है। विदेश में प्रतिलिप्यधिकार लिए जाने के मामले में व्यय दोनों भागीदारों द्वारा वहन किया जाएगा।

रक्षा संबंधी आवंटन और व्यय

4812. **श्री राम नाईक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय को वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इनमें से वर्षवार वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति से वास्तविक व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कितना प्रभावित हुआ है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) रक्षा के लिए निधियों के आबंटन और उस पर हुए वास्तविक व्यय की स्थिति इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अंतिम आबंटन	वास्तविक व्यय
1993-94	21960	21845
1994-95	23544	23245
1995-96	26875	26842* (मार्च तक) (संशोधन)

* वास्तविक व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है तथा इसे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अनुमोदन के बाद विनियोजन लेखा के साथ संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि के प्रभावों को बजट बनाने और बजट संबंधी पुनरीक्षा के समय ध्यान में रखा जाता है। पेट्रोलियम की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि का प्रभाव रक्षा व्यय में चालू वित्त वर्ष में दिखाई पड़ेगा। रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रक्षा बजट में लगभग 200 करोड़ रुपये की अनुमानित वृद्धि किए जाने की आवश्यकता होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत भारतीय सैन्य अधिकारी

4813. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंध निदेशक और अन्य पदों पर कार्यरत भारतीय सेना के जनरलों और अन्य अधिकारियों के क्या नाम हैं;

(ख) इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी साथ-साथ मूल रूप से सैन्य सेवाओं में ही बने रहते हैं;

(घ) क्या इन अधिकारियों पर सैन्य अनुशासन नियम लागू होते हैं अथवा उन प्रतिष्ठानों के अनुशासन नियम लागू होते हैं जिनमें वे कार्यरत हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) मेजर जनरल कुलवन्त सिंह (आई सी-13887) 15 जनवरी, 1996 से नई दिल्ली स्थित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का पद संभाले हुए हैं। इस समय केवल वे ही एक सेवारत जनरल अफसर हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त हैं।

(ख) यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर है।

(ग) ऐसे अफसरों का नाम सेना स्थापना की सक्रिय सूचियों में तब तक बना रहता है जब तक वे सैन्य सेवा में अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं।

(घ) और (ङ) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 2 (1) के अधीन भारतीय सेना के अफसर उक्त अधिनियम के अध्यधीन आते हैं, चाहे वे कहीं भी नियुक्त हों।

[हिन्दी]

सी.टी.बी.टी. के संबंध में ब्रिटेन की भारत-विरोधी टिप्पणियां

4814. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हाल ही में जिनेवा में हुई व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हुई चर्चाओं के दौरान भारत के विरुद्ध तीखी टिप्पणियां की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उस देश से कोई विरोध व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटेन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) जेनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग ले रहे ब्रिटेन के

राजदूत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर गठित तदर्थ समिति के अनौपचारिक परामर्शों के दौरान हस्तक्षेप करते हुए भारत के दृष्किोण की तीखी आलोचना की थी।

सरकार ने इस तीखे व्यक्तव्य पर अपनी चिन्ता से ब्रिटेन की सरकार को अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने भी एक वक्तव्य जारी किया था। ब्रिटेन की सरकार ने भारत के दृष्टिकोण पर गौर किया है।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

4815. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त जिलों में भी नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 46 है।

(ख) उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां नवोदय विद्यालय संस्वीकृत/खोले नहीं गए हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस समिति का राज्य सरकार से पूर्ण और उपयुक्त प्रस्ताव, प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र यथासम्भव अधिकांश जिलों को सम्मिलित करने का प्रयास है। बशर्ते उन प्रस्तावों में नि: शुल्क लागत की 30 एकड़ भूमि, बिना किराए का अस्थायी आवास और अन्य आधारभूत सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सम्मिलित है।

विवरण

नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जिले

क्रम संख्या	जिला का नाम
1.	मुरादाबाद
2.	सहारनपुर
3.	पीलीभीत
4.	शाहजहाँपुर
5.	खेरी (लखीमपुर)
6.	लखनऊ
7.	कानपुर देहात
8.	फतेहपुर
9.	पिथौरागढ़
10.	पौढ़ी गढ़वाल
11.	रामपुर
12.	जालौन
13.	बांदा
14.	प्रतापगढ़
15.	महाराजगंज
16.	सोनभद्र
17.	देहरादून

[अनुवाद]

ग्रामीण युवाओं का उत्थान

4816. **श्री येल्लैया नन्दी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के अनेक लड़के और लड़कियां अपना सारा जीवन दूध निकालने तथा मवेशियों को खिलानें में लगा देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे युवाओं की पहचान के लिए कोई प्रयास किया है जो समुचित रूप से शिक्षित नहीं है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) ऐसे युवाओं को साक्षरता और जीवनयापन प्रदान करने के लिए अभी कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(छ) उनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही नई योजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

होम्योपैथी दवा

4817. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होम्योपैथिक दवाओं के निर्यातकों को होने वाली समस्या के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री. (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्र सरकार की 12% वी/वी से अधिक अल्कोहल वाली होमियोपैथिक औषधि की पैकिंग आकार को 30 मिलि. तक सीमित करते हुए दिनांक 3.7.92 की प्रारम्भिक अधिसूचना के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद सरकार ने 22.2.94 की अपनी अधिसूचना के तहत औषधालयों तथा अस्पतालों को विवरण के लिए पैकिंग को 100 मिलि. तक बढ़ाया है।

[अनुवाद]

नेहरु स्मारक संग्रहालय एंव ग्रंथालय में रोस्टर प्रणाली

4818. **श्री चुनचुन प्रसाद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं ग्रंथालय, नई दिल्ली की चयन समिति द्वारा गत दस वर्षों में उचित तरीके से कोई नियुक्ति नहीं की गयी है और अब तक रोस्टर प्रणाली भी लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चयन समिति की अनदेखी करते हुए कितने व्यक्तियों की नियुक्ति (ग्रेडवार) की गई है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में आरक्षण अनुपात का कहां तक पालन किया गया है;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण श्रेणी में कमी को सरकार किस तरह पूरा करेगी;

(ङ) क्या उक्त संगठन इस संबंध में नियमों की अनदेखी करके तदर्थ पदोन्नति का सहारा लेती है और तदर्थ आधार पर पदोन्नति किए गए व्यक्तियों को पांच वर्ष से अधिक उस पद पर बनाए रखती है;

(च) यदि हां, तो गैर-अनुसूचित जातियों/गैर-अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के क्या कारण हैं और उक्त श्रेणी में कितने अधिकारियों (श्रेणीवार) को पदोन्नत किया गया और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों पर कोई अन्याय हुआ है तो उसे सरकार द्वारा किस प्रकार सुधारने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, 201 स्टाफ-सदस्यों में से 50 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं।

(घ) मौजूदा मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने की बाबत इस समय कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) से (छ) संगठन के उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करने की बाबत पुनर्गठन समिति द्वारा अनुशंसित पुनर्गठित वेतनमानों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लंबित अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए 18 रिक्तियों तदर्थ आधार पर भरना संगठन के हित में आवश्यक समझा गया। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए इन 18 व्यक्तियों में से 2 की प्रत्यक्ष की भर्ती की गई थी जबकि 16 को विभागीय रूप से पदोन्नत किया गया था जिनमें 3 अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल हैं।

प्लेग नियंत्रण

4819. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की रिपोर्ट में भयंकर रोग - ब्लैक डेथ - के भड़कने के बाद प्लेग की सघन निगरानी हेतु बेंगलूर का मुख्य केन्द्र के रूप में चयन किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बेंगलूर में प्लेग फैलने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार;

(ग) क्या सरकार ने प्लेग नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक सरकार को कोई विशेष धनराशि जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, बंगलौर के प्लेग निगरानी एकक केन्द्रीय प्लेग प्रयोगशाला, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के सहयोग और राज्य स्वास्थ्य विभागों के समन्वय से कृन्तक सर्वेक्षण नियमित रूप से कर रहा है और पिछले 16 वर्षों से तीन राज्यों-आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में **वाई. पेस्टिस** संक्रमण की घटना-दर का पता लगाने के लिए सीरो-निगरानी का रख-रखाव कर रहा है। प्लेग की किसी महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृन्तकरोधी और पिस्सू नियंत्रण उपायों, सघन निगरानी और समुदाय के लिए स्वास्थ्य शिक्षा जैसे प्लेग नियंत्रण संबंधी उपयुक्त उपाय शुरू किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नयन के लिए बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर को 25 लाख रुपये की धनराशि विमुक्त की गई थी।

खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूकोमेट का उपयोग

4820. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग द्वारा केन्टुकी फ्राइड चिकेन के एक नमूने की रसायनिक परीक्षण में तीन प्रतिशत मोनो सोडियम ग्लूकोमेट पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संगत भारतीय कानून के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में केवल एक प्रतिशत मोनो सोडियम ग्लूकोमेट का उपयोग करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो कानून का इस प्रकार उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा केन्टुकी फ्राइड चिकेन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा भी परीक्षण हेतु इस प्रकार के नमूने लिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राज्य सरकार के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि बंगलौर महानगर पालिका द्वारा मैसर्स केन्टुकी फ्राइड चिकेन, बंगलौर से फ्राइड चिकेन का एक नमूना लिया गया था जिसका विश्लेषण करने पर इसमें 2.8 प्रतिशत मोनो सोडियम ग्लुटामेट पाया गया।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार मोनोसोडियम ग्लुटामेट को मिलाया जा सकता है बशर्ते कि परोसने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ में ग्लुटामेट की कुल मात्रा एक प्रतिशत से अधिक न हो। तथापि, इसे 12 मास से कम आयु के शिशुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं मिलाया जायेगा।

(घ) संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा इस फर्म के विरुद्ध खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पुस्तकों/पत्रिकाओं के क्रय के लिए विश्वविद्यालयों को धनराशि

4821. **प्रो. ओमपाल सिंह निडर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को पुस्तकों एवं अनिवार्य पत्रिकाओं की खरीद के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय-वार प्राप्त हुए अनुरोध का ब्यौर क्या है और कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न-पत्रों का गूल्यांकन

4822. **श्री अशोक अर्गल** :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1996 में हुई परीक्षा में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र और बारहवीं कक्षा के वाणिज्य के प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में कोई जांच/पुनः जांच/पुनःमूल्यांकन करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं परीक्षा के सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 12वीं परीक्षा के वाणिज्य अध्ययन के विषयों में अंकों की पुनः जांच/सत्यापन के लिए अनुरोधों की कुल संख्या क्रमशः 3008 तथा 1981 थी। बोर्ड की परीक्षा के लिए उप नियमों में निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार अंकों को पुनः जांच/सत्यापन संबंधी कार्य उनके द्वारा पूरा कर लिया गया था पुनः जांच/सत्यापन के परिणामस्वरूप कक्षा 10वीं परीक्षा के सामाजिक विज्ञान में 149 मामलों में और कक्षा 12वीं परीक्षा के वाणिज्य अध्ययन में 36 मामलों में क्रमशः अंकों में परिवर्तन किया गया था। पुनः जांच/सत्यापन के परिणाम संबधित उम्मीदवारों के पास भेज दिए गए थे।

केंसर रोगी

4823. **श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से बिहार में इस समय केंसर रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में इलाज और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रीय अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केंसर नियंत्रण हेतु उठाए गए निवारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 2 मिलियन कैंसर रोगी हर समय बने रहने का अनुमान है। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं जो बंगलौर, अहमदाबाद, ग्वालियर, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, कटक, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, हैदराबाद, बम्बई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

(ग) कैंसर के बारे में निवारक स्वास्थ्य शिक्षा और रोग का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने पर बल दिया जाता है। सरकार के तम्बाकू के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करने और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने जैसे उपाय किये हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

4824. **श्री कचरु भाउ राउत** :
श्री के.सी. कोडंय्या :
श्री एस. पी. जायसवाल :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार और परियोजनावार, लागत सहित विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष परियोजना वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक/कुछ विदेशी वित्तीय संस्थाओं का देश की कुछ सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान और सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)
(कोष्ठक में भारतीय करोड़ रुपए के लगभग बराबर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	समझौते की तिथि	वचनबद्ध सहायता राशि	के दौरान सहायता			वर्तमान स्थिति	1996-97 के लिए आबंटन
					1993-94	1994-95	1995-96		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपर गंगा सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	29.6.84	125.350 (483.75)	10.459 (36.60)	2.464 (7.70)	–	पूर्ण	
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	गुजरात	29.6.84	151.168 (529.08)	8.251 (28.87)	4.202 (14.70)	–	पूर्ण	
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	पश्चिम बंगाल	27.9.85	45.447 (159.86)	3.870 (13.54)	9.990 (34.96)	–	पूर्ण	
4.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II	आंध्र प्रदेश	28.5.86	140.00 (490.00)	61.024 (213.58)	23.159 (81.05)	–	पूर्ण	
5.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश	12.5.87	114.00 (399.00)	24.267 (84.93)	27.599 (96.59)	2.446- (8.56)	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	बिहार पब्लिक ट्यूबवैल	बिहार	31.1.87	22.286 (78.00)	–	7.077 (24.76)	–	पूर्ण	–
7.	अपर कृष्णा सिंचाई परि. फेस-II	कर्नाटक	16.6.89	169.208 (592.22)	26.420 (92.47)	40.984 (143.44)	11.081 (38.70)	चल रही है	9.937 (34.77)
8.	महाराष्ट्र कंपोजिट सिंचाई परियोजना-II	महाराष्ट्र	5.12.85	169.083 (591.79)	17.695 (61.93)	40.553 (141,93)	47.744 (167.10)	चल रही है	22.609 (79.13)
9.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	9.2.90	171.429 (600.00)	7.037 (24.62)	23.414 (81.94)	24.591 (86.06)	चल रही है	34.783 (121.74)
10.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	6.4.94	294.289 (1030.01)	–	14.423 (50.40)	17.840 (62.44)	चल रही है	22.00 (77.00)
11.	तमिलनाडु जल संसाधन परियोजना	तमिलनाडु	29.4.95	282.9 (990.15)	–	–	12.438 (43.53)	चल रही है	उपलब्ध नहीं
12.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	19.12.95	290.9 (1018.15)	–	–	14.207 (49.72)	चल रही है	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु न्यायाधिकरण

4825. श्री के.सी. कोडंय्या : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के कार्मिकों को न्याय दिलाने हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तरह एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) सेना/नौसेना/वायुसेना अधिनियम के अधीन न्याय दिलाने की अत्यंत न्यायसंगत पद्धति बनायी गई है। यह सामान्यत: दंड प्रक्रिया संहिता (देश की विधि) में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप है। प्रसंगवश, सैन्य न्यायिक पद्धति न केवल अभियुक्त बल्कि पीड़ित और संगठन के प्रति भी न्यायसंगत है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों से जब्त किये गये हथियार

4826. श्री पंकज चौधरी :
डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :
कुमारी उमा भारती :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवादियों से जब्त किये गये हथियारों को रक्षा सैनिकों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) रक्षा सेनाओं द्वारा जब्त किये गये कुछ चुनिंदा शस्त्रों, जिनके संबंध में कोई अदालती मामला नहीं है, को सेना यूनिटों को जारी किए जाने के संबंध में समुचित अनुदेश मौजूद हैं। जिन क्षेत्रों को "अशांत" घोषित किया गया है उनके संबंध में संगत सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम में, पकड़े गए शस्त्रों/गोलाबारुद आदि से संबंधित प्रावधान भी हैं। अनुदेशों के अनुसार रक्षा सेनाओं द्वारा पकड़े गए शस्त्र कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर जारी कर दिये जाते हैं। जारी किए गए शस्त्रों की किस्मों और जिन विरचनाओं को वे शस्त्र जारी किए गए, उनके बारे में विवरण प्रकट करना सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं होगा।

बच्चों के जीवन रक्षण के लिए विश्व बैंक सहायता

4827. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के जीवन रक्षण और सुरक्षित मातृत्व के लिए भारत को विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों को किए गए आवंटन का अनुपात क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों द्वारा उक्त आवंटन की कितनी राशि का अब तक उपयोग किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हुए करार के अनुसार विश्व बैंक ने शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए 160, 900,000 एस डी आर की आयडा सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। विश्व बैंक की सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर है। विश्व बैंक के 8 अगस्त, 96 के विवरण के अनुसार 143, 187, 511.19 एस डी आर की प्रतिपूर्ति हो गई है। करार में विश्व बैंक सहायता की राज्यवार व्यवस्था की बात नहीं कही गई है, इसलिए आयडा की सहायता के आवंटन के राज्यवार विवरण तथा उपयोग का प्रश्न नहीं उठता। तथापि पिछले चार वर्षों के लिए शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण संलग्न है।

विवरण

शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक के दौरान राज्यों/संघ राज्यों को प्रदान की गई सहायता

राज्य/संघ राज्य	के दौरान प्रदान की गई धनराशि				कुल
	92-93	93-94	94-95	95-96*	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	593.33	933.15	1521.77	1769.09	4817.34
अरुणाचल प्रदेश	22.32	22.62	55.73	142.39	243.06
असम	366.99	524.33	1106.12	971.02	2968.46
बिहार	721.1	1301.43	2494.33	2439.17	6956.03
गोवा	15.85	17.54	24.98	35.52	93.89
गुजरात	485.44	730.19	1022.46	1222.94	3461.03

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	269.74	336.92	489.47	632.82	1728.95
हिमाचल प्रदेश	122.45	182.00	235.15	252.14	791.74
जम्मू व कश्मीर	88.04	228.95	274.76	362.53	954.28
कर्नाटक	494.02	798.63	1133.84	1392.09	3818.58
केरल	294.27	472.84	723.33	770.43	2260.87
मध्य प्रदेश	886.23	1383.17	2518.87	2575.75	7363.52
महाराष्ट्र	676.4	1145.95	1638.46	2380.53	5841.34
मणिपुर	46.85	72.31	86.11	137.08	343.35
मेघालय	41.03	45.89	56.91	107.6	251.43
मिजोरम	24.69	25.69	28.69	65.51	144.58
नागालैंड	35.33	36.72	44.24	100.1	216.39
उड़ीसा	400.97	676.24	1330.37	996.53	3404.11
पंजाब	263.34	404.60	491.38	734.41	1893.73
राजस्थान	608.14	1091.24	2076.07	1783.84	5559.29
सिक्किम	18.25	21.50	23.76	47.37	110.88
तमिलनाडु	573.45	978.38	1274.75	1676.26	4502.84
त्रिपुरा	34.65	56.50	77.12	97.14	265.41
उत्तर प्रदेश	1599.55	2357.80	4558.07	4723.8	13239.22
पश्चिम बंगाल	739.02	845.12	1253.02	1788.04	4625.2
अण्डमान व निकोबार	8.6	6.69	6.07	28.56	49.92
चण्डीगढ़	4.94	5.85	11.93	27.63	50.35
दादरा व नगर हवेली	1.56	2.93	9.81	11.35	25.65
दिल्ली	55.3	137.91	284.72	250.17	735.44
दमण एवं दीव	1.81	14.33	1.28	11.43	28.85
लक्षद्वीप	3.38	1.73	1.02	10.71	16.84
पांडिचेरी	26.18	20.51	26.12	40.46	116.72
योग	9523.22	14879.66	24880.21	27584.41	76878.29

* भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक गतिशीलता के लिए राज्यों/संघ राज्यों को दिए गए 16.00 करोड़ रुपये को छोड़कर (आंकड़े अनंतिम)

चिकित्सकों को मान्यता

4828. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी सरकार के साथ हुए समझौते के अनुरूप रूस में भारतीय चिकित्सकों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त किए गए चिकित्सकों को मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 भारतीय नागरिकों को विदेशी विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी गई चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है। अब तक रहे यू.एस.एस.आर. जिसमें रूस शामिल है, में 29 चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी गई चिकित्सा अर्हताएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल की गई हैं और भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त कर लेने पर भी इन अर्हताओं को मान्यता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम

4829. **श्री अंचल दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा को 1995-96 में सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पूरी राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इससे वर्ष 1995-96 में कितनी महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक गांवों को शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार के आवंटन में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें उड़ीसा राज्य शामिल है। वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा को 996.53 लाख रुपये की सहायता नकद तथा सामग्री के रूप में प्रदान की गई है।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8.25 लाख महिलाएं तथा 8.73 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह कार्यक्रम पहले से ही सम्पूर्ण राज्य की मांग पूरा करता है।

बाढ़ के कारण फसल को खतरा

4830. **श्री दरबारा सिंह** :
श्री सुखलाल कुशवाहा :
श्री राम बहादुर सिंह :
श्री केशव महन्त :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये मूल्य की फसल बर्बाद हो रही है;

(ख) क्या 1996-97 के दौरान हुए नुकसान की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार के नुकसान के लिए राज्यवार प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) राज्य-वार विशेषकर पंजाब, असम और बिहार में प्रत्येक वर्ष होने वाले नुकसान को रोकने हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां । आंकी गई राज्यवार क्षति संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(घ) निर्मुक्त की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) बाढ़ों को नियंत्रित करने तथा बाढ़ के कारण हानियों को रोकने के लिए उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा तटबंधों, जल निकास चैनलों, नगर सुरक्षा कार्यों जैसे विभिन्न बाढ़ प्रबंध उपाय, गांवों को ऊंचा उठाना तथा कटावरोधी स्कीमें तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं जिससे आंके गए 40.0 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 14.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित स्तर तक सुरक्षा प्रदान की गई है। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की बाढ़ प्रबंध स्कीमें केन्द्रीय सरकार को मूल्यांकन के लिए प्राप्त होती है। गत एक वर्ष में अलग की 20 स्कीमें और बिहार की 5 स्कीमें केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई थीं जिसमें से असम की 14 स्कीमें और बिहार की 2 स्कीमें स्वीकृत हो गई हैं। इसके अलावा, उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रूफिंग पर केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 671.4 लाख रुपये की लागत की बिहार की 94 बाढ़ प्रूफिंग स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इस अवधि के दौरान पंजाब से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण I

बाढ़, चक्रवात मानसून 1996 के कारण क्षति

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रभावित जिले (संख्या)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	फसली क्षेत्र को क्षति (लाख हेक्टे. में)	मकानों को हानि (संख्या)	मानव जीवन की हानि (संख्या)	पशुओं की हानि (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	15	0.98		0.98	22876	133	1613
2.	अरुणाचल प्रदेश	13		0.02			1	15
3.	असम	18	5.75	27.00	1.98	7848	30	372
4.	बिहार	24	9.17	69.02	5.54	45561	139	36
5.	गुजरात	19	18.22	116.86	0.19	54579	101	1962
6.	हरियाणा	4	0.33	2.60	0.15	12083	14	78
7.	जम्मू एवं कश्मीर	11	0.55	11.71	0.46	24521	58	9534
8.	कर्नाटक	17				5636	106	1032
9.	केरल	14	0.35	4.14	0.28	13613	48	
10.	मध्य प्रदेश							
11.	महाराष्ट्र	26		0.02		2899	198	38
12.	मेघालय	3					8	1
13.	उड़ीसा	6	0.33	3.10	0.20	684		1
14.	पंजाब	2					4	
15.	राजस्थान	13	3.23	12.55	4.46	104513	119	5767
16.	तमिलनाडु	13	0.05		0.05	38296	54	19
17.	त्रिपुरा	1				40	7	
18.	उत्तर प्रदेश	36	9.07	45.68	4.58	27118	237	954
19.	पश्चिम बंगाल	11		16.40			34	44
	कुल	245	48.06	309.1	14.87	480449	1299	21456

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त आपदा राहत निधि का केन्द्रीय हिस्सा	आपदा राहत की राष्ट्रीय निधि से निर्मुक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	46.57	21.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.64	10.00
3.	असम	18.775	
4.	बिहार	19.485	21.000
5.	गोआ	0.400	
6.	गुजरात	52.350	
7.	हरियाणा	18.790	
8.	हिमाचल प्रदेश	10.105	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14.780	
10.	कर्नाटक	15.695	
11.	केरल	41.550	
12.	मध्यप्रदेश	19.155	
13.	महाराष्ट्र	25.575	
14.	मणिपुर	0.930	
15.	मेघालय	1.045	10.00
16.	मिजोरम	0.475	
17.	नागालैंड	0.440	
18.	उड़ीसा	18.380	
19.	पंजाब	20.305	
20.	राजस्थान	100.710	21.00
21.	सिक्किम	1.765	
22.	तमिलनाडु	22.255	
23.	त्रिपुरा	0.710	
24.	उत्तर प्रदेश	46.920	
25.	पश्चिम बंगाल	19.245	21.00

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

4831. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने प्रत्येक प्रखंड में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा ग्रामीण पालीटेकनीक स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों ने ऐसे लघु औ.प्र. संस्थान स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र और नियोजन मंत्रालय ने राज्यों को ट्राइसेम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मिनी-आई.टी.आई. स्थापित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। ये मिनी आई. टी. आई. उन बालकों में स्थापित किये जाने हैं जहां उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाएं विद्यमान नहीं है। वर्ष 1995-96 में ऐसे मिनी आई.टी.आई. स्थापित करने के लिए आठ राज्यों को 1961.06 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय अंशदान के रूप में प्रदान की गयी है।

कराची में चीन का नौसैनिक अड्डा

4832. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने चीन को कराची में एक नौसैनिक अड्डे की पेशकश की है तथा एक अन्य पड़ौसी देश ने भी इस प्रकार की सुविधा इसके एक द्वीप में दिए जाने की पेशकश की है;

(ख) सरकार द्वारा चीन या पाकिस्तान से संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या ऐहतियाती योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या लन्दन/वाशिंगटन के रणनीति अध्ययन संस्थान ने हमारे देश को ठीक योजना नहीं होने की चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को पाकिस्तान और चीन के बीच नौसेना सहित रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग की जानकारी है। सरकार ने म्यांमा में नौसैनिक सुविधाएं

स्थापित करने और उनका उन्नयन करने संबंधी चीनी सहायता की खबरें देखी हैं।

(ख) से (घ) सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा करती है और राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

भारतीय सेना के शस्त्रास्त्रों को बदलना

4833. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के शस्त्रास्त्रों के बदले जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को इस समय 155 मि.मी. हाविटजर बंदूकों, पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों और उन्नत जेट प्रशिक्षकों की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र उद्योग अपने अद्यतन सैन्य उपकरणों को सशस्त्र बलों को बेचने के लिए तत्पर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान रूसी कंपनियां पूर्व सोवियत संघ में निर्मित शस्त्रास्त्र को भारतीय सशस्त्र बलों को बेचने की इच्छुक हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करना, उन्हें अद्यतन बनाना और उनमें नए उपस्कर आदि शामिल करना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) से (च) शस्त्र आपूर्तिकर्ता चाहे वे रूस के हों अथवा अन्य देशों के, वे भारत को शस्त्र, प्लेटफार्म और उपस्कर सामान्यत: तभी बेचने के लिए इच्छुक होते हैं जब उन्हें ऐसा करना वाणिज्यिक रूप से लाभकारी होता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा आयात संबंधी निर्णय स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से आवश्यकता पूर्ति की व्यवहार्यता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाता है। आयात का निर्णय ले लिये जाने के बाद प्रत्येक मामले में समुचित संविदा अथवा करार निष्पादित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

आवासीय प्राथमिक विद्यालय

4834. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सर्वाधिक निर्धनता वाले प्रत्येक जिले में कम से कम एक आवासीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का हाल ही में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इन विद्यालयं को किस प्रकार वित्तपोषित तथा संचालित किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में जाति या धर्म को ध्यान में न रखते हुए गरीब बच्चों के लिए आवासीय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना में सहयोग देने के लिए अलग से पांच करोड़ रु. की प्रारम्भिक राशि निर्धारित की है। यह विचार है कि इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस योजना के दिशा-निर्देश और कार्य-प्रणाली राज्य सरकारों के साथ परमर्श करके तैयार किये जायेंगे।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिया

4835. **श्री अजमीरा चन्दूलाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इलुरु एवं टाडेपल्लीगुडम के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकरे पुलियों को चौड़ा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि जारी की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के एलुरू-टाडेपल्लीगुडम खंड पर चूंकि कोई संकरी पुलिया नहीं हैं, अत: उनको चौड़ा करने के लिए कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) निधियों का आबंटन पूरे राज्यों को किया जाता है न कि परियोजनावार। चूंकि चालू वर्ष के लिए बजट को अनुमोदन अभी किया जाना है, अत: प्रावधानों के बारे में बताना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लक्ष्य

4836. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान निर्मित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य को पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूदा सड़कें हैं और उनकी लम्बाई 34,298 कि.मी. है। शायद माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में परिवर्तन से है। निधियों की कमी के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और गुजरात में इस अवधि के दौरान राजमार्गों की लम्बाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

नेपाल के साथ मंबंध

4837. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** :
श्री जगतबीर सिंह द्रोण :
श्रीमती बसुन्धरा राजे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जल बंटवारे के संबंध में कुछ संधियों/समझौतों पर हस्ताक्षर हुये थे;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच महाकाली तथा अन्य नदियों के जल बंटवारे संबंधी प्रत्येक समझौतों का ब्यौरा तथा शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या नेपाल की संसद ने समझौते का अनुसमर्थन किया है;

(घ) नेपाल के प्रधानमंत्री की पिछली यात्रा के पश्चात् दोनों देशों के बीच संबंध कहां तक मजबूत हुये हैं;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच सभी बकाया मुद्दे हल कर लिये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) शारदा बांध, टनकपुर बांध तथा पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से सम्बद्ध संधि "फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सम्पन्न हुई थी। भारत और नेपाल ने संधि सम्पन्न करने का स्वागत किया और इससे दोनों देशों को पर्याप्त लाभ होगा। जिस तारीख से यह संधि प्रवृत होगी उस तारीख से भारत शुष्क मौसम में टनकपुर से 300 क्यूसिक जल (150 क्यूसिक से अधिक) तथा 70 मिलियन यूनिट ऊर्जा (20 मलियन यूनिट से अधिक) की नेपाल को निशुल्क आपूर्ति करेगा। पंचेश्वर बहुप्रयोजनीय परियोजना का कार्यान्वयन उसके कार्यान्वयन करार की तारीख से आठ वर्षों के भीतर किया जायेगा और यह करार डी. पी. आर. को अंतिम रूप दिये जाने के एक वर्ष के भीतर सम्पन्न किया जाएगा। दोनों देश संयुक्त रूप से डी. पी. आर. तैयार कर रहे हैं और महाकाली संधि के प्रवर्त्तन के छह महीने के भीतर इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा। उम्मीद है कि इस संधि को अनुसमर्थन के लिए नेपाल की संसद में उनके वर्तमान सत्र के दौरान रखा जाएगा।

(घ) से (च) भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और यह नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से और मजबूत हुए हैं। इस यात्रा के बाद के महीनों में सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गतिशील बनाने में चहुँमुखी प्रगति हुई है। वाणिज्य सचिव जुलाई 1996 में काठमाण्डू गए थे और उनकी इस यात्रा के दौरान नेपाल में बने उत्पादों की भारत में शुल्क मुक्त आयात से सम्बद्ध 50 प्रतिशत सामग्री और श्रम-अन्तर्वस्तु की शर्त को घटाने के लिए सहमति हुई।

छावनी क्षेत्रों में अनअधिकृत निर्माण

4838. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्पदा निदेशालय सेन्ट्रल कमांड अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न छावनी क्षेत्रों में चुनिंदा आधार पर अनअधिकृत निर्माण का आदेश दे रहा है;

(ख) क्या रक्षा सम्पदा कार्यालय ने पट्टे पर दी गई ओल्ड ग्रांट परिसर में किए जा रहे कतिपय अप्राधिकृत निर्माण कार्य को सील कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सील किए गए प्रत्येक ओल्ड ग्रांट परिसर के संबंध में स्थानवर तथा संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को रक्षा सम्पदा निदेशालय, सेन्ट्रल कमांड, के प्रशासन में कुछ निहित स्वार्थ के पनपने की सूचना मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) मध्य कमान के रक्षा सम्पदा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ओल्ड ग्रांट परिसरों पर हो रहे कतिपय अनधिकृत निर्माणों को मध्य कमान में कुछ रक्षा सम्पदा अधिकारियों द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5-ग की उप-दारा (2) के अधीन सील कर दिया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य कमान में रक्षा सम्पदा अधिकारियों द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5 (ग) की उप-धारा (2) के अधीन सील किए गए ओल्ड ग्रांट स्थानों पर हो रहे कतिपय अप्राधिकृत निर्माणों को दर्शाने वाला विवरण

रक्षा सम्पदा क्षेत्र का नाम	सील किए गए अवस्थित तथा संख्या सहित ओल्ड ग्रांट स्थानों का ब्यौरा	सील करने की तारीख
मेरठ क्षेत्र	12 दुकानें और विवाह मंडल बंगला सं. 81, हिल स्टेट सर्वेक्षण सं. 325, मेरठ छावनी।	05.08.1996
वही	बंगला सं. 210-बी, वेस्ट एंड रोड, सर्वेक्षण सं. 313, मेरठ छावनी में इमारतों का अप्राधिकृत निर्माण।	28.06.1996
वही	बंगला सं. 17, माल रोड, सर्वेक्षण सं. 192, मेरट छावनी में पोर्शन दीवार, सीधी दीवार आर सी सी पिलरों का अप्राधिकृत निर्माण।	28.06.1996
वही	ओल्ड ग्रांट पर धारित सर्वेक्षण सं. 160/1 में डीजल/पेट्रोल पम्प निकास सहित कमरे और टिन शैड का अप्राधिकृत निर्माण।	05.08.1996
लखनऊ	कानपुर छावनी में सर्वेक्षण सं. 454 में बंगला सं. 97, माल रोड में अप्राधिकृत निर्माण।	01.01.1996
जबलपुर	जबलपुर छावनी में ओल्ड ग्रांट पर बने बंगला सं. 6, माल रोड की एल आर-सर्वेक्षण सं. 111 में एक गोदाम का अप्राधिकृत निर्माण।	25.02.1994

[हिन्दी]

साक्षरता मिशन

4839. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1996 के ''जनसत्ता'' में साक्षरता हेतु कुछ सुझाव शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) साक्षरता अभियान जिसे सामान्य रूप से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के नाम से जाना जाता है, एक जन आधारित कार्यक्रम है। ये अभियान स्वैच्छिक भावना पर आधारित, क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, लागत प्रभावी और परिणामोन्मुखी हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जिला साक्षरता समितियां जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में साक्षरता परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस अभियान दृष्टिकोण में थोड़ा सा नयापन लाने से यह देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति बन गया है।

दिनांक 11.5.1996 को जनसत्ता में छपा हुआ लेख सामान्य किस्म की चर्चा का विषय है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए समय-समय पर इन कार्यक्रमों का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन कर रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में इन कार्यक्रमों में विशेष सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय यात्री सड़क वित्त परिवहन निगम

4840. श्री रमेश चेन्नित्तला :
प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय यात्री सड़क वित्त परिवहन निगम गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन निगम अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है जो राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रमों को ऋण सहायता प्रदान करेगी। इस समय राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम की वास्तविक स्थिति के संबंध में कोई पक्के संकेत उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रमों को और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना तथा इन निगमों को व्यावसायिक सिद्धांत पर इस तरह कार्य करने में मदद देना है ताकि निवेशित पूंजी पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम लाभ दर सुनिश्चित की जा सके।

आयुध कारखानों में मजदूर

4841. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में प्रत्येक कारखाने द्वारा अब सम्पोषित किये जा रहे खाली मजदूरों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सारे के सारे आयुध कारखाने मजदूरों से अपने कारखानों अथवा अंत: कारखानों में चीजें बनवाने की बजाय व्यापार तथा निजी संगठनों से या तो उत्पादन की पूरी चीजों के लिए या फिर चीजों के कुछ हिस्सों के उत्पादन के लिए अपना आदेश दे रहे हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप खाली मजदूरों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) आयुध निर्माणियों में कोई भी श्रमिक बेकार नहीं है।

(ख) ट्रेड और निजी संगठनों से उत्पादन की सम्पूर्ण मदें नहीं खरीदी जाती हैं। कुछ हिस्से-पुरजे और उप-असेम्बलियों, जिनके लिए आयुध निर्माणियों में न तो क्षमताएं सृजित की गई हैं और न ही उपलब्ध हैं, को ट्रेड से आर्डर देकर प्राप्त किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भगीरथ पत्रिका

4842. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय उप-समिति ने कुछ समय पहले-''भगीरथ'' पत्रिका के बारे में कतिपय सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और अब तक किन-किन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) सभी सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी सिफारिशें अविलम्ब कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) संसदीय उप-समिति ने भगीरथ पत्रिका के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। तथापि, फरवरी, 1992 में राजभाषा संबंधी संसदीय उप-समिति को आश्वासन दिया गया था कि भगीरथ (हिन्दी) और भगीरथ (अंग्रेजी) की प्रतियों की समान संख्या मुद्रित की जाएगी।

अभी भगीरथ (अंग्रेजी) की 2300 प्रतियां और भगीरथ (हिन्दी) की 2100 प्रतियां छापी जा रही हैं। अभी भगीरथ (अंग्रेजी) के भुगतान करने वाले अंशदाताओं की संख्या 350 और भगीरथ (हिन्दी) के अंशदाताओं की संख्या 44 है।

(ङ) अब से आगे भुगतान करने वाले अंशदाताओं की संख्या को ध्यान में रखे बिना भगीरथ (अंग्रेजी) और भगीरथ (हिन्दी) की प्रतियों की समान संख्या छापी जाएगी।

रेबीज रोधी औषधियों की कमी

4843. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में रेबीज रोधी औषधियों की भारी कमी है;

(ख) क्या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में उपलब्ध औषधियों की उपयोग संबंधी निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) क्या गरीब लोगों की इसलिए मृत्यु हो जाती है कि यह औषधि न तो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में उपलब्ध है और न ही ये लोग इसके अत्यन्त महंगे होने के कारण बाजार से इसे खरीद सकते हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में इन औषधियों की समुचित आपूर्ति करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ङ) देश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की कुल संख्या क्या है तथा उक्त सुविधा कितने केन्द्रों में उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियां राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की उपलब्धता की स्थिति हर राज्य में भिन्न है।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की समय-समय पर सलाह दी जाती है।

(ङ) देश में 21802 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लाभार्थियों के लिए औषधियों का स्टाक रखना होता है और उनकी आपूर्ति करनी होती है।

[अनुवाद]

बाणसागर परियोजना, मध्य प्रदेश

4844. श्री सुखलाल कुशवाहा : **क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में ही पूरा किए जाने हेतु निर्धारित मध्य प्रदेश की बहु-उद्देश्यीय बाण सागर परियोजना के अभी तक पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) बाणसागर परियोजना के निम्न पूर्वा नहर के सतना कार्यालय को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाण सागर प्ररियोजना के सतना मंत्रालय कार्यालय को पुन: खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: खोलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बाण सागर परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं : उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियों का अंशदान न करना और पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति को अंतिम रूप देने में विलम्ब।

(ख) से (घ) बाण सागर परियोजना का सतना कार्यालय मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और उस कार्यालय को बन्द करने और पुन: खोलने के बारे में निर्णय राज्य सरकार की सुविधा पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाएं

4845. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री अनंत कुमार हेगडे :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
श्री नवल किशोर राय :
श्री एन. डेनिस :
जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 1996 के ''द टाइम आफ इंडिया'' में ''पब्लिक हेल्थ आल्सनेटिव स्ट्रेटजीज आर नीटेड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी तंत्र के अलावा अन्य निकायों का भी देश के आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लिए गए अन्य नीति निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर औसतन कितनी धनराशि व्यय की गई और क्या सरकार का आगामी वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पांच प्रतिशत व्यय करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर जे. एस. बजाज की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

इस समिति ने 6 जून, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

इस समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। की गई कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(एक) उपयुक्त धन सहित उपयुक्त रूप से विकसित कार्य योजना के माध्यम से जन-स्वास्थ्य प्रणाली और प्रेक्टिस के विकास में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा।

(तीन) स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन कक्ष की स्थापना।

(चार) बुरी तरह से प्रदूषित क्षेत्रों की निगरानी।

(पांच) एक शीर्षस्थ तकनीकी परामर्शी समिति की स्थापना करना।

(छ:) जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रीय स्कूल खोलना।

(सात) रोग की रोकथाम के लिए केन्द्र की स्थापना करना।

सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित) के लिए 7582.19 करोड़ रुपये और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 6500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए योजना आयोग ने अनेक कार्यदलों का गठन किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात् आगे के ब्यौरों के बारे में पता लगेगा।

[अनुवाद]

इंडेट की गयी औषधियों की आपूर्ति

4846. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभागियों के लिए इंडेट की गयी औषधियों की आपूर्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सी.जी.एच.एस. लाभभोगियों द्वारा इंडेट की गयी औषधियों को समय पर प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या वर्तमान में सी.जी.एच.एस. के प्राधिकृत औषधि विक्रेताओं की संख्या कम है तथा सी.जी.एच.एस. लाभभोगियों को औषधि प्राप्त करने हेतु दूर तक जाना पड़ता है;

(घ) क्या सी. जी. एच. एस. लाभभोगियों द्वारा औषधि विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने सी. जी. एच. एस. लाभभोगियों को समय पर औषध उपलब्ध कराने हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) इंडेट की गई औषधियां सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को प्रायः दो कार्य दिवसों के अन्दर प्रदान की जाती हैं। तथापि, तात्कालिक/जीवनरक्षक औषधियां प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राधिकार पर्ची के द्वारा तुरन्त प्राप्त की जा सकती हैं।

(ग) जून, 1995 से दिल्ली में प्राधिकृत केमिस्टों की संख्या 87 एलोपैथिक औषधालयों के लिए 45 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है।

प्राधिकृत केमिस्ट का चयन करते समय औषधालय से दूरी का ध्यान रखा जाता है।

(घ) प्राधिकृत केमिस्टों की संख्या में हाल ही में की गई वृद्धि को देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) ऊपर "क" को देखते हुए फिलहाल कोई नई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास

4847. श्री माणिकर्राव होडल्या गावीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वृहत् और लघु सिंचाई परियोजनाओं के कारण कितने जनजातीय लोग प्रभावित हुए; और

(ख) अब तक इनमें से कितने लोगों का पुनर्वास कर लिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

चम्बल आधुनिकीकरण योजना

4848. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चम्बल आधुनिकीकरण के संबंध में सी. ए. डी. कोटा द्वारा तैयार की गयी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) कब तक इसका अनुमोदन कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जी हां। चम्बल परियोजना के सामने आ रही समस्याओं पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना फेस-II के अंतर्गत शामिल करने के लिए 41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए नौ उप-स्कीमों का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना फेज-II के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है और आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है ताकि इन्हें विश्व बैंक को भेजा जाये।

जी.टी. रोड को चार लेनों वाला बनाना

4849. प्रो. रीता वर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी. टी. रोड को चार लेनों वाला बनाने की योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार की कितनी लम्बाई की सड़कों को चार लेनों में बदले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु अभी तक कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(घ) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) क्या बिहार में जी. टी. रोड पर बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) बिहार में बरवा अड्डा और बाराकर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 की 42.70 कि.मी. लम्बाई को 127.89 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर चार लेनों में बदलने का प्रस्ताव है। यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना है और अभी निविदा-आमंत्रण की अवस्था में है।

(ग) और (घ) परियोजना में 63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है। केवल 405/406 कि.मी. पर तीन परिवारों (19 लोगों) पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि परियोजना के शेष भाग में कोई जनसंख्या इससे प्रभावित नहीं होगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) 8वीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर उप-मार्ग का कोई प्रावधान नहीं है। निधियों की कमी के कारण उपमार्गों की कम प्राथमिकता दी गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर पुल

4850. श्री चित्त बसु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बन गांव पुलिस थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर "नौ भंग" पुल के पुनर्निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) रा. रा.-35 पर 56 कि.मी. पर मौजूदा लकड़ी के पुल के स्थान पर 90 लाख रु. की लागत से एक नए नवभासन पुल के निर्माण कार्य को वार्षिक योजना (1996-97) में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में विकास कार्य

4851. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विभिन्न छावनियों को विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) सरकार ने इन छावनियों में पानी और बिजली की आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इन बोर्डों को कारगर और लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाला बनाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) सरकार द्वारा राजस्थान में छावनी बोर्डों को विकासात्मक कार्यों संबंधी व्यय सहित अपने सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों में सहयता अनुदान के रूप में दी गई राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	
	नसीराबाद	अजमेर
1993-94	020.30	05.00
1994-95	134.50	17.00
1995-96	020.00	09.00

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड सांविधिक निकाय होने के कारण उन्हें छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है, वे अपने संसाधनों से सड़क, जल निकास, जल-आपूर्ति आदि जैसे विकास करते हैं। केन्द्रीय सरकार घाटे में चल रहे बोर्डों के मामले में आवश्यकता होने पर विशेष अनुदान देकर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। रक्षा संपत्तियों से संबंधित संपत्ति-कर के बदले उन्हें सेवा प्रभार भी अदा किये जाते हैं। बोर्डों की कार्य प्रणाली पर कमानों में रक्षा संपदा निदेशालय और मंत्रालय स्तर पर गहन नजर रखी जाती है। आवश्यक मामलों में बोर्डों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशक के माध्यम से सरकार निदेश जारी करती है। सरकार

ने भी निदेश दिया है कि बोर्डों द्वारा सेवा प्रभारों के रूप में प्राप्त राशियां यथासंभव विकास परियोजनाओं पर व्यय की जायेगी।

[अनुवाद]

निरक्षरता उन्मूलन

4852. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में शुरू किए गए अभियान की तरह भारत से निरक्षरता के उन्मूलन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित किये जाने से जो परिणाम सामने आये थे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अनुकरणीय तथा अपनाए जाने योग्य पाए गए। संपूर्ण साक्षरता अभियान संपूर्ण देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति बन गया है। इस समय देश के 401 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य आठवीं योजना के अन्त तक 15-35 आयु वाले 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर करना है। अभी तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत 5.610 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है।

[हिन्दी]

बिहार स्थित औरंगा जलाशय परियोजना

4853. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** 27-7-1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगा जलाशय परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के समय इसकी अनुमानित लागत कितनी थी और जून, 1983 में परियोजना के संबंध में क्या आकलन किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से औरंगा जलाशय योजना के संबंध में संशोधित आकलन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान अनुमानित लागत क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की निवेश में क्रमश: कितनी भागीदारी (प्रतिशत के साथ) होगी; और

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अब तक अलग-अलग कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सितम्बर, 1983 के दौरान योजना आयोग द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार 1981-82 के मूल्य स्तर पर औरंगा जलाशय परियोजना (बिहार) की अनुमानित लागत 125.40 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) जी, हां। बिहार राज्य सरकार ने जुलाई, 1989 में 1987-88 के मूल्य स्तर पर 297.81 करोड़ रुपये का पहला संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है जो अगस्त, 1993 में मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार ने अब अगस्त, 1996 में दूसरा संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है। अद्यतन अनुमानित लागत 529.49 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्वयं के अपने संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष परियोजना/सेक्टर से जुड़ी नहीं होती है। 3/95 तक प्रत्याशित व्यय 18.4 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में आयोजन

4854. डा. सी. सिल्वेरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति को स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में तथा उन लोगों की स्मृति में जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए न्यौछावर कर दिया को, श्रद्धांजलि देने के लिए, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कुछ समारोह आयोजित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती 15 अगस्त, 1997 से 15 अगस्त, 1998 तक मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गयी है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति भी गठित की गयी है। कार्यान्वयन समिति, अन्य कार्यों के साथ-साथ, भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती समारोहों संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों के उप-राज्यपालों से क्रमश: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समितियां स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

नदी जल का भंडारण

4855. **श्री नवल किशोर राय :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष औसतन 1,170 मिली मीटर वर्षा होती है;

(ख) क्या इस जल का अत्यंत लघु अंश पेय जल के रूप में आम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितने वर्षा जल का उपयोग करने का लक्ष्य है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में सामान्य वर्षापात का वार्षिक औसत लगभग 1189 कि.मी. है।

(ख) और (ग) स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण वर्षापात का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। देश में उपलब्ध कुल उपभोज्य जल (भूतलीय और भूमिगत) 1142 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। इसमें से, वर्ष 1994 के अंत तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग निम्नवत् रहा :

उद्देश्य	उपयोग (बिलियन क्यूबिक मीटरों में)	उपयोग का प्रतिशत
सिंचाई	501.00	82.7
घरेलू	30.40	5.0
(पेय और अन्य उद्देश्यों के लिए)		
औद्योगिक ऊर्जा	20.00	3.3
ऊर्जा	20.20	3.4
अन्य	34.00	5.6
कुल	605.60 अर्थात् 606.00	

आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उपभोज्य जल का ऊर्जा आदि के लिए और भी उपयोग निधियों की उपलब्धता और इस संबंध में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जल विवाद

4856. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के बीच रेलगाड़ी में वमसाधारा चरण-II पर विवाद को निपटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जलमग्न क्षेत्रों सहित विवादास्पद पहलुओं का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में उनके बीच समझौता हुआ है;

(ग) यह विवाद कब से चल रहा है और उसके अंतिम समाधान की तिथि क्या है; और

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी भूमि जल और अन्य पहलुओं के बारे में उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वामसधारा नदी पर नेराडी पर बराज के निर्माण जिसमें उड़ीसा क्षेत्र में 106 एकड़ (42.92 हेक्टेयर) भूमि अधिग्रहण शामिल है, के संबंध में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के बीच 18 जुलाई 1961 को एक समझौता हुआ था। बाद में सितम्बर, 1962 में दोनों राज्य सरकारें वामसधारा जल को 50 : 50 के आधार पर उपयोग करने के लिए सहमत हो गई।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1979 में बनाई गई वामसधारा परियोजना चरण-II में उड़ीसा क्षेत्र में 540 एकड़ भूमि की जलमग्नता शामिल है। चूंकि 106 एकड़ से अधिक में जलमग्नता शामिल हैं, इसलिए केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार को उड़ीसा सरकार से सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1980 की अभूतपूर्व बाढ़ों के बाद परियोजना प्रस्ताव में संशोधन किया है और संशधित प्रस्ताव में उड़ीसा क्षेत्र में और अधिक जलमग्नता है। इस संबंध में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों में अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में रेवाली आदमपुर बांध

4857. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में निर्माणाधीन रेवाली आदमपुर बांध के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर खर्च की गयी कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बांध के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे पूरा करने हेतु कितना धन और लगेगा और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 6.12.1994 को 201.96 लाख रुपये की राशि की रेवाली आदमपुर बांध के सुरक्षा कार्य की स्कीम अनुमोदित की है।

(ख) 3/96 तक 86.42 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, इस समय बांध को कोई खतरा नहीं है। सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

माही परियोजना

4858. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के मुख्य सिंचाई परियोजना "माही बहुदेशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले के बांसवाड़ा से सांगवाड़ा तक नहरों के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) राजस्थान के डूंगरपुर जिले के क्षेत्र बांसवाड़ा से सांगवाड़ा नहर माही बजाज सागर परियोजना यूनिट-II, चरण-II संशोधित अनुमान का एक भाग है। राज्य सरकार को अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करना है, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य की सहमति प्राप्त करनी है और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

[अनुवाद]

गुर्जरों और यादवों की रेजीमेंटें

4859. श्री डी. पी. यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जाट/राजपूत/गोरखा रेजीमेंटों के समान लड़ाकू जातियों तथा गुर्जरों, यादवों की कुछ रेजीमेंटें बनाये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से सरकार की यह नीति रही है कि किसी वर्ग, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र से संबंधित कोई नई रेजिमेंट खड़ी न की जाए। वर्ग, संप्रदाय, धर्म अथवा भाषा पर विचार किए बिना सभी नागरिक भारतीय सेना में भर्ती होने के पात्र हैं बशर्ते कि वे चयन के लिए भर्ती के मानदंड पूरे करते हों।

गंगा के हल्दिया-बलिया सेक्शन पर नौवाहन

4860. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम दो मीटर गहरे जल

में हल्दिया से बलिया तक गंगा की नौवहन योग्य बनाने की दृष्टि से मछलियों के झुंड की, जो प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर दिखती है, हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा के 1620 कि.मी. लम्बे खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। स्कंधों और पुलिनरोधों का निर्माण करके नदी के स्थायीकरण और सुधार कार्य से रेती कम एकत्र हो पाएगी जिससे नौगम्यता बेहतर होगी। इस बारे में मै. इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई आई एल) के माध्यम से एक प्रौद्योगिक परियोजना अध्ययन चालू किया गया है। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, 1996-97 के दौरान अर्ध-स्थायी नदी सुधार उपायों के वास्तविक कार्यान्वयन की एक योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नदी के दीर्घावधिक सुधार के लिए वास्तविक गाडलिंग अध्ययन कार्यों और फील्ड परियोजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखा जाएगा। खुली नदी नौगम्यता के मामले में, रेती हटाने के लिए नदी तल विनियमन विधि को अपनाया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, प्रति वर्ष रेती को हटाने और गहराई को बरकरार रखने के लिए बंडालिंग और निष्कर्ष किया जाता है। रेती से प्रभावित स्थलों का पता लगाने और उसकी गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से जलराशिक सर्वेक्षण किये जाते हैं। 1996-97 में निकर्षण और तलीय निकर्षण के लिए 28.5 लाख रु. के प्रावधान के अतिरिक्त, हल्दिया-बलिया खंड में 3500 बंडलों के सृजन के लिए 26.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है।

सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी राज्यों द्वारा बकाये का भुगतान

4861. **श्री नामदेव दिवाथे** :
श्री सनत मेहता :
श्री हरिन पाठक :
श्री दिलीप संघाणी :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी राज्य नामत: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान ने प्राधिकरण द्वारा यथा निर्णित अपने बकाया व्यय में हिस्से का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य के विरुद्ध कितनी धनराशि का बकाया है तथा बकायों को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार, इस परियोजना से विश्व बैंक के हटने के बाद अपने हिस्से का भुगतान राज्यों को किए गए वादानुसार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) लाभार्थी राज्य अपने-अपने हिस्से का भुगतान समय-समय पर करते रहे हैं किन्तु गुजरात सरकार द्वारा किये गये दावों के अनुसार पूरा नहीं किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में 30 जून, 1996 को गुजरात राज्य को देय पक्षकार राज्यों के हिस्से का विवरण इस प्रकार है :-

मध्य प्रदेश	435.82 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	54.92 करोड़ रुपये
राजस्थान	134.41 करोड़ रुपये
कुल	626.15 करोड़ रुपये

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में सरदार सरोवर परियोजना की लागत के हिस्से का गुजरात राज्य को अन्य पर राज्यों द्वारा भुगतान से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई और राज्यों को गुजरात सरकार देय बकाया राशि के तुरंत भुगतान की आवश्यकता से अवगत करवाया गया। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति द्वारा भी इस मुद्दे पर विचार किया गया जिसमें देय राशि वाले राज्य गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से इस मामले पर निर्णय करने पर सहमत हुए।

(घ) और (ङ) जी हां। संबंधित राज्यों द्वारा जून, 1996 तक प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :

गुजरात	132.53 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	063.71 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश	134.51 करोड़ रुपये
कुल	330.75 करोड़ रुपए

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालाजी, मेसरा के निदेशक के पद को पुनः पदनामित किया जाना

4862. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य मानित विश्वविद्यालयों की मांग की अनदेखी करते हुए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी मेसरा, रांची के निदेशक का पद भारत सरकार द्वारा 1994 में उपकुलपति के रूप में पुनःपदनामित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे पद के लिए चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये नियम तथा कानूनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उपर्युक्त नियुक्ति में इन नियमों का कड़ाई से पालन हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची के निदेशक के पद को 1994 में पुनः कुलपति के रूप में पदनामित किया गया था। निदेशक के पद को पुनः कुलपति के रूप में पदमानित करने का प्रस्ताव संस्थान के शासी बोर्ड तथा आम निकाय द्वारा किया गया था जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहमति दी थी। कुलपति का पद अनेक अन्य सम विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संघ ज्ञापन के मॉडल में कुलपति अथवा निदेशक के पद का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति सम-विश्वविद्यालय के प्रेजीडेन्ट/अध्यक्ष द्वारा समिति द्वारा सुझाए गए 3 अथवा 4 नामों के पेनल में से की जाएगी।

(घ) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है कि नियमों और विनियमों के विरुद्ध नियुक्ति की गई है।

सीनेटर हेंक ब्राउन की यात्रा

4863. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या **विदेश मंत्री** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीनेटर हेंक ब्राउन द्वारा अपनी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान भारत-अमरीकी संबंधों पर भारत सरकार से कोई विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। सीनेटर हेंक ब्राउन ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान विदेश सचिव से मुलाकात की।

(ख) सीनेटर हेंक ब्राउन के साथ सामान्य स्वरूप के विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर विचार-विमर्श हुआ।

[हिन्दी]

रणजीत सागर बांध

4864. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 96 "द हिन्दू" में "मच वाटर दिल वेस्टफुल्ली टू पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा न होने की उम्मीद है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंजाब में रावी नदी के पानी का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा उसका पानी उक्त अन्य देश में बह कर जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त बांध के निर्माण में सहायतार्थ कुछ विशेष उपाय करने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रावी नदी पर रंजीत सागर बांध के निर्माण में विलंब के विभिन्न कारणों से हुआ है जो वे हैं : जम्मू व कश्मीर में भूमि अधिग्रहण, पंजाब सरकार के पास निधियों की उपलब्धता और विगत में उच्च बाढ़ों के कारण व्यपवर्तन सुरंगों को हानि। निधियों की उपलब्धता अभी भी परियोजना को पूरा करने में एक मुख्य बाधा है।

(घ) पंजाब में रंजीत सागर बांध परियोजना और शहपुर काण्डी परियोजना के पूरा होने के बाद, भारत सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों अर्थात् रावी, व्यास और सतलुज के औसत वार्षिक प्रवाह जो सिंधु जल संधि के अनुसार भारत का पूरा हिस्सा बनता है, का उपयोग करने की स्थिति में हो जाएगा।

(ङ) केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्तरों पर सभी प्रयास कर रही हैं ताकि परियोजना लक्ष्य तिथि तक पूरी हो जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-53

4865. श्री थ. चौबा सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 की जीरीबाम-इम्फाल भाग एक लेन का है तथा पुलों की भार वहन क्षमता कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजमार्ग को दो लेनों का बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरंभ करने तथा शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या-क्या सुधार लाने के प्रस्ताव हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्माण कार्य संभवत: इस वर्ष में आरंभ होगा।

(घ) अन्य कार्यों के अलावा 108.00 लाख रु. राशि के पांच पुलों का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग लेन विशिष्टियों के विकास के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नोक्त कार्य की भी योजना है :-

(एक)	फोरमेशन	-	14.84 कि.मी., सी एल-9 विशिष्टियों के समान।
(दो)	सरफेसिंग	-	13.85 कि.मी., सी एल-9 विशिष्टियों के समान।
(तीन)	स्थायी कार्य	-	55.49 लाख रु.

बड़ी नहरों का निर्माण

4866. श्री आर साम्बासिवा राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पूर्वोत्तर भाग से शुरू होकर पश्चिम भाग तक एवं उत्तरी भाग से शुरू होकर दक्षिण के अंतिम छोर तक दो बड़ी नहरों के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अर्थक्षम परियोजना को शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) व्यवसाय से पायलट कैप्टन दस्तूर ने मंत्रालय नहर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें मुख्यत: दो नहरें शामिल हैं नामश: (1) समुद्र मध्य स्तर के ऊपर 335 मीटर व 457 मीटर के बीच उत्थापन पर 4200 कि.मी. लंबी और 300 मीटर चौड़ी हिमालय नहर जो हिमालय की दक्षिणी ढालों के साथ-साथ म्यांमार सीमा तक ब्रह्मपुत्र से आगे दक्षिण तक जाएगी और (2) समुद्र मध्य स्तर के ऊपर 244 मीटर व 305 मीटर के बीच उत्थापन पर 9300 कि.मी. लंबी एवं 300 मीटर चौड़ी केन्द्रीय व दक्षिणी मंत्रालय नहर/हिमालय व तंत्रमाल नहरों को जल के अंतरण के लिए पाइप लाइनों के द्वारा दो स्थलों (दिल्ली व पटना) पर आपस में जोड़ने का प्रस्ताव था। कैप्टन दस्तूर द्वारा अनुमानित लागत (1974 के आसपास) 24,095 करोड़ रुपए थी।

केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों से विशेषज्ञों एवं प्रोफेसरों की दो विशेषज्ञों समितियों ने प्रस्ताव की जांच की जिनकी राय थी कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से प्रतिबंधात्मक है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए प्राथमिक अध्ययनों ने दर्शाया है कि दस्तूर प्रस्ताव की लागत लगभग 12 मिलियन करोड़ रुपए होगी। तकनीकी रूप से कमजोर व आर्थिक रूप से प्रतिबंधात्मक होने के कारण योजना को छोड़ दिया गया।

आंगनवाड़ियों को प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं बनाना

4867. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बात विकास योजना को केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(ख) क्या सरकार का आंगनवाड़ियों को प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में बदलने और उनके कार्यकर्ताओं को स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने का काम देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई. सी. डी. एस. योजना के अद्यतन पैकेज के तहत क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को 1995-96 में सर्वसुलभ बना दिया गया है और तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य क्षेत्र की चालू सभी 511 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र की आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया जाये। इन 511 परियोजनाओं में से राज्य क्षेत्र की 194 परियोजनाओं को 1996-97 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में परिवर्तित किया जायेगा। राज्य क्षेत्र की शेष 317 परियोजनाओं को 1-1-1998 से अर्थात् इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता की समाप्ति के पश्चात्, केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में परिवर्तित किया जायेगा।

(ख) और (ग) आी.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है। 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के स्कूल पूर्व बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है। तदनुसार चालू आंगनवाड़ी केन्द्र 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। तदनुसार चालू आंगनवाड़ी केन्द्र 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए स्कूलपूर्व गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं और चूंकि, स्कूल पूर्व शिक्षा इस पैकेज का एक अभिन्न अंग है इसलिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को बुनियादी शैक्षिक संस्थाओं में परिवर्तित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बालिका विद्यालय

4868. डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री एस. पी. जायसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विशेष रूप से इलाहाबाद में कन्याओं के लिए हायर सेकेण्डरी और सीनियर सेकण्डरी विद्यालयों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में कन्या हायर सेकण्डरी और सीनियर सेकण्डरी विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि हेतु विश्व बैंक की सहायता

4869. श्री सोहन बीर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि की प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी करने के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन उत्तर-प्रदेश के स्मारक

4870. श्री सोहन बीर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन स्मारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन स्मारकों को अनेक सुविधाएं देने के लिए अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्र द्वारा संरक्षित 784 स्मारक तथा स्थल हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा स्थित ताजमहल परिसर में एक सूचना केन्द्र स्थापि करने तथा लखनऊ स्थित आसिफी इमामबाड़ा में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का एक सूचना केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि स्कीम से स्मारक के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन की बात कही गयी थी। आसिफी इमामबाड़ा एक धार्मिक स्मारक है और इसमें इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्द चित्रण नहीं है, और अत: ध्वनि एवं प्रकाश शो आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान होने पर विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

4871. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कितने विद्यालयों को शामिल किया गया;

(ख) क्या अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के प्रति इस संबंध में भेद-भावपूर्ण रवैया अपनाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) 30 सितम्बर, 1986 की यथा स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यमान 70438 प्राथमिक स्कूल शामिल किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों के लिए तृतीय शिक्षक के 1180 पद स्वीकृत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में स्टेडियम

4872. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु कितने स्टेडियम हैं तथा इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नये खेल-कूद स्टेडियम के निर्माण का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) खेल राज्य का विषय है। तथापि, विभाग ने खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान की अपनी योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में स्टेडियमों के लिए समतुल्य केन्द्रीय सहायता प्रदान करके पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की हैं।

(1) लखीमपुर खेरी में आउटडोर स्टेडियम;

(2) सफाई, इटावा में एस.पी.डी.ए. केन्द्र;

(3) लखनऊ में राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर।

(ख) स्टेडियमों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त कोई भी नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

4873. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास कर दिया गया है और कितनों का पुनर्वास अभी किया जाना है; और

(ख) राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और 1994-95 और 1995-96 के दौरान इससे कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के जिला सैनिक बोर्ड में

कुल 2065 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं। जिला सैनिक बोर्ड के चालू रजिस्टर में 1.1.1994 से 31.3.1996 के दौरान 234 भूतपूर्व सैनिक पुनर्नियोजन के लिए दर्ज थे। इनमें से 29 भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पुन: रोजगार उपलब्ध करवाया गया था और शेष 205 को अभी पुन:स्थापित किया जाना है। भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन/पुन:स्थापन एक सतत प्रक्रिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के पुन:स्थापन के लिए समूह ''ग'' के 10 प्रतिशत तथा समूह ''घ'' के 20 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किये हुए हैं। अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के दस प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ''ग'' पदों में 14.5 प्रतिशत आरक्षण तथा समूह ''घ'' पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग, सर्विस उद्योग, कृषि-आधारित उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए ऋण/वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

3. 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश से पुन: स्थापित किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :-

		1994-95	1995-96
(क)	सरकारी नौकरियों में पुनर्नियोजित	1357	3745
(ख)	जिन्हें सैम्फेक्स योजनाों के अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया	178	167
(ग)	जिन्हें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया	177	201
(घ)	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया गया		
	(एक) सुरक्षा गार्ड	973	4669
	(दो) तकनीकी सेवाएँ	59	360

मध्यान्ह 12.00 बजे

[अनुवाद]

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। उसके बाद शून्यकाल होगा जिस किसी ने भी सूचना दी है, उसे मौका मिलेगा। आप इस बारे में बिल्कुल कोई चिन्ता न करें। शून्यकाल की अनुमति दी जाएगी।

अपरान्ह 12.$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैद भारतीय मछुआरों के बारे में श्री मोहन रावले द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 538 के 15 जुलाई, 1996 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : मैं श्री इन्द्रकुमार गुजराल की ओर से पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैद भारतीय मछुआरों के बारे में श्री मोहन रावले, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 538 के 15 जुलाई, 1996 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 460/96)

नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. 461/96)

3 (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजिज़म्स, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** सं. एल. टी. 462/96)

(5) (एक) सालार जंग म्यूज़ियम बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग मयूज़ियम बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 463/96)

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 464/96)

(9) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के अंतर्गत सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 464क/96)

(10) (एक) इंडियन म्यूज़ियम, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूज़ियम, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 465/76)

दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति :-

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल. टी. 466/96)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं के प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 467/96)

शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1996 और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1996, जो 2 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-55/93 (भाग-1/पीसीआई/9137-9652) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल. टी. 468/96)

(3) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल. टी. 469/96)

एजुकेशनल कंसलटेंस इंडिया लि., नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल. टी. 470/96)

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 471/96)

(5) (एक) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 472/96)

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या 473/96)

(9) विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 474/96)

(11) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 475/96)

(13) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 476/96)

(15) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, सूरत के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, सूरत के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 477/96)

(17) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल. टी. 478/96)

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री बीजू पटनायक (कटक) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97)

के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04 बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

(हिन्दी)

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के बारे में

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : महोदय, 15 अगस्त, 1997 को भारत अपनी स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे कर लेगा। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। स्वतंत्रता हमको आसानी से नहीं मिली थी। इसको प्राप्त करने के लिए हमने महात्मा गांधी और कई अन्य नेताओं के नेतृत्व में कड़ा संघर्ष किया था। अतएव, यह उचित होगा कि हम स्वाधीनता संघर्ष की आकांक्षाओं और पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों की स्मृति में अपनी स्वाधीनता की भावना को समुचित ढंग से मनाएं।

संविधान सभा को संबोधित करते हुए, स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी :

> "काफी समय पहले हमने अपनी नियति का लक्ष्य रखा था और अब वह समय आ गया है जबकि हम अपनी प्रतिबद्धता को, पूर्णतया न सही, काफी हद तक पूरा करेंगे। आधी रात की इस बेला में, जबकि संपूर्ण विश्व सोया हुआ है, भारत को जीवन व स्वतंत्रता मिलेगी।"

अब जबकि हमारी स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब इस बात के लिए आत्म-निरीक्षण करने का समय आ गया है कि हम किस हद तक अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यह हमारे जीवन की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना होगी, भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1997 से वर्ष भर चलने वाले समारोहों को आयोजित करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग को इन स्मरणोत्सवों के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है।

स्वर्ण जयंती समारोहों के दौरान उपयुक्त गतिविधि की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अग्रिम रूप से एक ढांचा स्थापित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति और मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय समिति के सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के होंगे और जल्दी ही उनके नाम अधिसूचित किये जायेंगे। गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति भी गठित की जा रही है।

राष्ट्रीय समिति को अधिकृत किया गया है कि वह समुचित कार्यक्रमों के निरूपण हेतु सामान्य नीति निर्देश तथा दिशा निर्देश प्रदान करें। मंत्रीमंडल समिति को समारोहों के कुशल एवं सफल आयोजन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सरकार की तरफ से सभी निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जायेंगी। अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यान्वयन समिति के कार्यों में (क) इस महत्वपूर्ण समारोह के स्मरणोत्सव के लिए समारोह एवं कार्यक्रम तैयार करना और (ख) ऐसे समारोहों और कार्यक्रमों को कार्यान्वियत करना शामिल होंगे।

देश में स्वतंत्रता संग्राम की भावना जगाने तथा स्वतंत्रता संग्राम की वीरगाथा के बारे में नौजवान पीढ़ी को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्यक्रमों में जोर इस बात पर होगा कि जहां तक संभव है यह कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए न कि समारोहों को दिल्ली अथवा राज्य की राजधानियों तक सीमित रखा जाए। समारोह उस तरीके पर भी प्रकाश डालेंगे जिसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित हुई हैं और पिछले 50 वर्षों के दौरान कायम रही है।

चूंकि इन सभी गतिविधियों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होगा और सभी स्तरों पर सरकारी मशीनरी तथा लोग शामिल होंगे। इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर संबंधित मुख्यमंत्रियों तथा उप-राज्यपालों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करना महत्वपूर्ण होगा। जहां एक ओर ये समितियां राज्य स्तर के कार्यक्रम तैयार करेंगी वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख भी करेंगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों से ऐसी समितियों का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

मुझे विश्वास है हमारे राष्ट्र के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह को मनाने में किए जा रहे हमारे प्रयासों में इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों से सहायता मिलेगी।

[अपराह्न 12.09 बजे]

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 6 सितम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 सितम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्रीय देश है। हमारी लोक सभा और यह सर्वोच्च सदन, इस सदन से देश में आचरण की कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं। सदन के साथ-साथ सदन के सदस्य कैसे व्यवहार करे, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए तथा हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए इस सदन के माननीय सदस्य, टेलीकॉम फेम श्री सुखराम के अशोभनीय, निअबकमिंग, अपमानजनक, डैरोगेटरी व्यवहार के संबंध में सदन की कमेटी ने जांच करनी चाहिए। इस बारे में जो प्रस्ताव मैंने आपको दिया है, उसके संबंध में मैं बोलना चाहता हूं।

इस प्रकार जब व्यवहार होता है, तो इस संबंध में क्या करना चाहिए, इस बारे में कौल एंड शकधर द्वारा पृष्ठ 288 पर साफ लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"जिस व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास हो जाए कि किसी सदस्य ने ऐसे ढंग से काम किया है जो उसके विचार से सभा की गरिमा या उस स्तर से मेल नहीं खाता जिसकी आशा संसद सदस्य से की जा सकती है, वह इस बारे में अध्यक्ष या सदन के नेता को सूचना दे सकता है। इस प्रकार आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यकता है कि सबसे पहले उसे इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि उसके तथ्य ठीक हैं और उसे अपने आरोप प्रामाणिक साक्ष्य वह दस्तावेज के रूप में हो या परिस्थितियों पर आधारित हों, पर आधारित करने चाहिए।"

[हिन्दी]

इसलिए मेरे पास जो जानकारी है, वह मैंने आपको प्रस्तुत की है। आपके साथ-साथ मैंने देश के प्रधान मंत्री जी की भी सारी जानकारी दी है और नोटिस भी दिया है। इस बात पर विचार करने से पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं और वह बात है, सन् 1951 की। सन् 1951 में श्री एच. जी. मुदगल इस सदन के माननीय सदस्य थे। यह 45 साल पहले की कथा है। ऐसा लगता है, उस समय की नीति और आज की नीति में काफी परिवर्तन हुआ है। नैतिकता बहुत नीचे गिर गई है। लेकिन उस समय पर क्या हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मुम्बई बुलियन एक्सचेंज से संबंधित एक विधेयक सदन में आने वाला था, उसमें अमेंडमेंट सूचित करने के लिए दो हजार रुपये ले लिये गए। जब दो हजार रुपए ले लिए गए, तो यह बात जानकारी में आई और उसके आधार पर यहां चर्चा हुई तथा एक हाउस कमेटी बनाई गई। आप इस बात पर विचार कर सकते हैं, उस समय के दो हजार रुपये और आज के चार, पांच, छः या पन्द्रह, बीस करोड़ रुपये में क्या अन्तर हो सकता है। 1951 में इस सदन ने क्या किया, यह हमको सोचना चाहिए। इस सदन के पांच सदस्यों की समिति 8 जून, 1951 की बनाई गई और उस कमेटी ने विचार-विनिमय करके 24 सितम्बर, 1951 को, यानि पांच-छः महीने के बाद, अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में सारी बातें थीं। उसमें यह स्पष्ट हो गया कि यह हकीकत है, ऐसा पता चला है। कमेटी ने रिकमेड किया कि इनको सदन से निकालना चाहिए।

[हिन्दी]

उन्हें सदन से निष्कासित किया ही जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सदन में यह बहस चल रही थी, तो उस समय श्री एच. जी. मुदगल साहब उठे और उन्होंने देखा कि सदन में ऐसी बात हो रही है, तो कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जो प्रस्ताव उस समय था, उसको सरकमवैंट करने की कोशिश उन्होंने की। इस बात को सदन ने बहुत गम्भीरता से लिया। जो प्रस्ताव सदन में आया था, उसमें अमेडमेंट करके उनको तुरन्त सदन से निकालना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया। यह बात 1951 की है। इसलिए उस बात पर उस समय के स्पीकर साहब ने रुलिंग दी, उसके आधार पर और जो प्रोसीजर में बताया है, उसके आधार पर मैं यह सवाल उठा रहा हूं ।

सदन को सोचना चाहिए, माननीय सदस्य, श्री सुखराम, ने ऐसा कौन सा अशोभनीय, कौन सा डैरोगेटरी, कौन सा अपमानजनक व्यवहार किया है।

मैं सारी तफसील में न जाते हुए केवल दो बातें प्रमुख बताना चाहता हूं। हम सब लोगों को अखबार से पता चलता है कि उनके घर में से लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए, कई प्रकार के डाकुमेंट्स और कई प्रकार के अलग-अलग प्रोमिसरी नोट प्राप्त हुए। अब सवाल यह आता है कि इतना कैश उनके घर में कैसे आया। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मामले के ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सांसदों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं थोड़े में ही कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि यह कितना अनुपयुक्त है। महोदय, किसी भी नागरिक को इतना कैश अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब यह तो एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने इस प्रकार से कैश रखा और बाद में लॉकर खोले गए। इसके अलावा और भी जानकारी आई है। अब बात यह है कि इनके घर में इतने बड़े पैमाने पर कैश प्राप्त हुआ। दूसरी एक महत्व की बात यह है ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक, हम इस विषय पर बहस शुरू नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मैं केवल तथ्य बता रहा हूँ, ब्यौरा नहीं दे रहा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्यों को लोक सभा सैक्रेटेरियेट से एक हैंड बुक मिली हुई है। उसके रूल 87 में जो कहा है, उसको मैं पढ़ कर अपनी बात पूरी कर दूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं नियम 96 उद्धृत कर रहा हूँ-

"सदस्यों की विदेश यात्रा"

"(1) जब कोई सदस्य विदेश यात्रा करने का निर्णय करे तो उसे भारत से रवाना होने की तिथि से लगभग दो सप्ताह पूर्व लोक सभा सचिवालय को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए:-

(एक) तिथि, समय, उड़ान संबंधी ब्यौरे सहित यात्रा कार्यक्रम तथा उन देशों के नाम जिनकी यात्रा की जानी है एवं मार्ग के दौरान की यात्रायें;

(दो) क्या यात्रा सरकारी है अथवा गैर-सरकारी-यदि सरकारी है तो उसका वास्तविक उद्देश्य;

(तीन) प्राप्त पारपत्र का स्वरूप-क्या पारपत्र राजनयिक है अथवा शासकीय अथवा साधारण; और

(चार) यात्रा किए जाने वाले देशों में ठहरने के स्थानों के पते।

(2) उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर लोक सभा सचिवालय यात्रा किये जाने वाले देशों में अंतर्संसदीय संघ/राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिवों/भारतीय दूतावासों को तदनुसार सूचित करता है और उनसे अनुरोध करता है कि सदस्य को आवश्यक सहायता और सम्मान दिया जाये।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अब ऐसा पता लगता है, ऐसा दिखाई देता है, अखबार में रोज-रोज नयी-नयी खबरें आ रही है कि वह कहां हैं। हो सकता है कि आपको जाते समय बताया हो, लेकिन हमको तो पता नहीं है।

[अनुवाद]

आप जानकारी पाने के लिए बेहतर स्थिति में है।

[हिन्दी]

जब इस प्रकार की रेड उनके मकान पर हो गई तो सारी दुनिया में यह बात फैल गई, सुखराम जी कहां है। उनका पता नहीं है। फिर दो दिन बाद आया। वे मिल गए हैं। फिर तीसरे दिन बाद आया। वे सबके सामने आ रहे हैं। फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हाई कमीशन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार की अलग-अलग खबरें आपने भी बताया कि इनफोरमेशन मांगी है। सदस्यों को नोटिस देना चाहिए, इस बात को ख्याल में रख कर मेरे नोटिस की एक कापी आपके पास दी गई है। आपको जो एड्रेस मालूम हो उस एड्रेस पर मेरा नोटिस भी उनको जाए।

[अनुवाद]

ताकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि मैं यह मामला उठा रहा हूँ।

[हिन्दी]

अब इन सारी बातों को देख कर आपको विचार करना चाहिए और सदन को विचार करना चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी ने तय भी

किया है कि उस सदस्य का व्यवहार अच्छा नहीं है इसलिए उनको सस्पेंड किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात में देरी से एक्शन लिया, पर लिया तो सही। इसलिए मेरा कहना यह है कि इनका जो यह व्यवहार है वह सदन के सम्माननीय सदस्य के नाते योग्य नहीं है। सदन को दुनिया की नजर में, देश की नजर में नीचा दिखाने वाली बात है। इसलिए एक हाउस कमेटी का गठन करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी बातें पता चल सकती है कि इन्होंने कौन से कांट्रेक्ट दिये। फिर उस पर सदन विचार कर सकता है। यह बात भी आई थी कि एक ज्वाइंट पर्लियामेंट्री कमेटी बनाएं या न बनाएं, इस पर भी विचार हो सकता है। ज्वाइंट कमेटी बनाने के बाद उसका उपयोग नहीं होता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि सिक्युरिटी स्कैम पर जो जे. पी. सी. बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बाद में जो सरकार को करना चाहिए था वह उसने नहीं किया। इसलिए इस प्रकार की एक कमेटी बनानी चाहिए, उसका बहुत उपयोग होगा।

महोदय, अंत में मेरा यह कहा है कि यह जो कमेटी बनाने की बात है यह इसलिए है कि यह सदस्य के व्यवहार को जानने का काम करेगी। सी.बी.आई. अपना काम करेगी, जो क्रिमिनल प्रोसिजर है, इन्कम टैक्स है और बाकी के अलग-अलग कानून है, उसके आधार पर जो कार्यवाही करनी चाहिए यह भी चालू रखनी चाहिए। इतनी बात होने के बाद हम लोगों को पता नहीं चलता है।

[अनुवाद]

वे क्यों नहीं आ रहे हैं? सी. बी. आई. उन्हें देश में क्यों नहीं ला रही है।

[हिन्दी]

ये सारी बातें सरकार को सदन में साफ करनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो हम लोगों को जा कर कह सकेंगे कि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारा कुछ सम्मान है। अगर इस प्रकार की चर्चा देश में चलती रही कि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे ही होते हैं तो मुझे लगता है कि सदन की अवमानना होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं हमें इस समय उस पर विचार नहीं करना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इस बात को लेकर मेरा सुझाव है कि आपको इस प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इस बारे में सरकार क्या करना चाहती है इसका भी जवाब देना चाहिए।

इसलिए सरकार को मेरा प्रस्ताव मंजूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है यह उसको बताना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने इस बारे में पूरी बहस की मांग की है। सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। जैसा कि मैंने एक दिन सदन को सूचित किया था...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : सी.बी.आई. के कंडस्ट को जिस प्रकार से इन्होंने... **(व्यवधान)** वे लंदन गये थे ... **(व्यवधान)** फर्जी बीमार बने हुए हैं। गृह मंत्री जी को इस बारे में स्टेटमेंट देना चाहिए। ...**(व्यवधान)** गृह मंत्री जी बताना नहीं चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हुई। ...**(व्यवधान)** 10 अगस्त से आज तक कुछ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जस्टिस लोढा, क्या आपको हर विषय पर बोलना होता है?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 184 के तहत नोटिस दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं विषय के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। जो विषय सामान्य नहीं होते उन पर विचार करने का एक तरीका होता है। यहां एक सदस्य के आचरण का मामला है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहां कोई स्थायी नियम नहीं है। श्री नाइक ने छठे दशक के शुरू के एक मामले का उल्लेख किया, जबकि उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। विश्व की अन्य संसदों में ऐसे मामलों से निपटने के लिए आचरण समिति नाम से एक स्थायी समिति होती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : यह कमेटी तुरन्त बनाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार, समिति बनाई गई थी, जिसका जिक्र श्री नाईक ने किया, तब

हमारे यहां विभागीय स्थायी समितियां नहीं थीं। अब हमारे यहां स्थायी समितियों की नई प्रक्रिया है। और भी बहुत सी नई बातें हमारे यहां है। हमारे लिए ऐसे मामलों से निपटने के बारे में तुरन्त किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह ही एक अकेला मामला नहीं है। मुझे श्री दासमुंशी की एक और से सूचना भी मिली है। श्री नाईक ने स्वयं कहा है प्रतिदिन अखबारों में सदस्यों के आचरण के बारे में छपता है। इस पर बड़ी सावधानी से विचार करना होगा। हमें आपस में इस पर चर्चा करनी चाहिए और ऐसे मामलों से निपटने का तरीका खोजना चाहिए।

जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि हमने गृह मंत्रालय की टिप्पणी मांगी है। मंत्रालय ने बताया है कि मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंप दिया गया है, क्योंकि वह विभाग ही भ्रष्टाचार विरोधी मामलों से निपटता है।

हमारे पास माननीय सदस्य का पता है। मेरे पास उनके दो पत्र आए हैं, जिनमें उन्होंने अपने सभा में न आने का कारण बताया है। यह सही नहीं है कि सदस्य का अता-पता नहीं है। मुझे उनके पते की जानकारी है। हमने उन्हें एक पत्र भी लिखा है। हमें कुछ इन्तजार करना चाहिए। यदि अगले दो दिन तक मुझे उनसे कोई सूचना नहीं मिलती है, तब मैं इस मामले से निपटने के बारे में, अंतिम निर्णय लूँगा।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा के स्थगन से पहले हमें यह निर्णय लेना चाहिए ..(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यही नहीं, अन्य महत्वपूर्ण मामले भी है ..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब सब बोल रहे हैं, मैं कैसे सुन सकता हूँ।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे केवल दो कान हैं।

... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने 16 जुलाई को आपको एक पत्र लिखा था लेकिन आपने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, 13 तारीख तक तो सत्र समाप्त हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। श्री फर्नान्डीज मैं आपको भी अवसर दूँगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कोई रेल दुर्घटना होने पर, भले ही उसमें एक व्यक्ति की जान गई हो, यह परम्परा रही है कि मंत्री महोदय सभा में वक्तव्य देते हैं। रोजाना, श्री सुखराम का मामला ही नहीं अनेक मामले सभा के समक्ष आ रहे हैं। इंडियन बैंक से एक हजार करोड़ रुपये गायब हो गए। और अनेक मामले हैं। सरकार कोई वक्तव्य न देकर अपना काम नहीं कर रही है। ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, क्या आपने सूचना दी थी? जिन्होंने सूचना दी है, उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा।

... (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप हस्तक्षेप करें ... (**व्यवधान**) सुखराम जैसे मामले के बारे में सरकार को सदन को जानकारी देनी चाहिए। हमें यह जानकारी सभा में न मिल कर समाचार पत्रों से क्यों मिले?

श्री बसुदेव आचार्य : सभा 13 सितम्बर को स्थगित हो जाएगी। हमें इस गम्भीर मामले पर चर्चा करनी चाहिए तथा सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। ... (**व्यवधान**) समाचार पत्रों में सब बातें आ रही है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 16 जुलाई को आपको पत्र लिखा। वह पत्र छपकर समूचे देश में पहुंचा और उधर अखबारों में भी छपा। अन्य जगहों पर भी गया तथा टी. वी. पर भी गया। एक सदस्या इस सदन में बैठी हैं और फोर्जरी करके इस सदन में आयी है ... (**व्यवधान**) ... सारे दस्तावेज हमारे पास पड़े हैं और यह मामला महत्वपूर्ण नहीं है। ... (**व्यवधान**) ... आप हाऊस की कोई भी कमेटी बनाइये, ज्वायंट कमेटी बनाइये या किसी भी प्रकार की कमेटी बनाइये लेकिन हम जवाब चाहते हैं कि इस सदन में ऐसा व्यक्ति कैसे आया है? ... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत गलत है। ऐसे सीनियर मैम्बर इस सदन में यह स्टेटमेंट दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी कृपा कर बैठ जाइए।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उनके जैसा एक वरिष्ठ सदस्य सदन में ऐसी बात कह रहा है।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सभी बैठ जाएं।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपको डांट नहीं सकता।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, माननीय सदस्य भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमाणपत्र लेकर इस सभा में आए हैं।

... (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास निर्वाचन आयोग के सभी कागजात है। ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ कि यह सब मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके लिए उचित स्थान अदालत और निर्वाचन आयोग हैं।

... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्दन

... (**व्यवधान**)

श्री टी. गोविन्दन (केसर गोड़ा) : मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान केन्द्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की कठिनाईयों की ओर खींचना चाहता हूँ। ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं और सभा इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस मामले के लिए अन्य जगह जाना होगा। इस बारे में निर्वाचन याचिका पर विचार हो रहा है।

... (**व्यवधान**)

श्री टी. गोविन्दन : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 70,000 कर्मचारी कार्यरत है ... (**व्यवधान**) भारत के दूरस्थ स्थानों समेत इसकी 196 शाखाएं हैं। उनके सामने कुछ गम्भीर कठिनाइयां हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारे किसी आचरण से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यह सदन 13 सितम्बर को सत्रावसान होकर खत्म हो जायेगा। आप दो दिन का समय मांगते हैं ... (**व्यवधान**) ... मैं सुखराम के मामले पर बोल रही हूँ ... (**व्यवधान**) ... अध्यक्ष महोदय, सुखराम के बयान से पूरे देश में सनसनी फैली है। उन्होंने कहा है कि यह पैसा मेरा नहीं है और देश में आकर बताऊंगा कि किसका पैसा है। सारा देश जानना चाहता है कि यह पैसा किसका है। अगर आप दो दिन का समय मांगे और 12 तारीख को निर्णय देंगे तो 13 तारीक को सत्रावसान हो जायेगा और उसके बाद सदन कब बैठेगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि हमारे किसी आचरण से यह नहीं लगाना चाहिए कि हम भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको तुरंत इस पर निर्णय लेना चाहिए और सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह सुखराम के विषय पर वक्तव्य लेकर आए। आप इतना अधिक समय मत लीजिए। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मुझे अपनी टिप्पणी करने में दो दिन लगेंगे तथा मैं उस समय इसे अंतिम रूप से निपटा दूँगा।

श्री टी. गोविन्दन : मैं आपकी मार्फत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की कठिनाईयों की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। इन कर्मचारियों की संख्या 70,000 है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 196 बैंक हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : आपको क्या कम्यूनिकेशन मिला है कि वह कहां पर है, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों सी. बी. आई. उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है? ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने अपनी तीन मांगें पेश की हैं। वे आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे साधारण और न्यायोचित हैं। उनकी एक मांग है कि पुनरीक्षित वेतन ढांचा लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष जी मेरा प्रिविलेज का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा। मुझे सूचना मिली है। जो शून्य काल में बोलना चाहते हैं कृपया तैयार हो जाएं। आपके नाम पुकारे जाएंगे।

श्री टी. गोविन्दन : वे न्यायाधिकरण की सिफारिश के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मान लागू करने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि एक प्रधान एजेन्सी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में इन बैंकों का पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वे चाहते हैं किसी निजी बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की अनुमति न दी जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनके समस्याएं तुरन्त हल करे।

अपराह्न 12.32 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष जी, नौसेना के एक उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये बयान की ओर मैं सदन का, सरकार का तथा देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आज के समाचार-पत्रों में मुम्बई से प्रसारित नौसेना का उच्चतम अधिकारी द्वारा हमारे देश की प्रतिरक्षा के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पिछले कई वर्षों में बराबर इस देश के प्रतिरक्षा बजट में कटौती की जा रही है और देश की नौसेना बहुत खतरे में पड़ी हुई है। उसके अंदर किसी प्रकार के नये जहाजों के निर्माण वगैरह का तो सवाल ही नहीं, रख-रखाव भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने जो बातें कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह जो कहते हैं उसको मैं अखबार से क्वोट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह देखते हुए कि देश की प्रगति को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि भारत विश्व-शक्तियों के बराबर न हो जाए, एडमिरल शेखावत ने कहा कि उपनिवेशवाद के स्थान पर अन्य तरीकों जैसे विश्व व्यापार संगठन, प्रौद्योगिकी अनन्तरण क्षेत्र (डिनायल रिजीम) और इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, अपनाए जा रहे हैं। ''हमें अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा।''

अमरीकी पैसिफिक (फ्लीट एडमिरल रोनाल्ड जे. लाटो पर द्वारा मई, 1995 की यात्रा के समय व्यक्त किए गए इस विचार पर कि अमरीकी युद्ध पोतों की मरम्मत भारतीय जहाज निर्माण गोदियों में होना सम्भव है, नौसेना अध्यक्ष ने कहा ''यह उनका एक तरफा विचार है।''

[हिन्दी]

मेरा अनुरोध यह है और मेरी सरकार से इस बारे में मांग है कि देश को बताए कि आखिर देश की प्रतिरक्षा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और विशेषकर नौसेना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश की बहुत लंबी तटीय रेखाएं हैं जिनकी हमें प्रतिरक्षा करनी है। आज बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों की ओर से प्रयत्न किये जा रहे हैं, वह देश की सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक है और ऐसे में हमारे देश के इतने बड़े नौसेना अधिकारी द्वारा यह बयान दिया जाना और यह कहना कि ऐसी कोशिशे हो रही हैं कि हिन्दुस्तान वर्ल्ड पावर न बन जाए, यह खतरनाक चीज है जिसकी तरफ मैं सारे देश और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने कोई प्रतिरक्षा नीति बनाई है या नहीं?

सरकार नौसेना के बारे में क्या करना चाहती है और सरकार इन मामलों में क्या करना चाहती है जिसकी तरफ देश के इतने बड़े अधिकारी ने ध्यान आकृष्ट किया है कि ट्रिप्स के द्वारा, डब्ल्यू.टी.ओ. के द्वारा और डिनायल ऑफ टैक्नोलोजी रिजीम के द्वारा इस देश की शक्ति को बढ़ने को रोका जा रहा है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पहले भी सदन का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं और इस तरफ सरकार जिस रास्ते पर बढ़ रही है वह हमारे देश की आर्थिक प्रगति और प्रतिरक्षा के लिए भारी खतरे पैदा कर रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस मामले में एक तो प्रतिरक्षा के इस प्रश्न पर सारे सदन को विश्वास में ले और यह बताये कि ये जो कमेन्ट्स किये गये हैं, जो यह बात की गई है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है और देश को इस खतरे से बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है और दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। महोदय, यह देश की प्रतिरक्षा, देश की आर्थिक प्रगति और देश के स्वाभिमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे नौसेना अध्यक्ष ने की है। मैं चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी इश्यू पर दो नाम और है। आप एक मिनट बैठिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह एक गम्भीर मामला है। एडमिरल शेखावत के वक्तव्य से नौसेना की समस्या का संकेत मिलता है। आज क्योंकि गुलेटीन का दिन है, हम रक्षा बजट पर चर्चा नहीं कर सकते और इन समस्याओं को नहीं उठा सकते। स्थायी समिति में हमने ऐसी अनेक बातों पर चर्चा की है। पर आज बजट पर बहस पूरी हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और एक वक्तव्य दे। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम शून्य काल रहने तक इस पर चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे पर मैंने भी आपको नोटिस दिया है। मेरा यह कहना है कि अभी एडमिरल शेखावत के शब्द जो डा. मुरली मनोहर जोशी ने यहां पर रखे,

मैं उसमें एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं और वह वाक्य इस देश की सुरक्षा के लिए और इस देश की आर्थिक प्रगति के लिए कितना महत्व रखता है, उससे अंदाजा लग जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं :-

[अनुवाद]

''पश्चिमी देशों के तर्क मानवीय अधिकारों से लेकर इन्टेलेक्युअल प्रोपर्टी राइट्स तक अलग-अलग हो सकते हैं। परन्तु उनका लक्ष्य है भारत जैसे विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी न देना। समूचे उद्योगों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करके ही हम इसका सामना कर सकते हैं।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह है जिस पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किये। यह है जिसके विरोध में हम लोगों ने यहां पर 5 साल लगातार आवाज उठाई और आज हिंदुस्तान की नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल शेखावत कह रहा है, जो इन लोगों ने किया है। आज सरकार सभी लोगों से मिल करके चल रही हैं। ये सभी लोग अपने ढंग से उसमें शामिल हैं और जो इन लोगों ने किया है और आज ये लोग देश की सुरक्षा को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसी हालत में सदन में इस मामले पर विशेष तौर से बहस होनी चाहिए। यह मामला केवल डिफेन्स मिनिस्ट्री का नहीं है। यहां पर यह आर्थिक नीति का है। जब हम लोग कह रहे थे कि आप देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हो। तो हमें बतायां जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रोज रात को ख्वाब में आती है। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी से मामला बहुत आगे बढ़ गया है, जब नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी बोलता है कि नया कॉलोनियलिज्म देश में आ गया है, यह वह आज बता रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार से इसके बारे में जवाब मिले और यह मामला जितना उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के बार में कहा है, उसी के साथ हमारी नौसेना का जो हाल है उस पर भी उन्होंने अपने मुंह से बहुत कुछ निकाला है। हम चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर पूरी मजबूती के साथ हमारी नौसेना के बारे में अपना एक वक्तव्य इस सदन में दें।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं कहना चाहता था, बहुत सफाई से डा. मुरली मनोहर जोशी और जार्ज साहब ने कहा है। केवल एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इसकी कोई चर्चा इस सदन में नहीं हुई, बजट में भी कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा करने का कोई मौका शायद नहीं आयेगा। लेकिन बजट में जो सबसे कमजोर कड़ी है तो वह रक्षा की कड़ी है। यही नहीं हमारा यूनाइटेड फ्रंट का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में एक भी शब्द रक्षा के बारे में आप दूरबीन लेकर ढूंढ लीजिए, तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर यह हालत है तो केवल नौसेना की बात आज सामने आई है और हम देख रहे है कि मानवीय सांसद काफी उत्तेजित हैं, उत्तेजित होने की बात है, लेकिन पिछले दो हफ्तों से अलग-अलग अखबारों में जो स्थिति थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में दिखाई जा रही है;

उससे यह साफ जाहिर होगा कि पिछले 9-10 साल से जो हमारा रक्षा बजट है और रक्षा पर जिस हिसाब से जोर देना चाहिए, जिस प्रकार से ख्याल रखा जाना चाहिए, उस प्रकार से ख्याल नहीं किया जा रहा है।

श्रीमान, एक ओलंपिक एथलीट को बनाने के लिए चार साल की जरूरत पड़ती है, लेकिन नौसेना और थलसेना को बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है और अगर इसी तरह से उपेक्षा होती रही, तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं यह भी मांग कर रहा हूं कि हर हालत में इस सत्र के खत्म होने के पहले, चाहे बजट पास हो जाएं, तो भी दो-तीन घंटे की बहस रक्षा के बारे में होना बहुत आवश्यक है। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : हम कुछ सामरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के निजीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। इस संबंध में प्रमुख तर्कों में से एक है। इस समय के उनके कार्यकरण के बारे में है। हाल ही में आय कर अधिकारियों के मैसर्स शावालेस एण्ड कम्पनी पर मारे गए अनेक छापों से यह पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी धनराशि हवाला के द्वारा बाहर भेज दी गई। इसमें मैसर्स शावालेस की 20 कम्पनियां, जो सभी निवेश कम्पनियां हैं, इस घोटाले से सम्बद्ध है। मैंने वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों को लिखा है कि उसी दुबई स्थित अनिवासी भारतीय, श्री मनु छबड़िया के नियंत्रणाधीन कम्पनी मैसर्स डनलप इंडिया भी बड़ी धनराशि बाहर भेज रही है। इतना ही नहीं मैसर्स डनलप इंडिया की अतिमूल्यवान सम्पत्ति बम्बई में चोरी छिपे बेच दी गई। डनलप इंडिया के आठ हजार कर्मचारी खतरे में है। हम सरकार से इस व्यक्ति को भारत लाने और उससे यह पूछने की मांग करने आ रहे हैं कि सदियों पुरानी शावालेस कम्पनी और 60 साल पुरानी डनलप इंडिया कम्पनी को उनके द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद से इन कम्पनियों का पैसा बाहर कैसे भेजा जा रहा है।

महोदय, स्थिति यह हो गई है ए. एन. जेड ग्रिन्डले बैंक समेत बैंकों के संघ, ने निर्णय किया है कि डनलप इंडिया अथवा

श्री मनु छाबड़िया को किसी प्रकार का ऋण न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्थानों से लिया सभी रुपया प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार की योजना को लागू करने के बजाय बाहर भेज दिया।

मैं यहां विराजमान वित्तमंत्री श्री चिदम्बरम से आग्रह करता हूँ कि वह इसकी तुरन्त जांच करवाएं और इन कम्पनियों की बड़ी धन राशि को बाहर जाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। ... (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस बारे में गम्भीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए ... (**व्यवधान**)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, इस बारे में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को अनुमति दूंगा, बशर्ते उनका नाम सूची में हो। कृपया इन्तजार कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के ऊपर जो अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं उनकी ओर मैं इस सदन और देश का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। जो सरकार अनुसूचित जातियों और गरीबों की बहुत हमदर्द है उसकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ग्राम उज्जरपर, थाना गगहा के एक अनुसूचित परिवार के साथ दिनांक 3 अगस्त, 1996 को एक शर्मनाक घटना घटी। इस परिवार का एक सदस्य चक्की चलाता था उसकी कुछ लोगों ने पिटाई की और इतनी पिटाई की कि अंगुलियां एक तोड़ दी। इसके बावजूद 24 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इतनी शर्मनाक घटना घट गई और कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट लिखने की बात तो दूर रही बल्कि उसी परिवार को और धमकाया गया। इसी परिवार के एक माननीय सदस्य देश के दो राज्यों के महामहिम राज्यपाल हैं। उस परिवार के सदस्य के साथ यह शर्मनाक घटना घटी है।

अभी तक उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन और पुलिस आंख मूंदकर बैठी है। मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो जो दूसरे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ क्या होगा?

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं जो कि अनुसूचित जाति और गरीबों की इतनी हमदर्द बन रही है, अगर ऐसे परिवार के साथ ऐसी घटना होगी तो आम परिवारों के साथ क्या होगा? इसको आप देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाये कि यह क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में सरकार कुछ कहना चाहेगी। जिस परिवार के साथ यह घटना हुई है, उस परिवार से एक राज्यपाल दो स्टेट्स में है।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हरियाणा के गवर्नर हैं व हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर है।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इनके परिवार में हुआ है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हम इस संबंध में होम मिनिस्टर साहब से आग्रह करेंगे कि वे इस संबंध में रिपोर्ट लायें और अगर आवश्यकता पड़े तो इस बारे में सदन को भी सूचित करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। केन्द्र सरकार सीधी जिम्मेदार है।

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक महीने पहले की घटना है।

... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : आपने निर्देश दिया है। हम होम मिनिस्टर साहब से आग्रह करेंगे कि पूरे के पूरे फैक्ट्स लाकर सदन को बतलाने का कष्ट करें।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात कही गयी है। ... (**व्यवधान**) मैंने नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश में आई. एस. आई. यूनाइटेड फ्रंट में शामिल एक राजनीतिक दल को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए साजिश कर रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस कड़ी में इस तरह के अनुसूचित जाति के लोगों को दबाया जा रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक दल को, जो यूनाइटेड फ्रंट का पार्टनर है, उसका समर्थन आई. एस. आई. कर रहा है। शेषन साहब ने अपने बयान में कहा है। ... (**व्यवधान**) मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर श्री शेषन साहब ने कहा है कि हम सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने एश्योरेंस दे दिया है।

... (**व्यवधान**)

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, मेरी चिन्ता यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कराये जा रहे हैं। इस प्रकार की दखलअंदाजी और बेईमानी यूनाइटिड फ्रंट की ओर से कराये जाने की आशंका है। इसमें आई. एस. आई ने लोगों का षडयंत्र शामिल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस पर बयान दे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई। आप बैठ जाइये।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हीं के नाम बुला पाऊंगा जिन्होंने नोटिस दिया है व जिसका नाम लिस्ट में है।

श्री भगवान शंकर रावत : मैंने नोटिस दिया है ... (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1996 को लाल किले से अपने भाषण में माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड को राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी तथा इस घोषणा के तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों की घोषणा समेत अनेक कारणों से, उत्तराखण्ड को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका। परन्तु इस घोषणा के तुरन्त बाद भारत भर में, राज्य के दर्जे के लिए अनेक आन्दोलन पिर से प्रकाश में आने लगे, जैसे विदर्भ, झारखण्ड क्षेत्र में झारखण्ड मुक्ति मोर्चे का आन्दोलन, दार्जीलिंग में श्री सुभाष फीशिंग के नेतृतव में गोरखालैण्ड राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का आन्दोलन। ये सभी संसद का अधिवेशन और उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त होने के तुरन्त बाद फिर सक्रिय होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने कथन को सीमित रखूँगा, क्योंकि आज मेरे पास दार्जीलिंग के बारे में गम्भीर जानकारी है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने काफी समय पहले चलाए गए आन्दोलन को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था। उसके बाद एक फार्मूले को अंतिम रूप दिया गया, शान्ति आ गई और सभी कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद परिषद के नेता श्री सुभाष फीशिंग ने बहुत ही उचित और न्यायोचित शिकायत की कि उन्होंने राज्य के दर्जे के स्थान पर परिषद पर समझौता इसलिए किया कि उनके अधिकार और लोगों की आकांक्षाएं पूरी होगी, परन्तु विकास अनुदान, जिसकी उन्हें केन्द्र से सीधे मिलने की आज्ञा थी सीधे नहीं दिया गया। वह सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अन्य राज्यों के समान राज्य सरकार की मार्फत मिला। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी शिकायत फिर शुरू कर दी है। उन्होंने शस्त्र ग्रहण न करने और हिंसा न करने की घोषणा की थी और कहा था कि वे जहां तक हो सकता है अहिंसक सार्वजनिक तरीका अपनाएंगे। वह ऐसा ही कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखा लोगों की पहचान भी एक समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोरखा केवल दार्जीलिंग के ही नहीं है। वे हमारा महत्वपूर्ण अंग हैं। गोरखा रेजीमेंट में संकट के समय वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे महान देशभक्त हैं। लाल किले से उत्तराखण्ड को राज्य का दर्जा दिये जाने की प्रधान मंत्री की घोषणा से श्री सुभाष फीशिंग फिर गोरखालैण्ड राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आन्दोलन के अंतर्गत दार्जीलिंग को एक अलग राज्य बनाने की मांग करने लगेंगे। वैसी ही परिस्थितियां फिर से बन रही है। इतना ही नहीं मेरे इलाको के कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि पश्चिमी बंगाल के मैदानी इलाके के नेता अलग राज्य बनाना चाहते हैं। मैं सरकार से और विशेष रूप से गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त से, जिन्हें इसकी जानकारी है, अनुरोध करता हूं कि वे बिना समय खोये उनसे बात करें। मैं समझता हूं कि वे उत्तर प्रदेश के चुनावों में व्यस्त नहीं होंगे। गृहमंत्री इन नेताओं से मिलें और संविधान के अंतर्गत इस मसले को हल करें, अन्यथा मुझे भय है कि मामला हाथ से निकल जायेगा और उत्तराखण्ड राज्य बनने से निश्चय ही ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन मिलेगा। आप इस सदन में देख रहे हैं कि सदस्य अपने-अपने दलों की चिन्ता किये बिना मिलकर ऐसी मांगे कर रहे हैं।

कल मैंने दूरदर्शन पर देखा कि इस सदन के दो सदस्य पृथक विदर्भ राज्य की मांग कर रहे हैं। कुछ अन्य सदस्य कहते हैं कि झारखण्ड क्यों नहीं? ये सब बातें सामने आयेंगी। जहां तक मैं जानता हूं श्री सुभाष फीसिंग अभी तक पूरी तरह अहिंसा को अपनाए हुए हैं और वे पश्चिमी बंगाल के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे कम से कम उन लोगों को बुलाएं और समस्या को हल करने का मार्ग खोजें। यदि समझौता होता है तो राज्य का दर्जा दिये बिना व उन्हें अनुदान दे सकते हैं। इससे इस स्थिति से बचा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य बनाने का निर्णय संयुक्त मोर्चे में सर्वसम्मति से नहीं किया गया। परन्तु प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। यह असहमति प्रकाश में नहीं आयेगी। स्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आवश्यक हो तो वे इन क्षेत्रों में शान्ति की स्थापना के लिए सभी पार्टी नेताओं से बात करें।

[हिन्दी]

स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी (फर्रुखाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद का एक विधानसभा क्षेत्र भवगांव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों के नामांकन का पहला दिन 6 सितम्बर था। 6 सितम्बर को मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ लोग मेनपुरी के कारागार में बंद उपदेश सिंह चौहान, जो पहले सपा के विधायक थे फिर भाजपा में आ गए, से मिलकर जब लौट रहे थे तो कुछ गुंडा तत्वों ने योजनापूर्वक, जिसमें एक टाटा, एक ऐम्बैसडर, एक डिप्सी और एक जीप थी, उन्होंने करीब चालीस लोगों का काफिला बनाकर उन छः लोगों का पीछा किया। रुई ग्राम की क्रासिंग पर आकर उन्होंने कम से कम दो सौ राउंड गोलियां चलाकर छः लोगों की निर्मम हत्या कर दी।

जब से चुनाव घोषित हुए हैं तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ है। मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेनपुरी से सांसद है। जब से उनका चुनाव प्रारंभ हुआ था, तभी मेनपुरी में दो राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। मेनपुरी से मुलायम सिंह जी चुनकर आए हैं। वहां के सपा के गुंडों ने यह कहकर कि बाबा को वोट दोगे तो इसका यही हश्र होगा, कम से कम दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले भी देवर में एक उप जिलाधिकारी जो सेवानिवृत्त थे, के वहां डकैती पड़ी। वे कानपुर के अस्पताल में अंतिम सांसे गिन रहे है। थाने के बिल्कुल पीछे इतना बड़ा कांड हुआ। जब उसके विरोध में जनता मैदान में आई तो उन पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ और चालीस लोगों को आज भी जेल में बंद किया हुआ है। उसमें इंटर कालेज के एक प्रिंसिपल जिनका नाम तोमर है, भी हैं। उनके मुंह में पुलिस ने पेशाब तक करने का काम किया। उनको जेल में बंद कर रखा है। उनके साथ 37 लोग और हैं।

इसी प्रकार से वहां पर एक और राजपूत परिवार में डकैती पड़ी। डकैती डालना अलग बात थी, लकिन बीस वर्ष की एक लड़की थी, उस लड़की के गुप्तांग के पास में गोली मार दी गई। आज वह लड़की अंतिम सांसे गिन रही है। मेरा आरोप यह है कि योजनाबद्ध तरीके से यह सब हो रहा है। इतना बड़ा कांड हुआ और फिर छापा पड़ रहा है तो फर्रुखाबाद में हमारे जो पूर्व में राजस्व मंत्री श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी रहे हैं, उनके घर में छापा पड़ रहा है। ... (**व्यवधान**) ये सारे के सारे कांड सपा के लोग इस चुनाव में दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं। छापा पड़ रहा है ब्रह्मदत्त द्विवेदी के यहां, अगर यह छापा पड़ना चाहिए तो सतपाल सिंह यादव के यहां पड़ना चाहिए। यह छापा पड़े तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी के यहां पड़ना चाहिए। बहुत बड़े घृणित कांड हमारे विधान सभा, संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे के सारे मामले की गहरी जांच कराई जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी : इससे पहले दो हत्याएं हुई थी। माननीय मुलायम सिंह जी जाकर एक जगह पांच लाख रुपया देकर आये थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि पांच लाख रुपये दिये, ठीक किया। लेकिन छह हत्याएं कल हो गई हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छहों लोगों के परिवारों के लिए राहत के रूप में पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं और सारी की सारी घटना की जांच कराई जाय। जांच कराने पर जो लोग दोषी पाये जाएं, उन दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य बनाए जाने की घोषणा से हम बड़े प्रसन्न हैं। यद्यपि पिछली कांग्रेस सरकार ने सभी राजनैतिक दलों से विस्तार से चर्चा की थी और उत्तराखण्ड राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिये जाने के बारे में कुछ सहमति बनी थी, परन्तु बाद में प्रधान मंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखण्ड बनाये जाने की घोषणा पर हम प्रसन्न हैं। परन्तु दुर्भाग्य वश सदन में कोई विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि शायद यह घोषणा केवल चुनाव के लिए की गई है, वास्तव में ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यह स्पष्ट करें कि उत्तराखण्ड विधेयक सदन में कब पेश कर रहे हैं ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तो पहले इश्यू के साथ हैं न? ठीक है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, इसलिए आप उनसे यह स्थित स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि वे उत्तराखण्ड राज्य बनाने संबंधी विधेयक कब पेश कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): उत्तराखण्ड का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय था और प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। उत्तराखण्ड राज्य बनाने का निर्णय सरकार का है। विधेयक तैयार किया जा रहा है और तैयार होते ही सभा में पेश किया जायेगा। ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : कब आयेगा, चुनाव के बाद ?

उपाध्यक्ष महोदय प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि यू. पी. की असेम्बली से पूछ कर करेंगे। क्या उससे पहले करने वाले हैं? आपने कहा है जितनी जल्दी वह तैयार हो जायेगा। क्या यह कल तैयार हो सकता है?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : जी हां, यदि यह तैयार हुआ तो यह सभा के सामने आ जायेगा और उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के बाद स्वाभाविक है कि इसकी अनुमति उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दी जाये।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : हम पहले ही यह कह चुके हैं कि उत्तराखण्ड के संबंध में उठाये गये उनके कदम का हम स्वागत करते हैं परन्तु वे अन्य राज्यों जैसे झारखण्ड और बोजेलैण्ड की भावनाओं को भी ध्यान में रखें। जब हम सत्ता में थे तब हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम कोई राज्य नहीं बना रहे हैं। परन्तु जब सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो आपके मामले पर विचार किया जायेगा। क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम उत्तराखण्ड का स्वागत करते हैं। परन्तु झारखण्ड और बोडोलैण्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको चान्स दूंगा।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरे मित्र ने शावालेस के श्री छाबड़िया के बारे में जो कहा है, मैं उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण करना ... (**व्यवधान**)

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रेड्डी, बोलिए।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, दो वर्ष पहले शावालेस ने अत्यधिक प्रगति की है। उन्होंने 50 प्रतिशत तक लाभांश दिया। सभी प्रसन्न हैं। लोग शावालेस के शेयर खरीदने के इच्छुक हैं। कर्मचारी खुश हैं। यह मेरी जानकारी है ... (**व्यवधान**)

श्री रूपचन्द पाल : क्या वह देश और लोगों को लूट सकता है? ... (**व्यवधान**)

श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी : पहले मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए, तब आप बोलिए ... (**व्यवधान**) मैं इससे सहमत नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा कहना है कि हम किसी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। दो वर्ष के बाद वे पब्लिक इश्यू के द्वारा धन प्राप्त करना चाहते थे। और कम्पनी को मजबूत करना चाहते थे। परन्तु शेयर बाजार में मन्दी आने के कारण प्रबन्ध कठिनाई में पड़ गया। एक साल पहले डनलप का काम भी अच्छा चल रहा था। परन्तु पर्यावरण सबंधी समस्याओं के कारण फैक्ट्री बन्द हो गई। और उनका काम रुक गया। अन्य अनेक कारणों से गलत फहमी पैदा हो गयी है ... (**व्यवधान**) यदि उन्होंने कोई गलती की है तो हम हमेशा कार्रवाई कर सकते हैं। मैं भी उसका समर्थन करता हूं। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि कोई पब्लिक को लूटे और उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाये .... (**व्यवधान**) परन्तु संसद और देश की जानकारी में यह बात लाना मेरा कर्तव्य है कि हम किसी के खिलाफ इसलिए आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ समाचार पत्रों ने लिखा है अथवा किसी ने कहा है कि वह व्यक्ति देश को लूट रहा है। और रुपया बाहर ले गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि किसी ने गलती की है तो हमें उसकी स्थिति का ध्यान किये बिना उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। परन्तु साथ ही हम तथ्यों द्वारा सिद्ध हुए बिना आरोप नहीं लगा सकते ... (**व्यवधान**)

श्री जी. ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय मैंने आपको सूचना दी है परन्तु मेरा नाम नहीं पुकारा गया। जिन सदस्यों का नाम सूची में नहीं था उन्हें बोलने के लिए नहीं बुलाया गया है ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बुलाऊंगा। सबके नाम मेरे पास हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, अब यह लम्बा सत्र लगभग समाप्ति की ओर है। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम कृषि मजदूरों से संबंधित एक केन्द्रीय कानून पर चर्चा कर रहे हैं। इस मांग को संयुक्त सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रधान मंत्री बार-बार यह वादा कर चुके हैं कि यह कानून इसी सत्र में पास किया जायेगा। श्रम मंत्री द्वारा बुलायी गयी एक

सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा हुई। यह निर्णय किया गया कि इस सत्र में यह विधेयक तैयार किया जाये। पता नहीं इस संबंध में विधि मंत्रालय में क्या हो रहा है। केवल दो या तीन दिन शेष हैं। परन्तु अभी भी विधेयक का मसौदा सदन में पेश नहीं किया गया है।

महोदय मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपने वचन का पालन करें और कृषि मजदूरों संबंधी केन्द्रीय कानून का मसौदा सत्र के दौरान सभा के सामने रखा जाये... (**व्यवधान**)।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं ... (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड की बात आ रही है, लेकिन बिहार में पिछले 60 वर्षों से वनांचल में झारखंड की बात चल रही है, वहां के लिए घोषणा नहीं हो रही है। कल और परसों सम्पूर्ण वनांचल प्रदेश में नाकाबंदी होगी, जिससे लाखों रुपयों की हानि होगी। सरकार केवल चुनाव को देख कर घोषणा करती है। पिछले साठ वर्षों से जो वनांचल के लिए संघर्ष हो रहा है, जिसके प्रति सबकी सहमति है, उसके लिए कोई घोषणा नहीं करती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, उत्तराखंड को राज्य का दर्जा किस आधार पर घोषित किया गया है और बिहार प्रदेश में वनांचल के लिए अलग से राज्य की घोषणा क्यों नहीं की गई है? जो मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनसे मैं इस बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यदि मंत्री जी उत्तराखंड की तरह से घोषणा नहीं करते हैं, तब तक एक बार नहीं अनेक बार नाकाबन्दी होगी और सरकार को भी उससे हानि होगी। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, यह लांछन आप पर लगता है और बिहार में चुनाव नहीं है तथा वहां की वाजिब मांग और संघर्ष को देखते हुए, घोषणा नहीं की जाती है। इस बात की दोषारोपण न समझे, उस क्षेत्र में जनता दल ने एक भी सीट नहीं जीती है, जबकि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इसलिए यह भी एक मुखापेक्षी रास्ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार सही दृष्टिकोण से वनांचल को भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की घोषणा करे। ... (**व्यवधान**)।

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : महोदय, इस पर सरकार को कुछ कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात नोट हो गई है।

[**अनुवाद**]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : मैं सरकार का ध्यान केरल के त्रिचूर और पलक्कड़ जिलों में लगातार भूकम्प के झटके लगने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं। पिछले कुछ समय में इन जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग चार दर्जन बार भूकम्प के झटके आये, जिससे मकानों और सम्पत्ति की हानि हुई। आखरी बार छः सितम्बर को आया झटका भूकम्प के बराबर था और इससे सौ से भी ज्यादा मकानो को आंशिक नुकसान पहुंचा। इस क्षेत्र के लोग लगातार भय के वातावरण में रह रहे हैं, जिससे उनका सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। केरल सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता के वास्ते अनेक बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में हम कागज से नहीं पढ़ सकते। कृपया समाप्त करें।

श्री एस. अजय कुमार : अभी तक केन्द्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों से भूमि विज्ञान अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में गहराई से अध्ययन शुरू करने के लिए भूगर्भीय विभाग को सहायता देने और उपायों को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करें।

[**हिन्दी**]

श्री सुखलाल कुशवाहा (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के ऊपर आए-दिन अत्याचार होते हैं। हमारे सतना संसदीय क्षेत्र में, हमारे अमरपाटन विकास खंड में 5-3-95 को ग्राम पंचायत मझगांव में शासन द्वारा और वहां के जिला प्रशासन द्वारा ले आउट दिया गया। आदिवासी और दलितों की बस्ती के लिए, उनको मकान बनाने के लिए जमीन दी गई और 5-3-95 को सरपंच,. लेखपाल और परगनाधिकारी के हस्ताक्षर हुए। तालाब के किनारे खाली पड़ी आबंटित भूमि पर अधिकांश आबंटियों ने अपने मकान बना लिए। विगत 8-7-96 को जिलाधिकारी सतना तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मैंने निर्मित मकानों का विधिवत उद्घाटन किया। इसके कुछ दिन बाद सत्तारुढ़ दल के दबाव में जिला प्रशासन ने तालाब में भारी मात्रा में पानी भरवा कर अधिकांश मकानों को डुबो दिया। उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई।

महोदय, इसी तरीके से हमारे नागौद ब्लाक में, मझगांव ब्लाक में एक बंडी ग्राम पंचायत है। वहां 50-60 परिवारों को पट्टे दिये गये। वे पट्टे आज भी हैं लेकिन जिला प्रशासन की मिलीभगत

से 60 घरों को उजाड़ा गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े चिंता का विषय है। ... (**व्यवधान**)

मेरा यह कहना है कि उस बस्ती को इससे पहले क्यों नहीं उजाड़ा गया। मैंने इसके लिए जब जिला प्रशासन के अधिकारियों से, जिला अध्यक्ष से दूरभाष से चर्चा की कि उस बस्ती को तालाब में पानी भर कर डुबोया जा रहा है, आप उसको बचाइए। उसमें 50 परिवार डूबेंगे, उनके घर नष्ट हो जायेंगे। वे बेघरबार हो जाएंगे। हमने मौके पर जाकर वहां के प्रभारी मंत्री के सामने इस बात को रखा। मैंने दूरभाष से सूचना दी कि आप उस बस्ती को बचाइए, उसको मत डुबोइए। आपके आदेश के मुताबिक और वैधानिक तरीके से वे बस्तियां बसाई गई थीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जहां कहना हो कहो। चाहे जिस सदन में बात रखो, आप सवतंत्र हैं। सरपंच होगा तो हेलीकाप्टर में उड़ेगा, मेरे पास यह दस्तावेज है। मैं चाहूंगा कि सर्वोच्च सदन को अपमानजनक करने वाले ऐसे अधिकारी के ऊपर सख्त कार्यवाही हो और जिन लोगों को बेघरबार किया गया है उनकी तत्काल उच्चस्तरीय जांच करा उन अधिकारियों को दंडित कराएं और जो बेघरबार हो गए हैं उन परिवारों के लिए आवास की अविलम्ब व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में सी. सी. आई. का एक सीमेंट यूनिट है। गत दिनों उसमें बिजली की आपूर्ति लगातार न होने से वहां के लोगों ने काफी आंदोलन किया। बाद में पता चला कि सीमेंट-कार्पोरेशन द्वारा उस सीमेंट यूनिट का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कारण बताया गया कि उस यूनिट पर करोड़ों रुपये का बिजली का बकाया है। वह मेरा संसदीय क्षेत्र है इसलिए जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि पहले भी दो बार इसी प्रकार वहां बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है क्योंकि बकाया पैसा नहीं दिया गया था। वहां पर हजारों मजदूर आज बेकार हैं और आंदोलन पर उतारू हैं। वहां पर किसी प्रकार की लेबर अशांति न हो इसलिए सीमेंट कार्पोरेशन को सरकार निर्देश दे कि वहां पर करोड़ों रुपया जो बकाया है उसका वह पेमेंट करके सीमेंट यूनिट को चालू करें और कुप्रबन्ध को समाप्त किया जाए। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, मेरे यहां भी यही समस्या है। कपड़े की एक मिल बंद हो गयी है। मान्यवर, मैंने नोटिस दिया हुआ है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री ई. अहमद : महोदय मेरा कथन ईराक की जेल में सजा भुगत रहे दो भारतीय नागरिकों से संबंधित है। ये दो भारतीय नागरिक श्री मुमोद्दीन अहमद और श्री अजीज केरलवासी हैं। और कुवैत में मछली पकड़ने का काम करते थे। 29 अप्रैल 1996 को मछली पकड़ते हुए वे ईराक के समुद्री क्षेत्र में चले गये और गिरफ्तार कर लिये गये। ईराक का ऐसा करना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी रूप में अतिक्रमण किया था। उन्हें अदालत ले जाया गया और अदालत ने उन्हें छः वर्ष जेल की सजा दी। और वे सजा भुगत रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि उन्होंने ऐसा अनजाने में किया। उनकी कानून की अवहेलना करने की कोई नियत नहीं थी। मैं इसकी जानकारी प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को दे चुका हूं।

महोदय यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ये दोनों दो परिवारों की आजीविका अर्जित करने वाले हैं। और अब बगदाद के पास जेल में सजा भुगत रहे हैं। इस समय वे इराकी जेल में हैं।

महोदय यह बड़े खेद का विषय है कि जब हमारे भारतीय कठिनाई में होते हैं हम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते।

इन दो भारतीय नागरिकों ने क्योंकि जानबूझ कर कोई अपराध नहीं किया है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले को इराकी अधिकारियों के सामने ले जाकर उन्हें रिहा करायें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं किसी विशेष विषय पर आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। आज 12 बजे से जितने सवाल उठाए गए हैं, चाहे वे सुरक्षा के सवाल हों, चाहे भ्रष्टाचार के सवाल हों, चाहे विभिन्न राज्यों के बंटवारे के सवाल हो; उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर मेरे निवेदन से कोई असर पड़ सके; दिल्ली दखल करने के लिए कई बार इस देश में खून बहा है। यह खून और कब तक बहता रहेगा? राज्यों सरकारों द्वारा कुछ वोट और बनाने के लिए हम कब तक नारे लगाते रहेंगे, और कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता हूं। उत्तराखंड बनेगा या नहीं बनेगा; छोटे राज्य बनने चाहिए, यह भी मैं चाहता हूं, लेकिन क्या आज यह देश इस स्थिति में है कि हम राज्यों का विभाजन कर सकें। क्या आज हम छोटे राज्य बनाने की स्थिति में है? जिस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल थे उस समय भाषावार राज्य बनाने के लिए कितनी आग लगी थी, कितना खून बहा था। आज

देश की हालत मैं नहीं जानता, कैबिनेट ने सोच-समझकर ही फैसला किया होगा। चुनावों से ठीक पहले उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा, लेकिन वह कब लागू होगी, इसका मुझे मालूम नहीं है। फिर झारखंड बनेगा, फिर गोरखालैंड बनेगा, बोडोलैंड बनेगा। 15-16 जगहों से इस प्रकार की मांगें हैं। उपाध्यक्ष जी, यह देश इसी आग में जल जाएगा। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन नेताओं को बुलाकर एक बार तो कहिये कि कुछ तो सीमा वे रखें। चुनाव से कुछ मत बनाने के लिए, कुछ वोट बनाने के लिए इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। मैं किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को नहीं कहता परन्तु जो कुछ हमारे नैवल चीफ ने कहा है, उनके बयान से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन क्या वे यह बात अपनी रिपोर्ट में सेना विभाग से नहीं कह सकते थे? क्यों ये बातें सार्वजनिक रूप से बहस में लायी जायेगी? जिस तरह से कत्ले-आम हो रहे हैं और अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे वह सत्य है या असत्य है, मैं नहीं जानता लेकिन रोज इस तरह की चर्चा करना, क्या संसद इसलिए है? क्या देश की जितनी कमजोरी है, उसी का बखान यहां करना है? क्या इस देश की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है? क्या इस देश को टूटने, बिखरने या मरने से बचाने के लिए हम लोग दो शब्द भी नहीं कह सकते?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि सब नेताओं को बुलाकर कुछ मर्यादा का निर्वाह होना चाहिए ताकि हम दुनिया से कह सकते हैं कि देश में शक्ति है, क्षमता है और हम सब में मिलकर काम करने की ताकत भी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.22 बजे

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.22 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, मेरा एक अनुरोध है। कल शून्य काल में आप कृपा कर उड़ीसा के बारे में मामले उठाने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय हम कल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जीरो आवर जारी रखिये, ताकि हमने जो नोटिस दिये थे, उस पर कुछ कह ले वरना बैक-लॉग जमा होता रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ जमा नहीं होगा, कल सबको अलाउ कर देंगे, चिंता न करिये।

अपराह्न 2.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अंतर्गत दादरी, सिकन्दराबाद तथा जेवर विधान सभा क्षेत्रों में यमुना नदी के बाढ़ की गम्भीर समस्या अभी भी बनी हुई है। इतना ही नहीं बाढ़ पीड़ित परिवारों को समुचित राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है। अब स्थिति यह बन गई है कि उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामों में पानी का भराव भारी मात्रा में शुरू हो गया है। मैं पिछले कई दिनों से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस समस्या के निदान हेतु हर संभव प्रयास किये जाने हेतु अनुरोध कर रहा हूं किंतु सिचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह बात कही जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में है और सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह खुर्जा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दादरी, सिकन्दराबाद और जेवर विधान सभा क्षेत्रों में यमुना नदी के बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में युद्ध स्तर पर राहत सामग्री पहुंचाये जाने हेतु और बाढ़ पीड़ित परिवारों के उचित मुआवजा दिलवाये जाने हेतु उ. प्र. शासन को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे तथा तत्काल निर्देश दें और इसमें शिथिलता तथा लापरवाही बरत रहे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

(दो) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काजरगंज और नरदोली के बीच गंगा नदी पर बने बांध की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

डा. महादीपंक सिंह 'शाक्य' (एटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान एक लोक महत्व विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से सांसद निर्वाचित हुआ हूं। मेरे क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर गंगा बहती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष बीसियों गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने काजर गंज से नरदोली तक बांध बनवाया था जो गत वर्षों से कई स्थानों पर टूट चुका है, जिसके कारण गत दो वर्षों से काफी जान-माल का नुकसान हो रहा है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लोकहित की दृष्टि से इस बांध को पूर्ववत बनाये जाने हेतु कार्यवाही करे।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित है। बाढ़ की विकट स्थिति है। वे कुछ कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ एक मिनट में कह दें।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाढ़ की समस्या का जो सवाल उठाया है वह हमारे ध्यान में भी था और हमने राज्यपाल के जो एडवाइजर हैं श्री जैन, उनसे इस संबंध में बातें भी की। उत्तर प्रदेश के पास कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा अभी है और इसलिए वे उससे मैनेज कर रहे हैं। यदि उससे ज्यादा जरूरत होगी, तो वे मैमोरेडम यदि भेजेंगे। उसके आधार पर हम यहां से सेंट्रल टीम भेजेंगे। उसकी जो जांच रिपोर्ट होगी, वैसा करेंगे।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी भयंकर बाढ़ है, बिहार को भी उत्तर में उसमें समेट लीजिए, तो अच्छा रहेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ तो सबको समेट लेती है, लेकिन 377 भी सबको समेट लेगा, ऐसा भी होता क्या?

अपराह्न 2.26 बजे

(तीन) उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) मैं इस सदन का ध्यान उड़ीसा के कालाहांडी-बोंलगीर-कोर्गपुर के गरीबी और भूख से पीड़ित आदिवासी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहां गरीबी इतनी अधिक है कि इस क्षेत्र में हर साल अनेक लोग भूख से मर जाते हैं। महीनों यहां लोगों को खाने के लिए अन्न का दाना नहीं मिलता और उन्हें आम की गुठली पीस कर और खा कर काम चलाना पड़ता है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए रु. 4557.30 करोड़ का एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था। इस क्षेत्र में 8 जिलें, 14 सब-डिवीजन, 33 तहसील, 80 ब्लाक 1171 ग्राम पंचायत और 1201 (राजस्व) गांव हैं। कार्य योजना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और विशेष केन्द्रीय सहायता से लागू की जानी थी।

सरकार ने इस सत्र के दौरान हाल ही में एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में स्वयं माना है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन बड़ा असंतोषजनक ही नहीं वरन् खराब रहा है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कार्य योजना समयबद्द योजना के रूप में लागू की जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर मिश्र, जो एप्रूव्ड टेक्स्ट है, वही पढ़ना होता है। वही रिकार्ड में जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी आपने पढ़ा है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में श्री सेलम लेफ्ट बैंक के केनॉल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कई लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 30 टी. एम. सी. पानी के प्रस्तावित उपयोग के लिए श्री सेलम लैफ्ट बैंक नहर के निर्माण कार्य में अनेक वर्षों का विलम्ब हो गया है, जबकि नहर के एक भाग की खुदाई करके उसे बिना किसी प्रगति के बीच में छोड़ दिया गया है।

आंध्र प्रदेश की एक के बाद एक सरकारों द्वारा परियोजना को पूरा नहीं करने के कारण नालगोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 480 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसके कारण वहां निर्वाचन एक महीने के लिए हट गया था। और मतदान 27-4-96 के बजाय 27-5-96 को हुआ।

महोदय, मिरयालगुडा और नालगोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने इस नहर के महत्व की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना का काम तुरन्त हाथ में लेकर युद्ध स्तर पर इसे पूरा कराए।

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिला के सभी ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिला में बाढ़ की विभीषिका से भारी तबाही और बर्बादी हुई है। सैकड़ों लोग कालकवलित हुए तथा करोड़ों की खड़ी फसलों का विनाश हो गया है। जिला के सभी प्रमुख मार्ग एवं पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिसके कारण लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक स्तर पर फैल रही है, जिसके कारण गरीब किसान एवं मजदूर अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। जिला के प्रमुख मार्ग, पुल, पुलिया एवं ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार के पास इतना अधिक फण्ड नहीं है कि सभी जिला को पर्याप्त राशि आवंटित करे जिससे मरम्मत कार्य हो सके।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सीतामढ़ी जिला के सभी प्रखंडों में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना को अविलम्ब लागू करे ताकि लोगों की स्थिति में सुधार हो सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी ... (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद कुछ नहीं।

श्री नवल किशोर राय : उन्होंने कहा कि बिहार को समेट नहीं सकते। हमने बिहार का मामला उठाया है। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार बीच में आ गया है। ... (**व्यवधान**) ठीक है, हो गया।

श्री नवल किशोर राय : हमने सीतामढ़ी में सभी ब्लाक के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना की मांग की है। ... (**व्यवधान**) ग्रामीण विकास मंत्री भी यहां बैठ हुए हैं। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : यह सही है कि सीतामढ़ी जिले की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। मैं बाढ़ के समय वहां गया भी हुआ था। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही है। मैंने यहां आने के बाद नेशनल रिलीफ कमेटी ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। पहले उनकी बात सुन लीजिए। जिनका नियम 377 में जिक्र है, उनका तो पहले होने दीजिए। ... (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : उन्होंने सीतामढ़ी का मामला उठाया है। मैं वहां गया था। बिहार के अन्य जिलों की हालत भी खराब है इसलिए नेशनल रिलीफ कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें बिहार को अभी थोड़े दिन पहले 21 करोड़ रुपया दिया गया है। अभी सैकिंड राउंड में बाढ़ आई है। हम सरकार के मैमोरंडम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके आने के बाद नेशनल रिलीफ कमेटी की बैठक बुलाकर ... (**व्यवधान**) आप माननीय सदस्य हैं। यदि हम कहें कि आप लिखा-पढ़ी नहीं जानते तो क्या यह उचित होगा? ... (**व्यवधान**) आप तो बिहार के ही हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : बिहार में एक पैसा भी ठीक ढंग से नहीं बंट रहा है। वहां की जो स्थिति है, यहां से पैसा भेजेंगे तो भी वहां नहीं बंटेगा। ...

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है।

... (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने बताया कि 21 करोड़ रुपया दे दिया गया है। हम मैमोरंडम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्यों ही मैमोरंडम आएगा, सेंट्रल टीम जायेगी और उसके बाद हम ऐसैस करके देंगे। लिखा-पढ़ी है या नहीं, वह दूसरे मंत्री जी से पूछिए।

(छ:) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के महत्वपूर्ण शहरों में एस.टी.डी. सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कन्टाई पोस्टल डिवीजन के अंतर्गत हरिया, बजाकुल, भगवानपुर, मंगलामारो, और मुगबेरिया महत्वपूर्ण शहर हैं। इन शहरों के लोग एस. टी. डी. सम्पर्क के अभाव में टेलीफोन की संचार सेवा सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों विशेषकर व्यापारियों को एस.टी.डी. सुविधा प्राप्त करने के लिए 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस असुविधा को दूर करने के लिए इन शहरों के टेलीफोन केन्द्रों में एस. टी. डी. सुविधाएं शुरू की जाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन टेलीफोन केन्द्रों में एस टी. डी. सेवा शुरू करने के लिए तुरन्त कदम उठाए ताकि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग टेलीफोन सुविधा का लाभ उठा सकें।

(सात) समाज सुधारक संत रविदास की जन्म स्थली को पक्की सड़क से जोड़ने जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के ग्राम सीर गोवर्धनपुर में महान समाज सुधारक संत रविदास जी का जन्म हुआ है। जहां पर करोड़ों रुपये की लागत से एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस पुण्य स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, उप प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राज जी सहित अनेकों मंत्री एवं राजनेता दर्शनार्थ पधार चुके हैं और देश एवं विदेश से लाखों लोग आते हैं। इस मंदिर पर गांव में होकर दक्षिण की ओर से आने के लिए गांव वालों ने अपने श्रमदान से एक कच्ची सड़क का निर्माण किया है, लेकिन यह कच्ची सड़क बरसात से टूट जाती है, जिससे वहां आने-जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। इस लिंक मार्ग को बनाने के लिए पूर्व प्रदेश सरकार के निर्देशित किया था, लेकिन यह लिंक मार्ग आज तक नहीं बन पाया है। इस समय उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की जिम्मेदारी राष्ट्रपति शासन में भारत सरकार की है।

मैं इस ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाकर अनुरोध करता हूं कि वह महान समाज सुधारक सन्त रविदास के जन्म स्थान पर जाने के लिए इस महत्वपूर्ण लिंक मार्ग को तत्काल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश देने की कृपा करें।

(आठ) आंध्र प्रदेश के धोबी/रजक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण (काकीनाड़ा) : देश में धोबी समुदाय को धोबी, रजक, चकाली, वाशरमेन, आदि अनेक नाम ने पुकारा जाता है। अलग-अलग राज्य में उन्हें अलग-अलग नाम हैं। इनमें अधिकतर मंत्री के बाद सबसे निचला काम करते हैं। ये अस्पतालों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के कपड़े धोते हैं। वे आज भी गांव के बाहर ही रहते हैं। देश के 26 राज्यों में से 15 राज्यों में धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। पर आंध्र प्रदेश की धोबी जाति को उनके भंग करने पर भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसकी सिफारिश भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने श्री राजीव गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में की थी, पर आंध्र प्रदेश के इस समुदाय की इच्छा को पूरा करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे विचार से इस समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल न किये जाने से आंध्र प्रदेश के धोबियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि कुछ दक्षिणी राज्यों में उनके भाई अनुसूचित जाति के दर्जे का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आन्ध्र प्रदेश में धोबी/रजक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र उचित कदम उठाए।

अपराह्न 2.38 बजे

सामान्य बजट 1996-97-अनुदानों की मांगें*

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

तथा

कृषि मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित मद संख्या 14 और 15 पर एक साथ चर्चा करेगी।

सभा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (मांग संख्या 71 से 73) तथा कृषि मंत्रालय (मांग संख्या 1 से 4) से संबंधित अनुदानों की मांगों पर संयुक्त चर्चा और मतदान करेगी।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के उपरोक्त मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ दो में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71 से 73 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखायी गयी। राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए गए 1996-97 के बजट (सामान्य) से दी गई मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	26 जुलाई 1996 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृति के लिए पेश कि गए अनुदानों की मांगों की राशि	
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
	1	2	3	4	5
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि	1588,86,00,000	8,22,00,000	1588,86,00,000	8,22,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	106,25,00,000	128,41,00,000	106,26,00,000	128,41,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	266,69,00,000	–	266,69,00,000	–
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	146,58,00,000	55,55,00,000	146,57,00,000	55,55,00,000
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय					
5.	ग्रामीण विकास विभाग	1107,79,00,000	–	1107,79,00,00	–
6.	बंजर भूमि विकास विभाग	30,17,00,000	–	30,16,00,000	–
7.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	3218,50,00,000	–	3218,50,00,000	–

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है। इस देश की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, खेती करती है या खेत पर मजदूरी करती है।

अपने यहां कहा भी गया है, 'अपना हिन्दुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में'। आजादी के पचासवें वर्ष में हमारा देश प्रवेश कर गया है। इन 50 सालों में आज वास्तव में देश की हालत क्या है, देश के गांवों की हालत क्या है। गांवों में पीने का पानी नहीं है, आने-जाने के रास्ते नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाय तो अस्पताल नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, हिन्दुस्तान में आज भी हजारों की तादाद में गांव ऐसे हैं कि अगर कोई बरसात में बीमार पड़ जाये तो खटिया पर रखकर, कंधे पर लादकर, डोली बनाकर सड़क तक लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। अगर रास्ते में नदी नाले पार करते हुए आते समय तक वह बच जाय तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में ही राम नाम सत्य हो जाता है और वही खटिया उसकी अर्थी बनकर शमशान घाट पहुंच जाती है। यह आज वास्तव में हालत है। कहा तो बहुत गया, ग्रामीण विकास के बारे में, कहा बहुत गया, किसानों के बारे में, लेकिन वास्तव में जमीन पर कितना होता है। ग्रामीण विकास की योजनाओं की कई घोषणाएं लाल किले की प्राचीर से प्रत्येक वर्ष होती रहती है।

किसानों की प्रगति की घोषणायें पहले प्रधानमंत्रियों ने भी की और आज के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और वह सवाल यह है कि ये योजनायें किनके द्वारा बनायी जाती है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। ये योजनायें ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनायी जाती है, जिन्होंने न गांव देखा है, न गांव की गलियां देखी है और न खेत देखे हैं, ना खेत की पगडंडियां देखी हैं। जिन्होंने कीचड़ नहीं देखी है, धूल नहीं देखी है। जिन्होंने न गरीबी देखी है और न गरीब के दर्द को देखा है। "जा के पांव न पड़ी विआई, वो क्या जाने पीड़ पराई" जिन्होंने खुद आंखों से इन स्थितियों को न देखा हो, वे दूसरे की पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। वास्तविकता यह है कि यहां वातानुकूलित कमरों में बैठकर योजनायें बनाई जाती है। आम आदमी से, गरीब से, गरीब के दर्द से और उनकी समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। महात्मा गांधी से लेकर दीनदयाल

उपाध्याय जी तक गांवों के विकास के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की बहुत बातें कही गई है। मैं खुद गांव से आता हूं। गरीबी दूर करने के लिए बहुत योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन ....

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, आपने आदेश दिया है कि कट-मोशन्स मूव करेंगे, लेकिन माननीय सदस्य तो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। वे अपना कट-मोशन्स मूव नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोगों को भी ऐसे ही मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम की लिस्ट बन गई है। आपकी पार्टी नाम भेजती है और उसके मुताबिक ही मैं बुला रहा हूं।

श्री नवल किशोर राय : इन्होंने कट-मोशन मूव नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये कट-मोशन पर नहीं बोल रहे हैं। पार्टी की तरफ से लिस्ट आई है और पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। कट मोशन अभी आना है, लिख कर दे देंगे।

आप सभी सदस्य पन्द्रह मिनट में कट-मोशन्स के बारे में लिख कर दे दीजिए। माननीय सदस्य तो अपना भाषण दे रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं योजनाओं के बारे में निवेदन कर रहा था। मैं गांव से आता हूं, यदि आप 25 साल पहले की गांव की स्थिति देखें, तो गांवों में लोगों को धन्धा मिलता था, रोजगार मिलता था, गांवों में लौहारों को रोजगार मिलता था और बढ़ई को रोजगार मिलता था। तेल निकालने वाले तेली को रोजगार मिलता था। गांवों की जो आवश्यकतायें होती थीं, वे गांवों में ही पूरी होती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम ग्रामीण कारीगर को रोजगार देने की बात कितनी ही करे, वे लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। मेरे गांव में भी बहुत बढ़िया काम करने वाला गंगा बढ़ई था। पिछले दिनों में जब गांव गया, तो देखा कि वह गंगा बढ़ई भुट्टे और मिर्ची बेच रहा है। मैंने उससे पूछा-यह क्या हो रहा है, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, ये भुट्टे और मिर्ची क्यों बेच रहे हो? उसने कहा-अब हमारे पास काम के लिए कोई नहीं आता है। सारे काम तो शहर में मशीनों द्वारा होते हैं और लोग वही पर जाते हैं तथा सारा सामान वहीं से बनवाते हैं। हमारा सामान यहां कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए हमने बढ़ई का काम छोड़ दिया है और भुट्टे-मिर्ची का धन्धा कर लिया है। ग्रामीण कारीगर लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि ग्रामीण कारीगर मजदूर बने हैं, गांवों में गरीबी और बढ़ी है और बेरोजगारी और बढ़ी है। चिन्ता हम कितनी ही व्यक्त कर लें, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के मुख्य उद्देश्य को हमने तय किया था। हमने ग्रामीण मंत्रालय का नाम बदल कर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कर दिया। हमने तीन हिस्से कर दिए। नाम आप चाहे कितने ही बदल दीजिए, जब तक आप नीति को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी लाभ नहीं होगा।

अब में ग्रामीण विकास के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रामीण विकास के बजट में हमने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को छोड़ दिया है और बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बढ़ती हुई महंगाई को देखे, तो ग्रामीण विकास के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पिछले साल 1995-96 के बजट में हमने इस विभाग के लिए 2195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इस राशि में से 255 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए है। एक तरफ हम अधिक पैसे के प्रावधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ विभाग द्वारा पैसा खर्च नहीं किया जाता है। मेरे अनुमान से 11 प्रतिशत राशि खर्च नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं, यह पैसा क्यों खर्च नहीं किया गया और इस पैसे को खर्च न करने के दोषी कौन हैं अपराधी कौन है? मैं यह भी जानना चाहता हूं, इन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात चल रही है और न्यूनयम बुनियादी सुविधाबें देने की बात भी चल रही है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में माननीय मंत्री, नायडू जी, को याद होगा, उन्होंने कहा है कि सन् 2000 तक हम देश के हर गांव में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करा देंगे।

आज हालत क्या है? आपका विभाग भले ही यह कहे कि हमने 81 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल भ्रम में डालने वाली बात है। महोदय, वस्तुस्थिति यह है मैं मध्य प्रदेश के हजारों गांवों को जानता हूं, जहां आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आप कुछ भी कहते रहें, आप स्वच्छ जल की उपलब्धता किस को मानते हैं। बरसात में तो पानी उपलब्ध हो जाएगा लेकिन जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी एक बूंद भी नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां 2-2. 3-3 कि.मी. दूर से मातांओं-बहनों को पानी लाना पड़ता है। आप यह कह रहे है कि हमने 81 प्रतिशत गांव कवर कर दिए हैं। हमने वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव में गया। रायसीन जिले का एक वीरपुर गांव था। वहां के लोगों ने मुझ से कहा कि हमारी एक समस्या हल कर दो। मैंने कहा कि कौन सी समस्या है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों में लड़के कंवारे रह जाते हैं, उनका

विवाह नहीं होता, आप उनकी शादी की व्यवस्था करा दो। मैंने कहा कि यह तो तुम खुद करो, इसमें सांसद क्या कर सकता है। उसने कहा कि आप समस्या हल कर सकते हैं। मैंने कहा कि शादी क्यों नहीं होती है तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। हमारे यहां की माताओं-बहनों, बहुओं को 3-3 कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ता है। जब भी गांव में किसी लड़के की शादी की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि वीरपुर में तो हमने लड़की देनी नहीं, क्योंकि वह सुबह से लेकर रात तक पानी भर-भर कर मर जाएगी। आपने पीने के पानी की उपलब्धता के बारे में सरकारी आंकड़े दिए हैं, लेकिन आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो विभाग है वह यह कहता है कि हमने पीने के पानी की समस्या हल की है। 1993-94 में 132 गांवों की समस्या हल की और 1995-96 में 26 गांवों में पेयजल की समस्या हल की, यह बात हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। आप एक साल में 26 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम सन् 2000 तक सब को दे देंगे। यह शेख चिल्ली का सपना नहीं है तो क्या है?

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार 1995-96 में आपने 1110 करोड़ रुपये का आबंटन पेयजल की उपलब्धता के लिए था और इस बार भी 1110 करोड़ रुपये आपने आबंटित किए हैं। आप जो रुपए आबंटित करते हैं वह भी पूरी तरह से खर्च नहीं होते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पेयजल का कोई स्रोत नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जब तक वहां पाइपलाइन नहीं डालेंगे तब तक वहां पानी नहीं पहुंच सकता है। जो बजट जाता है उनमें से भी पूरा खर्च नहीं होता है। मध्य प्रदेश में एक हैंड पम्प लगाने के लिए पी.एच.ई. वाले 50 हजार रुपये लेते हैं। मेरे पास जो सांसद निधि आई थी, मैंने तय किया कि मैं अपने क्षेत्र में प्रमुखता पेयजल की व्यवस्था के लिए दूंगा। हमने ग्राम पंचायतों से बात की, नगरपालिकाओं से बात की कि एक हैंड पम्प में कितने पैसे का खर्च होगा तो उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये दे दो हम लगा देंगे। मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने कहा कि हम उनको हैंड पम्प लगाने के लिए पैसा देना नहीं चाहते हैं। जब 10 हजार रुपये में गांव के लोग हैंडपम्प लगाने को तैयार हैं तो हम 50 हजार रुपये एक हैंडपम्प लगाने के लिए क्यों दे तो वे हंसने लगे कि यह नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि मैं तो इनको पैसा दे रहा हूं, आप इसको अनुमति दें। हमने कई गांवों में 10 हजार रुपये में हैंडपम्प लगवाए हैं और वह हैंडपम्प सफलता के साथ चल रहे हैं और ये 50 हजार रुपये लेते हैं। इस रुपये का उपयोग ठीक से नहीं होता है। इसके लिए कमीशन तय है, हम सब जानते हैं। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वे सब जानते हैं। ठेके दिये जाते हैं, ठेकेदारों के कमीशन फिक्स होते हैं और 10 हजार रुपये का काम 50 हजार रुपए में होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बजट में आबंटन ही पर्याप्त नहीं है, कम से कम पैसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है, इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, क्या इस पर आप कोई विचार करेंगे? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए कई जगह एक हैंडपम्प एक गांव में सफल है और दूसरी बार वह असफल हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यहां मंत्री जी भी बैठे हुए हैं जो यह वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है इसको ऊपर उठाने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं तो आप हैंडपम्प लगाते जाएंगे, वह आज सफल है और कल असफल होता जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 73-74वें में हमने संशोधन तो कर दिया, पंचायत को सारे अधिकार दे दिए। मध्य प्रदेश के बारे में भूरिया जी भी जानते हैं। पहले अगर कोई हैंडपम्प खराब होता था तो हम उनसे ठीक करा लेते थे लेकिन आज पंचायतों के पास कोई संसाधन नहीं है। आज अगर हैंडपम्प खराब हो जाए तो उसको सुधारने वाला कोई नहीं है। उसका परिणाम यह होता है कि एक-एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। वहां ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक नहीं है। अगर आप इनमें सुधार नहीं करेंगे तो आप वहां सन् 2050 तक भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा सकते।

ग्रामीण विकास विभाग के अंदर एक कार्यक्रम और भी चल रहा है-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के भी बड़े ढोल पीटे गये। यह बात सही है कि अस्वच्छकर स्थिति में गांव के लोग रहते हैं। लेकिन हम सुबह-सुबह शहरों में भी जब बाहर निकलते हैं तो हमारी गरीब माताएं-बहनें जो शौच के लिए जाती हैं पास से किसी के निकलने पर उन्हें भी बार बार उठना-बैठना पड़ता है। हम देखें कि हमारे शहरों के भी हालात क्या है? आठवीं योजना में इसके लिए गांव में 380 करोड़ रुपये की व्यवस्ता की थी लेकिन हम इसके लिए केवल 230 करोड़ रुपये ही स्वीकृत कर पाए हैं। 1995-96 में इसके ऊपर आपने 60 करोड़ रुपये ही व्यय किये हैं, पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। उसके बाद भी शौचालयों की हालत यह है कि आदमी तो क्या जानवर भी वहां जाने से घबराता है। उनका उपयोग मनुष्य नहीं कर सकता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए शौचालयों के निर्माण का हमने वायदा किया था लेकिन अगर हम केवल पांच-दस प्रतिशत लोगों के लिए ही उनकी व्यवस्था करा सके तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक पूरे गांवों की आबादी को इनका लाभ नहीं होगा तब तक इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है।

अभी तक जो आंकड़े इस सरकार ने दिए है उन आंकड़ों के हिसाब से 1995-96 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड में 14.62 प्रतिशत जनसंख्या को ही आपने इसमें कवर किया है लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में 7-8 प्रतिशत के लिए ही आपने इसकी व्यवस्था की है। आप पूरे गांवों को कब तक कवर करेंगे?

एक अप्रैल 1996 तक जो आपके बजट का आबंटन था उसमें से 4236 लाख रुपये खर्च नहीं हुए। पैसा तो दिया जाता है लेकिन विभाग उस पैसे को खर्च नहीं करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक सात प्रतिशत गांव ही इसके अंतर्गत कवर हुए हैं। जब पैसा दिया जाता है तो वह खर्च क्यों नहीं किया जाता है। इसके लिए संसद की हमारी जो स्टैंडिंग कमैटी थी उसने आदर्श गावों का इसके लिए चयन किया था। उन गावों के नाम भी तय किये गये। लेकिन विभाग की हालत इतनी खराब थी कि उस पर विभाग ने कोई अमल नहीं किया और वह योजना पूरी नहीं की गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल में एक विशेष अभियान के तहत गांवों में इस स्वच्छता कार्यक्रम को लागू किया जाये, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा अन्यथा ऐसे कार्यक्रम चलाने का कोई अर्थ नहीं है।

राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की बड़ी चर्चा है। लाल किले की प्राचीर से पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े जोर-शोर से इसकी घोषणा की थी। 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम आरम्भ हुआ था, लेकिन मान्यवर, आज स्थिति क्या है?

वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम भी 15 अगस्त से शुरू हआ है, लेकिन एक जनवरी तक केवल एक किश्त ही लोगों को मिली है। उनको प्रतिमाह 75 रुपये मिलने थे वे भी नहीं मिले। जब मैंने बी.डी.ओ. और कलक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके लिए पैसा नहीं आया। हमने वृद्धों के मन में आस जगा दी कि हर महीने उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन एक महीने मिलने के बाद पैसा गायब हो गया। ऐसे लोगों का अब क्या होगा? यह सुविधा केवल सात प्रतिशत वृद्धों को ही दी जा सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वृद्ध सात प्रतिशत से कम हैं तो कम लोगों के लिए पेंशन होनी चाहिए और अगर वृद्ध सात प्रतिशत से ज्यादा हैं तो ज्यादा लोगों के लिए पेंशन होनी चाहिए।

सरकार की मातृत्व लाभ योजना है लेकिन इसकी जानकारी नीचे तक लोगों को नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की जानकारी भी लोगों को नीचे तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मातृत्व लाभ योजना का लाभ समय पर न मिले तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मातृत्व लाभ योजना का लाभ एक निश्चित अवधि से मिलना चाहिए, नहीं तो वह बेकार है। नीचे के स्तर पर इन योजनाओं के पचास और प्रसार की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम पर दो-दो करोड़ रुपये हर साल बांटे है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन कार्यक्रमों की समीक्षा भी करवाते हैं या नहीं कि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी हो रहा है या नहीं।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अब तक पैसा नहीं लिया है। आपकी योजना में हर साल दो करोड़ रुपया प्रिंट होकर आ जाता है। पता नहीं आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं कि कोई योजना बनी है और बिना किसी समीक्षा के आपने अगले साल फिर दो करोड़ रुपया लिख दिया। दो करोड़ रुपये में आप न सड़के ज्यादा बना सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आप ऐसे कार्यक्रमों को समाप्त कर दीजिए। समस्याग्रस्त इलाकों के लिए आप विचार करे। नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्र हैं। और भी कई क्षेत्र आते हैं जहां अलग अलग समस्यायें हैं अगर कोई विशेष कार्यक्रम बनाना है तो पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाइये। डेढ़ दो करोड़ रुपया बांटने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी दूर करने की बहुत बात की गयी है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि गरीबी तो नहीं हटी परन्तु योजनायें बनाने वालों की गरीबी भले ही हट गयी है। आज भी पंचवर्षीय योजना में इस ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 23884 करोड़ रुपये खर्च में ले इस साल में केवल 3 करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है 1994-95 में 5545 करोड़ रुपया, 1995-96 में 6434 करोड़ रुपया और 1996-97 में 6437 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल में गरीबी हटाने के लिए इस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए केवल पिछले साल के 6434 करोड़ से 6437 करोड़ रुपया रखा गया है और जो रुपया आता है, वह भी पूरे तौर पर खर्च नहीं किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विभिन्न योजनायें, जिनमें दी गयी धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है, गरीबी हटाने के कार्यक्रम के लिए सरकार कितनी गंभीर है, यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले कितने लोग हैं। यह विभाग कहता है कि यह प्रतिशत 28 है और राज्य सरकार से मालूम करें तो वे कहती है कि 52 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है। जिस सरकार को इस बात का ध्यान ही नहीं कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वह गरीबों की गरीबी कैसे दूर करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस कार्यक्रम के प्रति कितनी गंभीर है और जितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, उसमें से कितनी खर्च की गयी है, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 371.52 करोड़ रुपया, उन्नत यंत्र के लिये 11.35 करोड़ रुपया, ट्राइसेम योजना के लिए 5.57 करोड़ रुपया, जवाहर रोजगार प्रथम चरण योजना में 755.40 करोड़ रुपया, नवीन जवाहर रोजगार योजना का 429.43 करोड़ रुपया, इंदिरा आवास योजना का 203 करोड़ रुपया, दस लाख कुओं की योजना का 58 करोड़ रुपया, सुनिश्चित योजना का 539 करोड़ रुपया, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का 47 करोड़ रुपया और मरुभूमि विकास कार्यक्रम का 31 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। यह क्या मजाक है? उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी दूर करने की यही योजना है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का थोड़ा-बहुत पैसा नहीं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार गरीबी हटाने के लिए कितनी गंभीर है। केवल आंकड़ों का मायाजाल फैलाने से कुछ नहीं होगा। यदि गरीबी हटाने के लिए गरीबों के दर्द को समझेंगे और ठोस धरातल पर खड़े होकर योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना नहीं बनायेंगे, तब तक इन योजनाओं का यही हश्र होता रहेगा। सरकार तो केवल लक्ष्य तय करना जानती है। अभी प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हुए कहा था कि इस साल 20 लाख लोगों की गरीबी हटानी है और उन राज्य सरकारों को लक्ष्य भेज दिया गया। राज्य सरकारों ने जिला कलेक्टर से कह दिया कि आई.आर.डी.पी. में इतना टारगेट है, उसे पूरा करो। बी. डी. ओज को बुलाकर कहा कि यह टारगेट पूरा करना है। बैंकों से कह दिया कि योजना के पीछे उद्देश्य क्या है। गांव के आदमी के पास पूरी जानकारी पहुंचती है या नहीं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हम कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं तो पीछे एक लिस्ट लगी होती है कि आई.आर.डी.पी. का लक्ष्य एक हजार और उपलब्धि 1500 दिखाई जाती है। इस प्रकार 150 प्रतिशत उपलब्धि। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में क्या होता है? गरीब बेचारों को पता ही नहीं होता कि आई.आर.डी.पी. की योजना क्या है। उसे तो पता चलता है कि लोन आया है और कलेक्टर को लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए इस तथ्य को तय करके कहता है कि लाओ जिसको लोन लेना है, उससे पूछते हैं कि किसलिये लोन चाहिये तो कहने लगा कि किसी चीज के लिए भी लोन दिला दो क्योंकि उसके दिमाग में यह नहीं होता कि उसको कोई काम-धंधा शुरू करना है उसे तो पैसा मिल रहा है और वह पैसा लेना है। उसकी मानसिकता तो लेने की होती है और बैंक वालों की देने की होती है। बैंक वालों को पता है कि पैसा वापस नहीं लौटाता है, इसलिए वह कहता है कि अकेला-अकेला क्यों खा रहा है, कुछ इधर जा, कुछ उधर दे जा। यह भ्रष्टाचार ग्राम सेवक से शुरू होता है। फार्म भरने के समय गरीब को पता चलता है कि 8-10 हजार मिलने वाला है, इसको 100-200 दे दो।

अपरान्ह 3.00 बजे

फिर बैंक के चक्कर लगाते हैं। बैंकों में यह हालत है कि साल-साल भर केस पड़े रहते हैं। गांवों में गरीब आदमी मजदूरी छोड़कर बैंकों के चक्कर लगाता रहता है। टारगेट 500 का है तो 100 केस भेज देते हैं। बैंक वाले जिससे तय हो जाता है उसको देते हैं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हम पैसा डायरेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन होता क्या है। बैंक वाले कहते हैं कि जाओ और क्वटेशन लेकर आओ और क्वोटेशन भी फला दुकान से लाना। उस दुकान से वह क्वोटेशन लाता है तो वह कहता है कि चेक जब लाओगे तो 10 परसेट क्वोटेशन के हो जाएंगे और बाकी साहब लोगों को देना पड़ेगा, उसका भी तय हो जाए। हश्र यह होता है कि 50 प्रतिशत पैसा भी उसकी जेब में नहीं पहुंचता है। एक नौजवान मुझे मिला तो उसने कहा कि आई.आर.डी.पी. का लोन मुझे मिल गया। मैंने कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब काम करो। उसने कहा कि काम कैसे करें, 14,000 रुपये मंजूर हुए थे और 7,000 रुपये मिले। मैंने कहा कि 7,000 रुपये कहां गए? वह कहने लगा कि 7,000 रुपये खा गए। मैंने कहा कि तुमने मना नहीं किया कि 14,000 रुपये मंजूर हुए तो पूरे 14,000 रुपये दो। तो कहने लगे कि मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि लेना है तो इतने ले जाओ नहीं तो यह भी यहां रख दो। तो मैंने सोचा कि भगते भूत की लंगोटी भली, इतने ही रख लो। यह हश्र होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.आर.डी.पी. की योजना को हम ट्राइसेम से जोड़ने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इस योजना को ट्राइसेम से जोड़ते क्यों नहीं हैं? आपने यहां से लक्ष्य तय कर दिया। उस जिले की आवश्यकताएं क्या हैं जरूरतें क्या हैं, किन-किन ट्रेडजा में हम ट्रेण्ड करें जिससे रोजगार मिल सकता है इसके लिए सरकार ने कभी सर्वे नहीं किया। हम कोई सर्वे नहीं करते, ऐसी योजनाएं नहीं बनाते। आप इनको ट्राइसेम से क्यों नहीं जोड़ते? एक तरफ हमें ट्राइसेम की ट्रेनिंग देनी है जिसके लिए अभी लक्ष्य है कि इतने लोगों को देनी है। हर जिले की विशेष स्थिति है वहां की आवश्यकता है जिसको ध्यान में रखकर ही आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो काम चलेगा नहीं तो कागज पर ही ट्रेनिंग दी जाती है। ट्राइसेम योजना के अंतर्गत जितने लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है उसमें से 54 प्रतिशत ने तो ऋण के लिए आवेदन ही नहीं किया और जिन्होंने आवेदन किया है उनमें से 50 प्रतिशत को ही लोन मिल पाया है। एक तरफ तो हम ऐसे ही लोन बांटते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्राइसेम के अंतर्गत जिनको हम ट्रेण्ड करते हैं उनको ऋण की व्यवस्था नहीं है। ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर हो रही है। इसलिए मैं आपक पाध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ

वास्तविक योजनाएं बनाएं। जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेड्ज में लोगों को ट्रेण्ड करें। संस्थागत ट्रेनिंग आप देते हैं लेकिन संस्थाएं कहां है? कितने आई.टी.आई. हैं या कितने पोलिटैक्निक हैं? कहां आप ट्रेनिंग देंगे? अपने जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप मिनि आई.टी.आई. नहीं खोल सकते हैं? उनमें कुछ ट्रेडज में हम ट्रेनिंग दें और फिर आई.आर.डी.पी. का लोन हम दें तो कुछ लाभ होगा नहीं तो यह सारा का सारा पैसा वैसे ही पानी में जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना की बड़ी चर्चा की जाती है। अब पंचायत के पास 80 प्रतिशत पैसा सीधा पहुंचता है। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसी पंचायत बनी है, एक एक पंचायत के पास 6,000 या 7,000 रुपये की किस्त पहुंच रही है। इसमें क्या काम होगा? उसमें काम हो भी जाए तो जवाहर रोजगार योजना में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है। ब्लाक के सब इंजीनियर के पास अगर परसेंटेज नहीं पहुंचता है तो मूल्यांकन करने वाला कितनी ईमानदारी से काम कर ले, लेकिन उसके 10,000 रुपये के काम का मूल्यांकन वह इंजीनियर 5,000 रुपये ही करेगा। अगर पैसा पहुंचेगा तो 10,000 रुपये के काम का 20,000 रुपये मूल्यांकन हो जाएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है। जो परिसंपत्तियां बनती हैं उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

सुनिश्चित रोजगार योजना की बड़ी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी सुनिश्चित रोजगार योजना की बड़ी चर्चा की लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला है? यह केवल कागज पर आंकड़े हैं कि इतने मिलियन श्रम दिवसों का हमने निर्माण किया। मैंने अपने जिले में देखा है कि मजदूरों का पंजीकरण भी नहीं हुआ है। सुनिश्चित रोजगार योजना में एक करोड़ रुपया अगर कही है तो हमारे यहां का कलैक्टर नेता बनकर करोड़ों रुपये की घोषणा करता है, शिलान्यास के पत्थर लग जाते हैं, एक करोड़ रुपया स्वीकृत है, पांच करोड़ रुपये स्वीकृत है। 10-20 करोड़ रुपये की घोषणाएं हो गई तो भी मजदूरों ने काम नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश के कई जिलों की बात कह सकता हूं कि सुनिश्चित रोजगार योजना का सारा काम ठेकेदारों के माध्यम से ठेका देकर और उनसे कमीशन लेकर किया गया है। मजदूरों को रोजगार देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा पैसा ठेकेदारों की जेब में भ्रष्टाचार के माध्यम से चला गया। किसी को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही हाल है। आप अपवाद छोड़ दें। पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। एक 10 मिलियन वेल स्कीम है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे लोगों के लिए कुएं खोदे जाएंगे। कितने कुएं खोदे गए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं और उदाहरण देकर बता सकता हूं कि कई कुएं केवल कागजों पर ही खोदे गए।

कई पुराने कुएं वर्षों पहले बने हुए हैं, हमारे भूरिया जी भी जानते हैं कि उसमें दस लाख कुएं चले गए, कहीं ईमानदारी से कोई काम नहीं हुआ। गरीब बेचारा कहां जाए। गरीब दौड़कर गया कि जीवनधारा का कुआं मिलेगा। पहली किस्त के लिए वह गया तो बोले ला परसेंटेज। चार हजार की किस्त की जगह दो हजार की किस्त रह गई। दो हजार में क्या खुदेगा, एक गड्ढा ही होगा। उसके बाद दूसरी किस्त लेने गया लेकिन मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ, काम कम किया और अगर पैसा देता है तो मूल्यांकन पूरा हो जाता है। दूसरी किस्त में उसने पैसे नहीं दिये तो फिर वह पानी देता है और वह कुआं जो गड्ढा होता है वह पुर जाता है और स्कीम जहां की तहां धरी रह जाती है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ महोदय नहीं मिल रहा है। जितने कुएं खोदे भी गये, उनको डीजल इंजन नहीं मिलता, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। अब कुआं खोदकर क्या करें। क्या बाल्टियों से पानी निकालकर सींचे। मिश्राजी, बाल्टियों से पानी सींचने के बाद भी क्या वह अपने खेत की सिंचाई कर पायेगा। यह सारी योजना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बजट में आबंटन पर्याप्त नहीं है जब तक इन योजनाओं को जमीन पर लागू करने की इच्छाशक्ति आपके अंदर नहीं होगी, जब तक इनके क्रियान्वयन का ठीक ढांचा आप नहीं बनायेंगे और जब तक इनके क्रियान्वयन की ठीक समीक्षा नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं को लागू करने का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। यही हाल बंजर भूमि विकास विभाग का है।

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। अभी इंदिरा आवास योजना का जिक्र कर रहे थे। इस योजना में गांव से बाहर आवास बना दिये। वे ऐसे आवास बनाये कि आदमी तो क्या जानवर भी जाना पसंद नहीं करता और पहले भी जितनी हमारी योजना बनी उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ। ठीक से इनका इम्पलीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ। मैं कृषि विभाग के संबंध में भी केवल दो-चार बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो-चार बातें नहीं हो पायेंगी, आपको आधा घंटा हो गया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय मंत्री महोदय, मिश्रा जी बैठे हैं। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी सुनना चाहता हूं। बातें तो अच्छी है, लेकिन औरों ने भी बोलना है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मिश्रा जी कृषि मंत्री बने तो हमारे मन में बड़ी आशाएं जगी कि बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, कामरेड रहे हैं, शायद नीतियों में कोई बुनियादी परिवर्तन होगा। लेकिन मैंने जब बजट देखा, अनुदान की मांगें देखी तो वहीं ढाक के तीन पात। क्या बदला कुछ भी तो नहीं बदला। नीति नहीं बदली, नीयत भी नहीं बदली। महोदय, चरित्र भी नहीं बदला। चेहरा जरूर बदला है। लेकिन इस सरकार के तो 13 चेहरे वैसे ही लगे हैं। उन 13 चेहरों में असली चेहरा तो छिप ही जाता है। नकली चेहरा सामने आये, असली छिपा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्रांतिकारी योजनाओं का क्या हुआ। वैसे तो 1995-96 के दौरान जो बजट का प्रावधान पहले कृषि विभाग के लिए किया गया था वह 2590 करोड़ रुपये था, बाद में उसको घटाकर 1725 करोड़ रुपये और बाद में कम करके 1471 करोड़ रुपये उस समय स्वीकृत किया गया था और इस साल वह केन्द्रीय योजना आवंटन का 2.6 प्रतिशत जो पहले 1991-93 में कभी खर्च हुआ करता था, आज कृषि विभाग पर 1.69 परसेंट खर्च हो रहा है। यह हालत इतने महत्वपूर्ण विभाग की है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसको पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आज विकास की योजनाओं के संबंध में क्या बात कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से तीन-चार बुनियादी सवाल जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कि उत्पादन बहुत बढ़ गया है। यह बात सही है देश के अन्न के भंडार आज भरे हैं। लेकिन इसका श्रेय किसानों को जाता है जिन्होंने दिन-रात मेहनत की है, खून-पसीने से अपने खेत को सींचा है तब जाकर अन्न के भंडार बढ़े हैं। लेकिन वास्तव में बढ़े हुए उत्पादन का किसानों को क्या लाभ पहुंचा। आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं क्या वह वास्तव में पर्याप्त है? उत्तर प्रदेश के किसानों ने खड़ा गन्ना खेत में जला दिया, आप गन्ना खरीद नहीं पाये और जो गन्ना शुगर मिल वालों को बेचा गया उसके पैसे पूरे भुगतान नहीं हुए। जब किसान के घर सोयाबीन पैदा हो तो वह 6 सौ रुपये क्विंटल और जब वह बड़े व्यापारी और उद्योगपति के गोदाम में चला जाए तो 16 सौ रुपये क्विंटल हो जाता है। किसान पैदा कर करके मर जाए, मेहनत करके मर जाए, पसीने की कीमत उसको नहीं मिलती और कुछ लोग खरीद कर थोड़े दिन रख लें तो उनकी तिजोरियां भर जाएं, यह हालत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने घोषित किया है, यह कम है। उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने के लिए आपकी सरकार कौन से कदम उठाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अपना देश फलों के निर्यात में सबसे ऊपर है, यह प्रसन्नता की बात है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कई किसान फल पैदा करना चाहते हैं, सब्जी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वह पैदा करें तो बेचे कहां, सड़क नहीं हैं, आने-जाने के साधन नहीं है, ट्रक नहीं है, मैटाडोर नहीं है। थोड़े बहुत फल तथा सब्जियां पैदा कर लें तो बेचने कहां जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यदि कोई किसान फल और सब्जियां पैदा करे, तो उसके गांव में या गांव के पास ही आप उसे खरीद लें, उसे किसान तोड़कर कहां ले जाए, उसके पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी में ले जाकर वह उसे औने-पौने दामों में यदि नहीं बेचे, तो वह खराब हो जाती है, सड़ जाती है। आज इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है?

महोदय, हमारे गांव के एक किसान ने बड़े उत्साह से टमाटर पैदा किए। उनको बोरों में भरकर, बस में लादकर वह उन्हें मंडी में ले गया। मंडी में वे दो रुपये किलो मांगे। उसने नहीं बेचे, लेकिन जब दूसरे दिन वे सड़ने लगे, तो उसे मजबूरन वे दो रुपये किलो में बेचने पड़े। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बस में आने जाने का किराया और उन टमाटरों को लादकर ले जाने का जो भाड़ा लगा वही मुश्किल से निकला। उसकी लागत सारी की सारी पानी में चली गई।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री शिवराज सिंह : क्या आप उसको खरीदने की व्यवस्था करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक और तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। सिंचाई की परियोजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं। यहां सरकार बजट में कह रही है कि हमने 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस मद में की है। क्या 100 करोड़ रुपया लगाकर जो आधी अधूरी परियोजनाएं बची हैं उनको पूरा करने का काम नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आज 20-20 और 25-25 साल से परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन वे पूरी नहीं हुई हैं। मैं अपने क्षेत्र की दो परियोजनाओं बाह और बगल के बारे में कहना चाहता हूं कि वे अनेक वर्षों से लंबित हैं। पिछली लोक सभा यानी दसवीं लोक सभा में पांच साल मैंने मंत्री के चक्कर लगाए और अब फिर नए वन और पर्यावरण मंत्री के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन वे परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। उनका आधा काम पूरा हो गया है। यदि आधा काम और पूरा हो जाए, तो सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी। आज हमारे देश में सिंचित जमीन का प्रतिशत है ही कितना। यदि इसको देखे, तो यह मुश्किल से 67 प्रतिशत बैठता है। बाकी खेती मानसून पर निर्भर है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अच्छा बीज कितने आम किसानों को मिलता है?

उपाध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। अच्छी खाद आम किसान तक नहीं पहुंचती है। घटिया कीटनाशक होते हैं। मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश और देश के दूसरे प्रदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं वहां घटिया किस्म के कीटनाशक सप्लाई होते हैं। इल्ली हो, ओले हों, पाला हो, इन सबसे फसलें नष्ट होती हैं, लेकिन कीटनाशक इतने घटिया किस्म के होते हैं कि उनसे कीड़े मरते ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल दलहनी फसलें घटिया कीटनाशकों के कारण बिल्कुल चौपट हो गई। किसान दवाइयां डाल-डाल कर मर गए, लेकिन इल्ली नहीं मरी। किसान कर्जे में मर गए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप अच्छा कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार "फसल बीमा योजना" लेकर आई। हमें लगा कि हमारी फसलों को यह बीमा कवर करेगा। एक बार हमारे यहां पूरी फसल नष्ट हो गई, तो मैं कलैक्टर के पास गया और पूछा कि उस फसल बीमा योजना का क्या हुआ? कलैक्टर ने कहा कि नहीं, नहीं आधी ही तहसील में फसल नष्ट हुई है, तो मैंने कहा कि क्या हो गया?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नेक्स्ट मैम्बर को बुला रहा हूं।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं।

हमने कहा कि जिनकी फसल नष्ट हुई है, उनको तो मुआवजा देंगे? तो वे कहने लगे कि हम एक इकाई पूरे एक ब्लाक को मानते हैं। इसलिए यदि एक किसान की पूरी फसल चौपट हो जाए, तो पैसा नहीं देंगे। पंचायत की फसल भी चौपट हो जाए, तो भी पैसा नहीं देंगे। यदि पूरे ब्लाक की फसल नष्ट होगी, तो मुआवजा देंगे। अब यही बात हो गई कि यदि एक पूरे गांव की फसल नष्ट हो जाए, तो गांव वाले भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान तू पूरे ब्लाक की सारी फसल नष्ट कर दे। तभी सबको मुआवजा मिलेगा। क्या ऐसी स्थिति माननीय मंत्री जी आप लाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप सिंह भूरिया।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भले ही बदल गई हो, आपकी नीति और नीयत नहीं बदली। चतुरानन मिश्रजी और नायडू जी आप क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, अन्यथा यह लगेगा कि पहले ... **(व्यवधान)***

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

भैया, चाल बदलो और चरित्र भी बदलो। नीति बदलो और नीयत भी बदलो। आम आदमी को ध्यान में रखते हुए जमीन पर ठीक से कार्यान्वित होने वाली योजनाएं बनाइए। तभी इस देश का कल्याण होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 3.12$^{1}/_{2}$ बजे

कटौती प्रस्ताव (सांकेतिक)

श्री मनोरंजन भक्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (18)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मल-जल तथा सफाई व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता। (19)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायत स्तर पर ग्रामीण हाटों को विकसित किये जाने की आवश्यकता। (20)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राजस्व तंत्र और भूमि सुधारों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता। (21)

"कि ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मे ग्रामीण आवास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (22)

"कि ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जवाहर रोजगार योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता। (23)

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण रोजगार विकास मंत्रालय के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1996 के आरंभ में चुनाव हुए। नैशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। इस सरकार को हम लोगों का बाहर से समर्थन

है। हमारे ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम थे वे पूरे के पूरे इस सरकार ने ले लिए और उन पर आगे काम हो रहा है। इसलिए हमारा पूरा समर्थन इस सरकार को है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आजादी की प्राप्ति के समय यही लड़ाई थी कि शहरों का विकास हो, वे खूबसूरत बनें, लेकिन साथ ही साथ देश के जो 80 प्रतिशत गांव हैं, वहां भी सड़के पहुंचे, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, वहा रोजगार के साधन उपलब्ध हो। आज भी हम उसी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। मैं प्रधान मंत्री, श्री देवेगौड़ा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 15 अगस्त को, जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम थे, उनके ऊपर पहले जो 30 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान था उसको बढ़ाकर, 60 हजार करोड़ रुपये कर दिया।

मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि गांवों के विकास की योजनाएं तेजी के साथ हों।

अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब बोल रहे थे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बहुत सी योजनाएं हैं। वे योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंचे, यह देखने की आवश्यकता है। योजनाओं में बुराई नहीं है। योजनाओं को क्रियान्वित करने में कहीं गड़बड़ी है। उसको कैसे ठीक करें, उस पर मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा। देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। यदि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात करें तो गांवों के 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। शहरों के आंकड़े लें तो मुश्किल से 22 प्रतिशत ही होते हैं। यदि एक गांव में बिजली लग जाए तो बिजली वाले कहते हैं कि हमने एक गांव को कवर कर लिया है। मिश्राजी और नायडू जी जानते हैं कि गांवों में सबसे ज्यादा वोटर है। जब तक गांव का आदमी वोट नहीं देता तब तक संसद नहीं बनती। गरीब आदमी ही वोट देकर हमको संसद में भेजता है। लेकिन यहां का ढांचा ऐसा बना है कि हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं हैं चाहे बिजली की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे रोजगार की हो, वे ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले लोगों तक पहुंचती है। उन लोगों को इन योजनाओं का बैनीफिट मिलता है। हम जब तक गांव के विकास का ढांचा मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होगा।

मैं आंकड़ो के चक्कर में नहीं जाना चाहता, हमारे पास बहुत से आंकड़े हैं। इनमें गांवों में पानी उपलब्ध करवा दिया लेकिन आज भी गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। हैंडपम्प लगा दिए लेकिन वे काम नहीं करते। चौहान साहब ने ठीक कहा, आपने पंचायत को कहा कि हैंडपंप ठीक कर दीजिए लेकिन पंचायत के लोगों को टैक्नीकल नौलेज नहीं है। क्या आपने उनको टैक्निकल हैंड दिया है? हमारे पास इसके भी आंकड़े हैं कि भारत सरकार हर साल जितना पैसा ऐलाट करती है, उसे राज्य सरकार यूटिलाइज नहीं करती। क्या आपने कभी उन कारणों का पता लगाया है? आज बहुत सी राज्य सरकारों के पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या आप उन योजनाओं को बदलना चाहते हैं? यदि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप कितनी भी योजनाएं बना लें, उनका विकास नहीं होगा। मंत्री जी, आपको उन योजनाओं को बदलना होगा। हमारे देश में जो पहाड़ी एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहां की योजनाओं को ही ले लीजिए। ...(**व्यवधान**) आज इंद्र देवता भी हमारा साथ दे रहा है कि उनका विकास हो। आप सौ प्रतिशत पानी की योजना बनाइए। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। म्यूनीसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है। जैसे आपने समग्र विकास की योजना बनाई। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक एनाउंसमेंट करनी है। आप उसके बाद बोलिए।

अपराह्न 3.20 बजे

सदस्य की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई., एस. पी. ई., ए. सी. यू. VIII नई दिल्ली का दिनांक 5 सितम्बर, 1996 का निम्नलिखित संदेश 6 सितम्बर, 1996 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख और धारा 7, 12 और 13 (2) के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामला संख्या आर. सी. 5(ए)/96-एसी यू., VIII, की जांच के संबंध में श्री शिबू सोरेन, लोक सभा सदस्य को आज अर्थात्

5 सितम्बर, 1996 को 18.15 बजे पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए. सी. यू. VIII, द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन्हें विधि के उपबन्धों के अनुसार कल सक्षम न्यायालय के सक्षम पेश किया जायेगा।"

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : इसमें पैसा देने वाला कौन है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पेश होने के बाद कोर्ट में पता लगेगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मैं यह कह रहा था कि इस मिसिंग ग्रांट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि हम वहां की ... **(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एकतरफा मामला हो गया। लेने वाला तो पकड़ा गया, देने वाला नहीं पकड़ा गया। इस बात पर आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कानून को अपना काम करने दें।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : आप ऐसे आसन पर बैठते हैं, जिसका तराजू बराबर-बराबर है। लेने वाला तो पकड़ा गया, देने वाला पकड़ा गया ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह फैसला मैंने नहीं करना। यह फैसला कोर्ट करेगा।

अपराह्न 3.22 बजे

सामान्य बजट 1996-97 अनुदानों की मांगें-जारी

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं ट्राइबल एरिया की बात कह रहा था, स्वरोजगार योजना की बात कह रहा था। पहले हम लोगों ने लिमिटेड ब्लाक लिए थे, लेकिन ये हिन्दुस्तान के सारे के सारे ब्लाक ले रहे हैं। जैसे कोई मंदिर में पूजा करने जाता है और पुजारी थोड़ा-थोड़ा प्रसाद सबको देता है तो वह आस्था से जरूर खा लेते हैं, मगर उससे पेट नहीं भरता। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि आप उन ब्लाकों को, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो ट्राइब्स के हैं, उनको आइडेंटीफाई करिए और उनको फुल डोज दीजिए। राजीव गांधी जब 1985 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फिर दूसरा डोज लोगों को दिया। जब तक आप लोगों को वायबल यूनिट नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आपने कुआं खोदने के लिए पैसा दे दिया, लेकिन मोटर का नहीं दिया, बैल नहीं दिया, बीज नहीं दिया, खाद नहीं दिया तो वह किसान कभी वायबल नहीं हो सकता। उसको वायबल करने के लिए आपको फुल डोज देना पड़ेगा। इस तरह की योजनाएं आप पूरे के पूरे देश में बनाएं। आपके ऊपर राजनैतिक प्रैशर जरूर है कि आप यह भी ब्लाक लीजिए, यह भी ब्लाक लीजिए, इससे जो बैकवर्ड क्लाक्स हैं, जो हमारी प्रायरटी थी, हमारी प्रायरटी सबसे पहले गरीब आदमी, कमजोर आदमी को इस गरीबी की सीमा से ऊपर उठाने की है, अगर हम उस व्यवस्था में छेद कर दें तो गरीब गरीब बैठा रहेगा और अमीरी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए हमारी प्राथमिकता आप तय करिए।

यह जितनी योजनाएं हैं, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लाक लेवल पर निगरानी समितियां नहीं बनाएंगे तो आपके पैसे की कौन निगरानी करेगा। आपने पूरे के पूरे स्टेट गवर्नमेंट की डी.आर.डी.ए. की एक कमेटी बना दी, वह कोई असेसमेंट नहीं करती, उनके अपने इंटरैस्ट हैं। आप अपनी तरफ से जब तक सैण्ट्रल गवर्नमेंट की निगरानी समिति नहीं बनाते, तब तक काम नहीं चलेगा। हम लोगों की कमेटी में भी इस बात पर विचार किया, कमेटी ने भी यह रिपोर्ट दी कि आप जब तक निगरानी समिति नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। वहां इलैक्टेड एम. पी. को सारी योजना वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताता ही नहीं। आप क्यों नहीं एम. पी. को निगरानी समिति में अध्यक्ष बनाते और जिम्मेदारी देते ताकि वह ताकत से उन योजनाओं और स्कीमों को एग्जीक्यूट करे। जब तक आप यह नहीं करेंगे, ब्लाक लेवल, गांव लेवल, स्टेट गवर्नमेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तब तक यह पैसा इसी तरह हम भेजते रहेंगे और खर्चा होता रहेगा। हमारे पास आंकड़े आते रहेंगे और आंकड़े में यह आएगा कि खर्च नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप करेंगे।

अपराह्न 3.23 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

दूसरे आपने पंचायत वाली बात कही। हमारे संविधान में 73वां संशोधन हुआ। हम लोग चाहते थे कि इस देश में चुनाव हो जाएं और चुने हुए लोगों को, जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी जाय, जैसा हमारे नेता राजीव गांधी चाहते थे कि अब सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, लोगों के पास सत्ता पहुंचनी चाहिए। बहुत से राज्यों में चुनाव कराये, बहुत से राज्यों ने चुनाव नहीं कराए। सहकारी आन्दोलन की भी यही स्थिति रही कि बहुत से राज्यों ने चुनाव कराये, बहुत से नहीं कराये। आप चुनाव क्यों कराना नहीं चाहते? आप चुनाव कराइये, जिस तरह लोक सभा के, राज्य सभा के चुनाव छह महीने में साल भर में होने कम्पलसरी हैं, उसी तरह लोकल बाडीज के चुनाव आप कराइये और लोगों को सत्ता सौंपिए।

जो राज्य इस काम को नहीं करना चाहते हैं, उन राज्यों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कानून में यह भी है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार कानून बनाए। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने कानून नहीं बनाया है। आदिवासी इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें छठा शैड्यूल दिया जाए और पांचवें शैड्युल में परिवर्तन किया जो, क्योंकि इसमें गवर्नर कैबिनेट की राय से काम करता है। इस दिशा

में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से आदिवासी चाहे पहाड़ के हों, जंगलों के हों या खदानों के हों, बीच में ही झूल रहे हैं। जहां तक बांध का प्रश्न है, बांध बनाते समय आश्वासन दिया जाता है कि विस्थापितों को सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। नर्मदा नदी पर जब बांध बना, तो 40 हजार लोग विस्थापित हुए, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर समस्या को टाल देती है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर समस्या को टाल देती है और इससे विस्थापित लोग बीच में ही झूलते रहते हैं। ऐसी स्थिति होने पर समस्यायें और खड़ी हो जाती हैं। जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो हम क्यों नहीं गांव के लोगों को राज सौंपने की बात कहते हैं और राज्यों में चुनाव करवाते हैं।

इस संबंध में मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें हमने न्यूनतम कार्यक्रम को लिया और कहा कि ट्राइबल को हक दिये जाने चाहिए। हक चाहे जंगल के हों, जमीन के हों या जल के हों, जब तक आप इस दिशा में कदम नहीं उठायेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दीजिए और उनको कानून बनाने दीजिए, तो सब समस्यायें चाहे जंगल की हों, जमीन की हों या जल की हों, हल हो जायेंगी। जब यह हो जाएगा, तो फिर वे राज्य सरकार की तरफ और केन्द्रीय सरकार की तरफ क्यों देखेंगे।

सभापति महोदय, हमारे देश में 1950-51 में 78 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित थी और कृषि में उसकी भागीदारी 56 प्रतिशत थी। उसके बाद से कृषि के बजट में कमी आई है और साथ ही उत्पादन में भी कमी आई है। हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन संसार के आंकड़ों को देखा जाए, तो हमारे देश के किसानों की आमदनी धीरे-धीरे घट रही है और किसानों की समस्यायें बढ़ रही हैं। मिश्रा जी सदन में बैठे हुए हैं, उनको इन सारी चीजों को देखना चाहिए। सदन में पहले कभी ग्रामीण विकास मंत्रालय पर चर्चा नहीं हुई, पहली बार इस सदन में इस मंत्रालय पर चर्चा हो रही है। सदन के .75 प्रतिशत सदस्यों को गांवों से लगाव है। मैं जब लोकसभा में सन् 1980 में चुनकर आया था, तो सोच कर आया था कि गांवों के विकास के लिए हम लडेंगे और कोशिश करेंगे की पांच साल के अन्दर गांव को शहर बना देंगे। लेकिन 17-18 साल हो गए हैं, गांवों की हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। दूसरी ओर यदि दिल्ली की हालत देखें, तो दिल्ली की स्थिति में सुधार हुआ है। यही वजह है कि असमानता बढ़ती जा रही है। मुझसे पूर्ववक्ता शिवराज सिंह जी ने ठीक कहा है कि अभी भी महिलाओं को पखाना जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम गांवों के विकास के लिए एक ऐसा मजबूत संगठन तैयार करें, जिससे देश की जनता को यह महसूस हो कि हिन्दुस्तान की सरकार हमारे साथ है और हमारा विकास होगा।

जहां तक सब्सिडी की बात है, सब्सिडी देने में भी करप्शन होता है। जब तक हम इसके ऊपर कड़ी निगरानी नहीं रखेंगे, तब तक सरकार द्वारा जो भी पैसा विकास के कामों पर खर्च किया जाता रहेगा, उससे वास्तव में गांवों का विकास नहीं होगा। अब तो सदन की कार्यवाही को सारा देश दूरदर्शन पर देखता है, इसलिए हमें उनमें धीरज पैदा करना होगा कि उनका विकास कभी न कभी तो होगा। यह विश्वास हमें देश के लोगों में पैदा करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत खुश हूं कि आज कम से कम जो प्रधान मंत्री जी हैं वह गांव के धरती पुत्र हैं और किसानों के साथ उनके ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक हैं। साथ ही साथ मेरे जो कृषि मंत्री जी हैं वह भी किसान से बहुत ताल्लुक रखते हैं और किसानों के दुख-सुख को समझते हैं। हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं वह भी गांवों से ताल्लुक रखते हैं। यहां बहुत बहस हुई है। मुझसे पहले भी कुछ माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं। अगर गांवों का विकास करना है तो कौन करेगा? अगर यह कहें कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लोग गांव का विकास करेंगे तो इससे अच्छा यह होगा कि गांव के आदमी खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे तब तक कभी यह बदलाव, विकास नहीं होगा। हम पंचायत के बारे में संसद के सामने जरा सा बोलना चाहते हैं कि बलराज मेहता कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसकी कुछ लाइनें पड़ने से मालूम पड़ जाएगा कि महात्मा गांधी जी कैसी पंचायत चाहते थे, वह कैसी होनी चाहिए, इसके लिए वह क्या बोले थे। वह बोले थे,

[अनुवाद]

"पंचायत और कुछ नहीं केवल ग्रामीणों की शक्ति का आविर्भाव है।"

[हिन्दी]

अभी पंचायत के बारे में बहुत से लोगों ने बोला है। मेरा कहना यह है कि तकदीर को कौन बदलेगा। अगर चेतना न हो, उद्योग न हो, अगर गरीब आदमी उस पंचायत का मेम्बर होकर उद्योग में शामिल न हो तो वह चोरी तो चोरी ही रहेगी। अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो बड़े आदमी करेंगे। मगर अगर गरीब आदमी पंचायत में न जाए, उसको उसमें न लगाया जाए तो गांव के रूरल डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो सकता है, इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा।

महोदय, यहां मंत्री जी बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी पूरे आठवें प्लान की नहीं है। अभी इसमें चार साल गुजर चुके हैं बाकी एक साल रह गया है। यह जो यूनाइटेड फ्रंट वाली सरकार है इसको चार महीने हो चुके हैं तो इन चार महीनों में इन्होंने क्या किया है और बाकी आगे के लिए क्या सोचा है इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं पहले बजट का समर्थन करता हूं और उसके बाद थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूं। यहां पहली बार ग्रामीण विकास पर बहस हो रही है, यह समय इसके लिए बहुत कम है। पूरे हिन्दुस्तान के बहुत से लोग गांवों में रहते हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए इसके संबंध में बहस करने के लिए यह बहुत कम समय हैं।

इस पर बहस करने के लिए आपको कुछ समय देना चाहिए। यहां पर नये-नये सांसद आये हैं, वे अपने सुझाव रखेंगे, उनको हम सुनेंगे और फिर गांव तक उनको पहुंचायेंगे। मेरे पास आंकड़े तो बहुत हैं लेकिन आंकड़ों से तो असली बात मालूम नहीं होती है। असली बात यह है कि हमारा जो लक्ष्य था वह प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।

गांव के आदमी को आप पैसा दीजिए, कार्यसूची दीजिए यानि सब कुछ दीजिए लेकिन जमीन नहीं दीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसके पास जमीन नहीं होगी तो वह पैसे को कहां लगाएगा। इसलिए कृषि की उन्नति के लिए और गांव के उन्नयन के लिए आपको किसान को जमीन मुहैया करानी होगी। अगर उसके पास जमीन नहीं होगी तो यह गरीब का गरीब रह जाएगा। लैंड-रिफोर्म की बात आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने बहुत कम जमीन बांटी है। दस साल के आंकड़े मेरे पास है। 25,13,994 एकड़ जमीन दस साल में ली गयी लेकिन अभी तक पांचं साल में केवल 10 लाख ही बांटी गयी है।

हमारी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और गांव के अंदर गरीबी भी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि वितरण का काम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है। 21 मार्च, 1980 में 287.45 एकड़ जमीन सरकार ने ली और आंकड़ों में बांटी 175.32 एकड़ लेकिन लोगों को केवल 151 एकड़ मिली।

कृषि के ऊपर लोगों को खिलाने की पूरी जिम्मेदारी है। हमें इसके लिए तीन चीजें करनी आवश्यक है। पहला है ज्यादा से ज्यादा खाना लोगों को मुहैया कराना। दूसरा है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और तीसरा है कि जो भी पैदा हो उसके लिए मार्किट का इंतजाम करना। 1997 तक हमारी जनसंख्या 941 मिलियन हो जाएगी और हमें उसके लिए 208 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसी तरह से सन 2005 तक हमारी जनसंख्या 1102 मिलियन होगी और उसको खिलाने के लिए हमें 283 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी। मैं मंत्री जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के लिए बजट बहुत कम है।

एग्रीकल्चर के लिए 2590.75 करोड़ रुपये और फाइनेंस कमीशन ने ऐलोकेट किये हैं 1725.75 करोड़ रुपये। जितना ऐलोकेशन हुआ है उसमें एग्रीकल्चर का परसेंटेज 1.69 है। अगर देखा जाये तो सारे हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना कम बजट रखा जा रहा है। जब कल वित्तमंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने सुना था। वे बोले कि कम नहीं हो सकता परन्तु वही बात हो गयी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम कृषि के लिए ज्यादा पैसा देंगे। हमारे मिनिमम प्रोग्राम में भी कहा गया है कि ज्यादा पैसा कृषि के लिए देंगे। हम भी मांगते हैं। जमीन के साथ पानी, पानी के साथ बीज। हमारा कहना है कि बीज तो किसान के घर पर पहुंचाना चाहिए। उन्नत किस्म का बीज किसान को चाहिये तभी उपज ज्यादा हो सकेगा। आप नई वैज्ञानिक पद्धति लगाते हैं। जो बीज सप्लाई करते हैं, वह समय पर मिलना चाहिए। बीज पैदा करने वाले संगठन है, वे क्या काम करते हैं? बीज की जितनी मांग है, उसके हिसाब से हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने मंत्री जी से कहा है कि सरकार से बीज बनाने के फार्मस बनाये जाने चाहिये तो किसानों को सस्ता और अच्छा बीज मिल सकेगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में कहते हैं कि हम डैम बनायेंगे। जो अधूरे पड़े हैं, उनको तो पूरा करो। बैराज और कैनाल पूरा करो। पानी का बंटवारा ठीक से हो कि पानी बर्बाद न हो। सैंट्रल वाटर कमीशन को ठीक से काम करना चाहिए। राज्यों को भी ठीक से काम करना चाहिए। बीजों को ले जाने के लिए सरकार ने कहा कि ट्रक ठीक समय पर पहुंचे तो तीन करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आप जानते हैं कि खाद्यान्न, गेहूं आदि सब जगह नहीं होता है। यह सब जमीन के हिसाब से होता है। आप हार्टीकल्चर कर सकते हैं। यह कितनी आबादी में हो रहा है, इसको जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि चारा नहीं मिल रहा है।

स्माल न र्सरी बनाने का काम था, 522 में से 249 बनी है। बड़ी नर्सरी 69 होनी चाहिए थी वह 30 हैं। हार्टिकल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। नार्थ ईस्टर्न एरियाज में हार्टिकल्चर पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एक हजार करोड़ रुपये के हिसाब से यहां एलोकेशन हुआ था। हमें 590.90 करोड़ खर्च करना था और खर्च किया 497 करोड़ के लगभग। अभी 1996-97 में 191.95 करोड़ है। एक हार्टिकल्चर बोर्ड है मगर वह कैसे काम करता है इसका नमूना हमें मिला। 1994 में हार्टिकल्चर बोर्ड के पास एक केस गया था एप्रूव होने के लिए लेकिन अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया है। अगर जरूरत हो तो मंत्री जी इस

बोर्ड को ठीक करें। मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति का भी सदस्य हूं। हमें सुनकर ताज्जुब हुआ कि बहुत सी हायर पोस्ट कई सालों से खाली पड़ी हैं। कमिश्नर आफ एनिमल हसबैंडरी की पोस्ट ढाई तीन साल से खाली पड़ी है। ऐसे कैसे काम चलेगा। आप उसको भरिए और अधिकारी रखिए।

स्वायत्त कंजर्वेशन के बारे में हमने कहा था। वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बरसातों के बाद नदी-नालों में तथा कैनाल्स में सिल्ट भर जाती है। उससे नदी-नाले बंद हो जाते हैं। उसकी सफाई के लिए क्या करना है इस बारे में सरकार को सोचना होगा। खाद के मामले में सरकार सब्सिडी भी देती है और कहती है कि पिछले साल जिस दाम पर खाद मिलती थी उसी दाम पर आज उपलब्ध हैं, उसके दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन सब्सिडी का फायदा भी किसान को नहीं होता है। उसका फायदा बिचौलिये ले जाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि

[अनुवाद]

''मैं इसमें किसी बिचौलिए को नहीं आने दूँगा'',

[हिन्दी]

इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि अगर सब्सिडी दे या सब्सिडी बढ़ाएं तो उसका फायदा सीधा किसान को होना चाहिए। आप जानते हैं कि डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. कंशेसनल रेट पर मिलते हैं।

राज्य सरकारें खुद ऐसा करें और जितने भी खाद बनाने वाले कारखाने हैं, जो एजेन्सीज हैं उनसे बातचीत करके भाव कुछ ऐसे कर दें कि पूरी सब्सिडी कम से कम किसान को मिल जाए। मैं बड़ी सिंचाई और छोटी सिंचाई के बारे में भी बोलूंगा कि अगर खेती में इरीगेशन का ज्यादा से ज्यादा बंदोबस्त हो और खेती का ठीक से बंदोबस्त अगर कर दिया जाए तो अनाज का उत्पादन और भी बढ़ जाएगा। एक बात कोआपरेटिव के बारे में कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर मिडिलमैन को रोकना चाहते हैं तो सहकारिता के माध्यम से आप रोक सकते हैं। सहकारिता को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। सहकारिता हम शुरू करें और उसका लाभ ले जाये यह गलत है। उसके लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से सहकारिता में गरीब आदमी आ रहे हैं। यदि वे आयेंगे तो पैसा मिलेगा। सहकारिता में शेयर अगर सौ रुपये हैं तो उसका शेयर 20 रुपये है। शेयर का 75 प्रतिशत भाग सरकार देती है और 25 प्रतिशत देश के किसान देते हैं। हम चाहते हैं इस आंद्रोलन में गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा आये तो अपनी तकदीर को बदलने में और बाजार के बारे में सहकरिता की मदद ले सकते हैं। इसके बारे में एक प्लान के हिसाब से 9 सौ करोड़ रुपये का एक प्लान दिया है और एक्चुअल एलोकेशन 550 प्लान में दिया है और कोऑपरेटिव का जो एलोकेशन था वह 49 करोड़ रुपये था और अब 27 करोड़ है यह भी कम था। मार्केटिंग ट्रेड हम जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बंगाल में आलू बहुत ज्यादा होते हैं। जहां कहीं नहीं सोचा वहां भी आलू पैदा हो रहे हैं। तो आलू रखने के लिए स्टोरेज और बेचने के लिए जगह नहीं है। मैंने कहा था हमारे वहां पहाड़ पर आलू की एक बीमारी वाट है। वह एक छोटे के टीले पर है। मैंने कहा था कि इसको हम कोरेन्टाइन करके बंद करके रखेंगे, आप हमें यह इजाजत दे दीजिए, बैन उठा लीजिए ताकि नीचे वाले जो किसान हैं वे इधर-उधर न बेच सके। मैं अभी 4-5 सब्जेक्ट पर बोलना चाहता हूं ... (**व्यवधान**) अगर गैर बंगाली मछली खायेंगे तो बंगालियों को कैसे मिलेगी। ठीक है हम मांस खा लेंगे। मछली आपके लिए छोड़ देते हैं। मुझे इस बात की खुशी और फख्र है कि हिंदुस्तान में पोल्ट्री कांग्रेस हैं। माननीय मंत्री जी आये थे और उनसे बहुस हुई उस बहस में थोडा बहुत महात्मा गांधी का भी जिक्र आया कि इनडिविजुअल चीजों का मास प्रोडक्शन मशीनरी से हो, ये नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया, महात्मा गांधी बोले थे कि मास प्रोडक्शन बाई मासेस। मासेस से प्रोडक्शन कराओ। बैकयार्ड पाल्ट्री, बैकयार्ड गाय। इसको पालो और हजारों हजार पाल्ट्री से वे भी कमा लें और आप भी कमा लो और अपनी एम्पलायमेंट जनरेशन का काम करो और बेकारी को भगाने का भी कोई फैसला हो। वह भी करें और यह भी करें।

अभी एक बात है, हमारे यहां प्राणी पालन बोलते हैं। पालन का मतलब होता है कि हम तीन भैंस रखें और अपने घर में रखें और खूब दूध पियें और घी खाएं। लेकिन पालन का मतलब अब बदल दो। पालन का मतलब हम रिसोसर्स से लेते हैं। पानी से हम रोटी खा लें, यह तो होगा नहीं। अंडा और मांस यहां से एक्सपोर्ट होगा। रिसोर्स पैदा करें।

कल हम पाल्ट्री एग्जीबिशन में गए। हमने देखा अखबार में खबर लगी कि हम कुछ और ज्यादा अंडा पैदा करें, तो हम संसार के सबसे बड़े अंडा पैदा करने वाले देशों में पहले नंबर पर आ जाएंगे। एक महिला, श्री वी.वी. राव की लड़की चेयरमैन बन गई है। अभी प्राणी पालन के हिसाब से एक जो दृष्टि है वह बहुत खराब है। हम जब मिनिस्टर बने थे, तो एक औरत आकर हमसे पूछती है कि आप कौन से मंत्री बने हैं। हमने कहा कि हम पशुपालन मंत्री हैं, तो उसने कहा कि क्या इतना खराब विभाग आपको ज्योति बसु ने दिया। आप तो गाय पालते हो, भैंस पालते हो और सूअर तक पालते हो। सबसे खराब बात यह है कि सूअर के मंत्री हैं। आप मुसलमान हैं, और सूअर का व्यापार करें, यह सबसे खराब बात है। आप तो पालते हैं। यदि कभी कोई बीमारी हो जाए, तो आप क्या करेंगे। दवाई करेंगे। हमारे गांव में बकरी बीमार हो जाए, गाय या भैंस बीमार हो जाए, तो आप कम से

कम इस विभाग के मंत्री हैं, डाक्टर तो हमारे गांव में भेज दीजिए। हमने कहा कि नहीं डाक्टर नहीं भेजेंगे तुम्हारी जो 17-18 साल की लड़की है, जो पढ़ रही है उसी को हम इंजेक्शन लगाना सिखा देंगे। यह काम हमने अपने प्रदेश में किया है। गांव में जो 17-18 साल के बच्चे हैं वे ये सब काम करते हैं।

हैवान तो नहीं, इंसान तो है। हैवान में ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं। आप हिसाब देखिए कितना पैसा लेते हैं और कितना पैसा वापस आता है। मगर है तो हैवान का पानी का। इसीलिए बजट का पैसा भी कम है। हर जगह बजट का पैसा कम है। शिक्षा में बजट भी कम है। बायोलोजीकल प्रोडक्शन हम बनाएंगे, उसमें पैसा कम है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि कलकत्ते में एक नई यूनिवर्सिटी बन गई है प्राणी की और एनीमल हस्बेंडरी और फिशरी की। यह दूसरी यूनिवर्सिटी पूरे हिन्दुस्तान में है। पहली यूनिवर्सिटी मद्रास में है और यह कलकत्ता में दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है। हमने मंत्री जी से कहा है कि यूनिवर्सिटी हो, अच्छा है, एग्रीकल्चर भी और तरक्की करे।

अपराह्न 4.00 बजे

और भी तरक्की करें, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक जमीन से जितना हम ले सकेंगे, उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा उससे हम नहीं ले सकते। उसके बाद एक जगह हमें ठहरना ही पड़ेगा कि इस जमीन से हमें इतनी ही फसल मिल सकती है, लेकिन एक गाय से, एक प्राणी से हम ज्यादा से ज्यादा चीज ले लेंगे। हमारी जमीन रबड़ तो नहीं है जो खींचेंगे तो बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्राणी है, उसको जैसा खीचेंगे, वैसा ही बढ़ जाएगा, यह हकीकत है, सच्चाई है।

यही बजट का हाल है। सैण्ट्रल डिसीज की जो सबसे बड़ी लैबोरेट्री है, वह बहुत कम जगह पर हुई है। 130 मिलियन वैक्सीनेशन बनाने की बात थी, लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन 101 मिलियन हुआ है। हमने कहा है कि पैसा कम नहीं होगा। मैं किसी मंत्री से, एनीमल हस्बैंडरी मिनिस्टर से, एनीमल रिसोर्स मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बोलकर भी आये थे कि यही जगह है, यही इरैडीकेशन की तीनों चीजें हैं, सबसे पहली चीज है बेरोजगारी की, रोजगार मिलने की जगह, और तो कुछ है नहीं। उसको आप लोग जरा सा ठीक करिए।

डिसीज इरैडीकेशन के बारे में हम लोगों ने नया तरीका तो अख्तियार किया है, हम पहले वाले नैचुरल बुल से कुछ नहीं करते हैं, आर्टीफिशियल इन्सेमीनेशन करते हैं, हालत देखिये सब जगह खास आर्टीफिशियल इन्सेमीनेसन कर दिया, मगर यहां क्या हालत है, आर्टीफिशियल इन्सेमीनेशन की। आपको तो बुल रखना चाहिए, ओक्स रखना चाहिए, मगर बुल कम है और हमको ज्यादा

से ज्यादा सीमेन चाहिए, वही सीमेन लेकर तो हम कारोबार करेंगे। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं, बाकी सब आपको बोलने के लिए छोड़ दे रहा हूं, बाकी पर सब बोलेंगे, कि एग्रीकल्चर और इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपने वायदा किया था कि कोई बात नहीं, हम इसकी तरक्की करेंगे। इसे इसका पैसा देंगे, बजट देंगे। हमारी जो मांग थी, हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रपोजल था, कम से कम वहीं पैसा दे दीजिए। हमने कहा था कि एनीमल हस्बैंडरी कालेज और भी बन जाएगा, और भी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कोई बात नहीं है। विज्ञान की कोई बात है तो वह सोचें, वह सब हो जाय, इसमें कोई बात नहीं है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।

अपराह्न 4.03 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

मैं अब आउटलुक पर अनुरोध करूंगा कि आउटलुक क्या होगा। आउटलुक क्या ऐसा ही होगा कि आपके फैमिली प्लानिंग पर ज्यादा जोर देंगे। फैमिली प्लानिंग पर जोर तो जरूर देंगे, मगर इसके साथ-साथ असली खाने पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, प्रोटीन में ज्यादा जोर नहीं देंगे, कारोबार में जोर नहीं देंगे, बेरोजगारी का हिसाब अगर यह हो गया तो क्या इस पर जोर नहीं देंगे? हमने सारा बजट देखा है, सब बजट कम, एग्रीकल्चर बजट कम है तो रूरल डवलपमेंट होगा क्या? एग्रीकल्चर बिना प्राणी के और बगैर मत्स्य फालन के रूरल डवलपमेंट हो सकता है क्या? पशुपालन और मत्स्य पालन वह भी तो गांव की भलाई का एलाइड सबजैक्ट है। वह भी तो साथ है न। यहां दिल्ली में कितने तालाब हैं? गांवों में सारे तालाब हैं, वहाँ तो मीठे पानी की मछली पाली जा सकती है। रूरल डवपलपमेंट में यह भी हो सकता है। मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दे रहा हूं कि 3250 करोड़ वह आगे बढ़ गये हैं, तीन साल के हिसाब से भी ज्यादा दे रहे हैं। रूरल डवलपमेंट में ज्यादा पैसे दिये हैं, रूरल डवलपमेंट में एक्सीड बजट दे दिया है, मगर यह सब कम हो गया। रूरल डवलपमेंट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, दोनों चीजें कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि दूसरी चीजों की तो बातचीत हुई है, लेकिन असली चीज कौन बनाने वाला है, जी.ओ., जी.ओ. दो मतलब बनते हैं। हमसे एक साहब ने फौरेस्ट्री की मीटिंग में पूछा था,

[अनुवाद]

कुछ समय पहले एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था। उस समय अपने भाषण में मैंने 'जी.ओ.' का अनेकबार उल्लेख किया था। बाद में उसने मुझसे पूछा 'जी.ओ.' का क्या अर्थ है। मैंने उनसे पूछा कि वे आयरलैंड के हैं या इंगलैण्ड के और उन्होंने

कहा कि मैं इंगलिश मैन से घृणा करता हूँ। मैंने आगे कहा कि जब उन्होंने यह देश छोड़ा तो उन्होंने दो सुन्दर गुलाब की कलियां भेंट में दी। जिनमें एक लाल थी और एक सफेद। लाल कली प्रशासनिक पद्धति को दर्शाती है। और सफेद 'जी.ओ.' को। 'जी.ओ.' क्या है? 'जी.ओ.' का अर्थ है गवर्नमेंट ऑर्डर। पर मेरे देश में इसका अर्थ और ही है। वह क्या है? जी का अर्थ है 'ग्रेट' और 'ओ' का अर्थ है "ऑबस्टेकल'। अत: 'जी. ओ' का अर्थ हुआ 'ग्रेट ऑब्टेकलस'।

[हिन्दी]

यह नहीं होना चाहिए। जी. ओ. का मतलब यह होगा तो उल्टा हो जाएगा।

[अनुवाद]

इसके लिए गवर्नमेंट आर्डर होना चाहिए। पर यह तीव्र प्रगति के साथ होना चाहिए नौकरशाही रवैए के साथ नहीं। नौकरशाही एक रोग है और यह कुछ नहीं।

[हिन्दी]

जहां तक मैटरनिटी की बात है, मैटरनिटी में आपने सिर्फ 75 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में देने की बात कही है, तो इस 75 रुपये में क्या होगा। इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं नेशनल मेटरनिटी बैनिफिट स्कीम के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस स्कीम के तहत आपने 300 रुपये देने की बात कही है, मेरे विचार से इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक ओल्ड-एज-पेंशन की बात है, ओल्ड एज हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वह खाना तो खाएगा। यह ठीक है कि मरने के पहले खाना कम हो जाता है, मगर वह खाना तो खाएगा। इस 75 रुपये में कुछ नहीं होता है, इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको केवल 13 मिनट का समय दिया गया है और आपने ज्यादा समय ले लिया है। आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महबूब जेहदी : मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस 75 रुपये की राशि जो देने की बात है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, एग्रीकल्चर रूरल डवलपमेंट, एनिमल हसबैंड्री, फिशरीज आदि कार्यक्रम रोजगार को बढ़ाते हैं। इसलिए इस ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और बजट में भी उसी हिसाब से प्रावधान करना होगा। विकास के लिए जो भी पैसा दिया जाना है, उसको रोकिए मत। विकास के लिए पैसा राज्यों को देते रहिए।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : महोदय, ग्रामीण विकास रोजगार और कृषि के संबंध में बजट की अनुदान की मांगें सदन में विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह सही है कि गांवों के विकास के मामले उपेक्षा होती रही है और यह भी माना गया है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव की ओर से होकर जाता है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं हो सकता है और जब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक हम गांवों में व्याप्त गरीबी को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारी यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकार चार महीने की सरकार है।

इसने जो कदम बढ़ाए हैं मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। सबसे पहले ग्रामीण विकास के मद में जो प्रावधान है उसको दुगुना किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि चाहे हम और कुछ न करें परंतु जो आदमी के जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसी संबंध में जो उन्होंने अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आहूत किया उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो साफ पीने के पानी की व्यवस्था है उसको पांच साल के अंदर सौ फीसदी पूरा करेंगे। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसकी तरफ इशारा किया। यह बात बहुत सच है, आज गांवों में दूध, दही की, कैलोरीज की बात छोड़ दीजिए, जो शुद्ध साफ पीने के पानी की व्यवस्था है वह भी नहीं हो पाई है। आज भी करीब आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बिल्कुल पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अपने खुद के क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो हमें वहां लोग कहते हैं। हम गांवों में देखते हैं कि वहां सबसे ज्यादा आवश्यकता पीने के पानी की है। जो लक्ष्य रखा गया है, जितने पैसे का प्रावधान है, यहां माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है उसको देखते हुए हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का सदन के जरिए स्वागत करता हूं। उन्होंन जो संकल्प लिया है कि हमसे एक भी गांव अछूता नहीं रहेगा जहां कि हम साफ पीने के पानी का इंतदाम नहीं करेंगे। उसी के साथ-साथ हैल्थ सेंटर ग्रामीण विकास की जो बुनियादी चीजें हैं, आप जानते हैं कि गांव की जो उपेक्षा हो रही है, वहां पर अस्पताल जो हैं वे न के बराबर हैं और जो हैं वहां पर दवाएं नहीं है। जो आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वे भी नहीं हैं। इसलिए इनकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था करना, वहां विद्यालय भवनों का निर्माण कराना और उसी के साथ-साथ जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था करना, यह जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार की घोषणा है वह यह बात उजागर करती है कि अब तक जो क्षेत्र सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है।

अपराह्न 4.11 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के विकास में जब तक वहां की जनता का इनवाल्वमेंट नहीं होगा तब तक विकास की चाहे जितनी योजनाएं चलाई ज़ाएं उनका लाभ गांव के लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो योजनाएं चलती हैं उनको बनाने वाले और उनका क्रियान्वयन करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं होता है। हमारे साथियों ने ठीक ही कहा है कि बहुत से आफिसर ऐसे हैं जो गांव की समस्याओं से, आवश्यकताओं से वाकिफ नहीं है और इस प्रकार की योजनाएं चला देते हैं। जो योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं उनका किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं हम चलाते हैं वह एडहाकिज्म के आधार पर चलाते हैं वह समय विकास की नहीं होती। इसलिए उसका नतीजा हमें हासिल नहीं होता। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में गया था हमारे सामने जो आंकड़े पेश किये गये, तो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको देख कर मैं हतप्रभ रह गया। उसका 10 फीसदी लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने वहां के जिलाधिकारी से पूछा कि इसका क्या कारण है? आई.आर.डी.पी. की बात है, इंदिरा आवास की जो बात है, जितनी भी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के अंदर चलाते हैं इसके लिए मुझे वहां के जिलाधिकारी ने बताया।

मुझे जिलाधिकारी ने बताया कि साहब राज्य सरकार से पैसा नहीं आता है। पैसे को मुक्त कराने के लिए भी कमीशन देनी पड़ती है। जब 30 मार्च करीब आती है तब पैसा दिया जाएगा। उस समय आप कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए उस पैसे के आवंटन में भ्रष्टाचार होता है। पूर्वांचल विकास निधि जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में किया था उसका 1992-93 का पैसा खर्च नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि जो क्रियान्वित करने वाले अधिकारी हैं उनकी आस्था इन कार्यक्रमों में नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स हैं, क्षेत्रीय पंचायतें हैं उनको विकास के कामों में साझेदार होना चाहिए तभी हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अफसरशाही और अब तक के राजनीतिक नेतृत्व ने जितने अधिकार जिला पंचाग्रतों को देने चाहिए थे वे नहीं दिए। इसलिए हमारी सदन से मांग है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को अगर आप सही ढंग से पूरा करना चाहते हैं तो इन पंचायतों को आपको अधिकार देने होंगे।

रोजगार का जहां तक संबंध है तो रोजगार आज बढ़ नहीं रहा है। आज कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण मजदूरों की बढ़त का अनुपात 2.37 या 3.75 है जबकि आबादी 2.2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है।

दूसरी बात यह है कि किसान के कमाने के साधन कम होते जा रहे हैं और उसकी जेब में पैसा निरंतर घटता जा रहा है। किसानों की क्रय-शक्ति भी निरंतर गिरती जा रही है तथा उसकी आमदनी में निरंतर गिरावट आती जा रही है। यही कारण है कि कभी-कभी उसे अपने खेत बेचने पड़ते हैं। आज हालत यह है कि वह मजदूर की कतार में खड़ा होता जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें खेती को लाभप्रद बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ कृषि पर आधारित उद्योगों को शुरू करने की योजनाएं भी शुरू करनी पड़ेंगी।

आपने जो जवाहर रोजगार योजना या स्वरोजगार योजना शुरू की है यह स्थाई योजनाएं नहीं है। अगर आप इनका वैल्यूएशन कराकर रिपोर्ट मंगाए तो आपको पता चलेगा कि ये सब योजनाएं ठेकेदारों द्वारा पूरी की जा रही है। वर्ष में अगर आपने कुछ ग्रामीणों को कुछ दिन काम दे भी दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। आप उद्योगों को बढ़ाएं और खेती को लाभदायक बनाएं। आज जो किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है उसका कारण यह है कि गांव में मार्केटिंग सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम टमाटर पैदा करे या डेयरी उद्योग लगाएं,

या अगर क्रैश क्राप पैदा करें जैसे दूध, सब्जी या जो अन्य चीजें हैं, इतने अच्छे मौसम में, अच्छी जमीन है, मेहनती लोग है और इतनी बड़ी जनशक्ति हमारे पास है लेकिन सहकारी संस्थाओं का जाल नहीं फैला है, मार्केटिंग व्यवस्था का भरपूर इन्तजाम नहीं है किया है, इस कारण से किसानों को फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। भंडारण की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अनाज तो है लेकिन भंडारण के लिए कहां ले जायें? आप जानते हैं हमारे देश में बहुसंख्यक किसान सीमांत और छोटे हैं। खेती के प्रति सरकार की जो उपेक्षा की नीति रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए था, जैसे सड़क, बिजली, पानी, मकान का विकास होना चाहिए, सस्ते दर पर अच्छे किस्म के बीज किसानों को मिलने चाहिए थे वह नहीं किया गया। कृषि उत्पादन के काम तय करने में बेईमानी बराबर की जाती रही है, व्यापार शर्तें किसानों के खिलाफ रही हैं इस कारण खेती लाभदायक नहीं रही है, जो कृषि उत्पादन बेचकर अपना कपड़ा खरीदता है, बीमारी में दवा लाता है लेकिन अनाज का दाम तय करने में किन नीतियों का, किन सीमांतों का ध्यान रखा जाता है, इसके संबंध में सरकार चुप रही है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने खेती को उद्योग का दर्जा देने के लिए एक कमेटी श्री भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनायी

थी। वे बहुत बड़े विद्वान और अच्छे किसान हैं। मैं उनकी रिपोर्ट को पढ़ रहा था, वह आज तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, उस पर विचार ही नहीं किया गया। चौ. देवी लाल किसान हैं, उनके कहने पर यह कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने सारे अधिकारियों, बड़े वैज्ञानिकों, जिम्मेदार आफिसर्स के बात करने की कोशिश की कि कृषकों की उपज का दाम तय करने के लिए क्या सिद्धान्त होगा। अगर औद्योगिक चीज के दाम तय होते हैं तो उसकी भी कास्ट एकाउन्टेंसी होती है, एक मानक तय होता है कि कितना लाभ होगा, उसका अंदाज लगाना होगा लेकिन कृषि उपज के लिए किसी प्रकार का कोई सिद्धांत तय नहीं किया जाता है। दोनों में एक प्रकार से विषमता है कि आखिर खेती करने वाला किसान है, वह किसान उद्योग के मुकाबले में हमेशा पिछड़ा रहता है। दाम के मामले में सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लाभकारी दाम किसानों को दें। महोदया, जब तक किसानों को लाभकारी दाम नहीं मिलेगा, तब तक किसानों की उपेक्षा की जायेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती को लाभकारी बनाना है तथा खेती के उत्पादन को बढ़ाना है तो कृषि उपज का दाम तय करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आप पिछली पंचवर्षीय योजना को देखिये हमेशा उद्योग में पूंजी का प्रावधान अधिक किया गया है, खेती में निरंतर गिरावट आयी है। आप चीन या श्रीलंका में देखिए। मैं यूरोपीय देशों की बात नहीं कर रहा हूं। चीन में प्रति एकड़ जितना उत्पादन होता है, उस स्तर में हम बहुत ही पीछे हैं। जब चीन और श्रीलंका जैसे देश अपना उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकते? यहां पर हमारी हर चीज हमारे अनुकूल है परन्तु जिस प्रकार से पूंजी, उपकरणों या अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है वे सुविधायें हमें उपलब्ध नहीं होती हैं। आज हमारे पास छोटे ट्रैक्टर्स नहीं हैं। पिछली सरकार बनी थी तो हमारे यहां का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था वहां पर बातचीत हुई थी। चीन ने छोटे छोटे ट्रैक्टरों का ईजाद किया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 25 हार्स पॉवर के ट्रैक्टरों पर 30-35 हजार रुपये की छूट देंगे।

परंतु जिस प्रकार से किसानों का शोषण होता है, कर्जे लेकर हम जो ट्रैक्टर खरीदते हैं और खेतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है, इसलिए खेती में इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नहीं होता और उनका इस्तेमाल ज्यादातर गैर-कृषि कार्यों में होता है। इसलिए हमें छोटी पूंजी लगाकर छोटे ट्रैक्टर को सुलभ तथा सस्ते हों जिनको किसान खरीद सकें, ऐसे ट्रैक्टर ईजाद करने की आवश्यकता है।

डीजल के पंपिंग सेट भी बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। उनको भी सस्ता करने की आवश्यकता है। बिजली जब तक हम किसानों को नहीं पहुंचाएंगे, सिंचाई का इंतजाम जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं और जो उत्पादन लक्ष्य है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है। 1960-61 के मुकाबले अनाज की प्रति व्यक्ति ऐवलिबिलिटी में निरंतर गिरावट आई है। आंकड़ों के हिसाब से एक आदमी को जिन्दा रहने के लिए 500 ग्राम अनाज प्रतिदिन की आवश्यकता होती है परंतु यह भी हम कभी 480 ग्राम तो कभी 490 ग्राम उपलब्ध करा पाए हैं। आदमी को जिन्दा रखने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता होती है, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमने कहा है कि 191 मिलियन टन अनाज हमने पिछले साल पैदा किया था। इस साल जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें घटकर 190 मिलियन टन के करीब हो गया है। बजाय बढ़ने के हमारा उत्पादन घट रहा है। दाल के मामले में हमारी स्थिति और भी दयनीय है और मोटे अनाज जो गरीब आदमी खाते हैं उसके भी उत्पादन भी बहुत कमी आ रही है। इसलिए हमें कृषि के मामले में एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना होगा। हमारा वैल्यू ऐडेड ऐक्सपोर्ट बढ़ने से कुछ सीमित वर्ग के लोगों को ही फायदा पहुंचेगा। सबको फायदा पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमें कृषि क्षेत्र पर जोर देना पड़ेगा, ग्रामीण विकास पर जोर देना पड़ेगा और मुस्तकिल रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी पड़ेगी तथा साथ ही साथ हमें खेती के उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा वरना हम अपने देश में भूखे लोगों को मरने से नहीं बचा सकते। जिस प्रकार से गरीबी बढ़ रही है, पोपराइजेशन बढ़ रहा है, आपको मालूम है कि जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो वहां के भंडारों में अनाज मौजूद था और उसके बाद भी हजारों आदमी सड़क पर भूख से तड़पकर मर गए। इसलिए केवल आप अनाज पैदा कर लें और अगर लोगों को आमदनी नहीं बढ़ती है और अगर लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आता है तो केवल चंद लोगों को ही फायदा होगा और शेष आदमी भुखमरी, गरीबी और बेकारी के शिकार होते रहेंगे।

एक और अनुरोध मैं करना चाहता हूं। अभी बाढ़ की चौतरफा चर्चा हुई पर हमारा पूर्वांचल निरंतर बाढ़ की चपेट में रहता है। वहां बसे बड़ी समस्या जल-जमाव की है। वहां सभी नदियां नेपाल से आती हैं। नेपाल सरकार से कई योजनाओं पर पहल होना चाहिए था क्योंकि अगर पानी का प्रबंधन ठीक तरीके से हो जाता और जल-जमाव की समस्या का स्थायी निदान ढूंढ लिया जाता, बाढ़ की रोकथाम का स्थायी निदान ढूंढ लिया जाता तो एक तरफा जो फसलों का नुकसान होता है, जो जन-जन का नुकसान होता है उससे हम बच सकते थे और उसके साथ साथ अगर पानी के प्रबंधन को ठीक तरीक से हम करते तो हम अपने खेतों की एक एक इंच जमीन पर सिंचाई का इंतजाम कर सकते थे। हमारे पास

इतना पानी है कि हम उससे पन-बिजली पैदा कर सकते हैं और अगर हम यह कर लेते तो खुशहाली अपने आप आ जाती और अगर पूर्वांचल खुशहाल हो गया, देश के दूसरे ग्रामीण इलाके खुशहाल हो गए तो सचमुच भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा। क्योंकि जो शक्तिशाली देश अमरीका है, अगर उसके पास मानव संहारक बम हैं तो उसके पास अनाज का भंडार भी है। अगर उसके पास और भी चीजें हैं तो उसके पास मक्खन का भी पहाड़ है। यह दोनों का संबंध है। जो सबसे ज्यादा औद्योगिक देश कहे जाते हैं, जहां पर उद्योगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां तकनीक का सबसे ज्यादा विकास है उन्होंने भी खेती को सबसे आगे बढ़ाया। परंतु हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हम बंदर की तरह कभी इस डाल पर और कभी इस डाल पर दौड़ते रहे। हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहीं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है और मुझे खुशी है कि एक ऐसे आदमी के हाथ में हिन्दुस्तान की सरकार की बागडोर आई है जो सचमुच किसान परिवार में पैदा हुआ है, जिसने किसानों के दर्द को समझा है, जो यह महसूस करता है कि आज का जो इलीट वर्ग है, जिसे आप मकरंद कह सकते हैं, जो हर फूल पर जाकर उसका रस चूस लेता है, ऐसे एक वर्ग को अब तक की व्यवस्था में हमने पैदा किया है, उस वर्ग की सर्वनाश करना होगा और जो मेहनत करने वाला है, पसीना बहाने वाला है, दौलत पैदा करने वाला है उसको खुशहाली और सत्ता देनी होगी।

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : कमाने वाला खायेगा।

श्री बृज भूषण तिवारी : कमाने वाला खायेगा, यह रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं इनके नारे के साथ हूं। तभी हम इस देश को खुशहाल और ताकतवर बना पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय कृषि मंत्री जी का और माननीय ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा बजट दिया। मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इसमें अभी और प्रावधान और संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट के प्रावधानों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा अब बोलने वाले सदस्यों से अनुरोध है वे संक्षेप में बोलें क्योंकि 6.00 बजे गुलेटीन होगा। अब श्री अनन्त गंगाराम गीते अपना भाषण दे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : सभापति महोदय जी, ग्रामीण विकास और रोजगार कृषि मंत्रालय के इस बजट पर सदन में चर्चा हो रही है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है और किसानों के विषय पर हर सदस्य उनके प्रश्नों के बारे में, समस्या के बारे में इस सदन में बोलना चाहता है। इस सदन के रुलिंग पार्टी के सांसद जो इस विषय पर अभी बोल रहे थे, भावनावश होकर वह रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हुए भी अपोजीशन का भाषण कर गये हैं और यही वास्तविकता है। ... (**व्यवधान**) मैं वही बोल रहा था। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। मैं सच्चाई का स्वागत कर रहा हूं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। ... (**व्यवधान**) मैं उनके भाषण का स्वागत कर रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं। जो वास्तविकता है ... (**व्यवधान**) वास्तविकता को उन्होंने इस सदन में रखा है। सभापति महोदया, ग्रामीण विकास पर किसान के विकास के बारे में हम सोच रहे हैं। विकास के कई तरीके हैं और ग्रामीण विकास रोजगार से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदया, कई माननीय सदस्यों ने किसानों की समस्याओं पर यहां पर अपने वक्तव्य दिये। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो, गांवों का विकास हो, तो हमें रोजगार भी उपलब्ध कराना होगा। हमारी केन्द्रीय सरकार की कई योजनाएं हैं। कई घोषणाएं हम करते हैं। बेकारी दूर करने की, रोजगार उपलब्ध कराने की हमारी अनेक योजनाएं हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना है, सुनिश्चित रोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, ओल्ड एज पेंशन योजना है, मैटर्निटी बैनीफिट योजना है। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए कई योजनाएं हैं। कई योजनाएं हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए शुरू की हैं लेकिन हमें इस वास्तविकता को जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये सारी योजनाएं जो किसानों के विकास के लिए हैं, वे गरीबों के विकास के लिए हैं, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए है, क्या वे योजनाएं वास्तव में कार्यरत हैं?

महोदया, कई योजनाएं तो बहुत अच्छी है। जैसे जवाहर रोजगार योजना है, लेकिन जब हम योजना बनाते हैं, तो हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिन लाभार्थियों के लिए हम ये योजनाएं बनाते हैं, वे सचमुच इन योजनों का लाभ प्राप्त कर पाते हैं या नहीं? हमारी योजनाएं पेपर पर हैं और जब हम गांव में या क्षेत्र में जाकर देखते हैं, तो हमें ऐसा कोई भी लाभार्थी नहीं मिलता है जो हमारी केन्द्र सरकार की योजना का लाभ लेकर अपना उद्योग चल रहा हो। इसलिए हमें सबसे पहले जो योजना हमारी सरकार ने बनाई हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार इसलिए करना चाहिए कि हम जो योजना बनाते हैं, जिन योजनाओं की घोषणा करते हैं उनकी घोषणा बजट के रूप में सदन में करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी भी आम जनता के सामने कई घोषणाएं करते हैं। हम जनता को लुभाते हैं, लेकिन

उन घोषणाओं के खिलाफ आम जनता को कुछ भी नहीं मिलता है, किसानों को कुछ मिलता नहीं है। किसी तरह का रोजगार हमें इन योजनों के माध्यम से मिलता नहीं। इसलिए हमें इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब योजनाएं कोई भी हो, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं के जो नियम हमने बनाए हैं, उन पर पुनर्विचार जरूरी है।

नेहरू रोजगार योजना में आज हम दो हजार, तीन हजार, चार हजार या पांच हजार रुपए देते हैं। आज बाजार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या हमें इन योजनाओं के माध्यम से जो ऋण मिल रहा है, या कोई सब्सिडी मिल रही है, चाहे वह सीड कैपीटल सब्सिडी हो या कोई और तरह की सब्सिडी हो, क्या आज यह काफी है? इन सारी योजनाओं के ऊपर हमें दुबारा सोचना चाहिए। ये योजनाएं कार्यान्वित होनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में एसा लगता है कि ये कार्यान्वित नहीं हो रही हैं, तो हमें इन पर दुबारा विचार करना चाहिए। आज सबसे बड़ी खामी यह है कि केन्द्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, वे योजनाएं आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। गरीब किसान तक पहुंचती नहीं है। उन योजनाओं का जितना प्रचार और प्रसार करना चाहिए वह प्रचार और प्रसार होता नहीं है।

आज स्थिति यह है कि हमारी सभी योजनाएं जिला परिषद के कार्यालय तक सीमित हैं। कुछ योजनाएं हमारी तहसील और कुछ योजनाएं हमारे पंचायत कार्यालय तक सीमित हैं। वे ग्राम पंचायत तक भी नहीं पहुंच पाती हैं और यदि किसी तरह पहुंच भी जाती हैं, तो हमारी ग्राम पंचायतें इतनी सक्षम नहीं है कि इन योजनाओं पर अमल कर सकें और योजनाएं लोगों तक पहुंच सकें।

हमें हमारी ग्राम पंचायत को सक्षम करना चाहिए, हमें ग्राम पंचायत को प्रशिक्षित करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का प्रशिक्षण आज दिया नहीं जाता। जब हम एक साल के बाद दूसरे बजट पर चर्चा करते हैं, भाषण करते हैं, जब हम पीछे मुड़कर एक साल पीछे देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि जितना प्रावधान योजना पर किया है, उसका पांच प्रतिशत खर्च हुआ है, छह प्रतिशत हुआ है, 10 प्रतिशत खर्च हुआ है, 20 प्रतिशत खर्च हुआ है। जितना हम प्रोवीजन करते हैं, उतना खर्च भी नहीं होता, यह स्थिति हमें अगले बजट में देखनी पड़ती है। आज प्रशिक्षण की ज्यादा जरूरत है। जो योजनाएं हम बनाते हैं, जिसके नियम हम बनाते हैं, जो हम कंडीशंस बनाते हैं, वह इतने सरल होने चाहिए, इतने सीधे होने चाहिए कि उनका लाभ सामान्य किसान को, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसे मिलना चाहिए।

हमारे पास अनेक योजनाएं हैं, इंदिरा आवास योजना है, हम इंदिरा आवास के तहत गांव में मकान बनाते हैं, गांव से बाहर ऐसी जगह बनाते हैं, जहां पर कोई रहना पसन्द नहीं करता। न वहां पानी की सुविधा है, न रास्ते की सुविधा है, इसलिए हमारे आवास खाली पड़े रहते हैं। आज तो आपको कई जगह पर यह देखने को मिलेगा कि इंदिरा आवास के जो मकान बने हैं, उनमें पिछड़े वर्ग के लोग नहीं रहते, गरीब लोग नहीं रहते, गरीबी की रेखा के नीचे के लोग नहीं रहते, अच्छे लोग भी उसमें रहते हैं, सरकारी कर्मचारी उसमें रहते हैं। कई जगह पर हमें यह देखने को मिलता है कि इंदिरा आवास में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। इंदिरा आवास गांव के भीतर ही बनने चाहिए, गांव के अन्दर ही बनने चाहिए, जहां तक पानी की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, जहां पर दवाखाने की सुविधा हो। इंदिरा आवास योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन योजना का लाभ हमारे पिछड़े वर्ग के किसानों को नहीं मिलता है, गरीब किसानों को नहीं मिलता है, जो गरीबी की रेखा के नीचे के किसान हैं, उनको नहीं मिलता है। जो हमारे नियम हैं, उन नियमों को हमें सुधारना चाहिए।

आज खेती को उद्योग का दर्जा देने की चर्चा हो रही है। कई जगह पर कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर सचमुच में खेती को उद्योग का दर्जा देने की तरफ कदम उठाये हैं। लेकिन कई राज्यों में आज भी खेती की तरफ जैसी नजर से देखना चाहिए, उस नजर से नहीं देखा जाता। आज फल उत्पादन की तरफ किसान ज्यादा बढ़ने लगे हैं। बाजार में फलों का भाव अच्छा मिलता है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, पहाड़ी इलाके से आया हूं। हमारे यहां पर जो पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों के जो हमारे नियम हैं, वे नियम अलग-अलग हैं। चूंकि हम समुद्र के लेवल से गिनते हैं और 100-50 मीटर कम ऊंचाई होती है तो हम उसे पहाड़ी इलाका ट्रीट नहीं करते। एक ही जमीन के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं, जिनको हम पहाड़ी इलाका मानते हैं और कुछ 10-20 किलोमीटर दूर जाने पर हम उनको पहाड़ी इलका नहीं मानते, चाहे हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। हमें सामना तो हर मुसीबत का करना पड़ता है। इसलिए हमें नियमों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

पहाड़ी इलाके के जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी है। मैं कोकण विभाग से आया हूं। वह पूरा पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी रीजन में कई समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। किसानों के पास सरफेस जमीन नहीं है, किसान पहाड़ी को तोड़-तोड़ कर जमीन बनाते हैं और पूरे भगवान के ऊपर, इन्द्रदेव के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनकी कृपा हो गई, पानी बरसा तो खेती होती हैं, नहीं तो बस आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। पहाड़ी इलाकों के विकास के बारे में हमें जब सोचना है और हमें उनका विकास

करना है तो उनके लिए हमने जो नियम बनाये हैं, उन नियमों में कुछ शिथिलता लाना जरूरी है, तभी हम उन पहाड़ी इलाकों का विकास कर सकते हैं।

यह जो मैटरनिटी बैनीफिट स्कीम में 300 रुपये हम देते हैं, 300 रुपये की यह राशि कम है।

इस तीन सौ रुपये की राशि से कुछ नहीं होता है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह राशि प्रसूति से पहले मिलनी चाहिए। कारण यह कि प्रसूति के बाद तीन सौ रुपये प्राप्त करने के लिए 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह एक अच्छी योजना है, जो गरीब की रेखा से नीचे लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यह तीन सौ रुपये की राशि काफी है, लेकिन यह राशि प्रसूति के पहले मिलनी चाहिए।

जहां तक ओल्ड-एज-पैंशन का सवाल है, 65 साल का हमारा नियम है और राशि 75 रुपये है। मेरे विचार से यह राशि भी निराधार है। इसमें सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है और फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो पेंशन ही नहीं मिलेगी। यह अधिकार हमने राज्यों को दिया है और राज्यों ने अलग-अलग नियम बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। राज्यों में जो डीपीडी है, उसके चेयरमैन मंत्री होते हैं। केन्द्र सरकार अनेक योजनायें राज्यों को देती है, लेकिन उनके विचार-विमर्श में एक भी संसद सदस्य नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि राज्यों द्वारा नियम बनाते समय हम संसद सदस्यों को सुझावों को भी लेना चाहिए। इस प्रकार का आदेश केन्द्रीय सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को जाना चाहिए।

जहां तक रूरल डवलपमेंट के विषय का ताल्लुक है, इस विषय पर सदन में हर सदस्य बोलना चाहेगा। यदि हम गांव का, गांव के गरीबों और पिछड़े लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो हमें उनके विकास की ओर ध्यान देना होगा। केन्द्रीय सरकार को विभिन्न योजनाओं को गांवों तक पहुंचाना होगा और इसके लिए सही प्रचार और प्रसार की जरूरत है और ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने की जरूरत है। आज गांव का युवक बेकार है, बेरोजगार है और बेरोजगारी के कारण वह शहर की तरफ भाग रहा है। शहर में आकर वह अपने जीवन को खो देता है। यदि ऐसे युवकों को गांवों में रोकना है, तो गांवों में ही सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बेकारी को दूर करना चाहती है, तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ध्यान देना होगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति जी, ग्रामीण रोजगार और कृषि मंत्रालय की अनुदान की जो मांगें सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई है, इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं लम्बा भाषण न करते हुए, सिर्फ दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।

ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत हम सब कहते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में पूरे सदन को सोचना पड़ेगा। यह बात सही है कि जो भी सरकारें सत्ता में आई है, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश रोजगार उपलब्ध कराने में की है। ग्रामीण लोगों को मदद देने के लिए कुछ नियम बनाए भी गए हैं, लेकिन वे नियम धरातल पर नहीं उतरे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी नियम बनाए गए हैं, उनको धरातल पर उतारा जाए, जिससे इन लोगों का विकास हो सके। कृतः प्रयत्नं कार्य सिद्धं न भवेत कुत्र दोषः- मतलब यह कि प्रयत्न करने से कार्य सिद्ध न हो, तो दोष कहां है, इस पर विचार किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में रहने वालों के लिए रोजगार की योजनायें चलें और सब्सिडी भी दी जाए, लेकिन ये सुविधायें कागजों तक ही सीमित न रहे। होता यह है कि भैस और गाय की खरीद तो कागज पर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन वास्तव में खरीदी नहीं जाती है।

मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि मंत्री जी स्वतः गौर करें और जो सरकारी स्टाफ है उस पर भी यह जांच-पड़ताल करें कि सचमुच में जितनी गाय-भैंसें लोगों को दी गई है उस पर सब्सिडी दी गई है। वह सचमुच में लोगों को मिली है, बहुत कम मिली है। उस पर निगरानी करनी चाहिए। अब मुर्गी पालन के लिए जो मिलता है वह भी कागज में ही है लेकिन वास्तव में उतना मिलता नहीं है। इससे रोजगार चलता है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री जी थे उन्होंने एक बकरी फार्म बनवाया, जहां गांव के लोग बकरी का पालन करते हैं, बकरी चराते हैं। उससे लोग मीट खाते हैं। वह हरियाणा से लाए। उससे थोड़ी बहुत प्रगति हुई लेकिन-आगे चल कर वह बिल्कुल समाप्त हो गई तो यह जो गांवों में रोजगार है, जैसे दूध का रोजगार है, डेरी फार्म चाहि उस पर सरकार लोन भी देती है, लेकिन गांव में कहां डरी फार्म खुल रहा है, कहां दूध मिलता है। शहरों में दूध मिल रहा है लेकिन गांव के लोगों को नहीं मिलता है। गांव के लोगों को अगर डेरी फार्म की ओर प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए तो वहां उनको रोजगार भी मिल सकता है, उससे इनको फायदा हो सकता है और गांवों को भी फायदा हो सकता है।

सबसे बड़ी चीज उद्योगों की है। शहरों में जितने उद्योग हैं उतने गांवों में नहीं है। बड़े उद्योग लग नहीं सकते हैं, छोटे उद्योग लग नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह नियम

बनाना चाहिए कि जितने छोटे उद्योग हों, अभी दिल्ली के हजारों उद्योग बाहर भेजे जा रहे हैं, सारे उद्योग शहरों में लगाए जा रहे हैं तो छोटे-छोटे उद्योग, जो डेढ़-दो करोड़ के हैं उनको लगाया जाए। जैसे बाल्टी बनाना है, ताला बनाना है ये सब यहां बनाए जाएं। ये सब काम गांव में हो सकते हैं किन्तु यहां होते नहीं है। सब शहरों में आ रहे हैं। इसके लिए अगर प्रयास किया जाए तो रोजगार बढ़ सकते हैं। लोगों को रोजी-रोटी मिल सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अभी जैसे हमारे एक मित्र कह रहे थे कि साग-सब्जियां पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं लेकिन उसके लिए बाजार नहीं है। इतना ही नहीं आप गांव में जाकर देखिए वहां पर ऐसी सड़कें नहीं हैं जो मैन सड़क से जा सके। मंडी समिति बनी लेकिन उसने सड़कों का निर्माण नहीं कराया। इसलिए जो बड़े-बड़े गांव हैं उनको अगर सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तो जो साग सब्जियां, दूध आदि पैदा कर रहे हैं, मुर्गी पालन करके अंडे पैदा कर रहे हैं वे बाजार में नहीं जाएंगे तो वे कैसे बिकेंगे। अगर यह व्यवस्था ठीक से की जाएगी तो मैं समझता हूं कि गांवों में लोगों को कुछ रोजगार मिल सकता है।

अभी हमारे मित्र ने रोजगार की बात कही, जवाहर रोजगार की बात कही। सही बात यह है प्लान तो बनते हैं लेकिन वह ठीक नहीं होता है। इसकी कोई जांच नहीं करता है इस पर गौर करना चाहिए। अभी आपको आए हुए एक-आध महीना हुआ है। मैं यह तो नहीं जानता कि आप भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन अगर आप रहे तो आप इस पर जरूर गौर कीजिए। अब गांवों में जो रोजगार की बात है, वृद्धा पेंशन की बात है। गांवों में कितने ऐसे हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। एक गांव में एक लेखपाल और तमाम सरकारी कर्मचारी है किन्तु कोई काम नहीं करता है। हम लोग केवल सदन में लेक्चर दे दें और उस पर अमल न हो तो यह रस्म अदायगी होगी। इसलिए इसको अमल में भी लाने की जरूरत है तभी कुछ सुधार हो सकेगा। गांवों में 60, 70, 80 के जो वृद्ध लोग हैं, जिनको कोई खाना देने वाला नहीं है और आपने नियम भी बना रखा है किन्तु उसका पालन नहीं हो रहा है। आप क्यों नहीं लेखपाल वगैरह से कहते हैं कि जिस गांव में ऐसे वृद्ध लोग हों उन वृद्धों को पेंशन के लिए कागजात देकर के उनको पेंशन दिलवाई जाए तब कुछ काम चल सकता है। अब मैं कृषि की ओर आ रहा हूं। कृषि एक ऐसा विषय है कि कृषि के लिए समय पर खाद चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए।

अपराह्न 4.54 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए अगर कृषि मंत्री को ये सुविधाएं न हों तो कृषि का काम नहीं हो सकता है। मैं सर्वप्रथम तो कृषि के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहा हूं। हालांकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमें वह दिन भी याद है जब हमारी आबादी बहुत कम थी तो लोग भूखों मरते थे, गेहूं होता था तो बैलों से दौड़ी होती थी उसमें गोबर से अन्न निकाल कर लोग खाते थे।

किंतु आज हालत ऐसी नहीं है। आज तो केवल यह कहने का फैशन हो गया है कि खाने के बगैर लोग मर रहे हैं। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हम केवल अपने देश को ही नहीं वरन और लोगों को भी खिला सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है उसमें हम अभी भी पीछे हैं। सरकार को फंड में और वृद्धि करनी चाहिए जिससे हमारे देश के वैज्ञानिक नयी-नयी खोजों के द्वारा पैदावार और बढ़ा सकें। मैं वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप देश में इतनी पैदावार बढ़ी है।

कृषि मंत्री जी ने एक बार बयान दिया था कि मैं तो पैदा करने वाला हूं लेकिन फसल काटने के बाद दूसरा विभाग उसका मालिक हो जाता है। इस बात पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बाद में आकर्षित करूंगा लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान कोई वैज्ञानिक नहीं है। कागज में उसको शिक्षित दिखा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि पर ब्लॉक में एक वैज्ञानिक और जमीन के शोध के लिए एक यंत्र होना चाहिए। वह वैज्ञानिक बताए कि कितना खाद और किस किस्म का खाद किस मौसम में डालना चाहिए।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, सिंचाई का बहुत बड़ा अभाव है। सिंचाई और बाढ़ दोनों ही किसान के लिए मुश्किलें पैदा करती है। अभी एक स्कीम चली थी कि छोटे किसान को बोरिंग कराकर पम्पिंग सैट दिलवाए जाएं। आज जो पम्पिंग सैट बाजार में सात बाजार में बिकता है वही पम्पिंग सैट ब्लॉक के माध्यम से नौ हजार में मिलता है। अगर यह बात सच है तो आप इसकी जांच कराइये। पम्पिंग सैट पर जो दो हजार रुपये की सब्सिडी है वह बैंक वाले और ऑफिसर्स ले लेते हैं। सरकार तय करती है कि फलां-फलां फर्म से पम्पिंग सैट दिया जाए। उसको तो बाजार भाव पर ही पड़ता है तथा उसके सब्सिडी का लाभ नहीं होता है क्योंकि उसका असली दाम सात हजार ही होता है। मशीन वगैरह भी देते हैं तो उस पर सब्सिडी होती है। लेकिन उस सब्सिडी को भी किसान से आफिसर्स हड़प लेते हैं।

गांव में बाढ़ से तबाही होती है। गांव में तालाब भी होते हैं जो पानी से भरे होते हैं। उनका पानी निकालने के लिए कोई नाला नहीं होता है जिससे करोड़ों रुपये की फसल डूब जाती है। अगर आप किसान की वास्तव में तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था कर दें। छोटे-छोटे किसानों को पम्पिंग

सैट कम दाम पर मुहैया कराए। अगर आप पानी के निकास की उचित व्यवस्ता करा दें तो किसान आपको अच्छी फसल दे सकता है।

अभी हम अपने मित्रों की बात सुन रहे थे। वे कह रहे थे कि तिवारी जी से यह भी नारा लगवाओ कि कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज की सच्चाई यह है कि लूटने वाला खाएगा और कमाने वाला जाएगा। अगर हम लोग बगीचा लगाते हैं तो अगर हमें उस बगीचे की लकड़ी शादी वगैरहा के लिए चाहिए तो पेड़ हम तभी काट सकते हैं जब पुलिस वाले को 200 रुपया दे दें, अन्यथा हम अपना भी पेड़ नहीं काट सकते है। मंत्री जी, आप किसानों के वकोल हैं। आप इस कानून में परिवर्तन कराइए कि अगर कोई किसान अपना बगीचा लगाता है तो उसे अपनी जरूरत के मुताबिक उसको काटने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा कि किसान बगीचा नहीं लगाएगा। आज गांव में यही हो रहा है।

बंजर भूमि के बारे में आप कहते हैं कि एक सेना बनाकर उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाइये।

अपराह्न 5.00 बजे

और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश में सीलिंग लागू हुआ कि किसी के पास 18-27 एकड़ से अधिक जमान नहीं होगी। यैह सब कागज पर ही रह गया है। बिहार में आज जो नर-संहार हो रहा है, उसमें बड़े-बड़े जमींदार कर रहे हैं क्योंकि वहां भी सीलिंग कागज पर ही रह गया है। बड़े जमींदार अपने नाम पर, पोतों के नाम पर, साले के नाम पर और घोड़े व कुत्ते तक के नाम पर करवा रहे हैं। अब कब्जा उन लोगों का ही है और यदि मंत्री जी समझे कि सचमुच में सीलिंग का सही उपयोग नहीं हुआ है और सभी लोगों ने सीलिंग जमीन अपने पास रखी हुई है तो उसकी जांच करवायें और सीलिंग से ज्यादा जमीन भूमिहीनों में बंटवा दी जाये तो उसका लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक ओर बात यह रखना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी को लोगों ने गन्ना के बारे में कहा और उन्होंने एक बयान दिया कि मैं कृषि मंत्री हूं, मैं गन्ना बहुत अधिक पैदा करता हूं। जब खेत में गन्ना कट जाता है तो खाद्य मंत्रालय को चला जाता है। आप हमारे वकील हैं। आपने सम्पत्ति अर्जित की और डाका पड़ गया तो उसकी हिफाजत करेंगे या नहीं? अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गत महीने में बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना का बकाया पैसा जल्दी मिल जायेगा। लेकिन यदि आप लोगों में साहस है तो जाकर गन्ना किसानों से पूछो तो कहेंगे कि कोई पैसा नहीं मिला है। उनका अभी भी अरबों रुपया बाकी है। मिसाल के तौर पर कानपुर शुगर वर्कर्स मिल है उसमें पडरौना, कुठकुनिया, गौरी बाजार के किसानों का 20 करोड़ रुपया गन्ना का बकाया है। यदि उनका बकाया नहीं दिया गया तो मिल नहीं चलने देंगे, इस प्रकार औरों का क्या होगा? मैं और मेरे अलावा और सदस्य इस सदन में कहते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो किसानों ने गन्ना पैदा किया है, उसका उचित मूल्य उनको दिलायेंगे? आप अपने भाषण में इस बात का जवाब दें कि उनको देंगे या नहीं और मिलों को चलवायेंगे या नहीं? यह एक साधारण सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक किसान गन्ने पर जीवित है और वहां पर 100 से अधिक फैक्टरियां हैं। इनमें से 30-40 परसेंट मिलों में गन्ना जाता है और बाकी कोल्हू को जाता है। यदि समुचित मूल्य नहीं मिलेगा तो हम गन्ना पैदा करके क्या करेंगे? चाहे किसी का राज्य हो, हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि आप हमारी वकालत करें। गन्ना किसान आपके हैं। आप उनको गन्ने का दाम दिलवाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई मित्रों ने कहा कि हम तराई के क्षेत्र के हैं लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। आज भारतवर्ष को आजाद हुये 50 वर्ष हो गये हैं लेकिन हमारे इलाके में शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है जिससे कई बीमारियां जैसे घेघा हो जाता है। आपसे आग्रह है कि कम से कम इसकी व्यवस्था तो कर दें। इसके साथ ही यह भी आग्रह है कि धान के खेत में दौरा होता है, गेहूं के खेत में गिलहरुआ होता है, आप उसको पहचान नहीं पायेंगे। आप खेतिहर हैं तो किसानों के लिये हमदर्दी का आशा करता हूं। यदि आपके रहते गन्ना किसानों का भला नहीं हुआ तो फिर उनका भला होने वाला नहीं है। यही आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) श्री चतुरानन मिश्र : ऐसा मत कहिए। इसका मतलब यह है कि आपके आने से नहीं होगा। हम ही रहे वही ठीक है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह मैं नहीं कह रहा हूं।

मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करुंगा। भोजपुरी में एक गीत है जिसमें ऐसी ही परिस्थितियों में किसान इकट्ठा हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। जो विपत्ति मैं कह रहा हूं वही वह सब कह रहे हैं। वे आपस में कह रहे हैं :-

"अभागा हमरे देसवा के भई ले किसान।
गाजी मियां मुर्गी मांगे, काली माई मांगली चिरुकि और कान।
अभागा हमरे देसवा के भई ले किसान।
नेता लोग वोट मांगे, सरकार पोत (लगान) मांगे,
अमला वकील कहे छोड़ दे ईमान।
अभागा हमरे देसवा के भई ले किसान।
सब कोई हमनी से मांगे, हमनी का कैसे मांगे,
हमनी अभगवन के दाता सियाराम।
अभागा हमरे देसवा के भई ले किसान।"

इसलिए कृषि मंत्री मिश्र जी, आप किसानों को बचा लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि एक लम्बे समय के बाद वित्त मंत्री के बजट में कृषि को अपनी वरीयता मिली है और कृषि मंत्रालय को पर्याप्त तथा अधिक धन दिया गया है। परन्तु मैं कपास उत्पादकों के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। हाल के वर्षों में गुजरात देश का मुख्य कपास उत्पादक राज्य बन गया है। मैं उसी क्षेत्र से चुना गया हूं। वहां अधिकतर क्षेत्र में बारानी खेती होती है और वहां के कपास उत्पादक किसान बहुत ही गरीब हैं। वे केवल छोटे रेशे वाली कपास ही उगाते हैं जो बाजार में देरी से आती है।

मुख्य रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों के कल्याण का संबंध है इस देश में वे हमेशा ही घाटे में रहे हैं क्योंकि व्यापार की शर्तें हमेशा किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली हो रही है। इसलिए मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे कुछ ऐसे उपाय करें ताकि व्यापारिक शर्तें किसानों के प्रतिकूल न हों। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कृषि मूल्य आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा. त्यागी ने भारत में व्यावार की शर्तों के बारे में बड़ा गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है :

> "वर्ष 1952-53 से 1963-64 तक व्यापारिक शर्तें किसान के विरुद्ध रहीं परन्तु बाद में 1964-65 से 1974-75 तक यह कृषि के पक्ष में रहीं। यह हरित क्रांति का युग था परन्तु सरकार ने उसके बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसके परिणामस्वरूप 1975-76 के बाद ये शर्तें कृषि के विरुद्ध हो गयीं। इसलिए कृषि सुधार की मुख्य बात यह है कि व्यापारिक शर्तें कृषि के पक्ष में होनी चाहिएं।"

मैं नहीं समझता कि बजट से ऐसा कुछ होने वाला है।

एक अन्य बात मैं उन बातों के बारे में कहना चाहता हूं जो कपास उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। पहली बात यह है कि 49 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हम फसल के बारे में उचित अनुमान नहीं लगा पाते हैं। आंकड़ों की तरफ देखने से पता चलता है कि कपास सलाहकार बोर्ड ने 26 अगस्त 1996 की अपनी बैठक में एक सौ छप्पन लाख गाठों के उत्पादन का अनुमान लगाया था। मौसम के अन्त में 136 लाख गांठे बकाया थी। आश्चर्य की बात है कि उसी बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में 149 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया था। दो बैठकों के दौरान बोर्ड का अनुमान एक सौ अड़तीस से बढ़कर एक सौ छप्पन लाख गांठ हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कपास उत्पादन अनुमान पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। मेरे विचार से कपास सलाहकार बोर्ड के इस कथन में तथ्य है कि कपास उत्पादन का अनुमान फसल की बुवाई पर आधारित न करके इसका अनुमान फूल आने के समय लगाया जाना चाहिए। इससे अब किये जा रहे अनुमानों की कमी को दूर किया जा सकेगा। यदि फसल का अनुमान सही-सही नहीं लगाया जाता तो हमारी सभी नीतिगत उपाय गलत होंगे। उदाहरण के लिए कपास के निर्यात को लें। हमारे देश से कपास का निर्यात पहली बार दस वर्ष पहले तब किया गया था जब देश में बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन हुआ था और बाजार में भारी मन्दी आयी थी। तथा जिसके परिणामस्वरूप किसान तबाह हो गये थे। उस समय किसान उत्पादकों ने विरोध किया था। और सरकार को सिद्धान्तत: यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि देश में मांग हो या न हो कम से कम पांच लाख कपास की गांठों का निर्यात प्रतिवर्ष किया जायेगा। इस प्रकार कपास का निर्यात शुरू हुआ। पिछले वर्ष बड़ी मात्रा में कपास का निर्यात हुआ। कपास के निर्यात के लिए रिकार्ड कोटा रखा गया था। परन्तु वास्तविकता यह है कि आधी कपास का भी निर्यात नहीं किया गया, इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण है हमारा कपास के उत्पादन का गलत अनुमान। हमने समय बितने के साथ-साथ कपास का अनुमान भी बढ़ा दिया और कपास के निर्यात का कोटा भी बढ़ाते चले गये। मैं इस विवरण में जाना नहीं चाहता कि यह कोटा सही लोगों को दिया गया था नहीं, यह एक अलग विषय है। समय की कमी के कारण मैं इन बातों पर प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन यदि आप कपास के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को देखें जिस पर कपास निर्यात किया जा रहा है। सी.आई.एफ. के अनुसार 6 नवम्बर, 1995 का मूल्य सूचकांक 89.60 सेंट प्रति पौंड था। कोटा देना शुरू करते समय हमने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार नहीं किया और अधिक से अधिक कोटा देना, शुरू कर दिया जबकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिरते जा रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब हमने आखिरी कोटा दिया तब मूल्य 74 सेंट से भी नीचे चले गए थे। इसका अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी और उस समय हम देश के किसानों को लाभ पहुंचा सकते थे और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते थे, परन्तु हमने कोटा देने की गलत नीति अपनाई। हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर नहीं देखा और इस प्रकार कोटा देते चले गए जो किसानों के लाभ में नहीं था। हमने उस समय कोटा दिया जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिरा और किसानों से कहा कि हमने ज्यादा कोटा दिया पर निर्यात नहीं कर सके। यह दूसरी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था।

विश्व के किसी भी देश में, जहां तक इजिप्शियन कपास का संबंध है, मंत्री महोदय जानते हैं कि उसका निर्यात 2-3 दिन में

कर दिया जाता है। विश्व भर में ऐसा निर्णय लिया जाता है। जब मूल्य अच्छे होते हैं तब वे कोटा तय करके तुरन्त निर्यात कर समाप्त कर देते हैं। यहां हमारे देश में फसल का अनुमान लगाने की पद्धति ठीक नहीं है। हम किसानों से अधिक कपास का उत्पादन करने को कहते हैं और जब वे अधिक कपास उगाते हैं तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता और वे तबाह हो जाते हैं। इसीलिए मैं यह सभा की जानकारी में लाना चाहता था। इस बार कपास की खेती में देरी हुई है क्योंकि वर्षा लम्बे समय तक हुई। अब अक्तूबर में मौसम शुरू हो रहा है, मेरी सरकार से अपील है कि वह गलती को दोहराए नहीं।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में घोषणा की है कि वे अधिकतर प्रतिबंधों को हटाएंगे। उन्होंने घोषणा में कहा है कि उन सभी नियंत्रणों और विनियमों की तुरन्त समीक्षा की जाएगी जो किसानों की आय बढ़ाने में रुकावट डालते हैं तथा जहां आवश्यक होगा उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा।

कपास पर इन दिनों न जाने कितने नियंत्रण हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने मिल मालिकों को खुश करने के लिए कपास की ओ.जी.एल. पद्धति पर निर्यात नीति बनाने का फैसला किया। इसलिए यदि मिल मालिक कपास का आयात करना चाहता है तो वह बिना रोक-टोक के ऐसा कर सकता है। इसके लिए कोई कोटा पद्धति नहीं है। परन्तु किसानों के संबंध में जब सरकार ने कपास का निर्यात करने का निर्णय किया तो हमने टुकड़ों-टुकड़ों में किया। हमने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर ध्यान नहीं दिया।

इसलिए यदि सरकार वास्तव में गम्भीर है और अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहती है तो उसे कोटा पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए तथा निर्यात पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस देश के कपास उत्पादक किसान विश्व के बाजार से प्रतिस्पर्धा करना पसन्द करेंगे। हर कोई यह जानता है कि गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद खाद्यान्नों की कीमतों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसे धीरे-धीरे समाप्त करना होगा। कहना यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

हम बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात कर रहे हैं। पिछले साल इसका रिकार्ड निर्यात हुआ। हम और ज्यादा चावल का निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि बन्दरगाह पर लदान की सुविधा नहीं है। मतलब यह है कि चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है पर लदान की सुविधा नहीं है। और किसान का हानि हो रही है। जहां तक कपास का संबंध है, मेरी अपील के बावजूद कोटा प्रणाली विद्यमान है। मेरी सरकार से अपील है कि वह अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार चले।

आयात अथवा निर्यात को ओ.जी.एल. के अनुसार किया जाये और किसानों को जितना वे चाहें कमाने दिया जाये।

महोदय, कपास के संबंध में ऋण संबंधी नियंत्रण भी हैं। जब किसान अधिक कपास उगाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक और अधिक ऋण संबंधी प्रतिबंध लगा देता है। परिणामस्वरूप बाजार में पैसा उपलब्ध नहीं होता। पिछले मौसम में क्या हुआ? बाजार में कपास आ रही थी किसानों के घर कपास से भरे थे। परन्तु उसके भण्डारण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और न ही कपास को ओढ़ने की सुविधा गुजरात में उपलब्ध थी। और ऋण प्रतिबंधों के कारण रुपया उपलब्ध न होने से खरीदार भी नहीं थे।

अत: इन ऋण प्रतिबंधों की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए। कपास पर कपास नियंत्रण आदेश लागू है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम रूई और कपास दोनों पर लागू होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घरों में और सहकारी संस्थाओं पर भी अधिक कपास रखने पर कपास नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है। आज भी वे मुकदमें चल रहे हैं। हम किसानों और सहकारी संस्थाओं को इस प्रकार इंस्पक्टरों द्वारा बरवाद क्यों होने दे रहे हैं।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि निर्यात और आयात ओ.जी.एल. के अनुसार हो। यदि मिल मालिकों को विश्व में कहीं से भी सस्ती कपास मिल सके तो उन्हें उसे खरीदने की अनुमति हो। इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

बात बहुत स्पष्ट है। गुजरात में अरबिन्द मिल के कपास की कितनी भी अधिक कीमत होने पर भी कमी घाटा नहीं हुआ। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ कि कपास की भूमि का उनके उत्पादन में बहुत कम प्रतिशत है तथा उनका अनुसंधान विभाग इतना शक्तिशाली है कि यदि कपास के मूल्य बढ़ते हैं तो वे एक नये प्रकार के सूती कपड़े का उत्पादन शुरू कर देते हैं। जिससे कपास की आवश्यकता कम हो जाती है वे यही तरीका अपनाते चले आ रहे हैं।

मुझे श्री पी. चिदम्बरम द्वारा जब वे वाणिज्य मंत्री थे कही गई बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उन्होंने सूती कपड़ा मिल संघ से कहा था कि आप कब तक कपास उत्पादकों की पीठ पर सवार होकर अपनी मिलों को चलाना और मुनाफा कमाना चाहते हैं? आप अपने दूसरे खर्चे कम कीजिए। यदि ऊर्जा की कीमत बढ़ती है तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता परन्तु यदि कपास की कीमत बढ़ती है तो कपड़ा मंत्रालय पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार में उनकी एक बड़ी लॉबी है। मुझे विश्वास है कि जब माननीय कृषि मंत्री उत्तर देंगे तो वे कहेंगे कि निर्यात आदि विषय कपड़ा मंत्रालय के पास हैं और वे इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकते।

तीसरे कपड़ा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच ऐसा समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। जिससे कपास उत्पादकों को हानि न हो। हम एक बड़े कपास निर्यातक देश के रूप में उभरे हैं। और अगला मौसम हमारे लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बड़ा ही लाभकारी होने की सम्भावना है।

मुझे आज सवेरे ही एक किसानों की गुजरात कोटन कोपरेटिव फैडरेशन से संबंधित अतारांकित प्रश्न के उत्तर से पता चला है कि उन्होंने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों को कपास बेची। और वे उसके मूल्य के रूप में चौदह से पन्द्रह करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर रहे हैं। एक बार मैंने कपड़ा मंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है और मुझे वित्त मंत्री से बात करने को कहा। तब मैं वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम के पास गया। उनका कहना था कि यह उनका विषय नहीं है। वे कपड़ा मंत्री के पास जायें। यह फैडरेशन कपास उत्पादकों की मदद करता है। मन्दी के मौसम में यह बाजार में कपास खरीदने और उसका निर्यात करने में किसानों की मदद करता है। परन्तु लगभग 15 करोड़ रुपये का भुगतान राष्ट्रीय कपड़ा निगम उन्हें नहीं कर रहा है। आज मुझे बताया गया कि यह कपास राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विभिन्न मिलों को सप्लाई की गई थी। यह रुपया किसानों का है तथा उन्हें पिछले दो-तीन वर्षों में 6 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ा है। मैंने श्री चतुरानन मिश्र से भी अपील की है और उन्होंने भी कहा है कि मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसका निपटारा किया जाये। आशा है वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय इस बकाया राशि का भुगतान करायेंगे। यदि किसी व्यापारी का पैसा रुक जाता है तो सभी उसके बचाव के लिए आगे आते हैं। परन्तु किसान के पैसे के लिए कोई नहीं आ रहा है। यदि यह 10-15 करोड़ रुपया उन्हें दे दिया जाये तो यह भारत सरकार के लिए मददगार ही साबित होगा भार नहीं।

कृषि मंत्री ने राज्य सभा में कपास से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय यह घोषणा की थी कि वे आगामी मौसम के लिए कपास नीति बनाने के वास्ते एक समिति का गठन करेंगे। मैं कृषि मंत्री से पूछता हूं कि हमारा क्या होगा। लोक सभा के सदस्य भी उसमें होने चाहिए। मुझसे कहा गया कि यह सम्भव नहीं है, क्योंकि राज्य सभा की जो समिति बनाई गई है उसमें सात सदस्य हैं। और यदि इस सभा को भी अपने सदस्य उसमें भेजने हैं तो उसे चौदह सदस्यों को भेजना होगा। और इस प्रकार समिति में 21 सदस्य हो जायेंगे, जो कृषि मंत्री के अनुसार बहुत बड़ी संख्या है। परन्तु मेरा कहना है कि यदि आप पचास सदस्यों वाली स्थायी समितियां रख सकते हैं और यदि वे वर्ष भर अनेकों समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं तब आप लोक सभा के सदस्यों को सरकार की नीति बनाने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि अगला वर्ष बहुत ही खराब वर्ष होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मिट्टी काली है और वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं कपास नीति के लिए संघर्ष कर रहा था तो केन्द्र सरकार के एक कृषि मंत्री ने मुझसे पूछा कि उनके क्षेत्र में किसान कपास क्यों उगाते हैं। उनसे कहिये कि वे कुछ और उगाये। मैंने कहा कि यदि मिट्टी काली हो और सिचाई की कोई सुविधा न हो तो उनके पास एक मात्र विकल्प छोटे रेशे वाली कपास उगाने का ही है।

इस बजट में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रधान मंत्री यह दावा करते हैं कि वे किसान के बेटे हैं और कृषि प्रधान नीति बनाना चाहते हैं, तब यह उनकी एक परीक्षा है। यदि अगले मौसम में कपास उत्पादकों को हानि हुई तो इस देश का कोई किसान यह विश्वास नहीं करेगा कि श्री देवेगौड़ा ने उन्हें उचित कृषि नीति दी है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि वे अगले साल कपास नीति पर ध्यान दें।

... (**व्यवधान**)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (शहानाबाद) : हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। हमें इसे समाप्त करना है। दो मंत्रियों को उत्तर देना है और 6 बजे गुलोटीन लागू करना है।

... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : छह बजे गुलोटिन करना है, दो मिनिस्टरों को रिप्लाई देना है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : आप किसानों में इतना इंटरैस्ट रखते हैं, किसानों की बात हो रही है, इसलिए सब को मौका दे दीजिए। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फैसला है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का डिसीजन है, छह बजे गुलोटिन होना है। ... (**व्यवधान**)

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : एक-एक आदमी लगातार आधा-आधा घंटा बोला है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा लिस्ट में नाम है। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। नाम तो मेरे पास कई हैं।

[अनुवाद]

श्री तारिक अनवर : हम सभा के समय को बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम लोगों को पांच मिनट का समय भी नहीं दिया जाएगा? ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के डिसीजन को एक्सैप्ट किया है।

श्री तारीक अनवर : आज हम ग्रामीण विकास और किसान की बात करते हैं और यहां बोलने की इजाजत नहीं मिलती। हम इन्तजार कर रहे थे। ... **(व्यवधान)**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमारा नाम दिया गया है, हमारी पार्टी से एक वक्ता भी नहीं बोला है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शिवराज सिंह, श्री भूरिया, श्री मेहबूब जहेदी, श्री बृज भूषण तिवारी, श्री पृथ्वीराज चव्हाण, श्री राम नगीना मिश्र और श्री सनत मेहता ने ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मंत्रालय के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये बैठ जाइए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फैसला हाउस ने एक्सैप्ट किया है। छः बजे गुलोटिन है, उससे पहले दो मिनिस्टरों ने रिप्लाई देना है, कटमोशंस भी हैं, हम छः बजे तक कैसे समाप्त कर सकते हैं?

श्री तारीक अनवर : मिनिस्टर अपना जवाब टेबल कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर का रिप्लाई नहीं सुनना चाहेंगे, केवल अपनी बात कहना चाहेंगे? जो कह चुके हैं, उनका रिप्लाई तो कम से कम वे दे दें। एक आदमी बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं एक फर्मूले का सुझाव देता हूँ।

यह सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय कल उत्तर नहीं दे सकते, यदि आज गिलोटीन होता है। केवल यह किया जा सकता है कि यदि कुछ ग्रुपों या दलों से कोई नहीं बोला है तो गिलोटीन 6 बजे के बजाय 6.30 बजे किया जाए। गिलोटिन होता है तो मंत्री महोदय उसके बाद उत्तर नहीं दे सकते। यदि सदन सहमत हो तो गुलेटीन 6.30 बजे किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : छह बजे के बजाय 6.30 बजे करने से हल नहीं होगा। हर आदमी 15-20 मिनट से कम बोलने के लिए नहीं होता। इसका कोई अन्त नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। मैं पिक एंड चूज नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 20 आदमियों की लिस्ट है, जो बोलना चाहते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : जिस पार्टी के लोग नहीं बोले हैं, उनको मौका दीजिए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची में से नामों को नहीं छांट सकता। मैं एक को लूं और दूसरे को छोड़ दूं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह 6.30 बजे भी नहीं हो पाएगा। हर आदमी 15-20 मिनट से कम नहीं लेता।

... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल दो या तीन दलों के सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह पूछा था। पर उनका कहना है कि गुलेटीन 6 बजे ही किया जाना है। यही मुझे कहा गया है। मैंने स्वयं पूछा था।

... (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : गुलेटीन का अर्थ है काटना। आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं बताया है कि डी. एम. के. का एक भी सदस्य नहीं बोल पाया है। अकाली दल का भी कोई सदस्य नहीं बोला है। गिलोटिन का मतलब है कट। ... **(व्यवधान)**

जो रुल्स में लिखा है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। यह छः बजे के बाद नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि केवल दो या तीन दलों के सदस्य नहीं बोले हों तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जाये ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

> "जब गिलोटिन का समय आ जाए, अध्यक्षपीठ उस समय जिस प्रस्ताव अथवा कमी करने के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, व उसे तथा अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखे"

... (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह यहां लागू नहीं होता ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति छः बजे का समय पहले ही निश्चित कर चुकी है और सभा उसे स्वीकार कर चुकी है।

... (**व्यवधान**)

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : सभा अब इसे बदल सकती है। सभा की बैठक रात आठ बजे तक बढ़ाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है और सभा ने इसे स्वीकार किया है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं?

श्री पी. आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि या तो गिलोटीन लागू किया जाए या अन्य सदस्यों को बोलने दिया जाए। तब, आप समय नहीं बढ़ा सकते।

[हिन्दी]

एक को मौका दिया जाएगा और बाकी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए आप सबको बोलने के लिए मौका दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूची है। इसमें 20 सदस्यों के नाम हैं। यह नहीं किया जा सकता।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं निर्णय को नहीं बदल सकता।

... (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह नियम यहां लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कार्य मंत्रणा समिति स्वयं एक सभा है। कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया और सभा ने उसे माना है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि डी.एम.के. और अकाली दल के सदस्य नहीं बोले हैं।

... (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी नहीं बोले हैं.... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री जी के बोलने के समय को भी कम कर रहे हैं। वे इतने समय में अपनी बात नहीं कर पाएंगे और गिलोटीन छः बजे होना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा कहना यह है कि इसका अर्थ यह नहीं कि सभा अपना निर्णय नहीं बदल सकती। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो नियम पढ़ा वह यह है कि जब गिलोटीन हो, सब मतदान के लिए रखा जाएगा ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अभी रूल पढ़ कर सुनाया है। उसमें लिखा है कि यदि समय आ गया है, तो गिलोटीन होना ही है।

[अनुवाद]

गिलोटीन तो करना ही पड़ेगा। निर्णय नहीं बदला जा सकता। मैं नियम पहले ही पढ़ चुका हूँ। मुझे खेद है मैं निर्णय नहीं बदल सकता। कृपया मेरी स्थिति समझें। अब ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री उत्तर दें।

अपराह्न 5.34 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

श्री किंजारप्पू येरननायडू : ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर करना और ग्रामवासियों, विशेष कर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के जीवन स्तर को

ऊंचा करना है। ये कार्य तीन विभागों अर्थात् (एक) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार विभाग, (दो) ग्रामीण विकास विभाग और (तीन) परती भूमि विकास विभाग, द्वारा किया जाता है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बड़ा महत्व दिया है। जैसा कि सब जानते हैं सत्ता ग्रहण करने के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार ने 4-5 जुलाई, 1996 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। हमने ग्रामवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए सात न्यूनतम सेवाएं शुरू करना निर्धारित किया था। इनमें से तीन सेवाओं का भार इस मंत्रालय पत्र है। पहली सेवा है शत प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराना ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : दूसरा कार्य है सभी बेघर लोगों को सहायता का उपबंध। सभी गांवों और बस्तियों को सड़कों से जोड़ना तीसरा कार्य है।

इस कार्यक्रम को सात प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं को पूरा करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने 2466 करोड़ रुपये रखे हैं। जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं इस वर्ष और पिछले वर्ष भी इतना ही प्रावधान बजट में किया गया था। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए हमें इस वर्ष 1500 करोड़ रुपये मिले हैं। यह सरकार वर्ष 2005 तक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी समाप्त करने को वचनबद्ध है।

हम वर्ष 2000 तक पीने के पानी का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इस वर्ष 1-4-1996 तक 75,782 बस्तियां ऐसी थी जहां पानी का साधन नहीं था तथा 3,32,454 ऐसी थी जहां आंशिक जरूरत के लायक पानी था। इस वर्ष इस काम के लिए हमने 1100 करोड़ रुपये रखे हैं। एम.एच.पी. के अन्तर्गत राज्य 1200 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार दोनों को मिला कर हम इस मद पर 2300 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं।

यह भी प्रस्ताव है कि पहले चरण में उन सभी बस्तियों में प्रति व्यक्ति दस लीटर पानी के हिसाब से पानी पहुंचाया जायेगा, जहां पानी का कोई साधन नहीं है अथवा आंशिक साधन है। सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह सभी कार्यक्रम राज्य सरकारों की मार्फत कराये जाते हैं। इसलिए इन्हें लागू करने का काम राज्य सरकारों का है। विधान सभाओं और संसद के सभी सदस्य डा. आर. डी. एस. के सदस्य होते हैं। इस संसद द्वारा पास किये गये तिहत्तरवें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हमने स्थानीय निकायों को बहुत अधिकार दिये हैं। और इसलिए ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें और डी. आर. डी. एस. एजेन्सियां इन कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेन्सियां हैं। यही कारण है कि हम राज्य सरकारों को धन दे रहे हैं। ये सभी योजनायें शत-प्रतिशत प्रयोजित योजनायें नहीं है। कुछ योजनाओं में 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का अनुपात है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना और रोजगार बीमा योजना आदि के संबंध में राज्यों का भाग (बीस) 20 प्रतिशत है जबकि केन्द्र का अस्सी प्रतिशत। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पचास प्रतिशत भार राज्य उठाते हैं और पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार। औजार देने के कार्यक्रम में नब्बे प्रतिशत अंशदान हमारा होता है और शेष दस प्रतिशत लाभ भोगी को खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार ये सभी योजनायें राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा लागू की जाती हैं। लाभ-भोगियों के चयन का अधिकार भी इस सभा द्वारा पंचायतों को दिया गया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे निगरानी के लिए राज्य, ब्लाक, गांव और जिला स्तर पर समितियों की नियुक्ति करें। ... **(व्यवधान)** इस प्रकार काफी अन्तर है। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, पहले भी यह बात हुई थी कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मेम्बर आफ पार्लियामेंट को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए तथा इसी तरह से डीआरडीए के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं में भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : कृपया सुनिये ... **(व्यवधान)** पिछले पन्द्रह साल से मैं भी आन्ध्र प्रदेश विधान सभा का सदस्य रहा हूं .... **(व्यवधान)** मेरी बात तो सुनिये ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : इस बात को पूरा सदन कह चुका है। ... **(व्यवधान)** इंदिरा आवास योजना तथा इस प्रकार की अन्य योजनाओं के निर्णयों के अंतर्गत, जिनमें भारत सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, ऐसी योजनाओं में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की बात को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जिन ग्रामीण विकास योजनाओं में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है उन योजनाओं में सांसदों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा तब आप प्रश्न कर सकते हैं... (व्यवधान) पहले मुझे स्पष्ट करने दीजिए तब आप प्रश्न कर सकते हैं ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : हम यह जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जिन ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है वहां के सांसदों की निर्णय लेने के स्तर परं पूरी भागीदारी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : मैं अपना उत्तर दूंगा ... (**व्यवधान**) मैं पन्द्रह वर्ष तक विधान सभा सदस्य रहा हं और पहली बार संसद सदस्य चुना गया हूँ। इसमें सराय क्या है? इस सभा में 73वां संविधान संशोधन पास किया गया था। हमने 21 विषय ग्राम पंचायतों को सौंपे हैं। उन्हें अधिकार है। हम और भी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। डी.आर.डी.ए. में प्रत्येक संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य उसका सदस्य है। योजनायें तैयार करते हैं ... (**व्यवधान**) आप मेरी बात सुने ... (**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत : संसद सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : हमने सभी राज्यों को स्पष्ट निदेश दिये हैं। पश्चिमी बंगाल के कुछ संसद सदस्यों ने एक पत्र लिखा है कि वे जब संसद का सत्र होता है तब भी बैठकें करते हैं। अब हमने यह निर्देश दिये हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तब कोई बैठक न की जाये।

हम सभी इस प्रकार प्रबंध निकायों के सदस्य हैं और ये प्रबंध निकाय ही डी.आर.डी.ए. के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में निर्णय लेते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि वह योजना अच्छी नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्री जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष कलक्टर होता है ... (**व्यवधान**) इसलिए वहां नौकरशाही ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें ... (**व्यवधान**)

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : संयुक्त मोर्चा सरकार नौवीं योजना में साठ हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आठवीं योजना में इस मद के अंतर्गत तीस हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हो। हमने इसे बढ़ा कर दुगना कर दिया है।

मैंने अनेक राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा किया है अनेक राज्य धन को भली प्रकार खर्च नहीं कर रहे हैं। राज्यों के अपने दौरे के समय मैंने देखा कि इस वर्ष अप्रैल में उनके पास पांच सौ करोड़ से छः सौ करोड़ तक रुपया बाकी पड़ा था। जो भी रुपया वे खर्च करते हैं वे उसका उपयोग प्रमाण पत्र भेजते हैं और तभी हम धन देते हैं।

कुछ संसद सदस्यों ने कहा कि वे रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं। उन राज्यों ने उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजे हैं, इसी कारण उन्हें रुपया नहीं दिया जा रहा है। हमारे मंत्रालय की ओर से कोई देरी नहीं की जाती। और जब भी उपयोग प्रमाण पत्र आ जाता है हम रुपया दे देते हैं।

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भी घोषणा की थी। अब तक तीन हजार दो सौ छः ब्लाकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाया गया है। हमने बाकी के दो हजार दो सौ ब्लाकों को भी दो वर्ष के अन्दर इसमें शामिल करने का निर्णय किया है। हम इस वर्ष भी कुछ ब्लाकों को शामिल करना चाहते हैं। अनेक संसद सदस्यों ने इसके लिए अनुरोध किया है।

कुछ संसद सदस्यों ने पिछड़े क्षेत्रों के बारे में पत्र लिखे हैं। इस वर्ष पिछड़े क्षेत्रों और उन क्षेत्रों का पता लगाने को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां अत्यधिक गरीबी है। इस वर्ष हम ऐसे ब्लाकों को इस योजना में शामिल करना चाहते हैं। बाकी ब्लाक अगले वर्ष शामिल किये जायेंगे।

रोजगार बीमा योजना के संबंध में कोई समस्या नहीं है उसके लिए हमारा सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम मौजूद है। संयुक्त मोर्चा सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सौ दिन का रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम ऐसी योजना बना रहे हैं ... (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्तावों का उत्तर नहीं दिया है। लगता है उन्होंने कटौती प्रस्तावों को देखा ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास समय नहीं है।

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : मैं कटौती प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : तब आपको इस मुद्दे पर विचार करना होगा। आपने अभी-अभी कहा कि आप अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों पर विचार करेंगे।

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : हां मैं जानता हूं ... (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : पीने के पानी की अत्यधिक समस्या है। और आप पर्याप्त धन नहीं दे रहे हैं।

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में श्री मनोरंजन भक्त ने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हम इन द्वीपों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह अनुमति देती है कि मनोरंजन भक्त द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 18 से 23 वापस लिये जायें।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबधित मांग संख्या 71 से 73 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की मांगों पर बहस में हिस्सा लिया है, मैं उन सबों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं या हमारी खामियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनका भी आभारी हूं। समय कम रहने के कारण मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता लेकिन मैं लिखित रूप से उन माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा जिन्होंने यहां पर सवाल उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे एक सवाल यहां आया था जिसे नये ढंग से मैंने सोचा था तो माननीय सदस्यों को लिखा। सौ से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में या जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए लिखा है। मैंने जवाब में कहा है कि हम इस तरह से सोच रहे हैं। उनका जवाब आने तक मैं कोशिश करूँगा कि प्लानिंग कमीशन से मिलकर जहां तक संभव होगा बहुत कम समय में सारे देश में हर जिले में एक एक कृषि विज्ञान केन्द्र दिया जाये। मैंने यह भी कोशिश की है कि जो छोटे, सीमांत और गरीब किसान हैं उनको सूद में कमी दी जाये। उन्हें फसल बीमा योजना में लिया जाये। मैंने लिखकर भेज दिया है, इसको दोहराना नहीं चाहता।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : जो किसान बूढ़े होकर रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए?

श्री चतुरानन मिश्र : इसके लिए क्या करना है? हम खुद बूढ़े हो गए हैं। एक साथ सोच लेंगे।

श्री शिवराज सिंह : क्या फसल बीमा योजना के लिए आप एक ब्लाक को मानते हैं? इसको टाला न जाये। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वे सभी बातों का उत्तर देंगे।

... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने सुझाव दिया है, आपने लिखा है तो जवाब मैं दूंगा। यह बात मेरे ध्यान में है। हमने आपको लिख दिया है, आप अपना जवाब लिख दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : के.वी.के. के बारे में आपने नहीं बताया?

श्री चतुरानन मिश्र : एक बार कह दिया है, फिर दोहराना नहीं चाहता। हर जिले में देने के लिए प्लानिंग कमीशन से बात कर रहा हूं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पं. बंगाल ने जूट का उत्पादन अधिक बढ़ाया है। बिहार में भी काफी बढ़ा है। बिहार से केन्द्र लेता नहीं है और यही हाल पं. बंगाल का है। हमारे लिहाज से हमारा देश इस दिशा में जा रहा है। जो क्षेत्र ग्रीन रिवोल्यूशन में नहीं है, उसे ले आये तो सिर्फ अन्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल बाजार पर कब्जा कर लें जोकि सस्टेन्ड प्रोडक्शन की कोशिश से हो सकता है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुये कहूंगा कि आप इसमें सहयोग करें ताकि सस्टेन्ड प्रोडक्शन हो और इंटरनेशनल बाजार पर कब्जा कर सके। इस संबंध में आप लोगों ने जो चिन्ता प्रकट की है, वही हमारी भी चिन्ता है। आज किसानों को बड़ी सजा दी जा रही है। ऐसा कोई समुदाय नहीं जो अच्छा काम करे तो उसको सजा मिले।

अगर एक मजदूर उत्पादन बढ़ाता है, एक उद्योगपति उत्पादन बढ़ाता है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोई लड़का परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है तो उसकी भी सब तारीफ करते हैं लेकिन किसान अगर ज्यादा उत्पादन बढ़ाता है तो उसके खेत में आग लगानी पड़ती है। यह हमारे किसानों की स्थिति है। मैं इससे अवगत हूं और समय ज्यादा नहीं रहने के कारण इस पर ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं इसकी ओर आप लोगों से सहयोग मांग रहा हूं। कोई न कोई निदान हम इसका जरूर निकालेंगे। ... (**व्यवधान**) हम अपना पोइंट कह देते हैं। अगर आप कोई पोइंट

उठाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। पहली बात यह है कि आप लोगों ने चिन्ता प्रकट की है कि बजट में जो पैसा दिया जाता है वह खर्च नहीं होता है। हमें इस विभाग में आए अभी जुम्मा जुम्मा आठ दिन हुए हैं। मैंने कोशिश की हैं कि जो केन्द्रीय धन से राज्यों में स्कीम चलती है और वर्ल्ड बैंक या आई. एम. एफ. के सहयोग से चलती है, सभी को कम्प्यूटर पर रखवा दिया है और क्वार्टरली उसका रेव्यू करेंगे और तमाम मुख्य मंत्रियों को हमने पत्र देना शुरू किया है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।

एक प्रश्न उठा है कि मिडिलमैन का प्राफिट बहुत ज्यादा है और वह किसान की कमाई से भी बहुत ज्यादा है। काटन के संबंध में माननीय सदस्य मेहता जी ने बहुत जायज सवाल उठाया था। मैं उनके साथ हूं। यह सवाल राज्य सभा में उठा था इसलिए राज्य सभा के चेयरमैन से हमने बाद से अनुरोध किया था और उन्होंने एक कमेटी बना दी थी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि लोक सभा के भी सदस्य उसमें जाएं लेकिन कमेटी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं और जो भी सुझाव आप देंगे हम वैसा करेंगे। लोक सभा के सदस्यों को लेने के लिए भी इसमें दो राय नहीं हो सकती है।

अंत में हम आपसे जो कहना चाहेंगे वह यह कि सवाल तो बहुत आए हैं। मैं सबका जवाब नहीं दे सकता हूं। पायलट जी हमसे कुछ पूछ रहे थे। वह पूछ ले। ... (**व्यवधान**)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : हमारा जो सेब है वह आजादपुर में आता है ... (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : सब्जियों और हार्टिकल्चर या फल के बारे में हमारी अलग स्कीम है। वह रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ था, हम उस पर ऐक्शन ले रहे हैं। आप भी स्कीम बनवाकर भेजिए। एम.पी. को तो रुपया नहीं भेजा जाएगा, स्कीम को भेजा जाएगा। आप स्कीम भेजिए, हम आपकी मदद करेंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, एक चीज जो हम सरकार में रहने के बाद भी कोशिश करके नहीं कर पाए and we must accept that. हमने कहा था कि किसान को भी उद्योगपति की तरह लिमिट दे दे। उद्योगपति का अगर सौ करोड़ का बिजनेस है तो 90 करोड़ की लिमिट आप उसको दे देते हैं। हमने कोशिश की कि हर स्टेट गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री से आप बात करें कि किसान को एक किताब मिल जाए। अगर उसकी 25 बीघा जमीन है और उसकी कीमत 25 लाख रुपये है तो एक लाख रुपये की बैंक लिमिट दे दो जिससे उसमें आत्मबल की शक्ति आ जाए और वह खेती के साथ साथ नया काम करना शुरू करे। आज क्या हो रहा है कि किसान का बच्चा पढ़ता है, नौकरी के लिए भागता है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैंने अपनी पार्टी में भी कहा है कि अगर आपकी जेब में पैसे हों तो सारा दिन आप बाजार में घूमो, आपको भूख नहीं लगती है और जेब खाली हो तो घर बैठे भूख लगती है। आप किसान की ऐसी लिमिट बांध दे कि अगर किसान की 50 लाख की जमीन है तो उसको एक लाख रुपये की किताब दे दो। वह ब्याज के लिए घर-घर नहीं घूमेगा, आढ़तियों के चक्कर नहीं मारेगा, ब्याज के लिए जगह-जगह टक्कर नहीं मारेगा। 10 किसानों के बच्चे मिलकर एक छोटा उद्योग लगा पाएंगे। इसका आश्वासन आप मुझे दे दें।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, क्रेडिट के संबंध में हम ढंग से विचार कर रहे हैं। हम उसमें आपकी भी राय लेंगे कि क्रेडिट में कैसा होना चाहिए। किसान लोग भी कर्जा ले लें और दे दे। उद्योगपति बहुत सा कर्जा लेते हैं और वह बैड लोन्स में चला जाता है। बैंक में भी ऐसा नियम है कि हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। किसानों के मामले में ऐसा नहीं है। किसानों को कंपाउंड इंटरस्ट रेट भी देना पड़ता है। इन सब बातों से मैं अवगत हूं।

मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी पर आपसे सुझाव लेकर कोई क्रेडिट का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी एक अपील है कि अकाल पड़ जाए, सूखा-बाढ़ आ जाए, किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि आप यह करने के लिए सरकार को कहिए, कोआपरेटिव में मत कहिए। कोऑपरेटिव बरबाद हो रहे हैं। वे कर्जा माफी दे देते हैं, उनको सरकार नहीं देती है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। कोऑपरेटिव का कोई रास्ता नहीं है हम और आप लोग ही है। इसलिए सरकारी खजाने से हम लोग दे दें और कोऑपरेटिव का अगर कर्जा रहे तब यह नारा मत लगाइये 'मांगे हमारी पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। उसका सरकार पर छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम भी साथ देंगे। कोऑपरेटिव संकट में है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इतना कहूंगा ... (**व्यवधान**) कि कोऑपरेटिव के बारे में अब हमारा टाइम नहीं है, एनीमल हजबेंडरी का आप टाइम दे दें। ... (**व्यवधान**)

रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश का बजट 2 लाख 4 हजार करोड़ है, वहीं पर एनीमल हसबेंडरी, डेयरी का बजट 2 प्रतिशत, करीब 404 करोड़ है। फिर भी देश के उत्पादन में कृषि का जहां तक कंट्रीब्यूशन लगभग 31 प्रतिशत जी.डी.पी. में है उसमें 26 प्रतिशत का एनीमल हसबेंडरी और डेयरी में है। देश के कुल जी.डी.पी. में एनीमल हसबेंडरी और डेयरिंग में कुल 8 प्रतिशत का सहयोग हो रहा है। हमने हिसाब लगाकर देखा है।

श्री चतुरानन मिश्र : कुछ नारा दीजिए न फिर।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पशुधन में जो उत्पादन हो रहा है उसका देश में कुल 1 लाख 83 हजार करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। 109 करोड़ का रोज दूध उत्पादन हो रहा है। 81 करोड़ का गोबर पैदा हो रहा है। सौ करोड़ का करीब बैलगाड़ी खींचने और हल चलाने में उससे इनर्जी मिल रही है। 75 करोड़ का मांस उत्पादन हो रहा है। 8 करोड़ का रोज अंडा उत्पादन हो रहा है। सौ करोड़ का रोजाना चमड़ा उत्पादन हो रहा है। कुल 509 करोड़ रुपये की रोज एनीमल हजबेंडरी और डेयरिंग के आमदनी हो रही है। यह हिसाब लगाकर देखा गया है कि सबसे ज्यादा रोजगार इस विभाग से मिल सकता है। इसलिए सरकार का आई.आर.डी.पी. और डी.आर.डी.ए. में ज्यादा सहयोग हो और बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में सरकार से ज्यादा सहयोग लिया जाए। इसके लिए सरकार ने नीतियां और कार्यक्रम बनाये हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह संकल्प लिया है कि अभी हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा है लेकिन दो हजार ईस्वी तक दूध उत्पादन में हिंदुस्तान नंबर एक हो जायेगा। अभी अंडा उत्पादन में हिन्दुस्तान का नंबर पांचवा है लेकिन हमने संकल्प लिया है कि दो हजार ईस्वी तक हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों की तुलना में नंबर एक पर हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए पशुधन के विकास के बिना गरीबी नहीं हटेगी। इसलिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने, जो किसानोन्मुखी, गरीबोन्मुखी है, जो नीतियां और कार्यक्रम बनाये हैं, उन पर हमारी सरकार के मिनीमम नीड प्रोग्राम में काफी जोर दिया जायेगा। जिससे जो गांव में गरीब किसान है, मेहनती लोग हैं, मजदूर हैं, जो 40 करोड़ के लगभग लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और 30 करोड़ लोग जो लघु कृषक या सीमान्त किसान है, जिनका जानवरों और पशुधन से एडीशनल रिसोर्जिज है।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बजट बहस का उत्तर है?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारे देश की संस्कृति है इस देश में कृष्ण गाय चराकर भगवान हो गये। पशुधन से हम अलग नहीं हो सकते और पशुधन के बिना हिंदुस्तान का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस पर जोर देने का फैसला लिया है कि एनीमल हसबेंडरी और डेयरी को गांव-गांव में फैलाया जाए और गांव-गांव के लोगों को उसमें शामिल करके गांवों की आमदनी का विस्तार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इस बहस का सबसे अच्छा उत्तर हमें ग्रामीण विकास मंत्री और पशु पालन मंत्री से मिला है। हम उन्हें बधाई देते हैं। वे तैयार होकर आये थे। अन्य मंत्रियों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या एक से चार के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस भी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अध्यक्ष की अनुमति से गए हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री भी नहीं हैं और लीडर आफ दि हाउस भी नहीं है। सदन की स्थिति कैसी हो गई है, यह आप देखिए। ... **(व्यवधान)**

अपराह्न 6.00 बजे

शेष मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए रखना*

अध्यक्ष. महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष बची अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या (ओं) के सामने दिखाए

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।'' :-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(2) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(3) नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(4) कोयला मंत्रालय के संबंधित मांग संख्या 10

(5) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(6) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 और 14

(7) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 से 21

(8) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22

(9) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23

(10) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 से 26, 28, 29 और 31 से 36

(11) खाद्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 37

(12) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 38

(13) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 से 41

(14) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 46 और 97 से 101

(15) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50

(16) उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 54

(17) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55 और 56

(18) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57

(19) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58, 59 और 61

(20) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(21) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63

(22) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(23) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(24) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(25) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 से 69

(26) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(27) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 से 76

(28) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77

(29) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 से 80

(30) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81

(31) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 से 84

(32) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85

(33) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86

(34) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 87 और 88

(35) इलेक्ट्रानिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 89

(36) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 90

(37) अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 91

(38) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 93

(39) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 94

(40) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 96

लोक सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए गए 1996-97 के बजट (सामान्य) से दी गई मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	26 जुलाई 1996 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत के लिए पेश किए गए अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
1.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	205,42,00,000	31,00,00,000	205,43,00,000	7,88,00,000
2.	उर्वरक विभाग	3694,87,00,000	423,00,00,000	3294,87,00,000	380,85,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय				
3.	नागर विमानन विभाग	59,70,00,000	26,59,00,000	17,99,00,000	26,59,00,000
4.	पर्यटन विभाग	48,01,00,000	6,55,00,000	48,01,00,000	6,55,00,000
	नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
5.	नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	54,40,00,000	46,00,000	54,40,00,000	46,00,000
	कोयला मंत्रालय				
6.	कोयला मंत्रालय	92,93,00,000	177,51,00,000	92,93,00,000	177,51,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय				
7.	वाणिज्य-विभाग	425,43,00,000	30,50,00,000	425,43,00,000	30,50,00,000
8.	पूर्ति विभाग	19,78,00,000	–	14,11,00,000	–
	संचार मंत्रालय				
9.	डाक विभाग	1308,14,00,000	34,85,00,000	1308,14,00,000	34,86,00,000
10.	दूरसंचार विभाग	6289,79,00,000	4047,49,00,000	6289,79,00,000	4047,50,00,000
	रक्षा मंत्रालय				
11.	रक्षा मंत्रालय	1078,28,00,000	11,84,00,000	1078,28,00,000	11,84,00,000
12.	रक्षा पेंशनें	1649,81,00,000	–	1649,80,00,000	–
13.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	7288,88,00,000	–	6068,22,00,000	–

1	2	3		4	
14.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	1006,78,00,000	–	860,96,00,000	–
15.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2028,67,00,000	–	2028,67,00,000	–
16.	रक्षा आयुध निर्माणियां	640,02,00,000	–	40,01,00,000	–
17.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	4820,38,00,000	–	4116,37,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
18.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	272,81,00,000	3,55,00,000	272,82,00,000	3,56,00,000
विदेश मंत्रालय					
19.	विदेश मंत्रालय	638,47,00,000	31,02,00,000	573,59,00,000	31,02,00,000
वित्त मंत्रालय					
20.	आर्थिक कार्य विभाग	1529,77,00,000	86,58,00,000	1526,52,00,000	86,58,00,000
21.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	362,97,00,00	192,66,00,000	362,97,00,000	192,66,00,000
22.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	1061,98,00,000	1297,87,00,000	1031,45,00,000	1185,86,00,000
23.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	5297,34,00,000	787,50,00,000	4527,34,00,000	387,50,00,000
24.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	–	148,25,00,000	–	148,25,00,000
25.	व्यय विभाग	2007,14,00,000	–	2007,15,00,000	–
26.	पेंशनें	608,58,00,000	–	608,57,00,000	–
27.	लेखा परीक्षा	223,92,00,000	–	223,91,00,000	–
28.	राजस्व विभाग	105,20,00,000	2,25,00,000	58,27,00,000	2,25,00,000
29.	प्रत्यक्ष कर	235,99,00,000	88,00,00,000	235,99,00,000	88,00,00,000
30.	अप्रत्यक्ष कर	350,97,00,000	135,03,00,000	350,97,00,000	135,03,00,000
खाद्य मंत्रालय					
31.	खाद्य मंत्रालय	3057,62,00,000	47,34,00,000	3057,62,00,000	47,34,00,000
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
32.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	20,28,00,000	5,25,00,000	20,28,00,000	5,25,00,000

1	2	3		4	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
33.	स्वास्थ्य विभाग	625,97,00,000	220,04,00,000	625,96,00,000	220,04,00,000
34.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	22,09,00,000	1,00,000	22,09,00,000	–
35.	परिवार कल्याण विभाग	975,32,00,000	67,00,000	975,33,00,000	68,00,000
गृह मंत्रालय					
36.	गृह मंत्रालय	142,19,00,000	9,10,00,000	142,20,00,000	9,10,00,000
37.	मंत्रिमंडल	44,90,00,000	7,50,00,000	44,91,00,000	7,50,00,000
38.	पुलिस	2019,64,00,000	244,59,00,000	1844,64,00,000	244,60,00,000
39.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	139,23,00,000	117,13,00,000	139,22,00,000	117,14,00,000
40.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	113,70,00,000	116,81,00,000	113,71,00,000	116,82,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
41.	शिक्षा विभाग	2239,21,00,000	26,00,000	2239,21,00,000	26,00,000
42.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	67,25,00,000	86,00,000	67,26,00,000	87,00,000
43.	संस्कृति विभाग	101,62,,00,000	–	101,61,00,000	–
44.	महिला और बाल विकास विभाग	484,20,00,000	–	410,93,00,000	–
उद्योग मंत्रालय					
45.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	246,76,00,000	76,00,000	245,26,00,000	76,00,000
46.	सरकारी उद्यम विभाग	97,00,000	–	97,00,000	–
47.	भारी उद्योग विभाग	257,13,00,000	111,36,00,000	257,13,00,000	111,35,00,000
48.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	329,77,00,000	148,29,00,000	329,77,00,000	148,29,00,000

1	2	3		4	
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
49.	सूचना फिल्म तथा प्रचार	67,86,00,000	5,92,00,000	76,99,00,000	5,93,00,000
50.	प्रसारण सेवाएं	709,81,00,000	156,52,00,000	709,81,00,000	156,53,00,000
	श्रम मंत्रालय				
51.	श्रम मंत्रालय	344,71,00,000	72,00,000	344,71,00,000	71,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
52.	विधि और न्याय	272,30,00,000	–	272,31,00,000	–
53.	चुनाव आयोग	2,98,00,000	–	2,49,00,000	–
54.	कम्पनी कार्य विभाग	8,74,00,000	1,00,000	8,75,00,000	–
	खान मंत्रालय				
55.	खान मंत्रालय	112,33,00,000	17,69,00,000	112,33,00,000	17,69,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
56.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	110,29,00,000	57,66,00,000	110,29,00,000	57,66,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
57.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,78,00,000	–	1,78,00,000	–
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
58.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	56,69,00,000	1,45,00,000	56,69,00,000	1,45,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
59.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,81,00,000	–	1,81,00,000	–
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
60.	योजना	52,52,00,000	22,84,00,000	52,51,00,000	22,83,00,000

1	2	3		4	
61.	सांख्यिकी विभाग	36,04,00,000	2,70,00,000	36,54,00,000	2,78,00,000
62.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	395,80,00,000	–	395,80,00,000	–
	विद्युत मंत्रालय				
63.	विद्युत मंत्रालय	284,32,00,000	1224,85,00,000	284,32,00,000	1224,85,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
64.	विज्ञान और प्रौद्यगिकी विभाग	224,54,00,000	17,48,00,000	224,53,00,000	17,49,00,000
65.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	216,74,00,000	3,25,00,000	216,73,00,000	3,25,00,000
66.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	46,08,00,000	2,25,00,000	46,09,00,000	2,25,00,000
	इस्पात मंत्रालय				
67.	इस्पात मंत्रालय	21,01,00,000	10,10,00,000	21,01,00,000	10,10,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय				
68.	भूतल परिवहन	31,58,00,000	44,80,00,000	29,78,00,000	44,80,00,000
69.	सड़कें	378,31,00,000	601,46,00,000	378,31,00,000	601,46,00,000
70.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	118,30,00,000	132,39,00,000	118,31,00,000	131,58,00,000
	कपड़ा मंत्रालय				
71.	कपड़ा मंत्रालय	262,62,00,000	250,96,00,000	287,61,00,000	129,96,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय				
72.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	280,88,00,000	113,06,00,000	280,88,00,000	113,05,00,000
73.	लोक निर्माण कार्य	204,42,00,000	97,47,00,000	204,41,00,000	91,46,00,000
74.	लेखन सामग्री और मुद्रण	74,10,00,000	2,25,00,000	74,10,00,000	2,25,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय				
75.	जल संसाधन मंत्रालय	2,28,58,00,000	20,75,00,000	228,59,00,000	20,74,00,000
	कल्याण मंत्रालय				
76.	कल्याण मंत्रालय	339,97,00,000	92,84,00,000	346,62,00,000	94,83,00,000

1	2	3		4	
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
77.	परमाणु ऊर्जा	308,44,00,000	300,13,00,000	308,45,00,000	300,14,00,000
78.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	265,56,00,000	175,12,00,000	265,55,00,000	175,12,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
79.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	67,00,00,000	11,10,00,000	67,01,00,000	11,09,00,000
	महासागर विकास विभाग				
80.	महासागर विकास विभाग	30,04,00,000	3,37,00,000	30,04,00,000	3,38,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
81.	अन्तरिक्ष विभाग	496,16,00,000	52,73,00,000	320,15,00,000	52,73,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
82.	राज्य सभा	10,79,00,000	–	10,79,00,000	–
83.	लोक सभा	26,00,00,000	–	26,01,00,000	–
84.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	26,00,000	–	25,00,000	–
	संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंडल वाले				
85.	अंदामान और निकोबार द्वीप समूह	170,34,00,000	102,08,00,000	170,34,00,000	74,95,00,000
86.	चंडीगढ़	188,72,00,000	26,65,00,000	188,73,00,000	26,64,00,000
87.	दादर और नागर हवेली	45,98,00,000	10,15,00,000	45,99,00,000	10,15,00,000
88.	दमन और दीव	35,04,00,000	7,44,00,000	35,04,00,000	7,44,00,000
89.	लक्षद्वीप	62,52,00,000	7,84,00,000	62,52,00,000	7,83,00,000
	जोड़ राजस्व / पूंजी	**62530,70,00,000**	**17181,06,00,000**	**58814,49,00,000**	**15752,92,00,000**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों और विभागों से संबंधित शेष बची अनुदानों की मांगें पारित हुई।

अपराह्न 6.07 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो खंड 2, दिनांक 9.9.96 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक* पुर:स्थापित करता हूँ। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विचार के लिए प्रस्ताव पेश करें।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> ''कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> ''कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने इस विषय पर बोलने की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सूचना स्वीकार कर ली है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 218 के अंदर तीन विषयों के बारे में चर्चा उपस्थित करने के लिए सूचनायें दी हैं। मैंने तीनों मंत्रियों को भी नोटिस दिया है। श्री रमाकान्त खलप जी गर्दन झुका रहे हैं। उन तक यह पहुंच गया है, ऐसा लगता है। मैं अपना पहला सवाल उनकी मिनिस्ट्री के बारे में उपस्थित करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि इस सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम लोकपाल विधेयक लायेंगे और समाज में, सरकार में जो भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध हम जो लोकपाल विधेयक लायेंगे उसमें हम प्रधानमंत्री जी का नाम, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी जोड़ेंगे। इस प्रकार का आश्वासन जो यूनाईटेड फ्रंट का कॉमन मीनिमम प्रोग्राम है, उसमें दिया गया था। मैं केवल उसकी चार लाइनें पढ़ रहा हूं;

[अनुवाद]

> ''साफ सुधरा प्रशासन : संयुक्त मोर्चा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और साफ-सुथरे प्रशासन के लिए वचनबद्ध है। लोकपाल के पद की स्थापना के लिए ग्यारहवीं लोक सभा के पहले बजट सत्र में एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा। यह विधेयक प्रधान मंत्री के पद पर भी लागू होगा। सभी संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष विधि के अनुसार लोकपाल के समक्ष अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी।''

[हिन्दी]

इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह सत्र समाप्त होने में दो-तीन दिन रह रहे हैं। यह विधेयक आ रहा है, इसके बारे में हमको कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें भी इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करेंगे, ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसलिए मैं ला मिनिस्ट्री से जानना चाहता हूं कि उस विधेयक के संबंध में सरकार ने क्या किया? यह विधेयक क्यों नहीं लाया गया, उसके क्या कारण हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन ब्राडकास्टिंग से संबंधित है। यहां पर श्री सी. एम. इब्राहिम जी दिखाई नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मैं इस बात का पहले गंभीरता से आक्षेप लेना चाहता हूं। उसके बारे में मैं कोल एंड शकधर के 650 पर जो कमेन्ट्स हैं, वह मैं पहले पढ़ना चाहता हूं फिर मुझे क्या कहना है, वह बताऊंगा।

[अनुवाद]

> ''जब कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विनियोग विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर कतिपय प्रश्न उठाता है तो संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित होना चाहिए। अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय के बारे में प्रश्न उठाने के लिए सदस्यों द्वारा अलग-अलग सूचनाएं देनी चाहिए और दस बजे तक प्राप्त सूचनाएं संबंधित मंत्री को भेजी जाएगी तथा उन्हें सदन में उपस्थित होना चाहिए।''

[हिन्दी]

मंत्री महोदय दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह बड़े औचित्य का विषय है कि इतने पूर्व नोटिस देने के बाद भी संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है। यह एक दृष्टि से सदन का अवमान है, औचित्य भंग है। इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

आजकल ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है और इस बात को ख्याल में रखते हुए ब्रॉडकास्टिंग और टेलीवाईजिंग पर कुछ बंधन लाने का एक विधेयक इस सरकार की ओर से आने वाला है। हम उस पर कुछ कोशिश करेंगे, इस प्रकार की चर्चा हवा में आई है। इस दृष्टि से मेरा प्रश्न यह है कि इस बात का भी पता चला है कि प्लस 21 के नाम से एक नया चैनल शुरू होने वाला है और प्लस 21 के जरिए

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

रात को ऐसे चित्र और जानकारी दिखाई जायेगी जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के संकेत के विरोध में आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि प्लस 21 चैनल के संबंध में इस सरकार ने क्या नीति अपनानी तय की है? उस का एक और विशेष महत्व इसलिए है कि टैलीविजन में बड़ी प्रगति हो रही है। अमरीका में तो टैलीविजन अब बिना केबल घर में आ सकता है, कमरे में आ सकता है, जिसको डायरेक्ट टू हाउस (डी.टी.एच.) कहा जाता है। क्या सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा है? क्या ऐसी बातों को सैंसर लाने की दृष्टि से सरकार की कुछ नीति है? यह इस विषय के संबंध में मेरा दूसरा प्रश्न है। इसके लिए सरकार की ओर से कौन उत्तर देगा, देख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

तीसरा, दिलीप कुमार राय फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के मंत्री हैं। इनके संबंध में हमने अपने सदन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और उसके लिए विदेशी ट्रालर्स को लाइसेंस देने के संबंध में एक पी. मुरारी कमेटी नियुक्त की गई थी। पी. मुरारी कमेटी ने, जिसमें इस सदन के लगभग 17 सदस्य थे, छः महीने पहले 8 फरवरी को एक रिपोर्ट दी। यूनैनीमस रिकामेंडेशन थी। उस समिति में सभी पार्टी के एम. पी. थे। राज्य सरकार की फिशिंग मिनिस्टी के सैक्रेटरी भी थे। कुल मिलाकर वह सबकी रिकमैंडेशन थी। छः महीने में उस रिकमैंडेशन को अमल में लाने की दृष्टि से हमने उस कमेटी से सिफारिश की थी। सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। देश में मछुआरों ने आंदोलन शुरू किया, सरकार से बातें की। फिर भी सरकार ने नहीं सुना। इसलिए फिशर्स की ओर से थामस कोचारी ने मुम्बई में अनिश्चितकाल के लिए अनुशन शुरू किया और सारे देश में जितने बंदरगाह हैं, वहां पर ब्लाकेड का आंदोलन शुरू किया। सात दिन के अनशन के बाद यहां से फिर श्री दिलीप कुमार राय मुम्बई गए। उन्होंने थॉमस कोचारी, फिशरमैन के नेता से चर्चा की। उनका साइन्ड स्टेटमेंट इस समय मेरे पास है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसके संबंध में एक महीने में फैसला करेंगे और उसके बाद इसका निर्णय घोषित करेंगे। एक महीना पूरा होने में केवल एक दिन बाकी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में अब तक विदेशी ट्रालर्स के लाईसैंसेस कैंसल क्यों नहीं किए और बाकी के जो रिकमैंडेशन्स हैं, उसके बारे में सरकार ने कौन सा फैसला किया है?

ये तीनों विषय सार्वजनिक महत्व के हैं, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंधित हैं और इन पर इस बजट के डिमांड्स के तहत कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए मैंने नोटिस दिया है। आपने भी उसको मान्यता दी। मैंने बातें रखी हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इन तीनों बातों पर दो टूक उत्तर आए।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : श्री राम नाईक जी को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल विधेयक का काम हमने पूरा कर लिया है। कैबिनेट का निर्णय भी हुआ है। आज मंत्रियों की समिति ने इस पर फाइनल विचार किया और इसी सैशन में हम विधेयक को दाखिल करेंगे।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नाईक जी का मैं आभारी हूं। 13 तारीख को ... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : थोड़ा आप यहां समय पर उपस्थित रहते ... **(व्यवधान)**

श्री सी. एम. इब्राहीम : मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री राम नाईक : मुझसे नहीं, सदन से।

श्री सी. एम. इब्राहीम : 13 सितम्बर को हमने पूरे जितने पार्लियामेंट के पार्टियों के नेता हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में जो राय निकलेगी, सरकार उस राय को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। मैंने कहा था कि इस सैशन में नहीं तो अगले विंटर सैशन में प्रसार भारती का बिल लाने की हम कोशिश करेंगे।

दूसरी बात जहां तक फोरेन साइंस जितने निकल रहे हैं, उस पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाय, इस बात पर हम गम्भीर विचार कर रहे हैं। जो अभिप्राय यहां पर व्यक्त किये हैं, उसको खास करके ध्यान में रखा है और मुझे आशा है कि 13 तारीख को आप जरूर उस मीटिंग में आयेंगे और जो आपकी सूचना है, वह आप देंगे।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : महोदय, मुरारी समिति के प्रतिवेदन की मेरे विभाग, विधि विभाग, कृषि विभाग और वित्त विभाग ने जांच की है। उस पर सक्रियता से विचार हो रहा है।

श्री राम नाईक ने कहा कि प्रतिवेदन पर विचार करने का समय कल समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे पास 13 तारीख तक का समय है। मैंने उनसे वादा किया था कि 13 तारीख को हम निर्णय लेंगे। इस पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। 13 तक आज्ञा है निर्णय ले लेंगे।

श्री राम नाईक : निर्णय सदन को बताया जाए। ऐसा होता है तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूसी विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 सितम्बर, 1996/19 भाद्र, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/5/26/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।